रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239138 CG-DL-E-27092022-239138

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] No. 645] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 726(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खंड (3) के साथ पिठत धारा 68 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दत्तकग्रहण विनियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा यथा विरचित निम्नलिखित दत्तकग्रहण विनियम अधिसूचित करती है, अर्थात्-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दत्तकग्रहण विनियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (1) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;
- (2) "दत्तक समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसमें संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत पदाधिकारी, इसके आगंतुक चिकित्सक या सरकारी अस्पताल का एक चिकित्सा अधिकारी और जिला बालक संरक्षण इकाई का

6434 GI/2022 (1)

- एक पदधारी समाविष्ट होंगे और बालक देखरेख संस्था का एक प्रतिनिधि, यदि दत्तकग्रहण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से भिन्न किसी अन्य बालक देखरेख संस्था से किया जाता है, भी शामिल होगा और जिला बालक संरक्षण अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होगा;
- (3) "दत्तकग्रहण फीस" से प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, भावी दत्तक माता-पिता से सीधे, यदि वे भारत में निवास करते हैं, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली फीस अभिप्रेत है;
- (4) "जैविक माता-पिता" से ऐसा कोई पुरुष या महिला अभिप्रेत है, जो आनुवंशिक रूप से किसी बालक का पिता या माता है;
- (5) "दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन सम्यक् जांच करने के पश्चात, अनुसूची 1 में उपबंधित प्रारूप के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा इस प्रकार घोषित कोई बालक अभिप्रेत है;
- (6) "बालक अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें **अनुसूची 2** में उपबंधित प्रपत्र के अनुसार, बालक के जन्म की तारीख और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित उसका ब्यौरा अंतर्विष्ट है;
- (7) दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए "राज्यों के समूह" से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित परिक्षेत्र या क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (8) "अभिहित पोर्टल" से बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली या कोई अन्य पोर्टल अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर दत्तकग्रहण के कार्यक्रम सुकर बनाने, मार्गदर्शन करने और मॉनिटरी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है;
- (9) "विच्छिन्नता' से दत्तकग्रहण की विधिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, बालक और दत्तक कुटुम्ब दोनों का स्थानन के पश्चात् एक दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक कुटुम्ब से बालक का अमेल होना अभिप्रेत है;
- (10) "विघटन" से जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त होने के पश्चात्, बालक और दत्तक कुटुम्ब, दोनों का एक दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तकग्रहण का विधिक रूप से बातीलीकरण अभिप्रेत है;
- (11) "साधारण निवास" से किसी व्यक्ति का कम से कम एक वर्ष की अविध के लिए साधारण आवास अभिप्रेत है;
- (12) "हेग दत्तकग्रहण अभिसमय" से बालकों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग अभिसमय (1993) अभिप्रेत है:
- (13) "दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे नीचे वर्णित प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है:
 - (क) पांच वर्ष से कम आयु का एक सामान्य बालक जिसे अभिनिर्देशीन के पश्चात् साठ दिनों के भीतर एक निवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण के लिए नहीं रखा गया है;
 - (ख) या पांच वर्ष से अधिक आयु का बालक या उसके सहोदर, जिन्हें अभिनिर्देशन के पश्चात् तीस दिनों के भीतर एक निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है;
 - (ग) उपरोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित बालकों की श्रेणियां, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है, उन्हें आगे सभी भावी दत्तक माता-पिता को खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य सात दिनों की अविध में दिखाया जाएगा;
 - (घ) खंड (ग) में उल्लिखित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् बालक को विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के पास पंद्रह दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;
 - (ड़) उपरोक्त खंड (क) से (घ) में नियत समय सीमा के पश्चात् दत्तकग्रहण में न रखे गए बालक को दत्तकग्रहण में किठनाई वाले बालक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;
- (14) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें **अनुसूची 7** में उपबंधित रूपविधान के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता का ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है, जिसमें उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति, कौटुम्बिक पृष्ठभूमि, घर

- का विवरण और वहाँ का वातावरण तथा स्वास्थ्य की दशा शामिल होगी;
- (15) "देश के भीतर दत्तकग्रहण" से भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिक द्वारा किसी बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है:
- (16) "चिकित्सा जांच रिपोर्ट" से सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त चिकित्सक द्वारा अनुसूची 3 में उपबंधित रूपविधान में बालक की स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है:
- (17) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें बालक को विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण की अनुमति दी गई है;
- (18) दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए "बड़ा बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसकी आयु पांच वर्ष से अधिक है;
- (19) "लंबित दत्तकग्रहण" से ऐसे दत्तकग्रहण मामले अभिप्रेत हैं. जिनमें भावी दत्तक माता-पिता पहले से ही दत्तकग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनमें ऐसे विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता समाप्त होने, निलंबन या प्रत्याहरण से पहले किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक के अभिनिर्देशन को स्वीकार कर लिया गया हो:
- (20) "दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख" से वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें भावी दत्तक माता-पिता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दत्तकग्रहण का आदेश दिए जाने तक किसी बालक की अस्थायी अभिरक्षा दी जाती है;
- (21) "निवासी भारतीय" से भारत में निवास करने वाला भारतीय नागरिक है:
- (22) "नियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 अभिप्रेत है;
- (23) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (24) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है:
- (25) "विशेष आवश्यकताओं वाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो इन विनियमों की अनुसूची 18 और अनुसूची 3 (भाग ङ) में दी गई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में यथाउपबंधित किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त है:
- (26) "सौतेले माता-पिता" से ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जो किसी बालक के पिता या माता से विवाहित है, लेकिन जो उस बालक का जैविक पिता या माता नहीं है;
- (27) "सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण" से ऐसी कोई स्थिति अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पित या पत्नी के बालक के लिए विधिक माता या पिता बन जाता है;
- (28) उन शब्दों और पदों के, जो इन उपनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।
- 3. दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांत- निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत भारत से बालकों को दत्तकग्रहण को शासित करेंगे, अर्थात्:-
 - किसी भी दत्तकग्रहण को करते समय बालक के सर्वोत्तम हित सर्वोपिर होंगे; (1)
 - जहां तक संभव हो, बालक को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में रखने के सिद्धांत को ध्यान में (2)रखते हुए भारतीय नागरिकों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए बालक को रखने को प्राथमिकता दी जाएगी; और
 - दत्तकग्रहण के लिए सभी आवेदनों को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा (3)उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
- दत्तकग्रहण के लिए पात्र बालक निम्नलिखित बालक दत्तकग्रहण के लिए पात्र होंगे, अर्थात्:-4.
 - कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित किया गया बालक, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण (1) के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया हो;
 - धारा 2 के खंड (52) के अधीन परिभाषित किसी रिश्तेदार का बालक; और (2)

- (3) पूर्वेवर्ती विवाह से पति या पत्नी के बालक, सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक।
- 5. भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड- (1) भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके जीवन के लिए कोई खतरनाक चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए।
- (2) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता, उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद, निम्नलिखित के अधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकते हैं, अर्थात्:—
 - (क) विवाहित दंपति के मामले में, दत्तकग्रहण के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक होगी:
 - (ख) कोई एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है; और
 - (ग) कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा।
- (3) किसी दंपत्ति को, रिश्तेदार या सौतेले माता-पिता के दत्तकग्रहण के मामलों के सिवाय, कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने तक कोई बालक का दत्तकग्रहण नहीं दिया जाएगा।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता की आयु, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, विभिन्न आयु समूहों के बालकों के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता तय करने के लिए निम्नानुसार गणना की जाएगी:

बालक व	ने आयु			भावी दत्तक माता-पिता (दंपति) की अधिकतम संयुक्त आयु	एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु
2 वर्ष तक				85 वर्ष	40 वर्ष
2 और 4 व		से	अधिक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 और 8 व		से	अधिक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 और 18		से	अधिक	110 वर्ष	वर्ष

परंतु बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर पच्चीस वर्ष से कम का नहीं होगा।

- (5) दंपत्ति के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु की गणना की जाएगी।
- (6) रिश्तेदार दत्तकग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु मानदंड लागू नहीं होंगे।
- (7) दो या दो से अधिक बालकों वाले दंपित के लिए विनियम 2 के खंड (25) में निर्दिष्ट केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों, और विनियम 2 के खंड (13) में उल्लिखित रखने में मुश्किल वाले बालकों, यदि वे रिश्तेदार या सौतेले बालक न हों, के लिए ही विचार किया जाएगा।
- (8) भावी दत्तक माता-पिता को तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट को फिर से सत्यापित करना होगा।
- (9) भावी दत्तक माता-पिता, जिन्हें तीन वर्षों के भीतर एक भी अभिनिर्दशन प्राप्त नहीं हुआ है, की ज्येष्ठता की गणना उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने एक सौ दस वर्ष के समग्र वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अध्याय-2

दत्तकग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

- 6. अनाथ या परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया- (1) अनाथ या परित्यक्त बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक करने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 31, 32, 36, खंड (क) से (ग) और धारा 37 की उप-धारा (1) के और खंड (ज), धारा 38 और धारा 40, के साथ ही इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन निर्धारित किए गए हैं।
- (2) बाल कल्याण समिति की भागीदारी के बिना सीधे किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बालक देखरेख संस्था द्वारा प्राप्त किसी अनाथ या परित्यक्त बालक को नियमों के प्रारूप 17 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट सहित चौबीस घंटे (यात्रा के समय को छोड़कर) के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसी अविध के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में जमा की जाएगी।
- (3) यदि कोई बालक उपचाराधीन है या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, तो उक्त समय-सीमा के भीतर बालक से संबंधित दस्तावेज ही बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे और बाल कल्याण समिति बालक से मुलाकात करेगी।
- (4) यदि जांच लंबित है, तो बाल कल्याण समिति, अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (26) के उपबंधों के अनुसार नियमों के प्ररूप 18 में किसी बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, को बालक की अल्पकालिक व्यवस्था या अंतरिम देखभाल के लिए आदेश जारी करेगी।
- (5) बाल कल्याण समिति के आदेश से बालक को प्रवेश देने पर, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर उनका विवरण और फोटो निर्धारित प्रारूप में अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, और ऐसी अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर प्रत्येक छह महीने में बालक की फोटो और प्रोफाइल अपडेट की जाएगी।
- (6) बाल कल्याण समिति के आदेश के आधार पर बालक देखरेख संस्थानों में भर्ती अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बड़े बालकों के मामले में, ऐसे बालकों का विवरण अभिहित पोर्टल पर संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दर्ज किया जाएगा।
- (7) जैविक माता-पिता या विधिक अभिभावकों का पता लगाने के लिए, बाल कल्याण समिति, जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर, और बालक के सर्वोत्तम हित में, जिला बालक संरक्षण इकाई को बालक के पाए जाने के स्थान में व्यापक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय समाचारपत्र में बालक के पाए जाने के तीन दिनों के भीतर अनाथ या परित्यक्त बालक के विवरण और चित्र का विज्ञापन करने और साथ ही बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में डेटा की प्रविष्टि भी सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकती है।
- (8) यदि बालक दूसरे राज्य से है, तो स्थानीय भाषा में बालक के ज्ञात मूल स्थान पर प्रकाशन किया जाएगा और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में जानकारी की प्रविष्टि सहित ऐसे प्रकाशन को संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा सुगम बनाया जाएगा।
- (9) यदि उप-विनियम (7) से उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट प्रयासों के बावजूद जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो जिला बालक संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (10) बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन पूरे होने पर तुरंत बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में बालक द्वारा अपने अल्पकालीन प्रवास के दौरान प्रकट की गई कोई भी जानकारी और बालक का दावा करने के लिए संपर्क करने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हों, का विवरण शामिल होगा।
- (11) यदि दो वर्ष से कम आयु के अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में दो महीने के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में चार महीने के भीतर जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों का पता न लगने की स्थानीय

- पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो माता-पिता को पता न लगाने योग्य समझा जाएगा।
- (12) बाल कल्याण सिमिति, यह पता लगाने के लिए चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया का उपयोग करेगी कि क्या पिरत्यक्त बालक या अनाथ बालक लापता बालक है और यदि बालक की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उन्हें जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों को सौंप दिया जाएगा।
- (13) बाल कल्याण समिति, क्रमश: दो वर्ष तक के या दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में, बाल कल्याण सिमिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से दो या चार महीने समाप्त होने के पश्चात् तीन दिन की अविध के भीतर, अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करने के पश्चात्, बाल कल्याण सिमिति के किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी, जिसमें परित्यक्त् या अनाथ बालक को अनुसूची 1 में दिए गए प्रारूप में दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा।
- (14) बाल कल्याण समिति द्वारा धारा 36 के अधीन जांच और धारा 38 के अधीन एक परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश उस जिले में पूरा किया जाएगा जहां बालक प्रारम्भ में पाया गया था, या उस जिले में जहां बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन बालक को स्थानांतरित किया गया है।
- (15) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किसी अनाथ या परित्यक्त बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमशः अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से अधिकतम दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर डाली जाएगी या जब भी बालक में उल्लेखनीय शारीरिक परिवर्तन देखे जाएं अभिहित पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।
- (16) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में होगी।
- (17) जिला बालक संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट या कोई अन्य आवश्यक जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने में सुविधा प्रदान करेगी, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
- (18) बाल कल्याण समिति द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी।
- (19) सहोदर या जुड़वां बालकों के मामले में, बाल कल्याण समिति बालकों की स्थिति को सहोदर या जुड़वां के रूप में निर्दिष्ट करेगी और बालकों को एक ही क्रम में विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।
- 7. अभ्यर्पित बालक से संबंधित प्रक्रिया- (1) अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करने के इच्छुक माता-पिता या संरक्षक, नियम के प्ररूप 23 में यथाउपबंधित बाल कल्याण समिति को आवेदन करेंगे।
- (2) जो माता-पिता या संरक्षक निरक्षरता या किसी अन्य कारण से आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए बाल कल्याण सिमिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए विधिक सहायता काउंसेल के माध्यम से ऐसी सुविधा प्रदान करेगी।
- (3) अभ्यर्पण विलेख बालक को प्रस्तुत करने के दिन निष्पादित किया जाएगा जैसा कि **अनुसूची 5** में उपबंध किया गया है।
- (4) यदि अविवाहित माता सहित कोई महिला जैविक माता-पिता अधिनियम की धारा 35 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से बालक का अभ्यर्पण करने की इच्छुक है, तो अधिनियम की धारा 35 के अधीन परिकल्पना के अनुसार अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जा सकता है।
- (5) यदि विवाहित दंपति से पैदा हुए बालक का अभ्यर्पण किया जाना है, तो माता-पिता दोनों अभ्यर्पण विलेख पर

हस्ताक्षर करेंगे और यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत माता-पिता के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- (6) यदि एक विवाहित दंपित से पैदा हुए बालक को एक जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित किया जाना है और दूसरे माता-पिता के ठिकाने का पता नहीं है, तो बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
- (7) विवाह के बिना पैदा हुए बालक के मामले में, केवल माता ही बालक को अभ्यर्पित कर सकती है और यदि माता अवयस्क है और संरक्षक या अवयस्क का परिवार अधिनियम की धारा 35 में दी गई प्रक्रिया के अधीन बालक को अभ्यर्पित करने का इच्छुक है, तो साक्षी के रूप में साथ आने वाले वयस्क द्वारा अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (8) माता-पिता या विधिक संरक्षक के सिवाय कोई और बालक को अभ्यर्पित नहीं कर सकता। यदि माता-पिता या विधिक संरक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और विनियम 6 के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा:
 - परंतु कि कोई अविवाहित माता या बालक को अभ्यर्पित करने वाले किसी अवयस्क सहित एक महिला जैविक माता अपनी पहचान प्रकट करने की इच्छुक नहीं है, तो ऐसे बालक को परित्यक्त समझा जाएगा।
- (9) बाल कल्याण समिति, यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता या व्यक्ति को दी जाए।
- (10) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर अभ्यर्पित बालक का विवरण उसके फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- (11) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जिला बालक संरक्षण इकाई और बाल कल्याण सिमिति द्वारा माता-पिता का बालक को धारित रखने की संभावना का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें परामर्श या उन्हें राज्य सरकार द्वारा चिन्हित परामर्श केंद्र से जोड़ना, उन्हें धारित रखने के लिए प्रोत्साहित करना, और यह समझाना शामिल है कि जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण को हतोत्साहित करने के लिए अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्पण की प्रक्रिया अप्रतिसंहरणीय हो जाएगी।
- (12) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता या विधिक संरक्षक को इस बात से अवगत कराया जाए कि वे अभ्यर्पण करने की तारीख से साठ दिनों की अविध के भीतर ही अभ्यर्पित बालक को पुनःप्राप्त कर सकते हैं।
- (13) प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अभिकरणों द्वारा अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता और अभ्यर्पण करने वाले बालक की गोपनीयता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
- (14) अभ्यर्पित बालक के मामले में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
- (15) यदि अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता ने पुनर्विचार अवधि के दौरान बालक को वापस लेने का दावा नहीं किया है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समिति को अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर इसकी सूचना दी जाएगी।
- (16) जैविक माता-पिता के लिए पुनर्विचार की अवधि अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट है और अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- (17) बाल कल्याण समिति अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से **अनुसूची 1** के प्रारूप में एक आदेश जारी करेगी।
- (18) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभ्यर्पित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर, इन विनियमों की क्रमशः अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के प्रारूप में अभिहित पोर्टल पर डाली जाएगी।
- (19) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट अंग्रेजी में (संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी और जिला बालक संरक्षण इकाई अभिहित पोर्टल पर बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट

अपलोड करने में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को सहयोग प्रदान करेगी, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़े।

- (20) सभी परिस्थितियों में जैविक माता-पिता से संबंधित सभी दस्तावेजों के मामलों में सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाएगी यदि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता ने इसे प्रकट करने की इच्छा व्यक्त नहीं की हो:
 - परंतु अभ्यर्पण विलेख तक पहुंच केवल बालक के पास होगी।
- (21) बाल कल्याण समिति के समक्ष किसी बालक का अभ्यर्पण बंद कमरे में होगा।
- (22) सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा बालक या बालकों का अभ्यर्पण **अनुसूची 20** में दिए गए प्रारूप में बाल कल्याण समिति के समक्ष होगा।
- 8. दत्तकग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता– (1) जैसे ही ही बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, ऐसे बालक को उन भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण की अनुमित दी जाएगी जो निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक काईधारक हैं।
 - (क) पांच वर्ष से कम आयु के सामान्य बालक को निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को साठ दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;
 - (ख) पांच वर्ष से अधिक आयु के सामान्य बालक या भाई-बहनों को तीस दिनों के लिए निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्ट किया जाएगा:
 - (ग) उपरोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित श्रेणियों के बालक, जिनका विहित समय सीमा में दत्तकग्रहण नहीं हुआ है, उन्हें निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को उनकी वरिष्ठता पर विचार किए बिना सात दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; और
 - (घ) इसके पश्चात्, उपरोक्त खंड (क) से खंड (ग) में उल्लिखित श्रेणियों के बालकों को पंद्रह दिनों के लिए विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालकों से संबंधित प्रक्रिया:- यदि बालक में चिकित्सा जांच रिपोर्ट की अनुसूची 28 और अनुसूची 3 (भाग ङ) में सूचीबद्ध कोई दिव्यांगता है, तो ऐसे बालक को निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को पंद्रह दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद सभी श्रेणियों के भावी दत्तक माता-पिता को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकसे संबंधित प्रक्रिया:- जहां तक बालकों को रखने में कठिनाई का संबंध है, ऐसे बालकों को विनियम 2 के उप-विनियम (13) के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि समय सीमा की गणना उस तारीख से की जाएगी जब बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
- 9. दत्तकग्रहण अभिनिर्देशन में प्राथमिकता- (1) निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को पहचान दस्तावेजों के प्रमाण जैसे पित या पत्नी के आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाणपत्र या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के आधार पर दो राज्यों के चयन की अनुमित दी जाएगी, या वे अपनी पहचान के अनुसार राज्यों के किसी समूह का चयन कर सकते हैं।
- (2) सभी भावी दत्तक माता-पिता यह सूचित करने में सक्षम होंगे कि क्या वे विशिष्ट श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बालक का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं और "रखने में किठनाई वाले बालक" श्रेणी से किसी बालक को आरक्षित करने में सक्षम होंगे।

- (3) जब निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता तीन अभिनिर्देशन में से एक भी बालक को आरक्षित नहीं करते हैं, तो ऐसे माता-पिता को एक वर्ष की अविध के लिए वर्जित कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात् वे नए रिजस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को भी एक वर्ष की अविध के लिए वर्जित कर दिया जाएगा यदि वे दो अभिनिर्देशन में से किसी बालक को आरक्षित नहीं करते हैं।
- (4) यदि दत्तक माता-पिता विच्छिन्न या विघटन का कारण पाए जाते हैं, तो उन्हें फिर से दत्तकग्रहण से वर्जित कर दिया जाएगा।

अध्याय-3

निवासी भारतीयों द्वारा दत्तकग्रहण की प्रक्रिया

- 10. भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन- (1) यदि भारतीय भावी दत्तक माता-पिता, अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक का दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हैं, तो वे इसके लिए अनुसूची 6 में दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके तीस दिनों के भीतर स्वयं को भावी दत्तक माता-पिता के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अभिहित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता को उनकी पहचान के अनुसार दो राज्य के विकल्पों की अनुमित होगी या वे अपनी पहचान के अनुसार राज्यों के किसी समूह का चयन कर सकते हैं।
- (3) अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण उनके द्वारा चुने गए राज्य या राज्यों की सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों में मानित रजिस्ट्रीकरण होगा।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता को अपना रजिस्ट्रीकरण नंबर पावती पर्ची से प्राप्त होगा, जिसका उपयोग उनके आवेदन की प्रगति को देखने के लिए किया जा सकता है।
- (5) अनुसूची 6 में यथा उपबंधित आवेदन पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाने के तुरंत पश्चात् रजिस्ट्रीकरण पूरा किया जाएगा और भावी दत्तक माता-पिता की पृष्टि की जाएगी।
- (6) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, भावी दत्तक माता-पिता गृह अध्ययन कराने के लिए अपने निवास के निकट किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई में आवेदन करेंगे।
- (7) भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट चयनित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के पैनलबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार की जाएगी, जो भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक-पूर्व परामर्श प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- (8) गृह अध्ययन रिपोर्ट **अनुसूची 7** में दिए गए प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और उसके तुरंत पश्चात् भावी दत्तक माता-पिता के साथ साझा की जाएगी।
- (9) गृह अध्ययन रिपोर्ट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों की अविध के भीतर अभिहित पोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा।
- (10) गृह अध्ययन रिपोर्ट तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक को दत्तकग्रहण का आधार होगी।
- (11) जिला बालक संरक्षण इकाई भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण, उनके दस्तावेजों को अपलोड करने और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के सामने आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- (12) गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने के पश्चात् भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण करना एक उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
- 11. अभिहित पोर्टल के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से भावी दत्तक माता-पिता को किसी बालक का अभिनिर्देशन (1) बालक के अभिनिर्देशन के लिए भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख से होगी।

- (2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता-पिता को बालकों की उपलब्धता के अधीन अभिहित पोर्टल के माध्यम से दो लगातार अभिनिर्देशन के बीच एक महीने के अंतराल के साथ अधिकतम तीन अभिनिर्देशन भेजे जाएंगे, जिसमें एक या अधिक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों से उनकी पसंद की श्रेणी, यदि कोई हो, के अनुसार जिसमें, उनके फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट शामिल होगी।
- (3) अभिहित पोर्टल पर बालक या बालकों की विवरणिका देखने के पश्चात्, भावी दत्तक माता-पिता बालक या बालकों को भावी दत्तकग्रहण के लिए अड़तालीस घंटे की अविध के भीतर आरक्षित कर सकते हैं और अनारक्षित बालक या बालकों को अभिहित पोर्टल द्वारा प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक माता-पिता के लिए जारी किया जाएगा।
- (4) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथापरिभाषित एक दत्तकग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु, मिलान करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से साक्षात्कार तय करने के लिए अभिहित पोर्टल के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता का विवरण प्राप्त करेगी और दत्तकग्रहण समिति अनुसूची 27 में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगी।
- (5) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से दत्तकग्रहण के मामले में अध्यक्ष और अन्य सदस्य दत्तकग्रहण समिति की गणपूर्ति करेंगे और बालक देखरेख संस्था से दत्तकग्रहण के मामले में समिति में विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट समिति के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- (6) दत्तकग्रहण समिति भावी दत्तक माता-पिता के लिए यथा नियत और विनियमों की अनुसूची 9 (भाग 1) में सूचीबद्ध अपेक्षित दस्तावेजों की जांच करेगी।
- (7) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की एक बैठक आयोजित करेगी।
- (8) मिलान करते समय, संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता को बालक का ध्यान रखने के साथ ही बड़े बालक या बालकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी आग्रह करेगा।
- (9) मिलान करने की संपूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से तीस दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- (10) भावी दत्तक माता-पिता बालक के मिलान के संबंध में अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, जिला बालक संरक्षण इकाई को बताएँगे।
- (11) बालक को स्वीकार करते समय, भावी दत्तक माता-पिता बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट, जिसे विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता या मुख्य कार्यकारी की उपस्थिति में अभिहित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा, पर हस्ताक्षर करेंगे और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति को अभिहित पोर्टल पर रिकॉर्ड करेगा।
- (12) यदि दत्तकग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है तो भावी दत्तक माता-पिता को न चुने जाने का कारण अभिहित पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाएगा।
- (13) यदि जांच के पश्चात् अस्वीकृति के आधार प्रणालीगत त्रुटि के कारण या गैर-न्यायसंगत कारणों से पाए जाते हैं, तो भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता को कायम रखा जाएगा।
- (14) यदि भावी दत्तक माता-पिता आरक्षित बालक को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भावी दत्तक माता-पिता को उस तारीख को ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, जो ज्येष्ठता के देय होने पर एक नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं और पश्चात् के अवसरों में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (15) उप-विनियम (12) में निर्दिष्ट सभी मामलों में, भावी माता-पिता के पास अस्वीकार करने का कारण अभिहित पोर्टल पर स्पष्ट रूप से बताना होगा।
- (16) भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण विनियम 5 के उप-विनियम (4) के अनुसार अधिकतम संयुक्त आयु यानी एकल के लिए पचपन वर्ष और युगल के लिए एक सौ दस वर्ष से अधिक आयु हो जाने, और प्रत्येक तीन वर्षों में गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्विधिमान्यकरण के अध्यधीन जारी रहेगा।
- (17) भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तकग्रहण के लिए अपनी स्वीकृति देने से पहले अपनी पसंद के चिकित्सक द्वारा बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करवा सकते हैं।

- 12. दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख (1) बालक को मिलान की तारीख से दस दिनों के भीतर, भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अनुसूची 8 में उपबंधित प्रारूप में दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख में लिया जाएगा।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को **अनुसूची 9** में यथा उपबंधित मूल दस्तावेज या मूल दस्तावेजों की नोटरीकृत या स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करेंगे।
- 13. दत्तकग्रहण आदेश- (1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता से बालक के मिलान की तारीख से दस दिनों के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई, जहां बालक स्थित है, के माध्यम से अनुसूची 9 में यथा उपबंधित सुसंगत दस्तावेजों के साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फ़ाइल करेगी।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अनुसूची 28 में दिए गए प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- (3) यदि बालक बालक देखरेख संस्था से है, जो एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है और दूसरे जिले में स्थित है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन फ़ाइल करेगी जहां बालक स्थित है और ऐसे मामले में, बालक देखरेख संस्था विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ एक सह-आवेदक होगा और बालक देखरेख संस्था संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- (4) सहोदर या जुड़वां बालकों के मामले में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास एकल आवेदन फ़ाइल करेगी।
- (5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण के आवेदन में किसी को विपक्षी या प्रतिवादी नहीं बनाएगी क्योंकि दत्तकग्रहण का मामला गैर-प्रतिकूल प्रकृति का है।
- (6) जिला मजिस्ट्रेट दत्तकग्रहण की कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित करेगा और मामले को अतिशीघ्र निपटाएगा, जो घारा 61 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आवेदन फ़ाइल करने की तारीख से दो महीने से अधिक का नहीं होगा।
- (7) दत्तकग्रहण के आदेश में दत्तक माता-पिता को, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उनकी मनो-सामाजिक विवरणिका और वित्तीय स्थिति का गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेजों से पहले ही पता लगाया जा चुका है, बालक के नाम पर कोई बांड निष्पादित करने या निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
- (8) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और इसे दस दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता को ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित करेगी और इसे अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगी जिसे भावी दत्तक माता-पिता द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
- (9) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण के आदेश जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण को आवेदन करेगी, जिसमें दत्तक माता-पिता का नाम माता-पिता के रूप में होगा, और जन्म की तारीख को दत्तकग्रहण आदेश में दर्ज किया जाएगा और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर इसे जारी किया जाएगा।
- (10) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण **अनुसूची 23** में यथा उपबंधित आवेदन फ़ाइल करते समय जिला मजिस्ट्रेट को एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगी।
- (11) यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता नवीनीकृत नहीं की गई है या जल्द ही नवीनीकरण की संभावना नहीं है, तो संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई इसकी जांच पूरी करने के पश्चात् सीधे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगी।

- 14. दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की प्रगित का अनुवर्तन- (1) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाली विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तक-पूर्व पोषण स्थापन की तारीख से दो वर्ष के लिए छमाही आधार पर अनुसूची 12 में यथा उपबंधित प्रारूप में दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगी और ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के दस दिनों के भीतर बालक के फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।
- (2) दत्तक माता-पिता के स्थानांतरित होने की स्थिति में, वे उस अभिकरण को सूचित करेंगे जिसने उनका गृह अध्ययन किया है और जिस जिले में वे स्थानांतरित होते हैं, उस जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई को सूचित करेंगे।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता के वर्तमान निवास के जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई, दत्तकग्रहण के पश्चात् की अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगी और ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी:
 - परंतु दत्तकग्रहण किए गए बालक की पहली अनुवर्तन रिपोर्ट दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाएगी।
- (4) बालक और दत्तक परिवार दोनों के एक दूसरे से समायोजित न होने की स्थिति में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई ऐसे दत्तक माता-पिता और दत्तकों के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को उचित सूचना के साथ सात दिनों के भीतर आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगी या उन्हें जिले के भीतर उपलब्ध परामर्श सेवाओं से संबद्ध करेगी:

परंतु दत्तकग्रहण के पश्चात् लगातार तीन अनुवर्ती कार्रवाइयों के गैर-अनुपालन के मामले में जिला बालक संरक्षण इकाई सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और बाल कल्याण समिति को आगे की उपयुक्त कार्रवाई के लिए सूचित करेगी, जो वह उचित समझे।

- (5) विच्छिन्नता की प्रक्रिया देश के भीतर दत्तकग्रहण में विच्छिन्नता के मामले में -
 - (क) दत्तक-ग्रहण पूर्व पोषण देख रेख के चरण पर दत्तकग्रहण आवेदन फ़ाइल करने से पहले, बालक को जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचना सहित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में वापस लाया जाएगा;
 - (ख) दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देख रेख के चरण पर जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फ़ाइल करने के पश्चात्, बालक को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा और बाल कल्याण समिति की पूर्व अनुमित से जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचित करते हुए दत्तकग्रहण का आवेदन वापस ले लिया जाएगा और तदनुसार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की स्थिति को अद्यतन किया जाएगा; और
 - (ग) जहां बालक को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्य में ले जाया गया है, बालक के स्थानांतरण को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा उस राज्य, जहां बालक वर्तमान में रह रहा है और मूल राज्य में समन्वयित किया जाएगा।
- (6) विघटन की प्रक्रिया- देश के भीतर दत्तकग्रहण में विघटन की स्थिति में-
 - (क) विघटन की स्थिति में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आदेश को रद्द करने के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फ़ाइल किया जाएगा;
 - (ख) विच्छिन्नता या विघटन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दो परामर्श सत्र पूरा होने तक कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए:
 - (ग) विघटन के आदेश के पश्चात्, बालक दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त हो जाएगा; और
 - (घ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई तीन दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक की स्थिति को अद्यतन करेगी।

- (7) जब भारतीय दत्तक माता-िपता बालक के साथ विदेश में जाते हैं, तो दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देख रेख की तारीख से दो वर्ष के भीतर, हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के मामले में आगमन के देश में संबंधित भारतीय राजनियक मिशनों और हेग देशों के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों या केंद्रीय प्राधिकरणों को, दत्तक माता-िपता द्वारा नए देश में उनके पूर्ण संपर्क विवरण सिहत शेष अनुवर्तन रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए लिखित संचार के माध्यम से कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित किया जाएगा।
- (8) दत्तकग्रहण के बाद बकाया अनुवर्ती कार्रवाई कराने का दायित्व दत्तक माता-पिता का है और उन्हें वृत्तिक भार स्वयं वहन करने होंगे, और साथ ही दत्तक माता-पिता प्राधिकरण को इस आशय का एक वचन देंगे।

अध्याय-4

अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और विदेशी भावी दत्तकग्रहण माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया

- 15. अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों को निवासी भारतीय के समान माना जाए अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक को या विदेशी भावी माता-पिता को अनाथ, परित्यक्त या समर्पित किए बालकों की दत्तकग्रहण की प्राथमिकता के मामले में भारत में रहने वाले भारतीय के समान माना जाएगा।
- 16. अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता के लिए रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट (1) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय हस्ताक्षरित देश में रहने वाला कोई भी अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता और जो किसी भारतीय बालक को दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हों, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए और अभिहित पोर्टल पर उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
 - (2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है तो अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, भावी माता-पिता, इस उद्देश्य के लिए उस देश में सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन से संपर्क करेंगे।
 - (3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन, जैसा भी मामला हो, बालक दत्तकग्रहण के लिए भावी माता-पिता की पात्रता सुनिश्चित करने पर उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी कराएंगे और अनुसूची-6 में यथा उपबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अभिहित पोर्टल पर अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत करें।
 - (4) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर उनके रजिस्ट्रीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड करने की तारीख से गणना की जाएगी।
 - (5) इस अध्याय में निर्दिष्ट गृह अध्ययन रिपोर्ट और भावी माता-पिता के अन्य दस्तावेजों की प्राधिकरण में जांच उनकी योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए की जाएगी।
 - (6) दो लगातार अभिनिर्देशन के मध्य एक महीने के अंतराल के साथ एक या दो अभिनिर्देशन में दो बालकों की विवरणिका को अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय राजनायिक मिशन, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित किया जाएगा, जिसे स्थानीय नियमों के अनुसार इस तरह के विवरणिका को संबंधित भावी माता-पिता को अग्रेषित कर सकते हैं:

परंतु अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के मामले में अभिनिर्देशन की संख्या निवासी भारतीयों के समान होगी।

- (7) भावी माता-पिता 96 घंटे के भीतर निर्दिष्ट किए गए बालकों को आरक्षित कर सकते हैं।
- (8) यदि भावी माता-पिता 96 घंटे के भीतर बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं तो बालक की विवरणिका स्वत: वापस हो जाएगी।
- (9) भावी माता-पिता की पंसद उन्हें अभिनिर्देशन भेजते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- (10) अगर भावी माता-पिता दर्शाए गए बालक को आरक्षित कर लेते हैं तो वे आरक्षण की तिथि से 30 दिन के

भीतर बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके अभिनिर्देशन स्वीकृत करेंगे।

- (11) बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट और बालक की मूल फोटो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा विशिष्टिकृत प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन को भेजा जाएगा।
- (12) यदि भावी माता-पिता 30 दिन के भीतर आरक्षित बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं तो अभिहित पोर्टल से बालक की विवरणिका हट जाएगी और भावी माता-पिता की ज्येष्ठता को सूची के अंत में डाल दिया जाएगा और उन्हें बालक को आरक्षित और स्वीकृत करने का दूसरा मौका उनकी बारी आने पर दिया जाएगा, यदि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट मान्य रहती है।
- (13) यदि भावी माता-पिता आरक्षण के पश्चात् बालक से मिलने के लिए विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं; उन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उनके पसंद के चिकित्सक द्वारा बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने में मदद की जा सकती है।
- (14) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण भावी माता-पिता के मूल दस्तावेजों को, जैसा कि अनुसूची-9 में यथा विनिर्दिष्ट है, को उनकी जांच के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करेगी।
- (15) ग्रह अध्ययन रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले सभी दस्तावेजों को नोटरीकृत किया जाएगा और नोटरी के हस्ताक्षर हेग दत्तकग्रहण सम्मेलन के अनुसमर्थित देशों के मामले में प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने हैं, हालांकि भारत से उत्पन्न होने वाले दस्तावेज स्वत: प्रमाणित होंगे।
- (16) यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो मूल के साथ अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए, जो सत्यापन के उद्देश्य से भावी दत्तक माता-पिता के निवास के देश में अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हो।

17. प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाणपत्र और दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देखरेख –

- 1) प्राधिकरण, जहां भी लागू हो, हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश के भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर **अनुसूची 10** में उपबंधित प्रारूप में प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में **अनापत्ति** प्रमाणपत्र जारी करेगा और **अनापत्ति** प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुजित किया जाएगा।
- 2) भावी दत्तक माता-पिता **अनुसूची 8** में उपबंधित प्रारूप में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को वचनबंध देकर दत्तकग्रहण आदेश के लंबित रहते हुए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात भारत के भीतर अस्थायी अवधि के लिए पूर्व दत्तकग्रहण पोषण देखरेख में बालक को रख सकते हैं।
- 3) भावी दत्तक माता-पिता जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश के जारी होने के पश्चात बालक को पासपोर्ट और वीजा के जारी होते ही विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक की अंतिम अभिरक्षण प्राप्त करेंगे।
- 18. दत्तकग्रहण आदेश (1) विनियम 13 में यथा उपबंधित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन इस अध्याय के अधीन अंतर देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किया जाएगा:-
- (2) प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन के साथ पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई से सम्पर्क करेगा और जिला बालक संरक्षण इकाई अनुसूची 29 में उपबंधित प्ररूप में पांच दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को डोजियर के प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदन की जांच करेगा:

 परंतु उपरोक्त समय सीमा को ऑनलाइन माध्यम से सक्षम होने पर प्रत्येक स्तर पर तीन दिन तक कम कर दिया जाएगा।
- (3) यदि विदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा करते हैं तो उस आवेदन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता या विशिष्ट मामलों पर कार्यवाही करने वाले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण भार-साधक के पक्ष में मुख्तारनामा भी भेजी जाएगी और यह मूढ़तारनामा भावी दत्तकग्रहण माता-पिता की ओर से मामले को देखेगी।

- 19. पासपोर्ट और वीजा, प्रवासी प्राधिकरण को सूचना, पुष्टि प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि (1) प्राधिकरण, दत्तकग्रहण किए गए बालक का प्राप्तकर्ता देश के हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता होने के मामले में अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिन के भीतर अनुसूची 11 में उपबंधित विवरणिका में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (2) प्राधिकरण, दत्तकग्रहण की पुष्टि के बारे में प्रवासी प्राधिकरणों और विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सूचित करेगा।
- (3) दत्तकग्रहण किए गए बालक को भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश की प्राप्ति की तरीख से तीन दिन के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (4) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर देशीय रूप से दत्तकग्रहण किए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर दत्तकग्रहण किए गए बालक के लिए पासपोर्ट जारी करेगा।
- (5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की पांच दिन की अवधि के भीतर दत्तक माता-पिता को माता-पिता के रूप में नाम तथा दत्तकग्रहण आदेश में रिकॉर्ड की गई जन्म तिथि के साथ दत्तकग्रहण किये गए बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करेगा।
- (6) दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण आवेदन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण किये गए बालक को अपने देश ले जाने के लिए भारत आएंगे।
- 20 अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक और विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण िकये गए बालक की प्रगति का अनुवर्तन –(1) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनियक मिशन या संबंधित सरकारी विभाग अनुसूची 12 में यथा उपबंधित बालक की फोटो अर्जित अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना अपलोड करके प्रथम वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर तथा दूसरे वर्ष के दौरान 6 मास के आधार पर प्राप्तकर्ता देश में दत्तकग्रहण किये गए बालक के आगमन की तारीख से दो वर्ष के लिए दत्तकग्रहण किये गए बालक की प्रगति की सूचना देगा।
- (2) प्रगति रिपोर्ट के आधार पर तथा दत्तकग्रहण किये जाने वाले घरेलू दौरों के क्रम में, यदि प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग के जानकारी में दत्तक बालकों के दत्तक माता-पिता के पास समायोजन संबंधी समस्या आती है, तो जहां भी लागू हो, वहां दत्तक माता-पिता और दत्तकग्रहण किये गए बालकों के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- (3) यदि यह पाया जाता है की दत्तक बालक दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में समायोजित होने में असमर्थ या दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक का रहना बालक के हित में नहीं है तो यथास्थिति प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग बालक को वापस ले लेगा और आवश्यक परामर्श प्रदान करेगा तथा भारतीय राजनयिक मिशन और प्राधिकरण के परामर्शों से उस देश के बालकों के उपयुक्त वैकल्पिक दत्तकग्रहण या पोषण देखरेख में रखे जाने की व्यवस्था करेगा।
- (4) दत्तकग्रहण के बाधित होने या भंग होने के मामले में, बालक उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथा उपबंधित देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास प्राप्त करने का हक़दार होगा।
- (5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग बालक को आवश्यक सहायता प्रदान करने और यदि आवश्यक हो, तो बालक की पुन: वापसी को सुगम बनाने के लिए भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेगा।
- (6) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग दत्तकग्रहण किये गए भारतीय बालकों तथा उनके दत्तक माता-पिता का वार्षिक सम्मलेन आयोजित कर सकेगा और प्राधिकरण को इस घटना की एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

- (7) भावी दत्तक माता-पिता, इस बात से सबंधित एक वचनबंध देंगे कि वे प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक दत्तक माता-पिता या परिवार के साथ बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए, यथास्थित, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, विदेशी केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग के प्रतिनिधि के व्यक्तिगत दौरों की अनुमित देंगे।
- 21. भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाला हेग दत्तकग्रहण अभिसमय की पुष्टि करने वाले विदेशी नागरिक द्वारा दत्तकग्रहण (1) भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय की पुष्टि करने वाले देश का नागरिक और भारत का साधारणतया निवासी है, अभिहित पोर्टल पर अपलोड द्वारा दत्तकग्रहण हेतु दूतावास या उचायोग से अनापित प्रमाण पत्र सहित उसमे विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुसूची 6 में यथा उपबंधित विहित प्रारूप में ऑनलाइन दत्तकग्रहण हेतु आवेदन करेगा।
- (2) भारत के उन दस्तावेजों के सिवाय, जिन्हें स्वप्रमाणित किया जा सकता हो, समयक् रूप में नोटरी किये गए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण अनुसूची 7 में उपबंधित प्रारूप में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्दिष्ट करेगा और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, गृह अध्ययन रिपोर्ट को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- (3) भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटे के भीतर निर्दिष्ट बालकों में से एक को आरक्षित करेंगे और यथा लागू विनियम 16 के उप-विनियम (9), उप-विनियम (10), उप-विनियम (12) और उप-विनियम (13) और विनियम 17 से विनियम 19 तक के उपबंधों के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
- (4) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित गृह अध्ययन रिपार्ट और प्रगति रिपोर्ट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा तैयार किया जाएगा और इन्हें उन्हीं द्वारा अपलोड किया जाएगा।
- (5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, दत्तकग्रहण से पहले पालन पोषण देखभाल की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए छमाही आधार पर **अनुसूची 12** में यथा उपबंधित प्रारूप में बालक की फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर विवरण अपलोड करके बालक की प्रगति की सूचना देगा:
 - परंतु प्रथम दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट, दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी।
- (6) अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को पता चलता है कि दत्तक, दत्तक परिवार में समायोजन करने में असमर्थ है या दत्तक परिवार में दत्तक को रखना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो दत्तक माता-पिता और दत्तक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी और इसके अतिरिक्त, विनियम 14 के उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में यथा उपबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (7) संबंधित राजनयिक मिशन, यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तकग्रहण आदेश के तुरंत पश्चात् अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर ले और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी।
- (8) भारत के किसी प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को इस आशय का एक शपथपत्र देना आवश्यक होगा कि वे दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अविध के लिए विशिष्ट दत्तक अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को व्यक्तिगत दौरा करने की अनुमति देंगे।
- (9) भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता, जैसा भी मामला हो, को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि यदि वे दत्तकग्रहण के दो वर्ष पूरे होने से पहले भारत से बाहर चले जाते हैं, तो वे प्राधिकरण को अपनी गतिविधियों के बारे में, अपना नए पते की जानकारी और शेष अविध के लिए अपनी दत्तकग्रहण के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजना जारी रखेंगे।
- (10) दत्तक माता-पिता के भिन्न देश में स्थान परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर, दत्तक माता-पिता को विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपा जाएगा, जिसके माध्यम से शेष दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्ती कार्य संबंधित भारतीय मिशन को सूचना के अधीन भेजा जाएगा ताकि किसी भी कठिनाई, विच्छिन्नता या विघटन के मामले में मिशन आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।

- 22. भारतीय भावी दत्तक माता-पिता जो आभ्यासिक निवासी हैं या किसी अन्य देश के स्थायी निवासी हैं द्वारा दत्तकग्रहण
 (1) ऐसे सभी मामलों में, यदि भावी दत्तक माता-पिता साधारणतया विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हें गृह अध्ययन
 रिपोर्ट तैयार करने और अभिहित पोर्टल पर उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्तकर्ता देश के दत्तकग्रहण
 प्राधिकरण से संपर्क करना होगा।
- (2) ऐसे मामलों में, यदि भावी दत्तक माता-पिता अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमित देने के लिए भारत में स्थित प्राप्तकर्ता देश के राजदूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना होगा और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा।
- (3) यदि भावी दत्तक माता-पिता में से एक विदेशी है और दूसरा भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तो ऐसे मामले को भारत में रहने वाले भारतीयों के बराबर माना जाएगा ताकि दत्तकग्रहण के नियोजन में प्राथमिकता पर विचार किया जा सके।
- (4) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक-ग्रहण विनियमों के विनियम 21 के अनुसार दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।
- 23. भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया (1) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक का दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शुरू में उस देश में उनके और प्रक्रिया के विधि अनुसार पूरी की जाएंगी।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता (सहायक दस्तावेजों सहित), बाल अध्ययन रिपोर्ट और बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन प्राप्तकर्ता देश से भारत आने वाले बालकों का दत्तकग्रहण के मामलों में आवश्यकता अनुसार अनुमोदन जारी करेगा।
- (3) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में दत्तकग्रहण किया गया बालक, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, और जिसे भारत आने के लिए भारतीय वीज़ा की आवश्यकता है, संबंधित देश में भारतीय मिशन के लिए वीजा या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के लिए आवेदन करेगा, जो बालक को सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी कर सकेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दत्तकग्रहण नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।
- (4) विदेश में दत्तकग्रहण किए गए बालक के लिए आप्रवासन निर्बाधन उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से विदेश प्रभाग, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त की जाएगी।

अध्याय 5

दत्तकग्रहण अभिकरणों की मान्यता, निरीक्षण और कार्य

- 24 विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता (1) कोई भी बालक देखरेख संस्था, जो बालकों को देश में और अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यताप्राप्त करने का आशय रखता है, संबंधित राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुसूची 26 में प्रदान किए गए अभिहित पोर्टलों पर एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—
 - (क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या तत्समय प्रवत्त कोई अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति;
 - (ख) इसके संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपनियमों की एक प्रति;
 - (ग) अधिनियम के अधीन बालक देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति;
 - (घ) प्रबंधन समिति या कार्यकारी समिति या बोर्ड के सदस्यों की एक सूची जो यह दर्शाती है कि ऐसी समिति या बोर्ड के अधिकांश सदस्य भारतीय नागरिक हैं;
 - (ड.) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खातों सहित वार्षिक रिपोर्ट;
 - (च) अनाथ, परित्यक्त या अध्यर्पित करने वाले बालकों का दत्तकग्रहण के निर्णय का समर्थन करने वाली अभिकरण द्वारा संकल्प:

- (छ) बालक देखरेख संस्था के मुख्य अधिकारी को अपने शीर्षनामा में संबंधित राज्यों और इन विनियमों में लागू प्रासंगिक नियमों का पालन करने का वचन देना;
- (ज) बालक देखरेख संस्था के मुख्य अधिकारी को अपने शीर्षनामा में अभिहित पोर्टल पर आंकड़ें को नियमित रूप से अद्यतन करने और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं रखने का वचन देना;
- (झ) सहायक दस्तावेज यह दर्शाते हों कि संगठन, बाल संरक्षण और कल्याण गतिविधियों में शामिल है;
- (ञ) संस्थान में बालकों की सूची; और
- (ट) पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारिवृन्द की सूची।
- (2) यदि बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में उपयुक्त पाया जाता है, तो उसके लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकार, बालक देखरेख संस्था को आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करेगी।
- (3) एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बालकों को देश में और अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए मान्यता पांच वर्ष की अविध के लिए होगी, जब तक कि इसे विनियम 26 में उल्लिखित आधारों पर इससे पहले रद्द नहीं किया जाता है।
- 25. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीनीकरण के लिए मानदंड (1) राज्य सरकार, किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीनीकरण से पहले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी, अर्थात:–
 - (क) क्या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण ने दत्तकग्रहण नियोजन में संतोषजनक प्रदर्शन किया है;
 - (ख) क्या इसने अभिहित पोर्टल पर डेटा को नियमित रूप से अद्यतन किया है और इन विनियमों में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन कर रहा है;
 - (ग) क्या इसने इन विनियमों के उपबंधों और दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन किया है;
 - (घ) क्या यह किसी कदाचार में लिप्त है;
 - (ङ) क्या इसने अनुसूची 15 में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण फीस का उचित उपयोग किया है; और
 - (च) क्या यह **अनुसूची 13** में यथा उपबंधित बाल देखरेख के मानकों का पालन करता है।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण नवीनीकरण के लिए अपनी मान्यता की समाप्ति से छह महीने पहले निम्नलिखित दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा, अर्थात:
 - (क) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान जैविक माता-पिता, रिश्तेदारों या अभिभावकों को वापस किए गए बालकों की संख्या और उनका विवरण:
 - (ख) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में रखे गए बालकों की संख्या और विवरण और दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण;
 - (ग) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान दत्तक ग्रहण फीस की वर्षवार प्राप्ति और उसके उपयोग का विवरण;
 - (घ) एक शपथपत्र जिसमें यह घोषित किया गया है कि यह अभिहित पोर्टल पर डेटा को नियमित रूप से अपडेट कर रहा है; और
 - (ङ) एक शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि वह इन विनियमों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है।
- (3) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को विधिमान्य मान्यता की समाप्ति से पहले, पांच वर्ष की अविध के लिए, इस उद्देश्य के लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जाएगा, यदि यह पाया जाता है कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता के कारकों को पूरा कर रहा है और उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रस्तुत कर रहा है।
- (4) यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण ने राज्य सरकार के पास मान्यता या नवीकरण के लिए आवेदन किया है और आवेदन की तारीख से एक महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो

- रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के प्रमाण को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए अभिकरण को संचालित करने के लिए अनंतिम मान्यता के रूप में माना जाएगा।
- (5) यदि किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीनीकरण लंबित है, तो इन विनियमों के अन्य सभी उपबंधों को पूरा किए जाने के अधीन दत्तकग्रहण के सभी लंबित मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
- **26. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का निलंबन या प्रतिसंहरण -** (1) राज्य सरकार स्व-प्रेरणा से या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण की सिफारिश पर उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को प्रदान की गई मान्यता को निलंबित या वापस लेने की कार्रवाई करेगी।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निलंबित किया जा सकता है, अर्थात्:
 - (क) दत्तकग्रहण के संबंध में अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन;
 - (ख) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या राज्य सरकार या प्राधिकरण को या अभिहित पोर्टल पर झूठी जानकारी या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;
 - (ग) बालक या दत्तकग्रहण से संबंधित किसी प्रक्रिया के बारे में भावी दत्तक माता-पिता, बाल कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षण इकाई को अधूरी या मिथ्या जानकारी देना;
 - (घ) अभिहित पोर्टल पर डेटा को ऑनलाइन अपडेट करने में विफलता;
 - (ङ) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्टें या डेटा प्रस्तुत करने में विफलता;
 - (च) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के कामकाज के संबंध में केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के निरीक्षण दल के प्रतिकूल निष्कर्ष;
 - (छ) यदि पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं;
 - (ज) वित्तीय अनियमितताएं या कदाचार या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक माता-पिता से वस्तु या नकदी के रूप में कोई दान प्राप्त करना:
 - (झ) दत्तकग्रहण फीस या सरकार से प्राप्त अनुदान का उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग या विपथन, जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था;
 - (ञ) अनैतिक कार्य, जैसे कि भावी दत्तक माता-पिता से प्राधिकरण द्वारा पहले से विनिर्दिष्ट दत्तकग्रहण फीस के अलावा फीस या उपहार की अपेक्षा करना या मांगना, एकल मां या जैविक माता-पिता को अपने बालक को त्यागने के लिए प्रेरित करना या बालक को अवैध रूप से उपलब्ध कराना;
 - (ट) गोपनीयता के सिद्धांतों के उल्लंघन में जैविक मां या माता-पिता या दत्तकग्रहण वाले व्यक्ति की जानकारी को सार्वजनिक करना;
 - (ठ) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन न करना; और
 - (ड) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालकों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा।
- (3) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना प्राधिकार के निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
- (4) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन के बाद, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक जांच कराएगा और यदि आरोप साबित होंगे, तो संबंधित राज्य सरकार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को रद्द करेगी।
- (5) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के प्रतिसंहरण के मामले में, संबंधित राज्य सरकार तीस दिन के भीतर, उस गृह के बालकों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करेगी, जिसमें उन्हें किसी अन्य विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में स्थानांतरित करना शामिल है।

- (6) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन या प्रतिसंहरण या बंद होने की स्थिति में, जिन मामलों में भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिनिर्देशन स्वीकार किए गए हैं, उन्हें इन विनियमों के अन्य सभी उपबंधों को पूरा किए जाने के अधीन अंतिम दत्तकग्रहण के लिए आगे बढ़ाने की अनुमित दी जाएगी।
- (7) उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी मामलों में, जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई या कोई अन्य अभिकरण जहां बालकों को स्थानांतरित किया गया है, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा तय किए गए मामलों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- 27. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण- (1) संबंधित राज्य सरकार बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता या नवीकरण पर विचार करने से पूर्व निरीक्षण करेगी, जैसा कि नियमों के प्ररूप 46क में उपबंधित है।
- (2) संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों का वार्षिक निरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कुशलतापूर्वक और नियमों के प्ररूप 46 में अधिकथित मानदंडों के अनुसार कार्य कर रही हैं।
- 28. सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्कीमों के अधीन अनुदान की पात्रता- एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण सरकार अधिसूचित अन्य स्कीमों के अधीन, ऐसी स्कीम के अधीन नियम और शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुदान प्राप्त करने की हकदार है।
- 29. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों द्वारा खातों का रखरखाव- (1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अनुसूची 15 में उपबंधित मानदंडों के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार दत्तकग्रहण फीस के रूप में प्रापृत धन का उपयोग करेगी।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अन्य सरकारी अधिसूचित स्कीमों के अधीन दत्तकग्रहण फीस और सरकारी अनुदान के उपयोग और प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा सहित खातों का उचित रखरखाव करेगी।
- (3) संगठन के लेखापरीक्षित खातों की एक सत्यापित प्रति, उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट की एक सत्यापित प्रति राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- 30. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के कार्य- विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण इन विनियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों के अलावा, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों को दत्तकग्रहण में सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:
- (1) बालकों के प्रति कार्य: प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण:
 - (क) इसके प्रभार में प्रत्येक बालक की यथास्थिति, देखभाल, सुरक्षा और कल्याण और उनकी स्वास्थ्य जरूरतों; भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों; शैक्षिक और प्रशिक्षण की जरूरतों; अवकाश और मनोरंजक गतिविधियों की पूर्ति करने; किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से सुरक्षा; सामाजिक मुख्यधारा और बहाली, और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी;
 - (ख) बालकों के प्रवेश, बहाली, स्थानांतरण, मृत्यु और दत्तकग्रहण के सभी मामलों के साथ ही संस्थान से लापता बालकों, यदि कोई हों, के बारे में बाल कल्याण समिति, जिला बालक संरक्षण इकाई, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को अभिहित पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करेगी:
 - (ग) प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की स्थिति वेबसाइट www.cara.nic.in पर उपलब्ध अभिहित पोर्टल पर प्रस्तुत करेगी;

(घ) बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए जारी प्रमाणपत्र, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति से अड़तालीस घंटे के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र पर अध्यक्ष सहित समिति के तीन सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी उपयुक्त स्तंभ भरे गए हैं;

21

- (ङ) अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी और बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर उन्हें अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी;
- (च) अपने घर में भर्ती सभी बालकों के लिए अनुसूची 4 में दिए गए चिकित्सा परीक्षणों की व्यवस्था करेगी और संस्थान में बालक के प्रवेश के एक महीने की अवधि के भीतर ऐसे बालकों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार करेगी:
- (छ) संस्थान में भर्ती विशेष जरूरत वाले बालकों के बारे में जिला बालक संरक्षण इकाई, जिला मजिस्ट्रेट और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगी;
- (ज) यदि बालक के चिकित्सा परीक्षण में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या समस्या का संकेत मिलता है; तो जिला बालक संरक्षण इकाई और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष बालक को पेश करेगी।
- (झ) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता से बालक को उनकी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी के इलाज के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में इलाज करेगी;
- (ञ) यदि बालक बीमार है और बीमारी से ठीक हो गया है; तो अभिहित पोर्टल पर बालक के स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करेगी।
- (ट) बालक के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक बालक के लिए नियमों के प्ररूप 7 के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेगी:–
 - (i) जैविक परिवार या विधिक अभिभावक को बहाली;
 - (ii) देश के भीतर दत्तकग्रहण;
 - (iii)अंतर-देशीय दत्तकग्रहण;
 - (iv)पालक देखभाल; और
 - (v) संस्थागत देखभाल;
- (ठ) प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक के लिए निम्नलिखित के संबंध में आयु और लिंग विशिष्ट जरूरतों के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेगी:
 - (i) स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों;
 - (ii) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों;
 - (iii)शैक्षणिक और प्रशिक्षण जरूरतों:
 - (iv)आराम, रचनात्मकता और खेल;
 - (v) जुड़ाव और रिश्तों;
 - (vi)सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार से सुरक्षा;
 - (vii) परिवार के साथ पुनर्मिलन, दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखभाल सहित पुनर्वास;
 - (viii) सामाजिक मुख्यधारा में लाना; और
 - (ix)पुनर्वास या बहाली के बाद अनुवर्ती कार्रवाई।

- (इ) एक मेमोरी एल्बम बनाना, जिसमें बालक का एक फोटो एल्बम, वृतांत और बालक के जीवन का ब्यौरा अर्थात् उल्लेख न किए जाने वाले अभ्यर्पण करने वाले माता-िपता का ब्यौरा, और बालक की रुचियां निहित होंगी जिसे बालक को दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देख रख में भावी दत्तक माता-िपता को बालक सौंपते समय बालक के चिकित्सा इतिहास के साथ दत्तकग्राही परिवार को सौंप दिया जाएगा;
- (ढ) प्रत्येक बालक, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, को दत्तकग्रहण में देने के लिए प्रयास करना;
- (ण) भावी दत्तक माता-पिता के लिए एक बालक की अभिनिर्देशन प्रक्रिया और इन विनियमों में प्रदान की गई दत्तकग्रहण से संबंधित विधिक प्रक्रिया को पुरा करने के लिए जिम्मेदार रहना;
- (त) प्रत्येक दत्तक बालक को, जहां कहीं आवश्यक हो, दत्तक परिवार के साथ आत्मसात करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना:
- (थ) जहां कहीं आवश्यक हो, भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की बातचीत की सुविधा प्रदान करना;
- (द) यह सुनिश्चित करना कि सहोदर और जुड़वां बालकों को, यथासंभव, एक ही बाल देखरेख संस्थान में और एक ही परिवार में, रखा जाए;
- (ध) दत्तकग्रहण के रिकॉर्ड को इस तरह से संरक्षित करना कि ऐसा रिकॉर्ड केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सुलभ हो;
- (न) विनियम 47 के अधीन बताए तरीके से दत्तकों द्वारा रूट खोज की सुविधा प्रदान करना;
- (प) बाल देखरेख कर्मचारियों को जागरूक होने के लिए प्रशिक्षित करना और सभी बालकों, विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बालकों में विकासपरक उपलब्धियों के संकेतों की देखभाल के लिए जागरूक करना और अनुसूची 4 में यथाउपबंधित औपचारिक मूल्यांकन के लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ को निर्दिष्ट करना और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की देखभाल के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करना;
- (फ) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के लाभ, जिनके लिए एक बालक पात्र है, बालक की बेहतरी के लिए लागू किया जाता है, जिसमें छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी सेवाएं, आदि शामिल हैं।

(2) **जैविक माता-पिता के प्रति कार्य:** प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण:-

- (क) अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान एक अभ्यर्पित बालक के जैविक माता-पिता के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करेगी;
- (ख) अविवाहित माता और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखेगी;
- (ग) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को सलाह देगी और उन्हें भविष्य में उनके बालक द्वारा भावी मूल खोज के बारे में सूचित करेगी;
- (घ) बालक का अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता को बालक की पृष्ठभूमि और प्रगति के साथ ही अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी:
- (ङ) माता-पिता को अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की संभावना सहित अपने बालक को अभ्यर्पण करने के निहितार्थ की व्याख्या करेगी;
- (च) यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण और दत्तकग्रहण की सहमति माता-पिता द्वारा किसी जबरदस्ती या मौद्रिक या भौतिक लेनदेन के बिना दी गई है;
- (छ) उनके जन्म से पहले बालक को दत्तकग्रहण के संबंध में जैविक माता-पिता के साथ कोई प्रतिबद्धता या समझौता नहीं करेगी;
- (ज) माता-िपता को यह सूचित करेगी कि उनके पास अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की पुनर्विचार अविध होगी, जिसके दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं।

(3) भावी दत्तक माता-पिता के प्रति कार्य: प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण निम्न कार्य करेंगे:

(क) भावी दत्तक माता-पिता के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और उचित शिष्टाचार, सहायता और सलाह दें;

- (ख) भावी दत्तक माता-पिता को किसी भी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान करना;
- (ग) अधिकृत पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता को सलाह देना, उन्हें दत्तकग्रहण की प्रक्रिया से अवगत कराना और इसके लिए उनकी तैयारी के स्तर का पता लगाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (i) अपना परिवार बनाने के वैकल्पिक तरीके के रूप में दत्तकग्रहण की स्वीकृति;
 - (ii) बालक को दत्तकग्रहण के लिए प्राथमिकता;
 - (iii) एक असंबंधित बालक को दत्तकग्रहण के लिए भावनात्मक तत्परता;
 - (iv) बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में चिंता;
 - (v) परवरिश और अनुशासन के प्रति रवैया;
 - (vi) बालक के बड़े होने पर दत्तकग्रहण के तथ्य को बालक के साथ साझा करना;
 - (vii) जब बालक बड़ा हो जाता है, तो दत्तक बालक द्वारा मूल परिवार की खोज से निपटना; और
 - (viii) कोई अन्य मुद्दा, जो बातचीत के दौरान उभर सकता है;
- (घ) अपने रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेज जमा करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भावी दत्तक माता-पिता, जिन्होंने गृह अध्ययन का विकल्प चुना है, की गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा करें और तीन वर्ष की समाप्ति से पहले उनका पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करें;
- (ड.) दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को आरक्षित किए जाने के बाद पूरी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली वर्तमान स्थिति और प्रक्रिया के दत्तक माता-पिता को लगातार अद्यतन करना;
- (च) भावी दत्तक माता-पिता को बालकों की अतिरिक्त तस्वीरें, वीडियो क्लिप प्रदान करना और अभिनिर्देशन के बाद बालक के साथ उनकी वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करना;
- (छ) यदि ऐसा बालक दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित है, तो भावी दत्तक माता-पिता को बालक के चिकित्सा इतिहास और विशेष आवश्यकता वाले बालक के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना:
- (ज) भावी माता- पिता को टीकाकरण रिकॉर्ड और हाल की नैदानिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसकी भोजन और सामाजिक आदतों और स्मृति एल्बम सहित बालक से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना;
- (झ) जब कभी भी आवश्यक हो, दत्तक माता-पिता को जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की एक प्रति, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट प्रदान करें;
- (ञ) इन विनियमों में निर्धारित अधिकथित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद एक बालक को पूर्व-दत्तक-पोषण देखभाल में रखना;
- (ट) यदि आवश्यक हो, तो भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श सहित दत्तकग्रहण के बाद सेवाओं का विस्तार;
- (ठ) सुनिश्चित करें कि सामाजिक कार्यकर्ता गृह अध्ययन करते समय रजिस्ट्रीकरण के समय भावी दत्तक माता-पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करे;
- (ड) भावी दत्तक माता-पिता की विधिमान्य अविध की समाप्ति से पहले उनके गृह अध्ययन का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन और यदि वे दत्तकग्रहण के लिए पात्र या उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी सभी गृह अध्ययन रिपोर्ट जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्दिष्ट की जाएगी;
- (ढ) अंतर-देशीय दत्तक माता-पिता को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, जैसे कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पास बालक के पासपोर्ट के लिए आवेदन दाखिल करना, दत्तकग्रहण का आदेश प्राप्त होते ही बालक के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और दत्तकग्रहण लिये गए बालक का पासपोर्ट सौंपना दत्तक माता-पिता को उनके प्रस्थान की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दत्तकग्रहण आदेश और बालक का फोटो एल्बम, आदि;
- (ण) अभिहित पोर्टल के माध्यम से अड़तालीस घंटे के भीतर भावी दत्तक माता-पिता और दत्तक माता-पिता की सभी शिकायतों का समाधान करना।

- (4) परामर्श से संबंधित कार्य: परामर्श के संबंध में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-
 - (क) अध्यर्पित के मामले में जैविक माता-पिता को परामर्श;
 - (ख) गृह अध्ययन रिपोर्ट और मिलान प्रक्रिया की तैयारी के दौरान भावी दत्तक माता-पिता की पूर्व-दत्तक परामर्श और, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई, परामर्श केंद्र से जोड़ना;
 - (ग) दत्तकग्रहण से पहले और उसके दौरान बड़े बालकों को परामर्श;
 - (घ) जब भी आवश्यक हो, दत्तक माता-पिता को परामर्श; और
 - (ड.) दत्तकग्रहण के बाद उनकी मूल कुटुम्ब की तलाश में उनके द्वारा संपर्क किए जाने पर, दत्तकग्रहण के बाद परामर्श।

5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के अन्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- (क) दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण गतिविधियों का आयोजन; इन विनियमों के उपबंध में प्रदान की गई प्रक्रियाओं के बारे में अपने बाल देखरेख और पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना; यह सुनिश्चित करना कि देश में दत्तकग्रहण का आवेदन संवीक्षा के प्रयोजन के लिए दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई को अग्रेषित कर दिया गया है; और इसी तरह, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में, जांच के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से पूर्ण डोजियर प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई को आवेदन अग्रेषित किया जाना है; और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।
- (ख) परित्यक्त बालकों को प्राप्त करने के लिए अपने घर पर पालना शिशु बिंदु स्थापित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, अल्पावास और महिलाओं के लिए स्वाधार होम में पालना शिशु केंद्र स्थापित करना।
- (ग) प्रत्येक बालक की केस फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज रखें, अर्थात्:-
 - (i) केस हिस्ट्री और बालक की सामाजिक जांच रिपोर्ट;
 - (ii) अंतरिम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश और त्याग किए गए बालक के मामले में समर्पण का विलेख;
 - (iii) बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बालक का टीकाकरण रिकॉर्ड:
 - (iv) छह महीने के अंतराल पर लिए गए बालक की तस्वीरें;
 - (v) भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन पत्र, दस्तावेज और गृह अध्ययन रिपोर्ट;
 - (vi) दत्तकग्रहण का आवेदन, दत्तकग्रहण का आदेश, बालक का जन्म प्रमाण पत्र और जहां भी आवश्यक हो, बालक के पासपोर्ट की प्रति:
 - (vii) बालक के नियोजन के बाद की प्रगति रिपोर्ट।
- (घ) सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित अभिलेखों को बनाए रखेगी अर्थातु:-
 - (i) मास्टर प्रवेश रजिस्टर;
 - (ii) बालक की चिकित्सा और संवर्द्धन फाइल;
 - (iii) बालक की केस फाइल;
 - (iv) बालकों और कर्मचारिवृंद की उपस्थिति रजिस्टर;
 - (v) दत्तक माता-िपता के विवरण के साथ दत्तक बालकों का रिजिस्टर (रिजिस्ट्रीकरण की तारीख, गृह अध्ययन रिपोर्ट की तारीख, बालक या बालकों के रेफर करने की तारीख, दत्तकग्रहण के आदेश की तारीख, भावी दत्तक माता-िपता को बालक को सौंपने की तारीख, आदि ;
 - (vi) वाउचर, कैशबुक, लेजर, जर्नल और वार्षिक खाते;
 - (vii) अनुदान दत्तकग्रहण की फीस रसीद और उपयोग रजिस्टर;
 - (viii) स्टॉक रजिस्टर; और
 - (ix) प्रबंधन समिति और दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड (अलग से रखा जाना है)।

- 31. प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्य प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: -
 - (क) भारत से बालकों को दत्तकग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता को रजिस्ट्रीकृत करें और अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट को शीघ्रता से पूरा करना;
 - (ख) अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण के आवेदन की सत्यापित प्रतियां अपलोड करना, मूल रूप से आवंटित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करना;
 - (ग) प्राधिकरण से दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद शीघ्र दत्तकग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ अनुवर्ती कार्रवाई;
 - (घ) भावी दत्तक माता-पिता को उस स्थान की संस्कृति, भाषा और भोजन के प्रति उन्मुखीकरण करना जहां से दत्तक बालक संबंधित है:
 - (ड.) दत्तकग्रहण किए गए बालकों के संवर्धन के लिए दत्तकग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करना और विनियम 20 में यथा विनिर्दिष्ट विच्छिन्न और विघटन के मामलों को संबोधित करना;
 - (च) संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन की भागीदारी से समय-समय पर भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक परिवारों के मिलन की व्यवस्था करना;
 - (छ) पुराने दत्तकग्रहणकर्ताओं द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की सुविधा प्रदान करना; और
 - (ज) मेजबान देश की विधिक आवश्यकताओं के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरण के नियमों और शर्तों को पूरा करना।
- 32. विदेशी अभिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया। (1) विदेशी दत्तक अभिकरण भारतीय बालक को दत्तकग्रहण के लिए उस देश के भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से विदेशी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकार की मांग करने के इच्छुक केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग की सिफारिश के साथ प्राधिकरण को एक आवेदन करेगी।
- (2) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकार दिया जा सकता है और आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगे:–
 - (क) ज्ञापन या उपनियम, रजिस्ट्रीकरण स्थिति की प्रतियां, अंतरराष्ट्रीय दत्तकग्रहण के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अनुज्ञप्ति, बोर्ड या कार्यकारी सदस्यों की सूची, उन देशों की सूची जिनके साथ यह काम कर रहा है. मान्यता प्रमाण पत्र और इसकी वार्षिक रिपोर्ट या पिछले दो वित्तीय वर्षों का विवरण:
 - (ख) संगठन के प्रमुख या मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा:
 - (ग) विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शपथपत्र कि दत्तकग्रहण किए गए बालकों के विच्छिन्न या प्रत्यावर्तन के मामले में, यह इन विनियमों में यथाकथितविशिष्ट उपबंधों का पालन करेगा;
 - (घ) भारत से दत्तकग्रहण किये गए बालकों की स्थिति पर हर वर्ष अप्रैल के महीने में प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शपथपत्र;
 - (ड.) दत्तकग्रहण विधि या दत्तकग्रहण के नियम या उनके देश के दत्तकग्रहण के नियमों की प्रति;
 - (च) भारत के साथ काम करने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी से सिफारिश या प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद की एक सूची;
 - (छ) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन और प्राप्त करने वाले देश के केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग से सिफारिश पत्र।
- (3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को निम्नलिखित ब्यौरों के साथ उप-विनियम (1) और (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने प्राधिकार की समाप्ति से नब्बे दिन पहले अपने प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है, अर्थात्:

- (क) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से नागरिकता की स्थिति सहित दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सूची; और
- (ख) विच्छिन्न, यदि कोई हो।
- (4) प्राधिकरण या नवीकरण के मामले में, भारत से अंतर-देशीय दत्तकग्रहण को संभालने के लिए ऐसे संगठनों की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के पास आवेदन पर विचार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा:

परंतु कोई भी आवेदन उसमें उल्लिखित कारणों को विनिर्दिष्ट किए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

- **33. प्राधिकार का निलंबन या प्रतिसंहरण -** (1) किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकार के निलंबन या प्रतिसंहरण के आधार निम्नानुसार होंगे:
 - (क) यदि विदेशी दत्तकग्रण अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती है या उनका पालन करने में विफल रहती है:
 - (ख) यदि विदेशी दत्तकग्रहण प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति या प्रत्यायन या मान्यता उस देश के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द कर दी गई है;
 - (ग) यदि विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण समय-समय पर अभिहित पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण आवेदन या दत्तक-पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट अपलोड करने में विफल रहती है।
- (2) बिना अभिकरण को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान दिए बिना निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अध्याय- 6

सरकारी संगठनों और प्राधिकरण के कार्य

- **34. राज्य सरकार की भूमिकाएँ:** (1) राज्य सरकार, नियमित अंतराल पर जिला मजिस्ट्रेट के पास लंबित दत्तकग्रहण मामलों की समीक्षा करेगी और दत्तकग्रहण के मामलों के समय पर निपटान के लिए मार्गदर्शन और सहायता करेगी।
- (2) राज्य सरकार, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों को मान्यता देगी और अधिनियम और नियमों में प्रदान किए गए ऐसे अन्य कार्यों को करेगी।
- (3) राज्य सरकार, धारा 32, धारा 41 की उप-धारा (1) और धारा 41 की उपधारा (5), धारा 65 की उप-धारा (4), धारा 80 और धारा 81 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में स्वत: या शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करेगी।
- 35. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण:- (1) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की संरचना निम्नानुसार होगी:-
 - (क) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य में दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करेगी।
 - (ख राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के एक शासी निकाय की स्थापना करेगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे जो दत्तकग्रहण मामलों को निपटाएंगे और विभाग के निदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
 - (ग) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, उप निदेशक के स्तर पर एक नोडल अधिकारी और बाल संरक्षण स्कीम के अधीन आवश्यक ऐसे अन्य कर्मचारियों को अपने कामकाज को सुचारू करने के लिए नियुक्त करेगी जो कार्य सदस्य सचिव को शासी निकाय की बैठकों की व्यवस्था करने और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करने में सहायता करेंगे।

- (घ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के सात सदस्यों वाले शासी निकाय का गठन नीचे बताए अनुसार किया जाएगा:-
 - (i) अध्यक्ष के रूप में दत्तकग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव;
 - (ii) विभाग के निदेशक जो राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और इसके सदस्य सचिव होंगे;
 - (iii) सदस्य के रूप में राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन विभाग के निदेशक;
 - (iv) सदस्य के रूप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष;
 - (v) सदस्य के रूप में एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि;
 - (vi) सदस्य के रूप में बाल कल्याण में शामिल नागरिक समाज का एक सदस्य;
 - (vii) एक सदस्य के रूप में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक मदरूप।
- (इ.) जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों को जारी करने वाले अधिकारियों को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रिति के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
- (च) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का शासी निकाय अपने समग्र कार्यों की समीक्षा करने, राज्य में बालक के दत्तकग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में परिचालन के साथ-साथ रसद मुद्दों और बाधाओं को दूर करने और अनाथ और निराश्रितों बालकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगा।
- (2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य में दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के प्रचार, सुविधा, निगरानी और विनियमन के लिए राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगी और इसके कार्यों में शामिल होंगे:
 - (क) वर्ष में कम से कम एक बार राज्य में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के संपर्क ब्यौरे प्रकाशित करना;
 - (ख) संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन हर पांच वर्ष में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को मान्यता के नवीकरण की सिफारिश करना;
 - (ग) दत्तकग्रहण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और अभिहित पोर्टल पर ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त अपलोड करने के लिए तिमाही आधार पर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों की बैठकें आयोजित करना;
 - (घ) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के दत्तकग्रहण कार्यक्रम और गतिविधियों का निरीक्षण और निगरानी करना;
 - (ड.) ऐसे बालक देखरेख संस्थानों की पहचान करना, जिन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें धारा 66 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ऐसे संस्थानों में पात्र बालकों को दत्तकग्रहण में सक्षम बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों से जोड़ना;
 - (च) अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित बालकों को दत्तकग्रहण के लिए मानकों और उपायों को लागू करना, जैसा कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अधीन परिकल्पित है;
 - (छ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों या बालक देखरेख संस्थानों की पहचान करना, जो मानव इम्यूनोडिफीसिएन्सी वायरस (एचआईवी) या एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से प्रभावित या संक्रमित बालक सिहत विशेष आवश्यकता वाले बालकों को दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण देखरेख और उपचार प्रदान करने की क्षमता रखते हों और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम बालक, और ऐसे बालकों को इन अभिकरणों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करना;
 - (ज) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से बालकों के गैर-संस्थानीकरण में तेजी लाना;
 - (झ) राज्य में दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक उपाय करना, जैसे, ज्ञान आधार को मजबूत करना, अनुसंधान और प्रलेखन, बाल ट्रैकिंग प्रणाली को मजबूत करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गितविधियाँ, प्रचार और जागरूकता गितविधियाँ, पक्ष समर्थन और संचार, निगरानी और मूल्यांकन;
 - (ञ) राज्य में बाल कल्याण समितियों द्वारा अभिहित पोर्टल पर धारा 38 की उप धारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आंकड़े का सत्यपान करना;

- (ट) इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और आवधिकता में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण संबंधी सही दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना;
- (ठ) दत्तकग्रहण योग्य बालकों, भावी दत्तक माता-पिता, देश में दिए गए बालकों और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के अभिहित पोर्टल पर एक राज्य-विशिष्ट डेटाबेस बनाए रखना;
- (ड) यह सुनिश्चित करना कि राज्य में सभी दत्तकग्रहण नियोजन, अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार की जाती है;
- (ढ) जिला बालक संरक्षण इकाई के पास पर्याप्त संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता उपलब्ध हो इसके लिए एक प्रणाली स्थापित करना:–
 - (i) भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;
 - (ii) जहां कहीं आवश्यक हो, बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और बड़े बालकों की काउंसलिंग करना;
 - (iii) जहां कहीं आवश्यक हो, दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना;
 - (iv) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के बाद परामर्श; और
 - (v) पुराने दत्तकग्रहण करने वालों को मूल कुटुम्ब खोज में सहायता और परामर्श देना।
- (ण) समय-समय पर प्राधिकरण डाटा सौंपे गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना है। इसमें अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में प्रगित रिपोर्ट की निगरानी करना, जिला बालक संरक्षण ईकाइयों के माध्यम से पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और जैविक माता-पिता की वंशावली प्राप्त करना और संबंधी और सौतेले माता-पिता दत्तकग्रहण के मामले में पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी करना, परामर्श और गृह अध्ययन रिपोर्ट आयोजित करने के लिए कुशल पेशेवरों को हायर करना, तय समय से भावी दत्तक माता-पिता की शिकायतों को सुलझाना और प्राधिकरण डाटा सौंपा गया कोई भी कार्य शामिल है;
- (त) विशेष जरूरत वाले, अधिक आयु के बालकों और दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों के दत्तकग्रहण प्रबंध के लिए राज्य में प्रतीक्षारत माता-पिता के साथ अतिरिक्त प्रयास करना;
- (थ) नियम 44 में उपबंधित समय के भीतर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बालक संरक्षण इकाई की सहायता से ऐसे बालकों के लिए फॉस्टर केयर सहित पुनर्वास का प्रयास करना;
- (द) विधिक दत्तकग्रहण पर सुरक्षित अभ्यर्पण, जनजागरुकता, मीडिया और हितधारकों के मामले पर जन जागरुकता अभियान आयोजित करना;
- (ध) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण वेबसाइट में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के डाटा को समय-समय पर अपडेट करना:
- (न) विशिष्ट सुझावों के साथ विच्छिन्न या विघटन के मामले में प्राधिकरण को रिपोर्ट अग्रेषित करना।
- 36. ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्य न्यायालय के समक्ष लंबित दत्तकग्रहण मामलों से संबंधित सभी मामले नियम 45 में प्रदत्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख से ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (2) नए आवेदनों के मामले में, यह आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अविध के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी करेगा। इसका उपबंध अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) और **अनुसूची 33** में दिए गए प्रारुप के अनुसार किया गया है।
- (3) ज़िला मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित कार्यकारी कार्य होंगे:-
 - (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बालक संरक्षण कार्यालय और बालक के संबंधी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए बालक से आवेदन लेना;
 - (ख) संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक प्रबंधन करना;

- (ग) दत्तकग्रहण के मामलों में विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के मामले में गोपनीयता बनाए रखना;
- (घ) संतुष्ट होने पर दत्तकग्रहण ओदश जारी करना कि -
 - (i) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तकग्रहण विनियमों के अधीन किए गए उपबंध का प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए पूर्णतया अनुसरण किया गया है;
 - (ii) दत्तकग्रहण विनियमों की लागू अनुसूची में किए गए उपबंध के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों का जिला बालक संरक्षण इकाइयां डाटा सत्यापन को सुनिश्चित करना;
 - (iii) यदि बालक की आयु पाँच वर्ष से अधिक है तो उस बालक की सहमति सुनिश्चित करना;
 - (iv) प्राधिकरण ने अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में निर्धारित प्ररुप में निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी कर दिया है;
 - (v) दत्तकग्रहण के सभी मामलों में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त उपलब्ध हैं;
 - (vi) िकसी नातेदार दत्तक ग्रहण के मामले में न तो भावी दत्तक माता पिता, न ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक के माता पिता या संरक्षक ने दत्तक ग्रहण फीस के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुज्ञात के सिवाय दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए है या कोई परितोष प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं |
- (ड.) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेशों को अपलोड करने के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्देश देना और दत्तकग्रहण रिकार्डों को सुरक्षित अभिरक्षा में संरक्षित रखना;
- (च) यदि आवश्यक हो तो किसी भी दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान शारीरिक उपस्थिति के लिए देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में किसी भी आवेदक को नोटिस देना;

 परंतु अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है और यदि जरूरत महसूस हो तो भावी दत्तक माता-पिता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त समझी जानी चाहिए।
- (छ) दत्तकग्रहण के लिए किए गए आवेदन को रद्द या खारिज किया जा सकेगा, यदि दत्तकग्रहण विनियमों में अभिकथित उपबंधों का अनुपालन न किया गया है तो और उसे मौखिक आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट कारण बताते हुए खारिज किया जा सकता है;
- (ज) जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा विघटित एवं विच्छेदन किए गए मामलों पुनर्विलोकन करना और यदि विघटन या विच्छेदन का दोषी भावी या दत्तक माता-पिता का होना पाया जाता है तो उन्हें भविष्य में दत्तकग्रहण से प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसके बारे में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचना देने के साथ-साथ दत्तक माता-पिता द्वारा किए गए दुराचार और उपेक्षा के लिए समुचित विधिक कार्यवाही करना।
- (4) बालक की दत्तकग्रहण से संबंधित जानकारी उजागर करने से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई कोई भी सूचना या दत्तकग्रहण आदेश को दत्तकग्रहण विनियमों में किए गए उपबंध के अनुसार अभिहित पोर्टल के अलावा किसी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा।
- (5) इस अधिनियम के बाहर पूर्ण किए गए दत्तकग्रहण के मामले में, ज़िला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी उपबंध उसमें संकलित किए जाने हैं।
- (6) सहोदर के मामले में, ज़िला मजिस्ट्रेट जहां तक संभव हो सके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनकी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया होने से पहले वे एक कैंपस या संस्थान में रहें।
- (7) यदि दत्तकग्रहण समिति की अध्यक्षता के लिए कोई भी जिला बालक संरक्षण अधिकारी न हो तो जि़ला मजिस्ट्रेट समुचित स्तर का अधिकारी नियुक्त करेंगे।

- (8) यदि बालक के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या उसे विशिष्ट जरूरत की आवश्यकता वाले बालक के रूप में पहचाना गया हो तो ज़िला मजिस्ट्रेट ऐसे बालक के बारे में जैसे ही संबंधित जिला बालक संरक्षण ए इकाई की सहायता से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या बालक देखरेख संस्था से सूचना प्राप्त करते हैं तो तुरंत चौबीस घंटे के भीतर बालक को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेगा।
- (9) मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची 18 के अधीन और विनियमों की अनुसूची-3 (भाग ड.) के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार बालक के स्वास्थ्य की जांच करेगा और आकलन करेगा कि क्या बालक को पंद्रह दिन की अविध के अन्दर किसी प्रकार का रोग या विशेष जरूरत की आवश्यकता है।
- (10) दत्तकग्रहण विघटन के मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट **अनुसूची-34** में प्रदत्त प्रारुप के अनुसार जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा दायर विघटन आदेश को पारित करेगा।
- 37. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी विद्यमान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्कीमों के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या बालक देखरेख संस्था में रह रहे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को इलाज की सुविधा प्रदान करेगा और पंद्रह दिन के भीतर अनुसूची-18 और अनुसूची-3 (भाग-ड.) में किए गए उपबंधों के अनुसार बालक की स्वास्थ्य की स्थिति को सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के रूप में वर्गीकृत करेगा तथा साथ ही सरकार की विभिन्न स्कीमों के अधीन ऐसे बालकों के इलाज को भी प्रोत्साहित करेगा।
- 38. जिला बालक संरक्षण इकाई:- अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्कीमों के कार्यों के अलावा; जिला बालक संरक्षण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगा:-
- (1) जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और संस्थान की सहायता से बाल देखरेख समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए बालकों को विधिक रूप से मुक्त घोषित करवाना;
- (2) दत्तकग्रहण के लिए जब बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है तो इसके घोषित होने के दस दिन के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा अभिहित पोर्टल पर बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट सुनिश्चित करना।
- (3) दत्तकग्रहण की सुविधा के लिए समान जिले में या अन्य जिलों में विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थाओं के साथ बालक देखरेख संस्थाओं के जुड़ाव की सुविधा के लिए कार्य करना।
- (4) विधिक रूप से दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित प्रत्येक बालक की दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को ट्रेक करना और जहां भी आवश्यक हो इस मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।
- (5) जिले में बालक या बालकों के दत्तकग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्रगति को ट्रैक करना और जहां भी जरूरी हो मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।
- (6) ऐसी सेवाओं को दत्तकग्रहण विनियमों के नियम 35(2) (ढ) में किए गए उपबंधों के अनुसार सूचीबद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं के माध्यम से पूरा करवाना।
- (7) जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और निगरानी करना।
- (8) यह सुनिश्चित करना कि विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा अभिहित पोर्टल पर डाटा को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है और यह सही तरीके से किया जा रहा है।
- (9) दत्तकग्रहण से संबंधी सभी मामलों में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को सहायता करना।
- (10) पुनर्वास प्रयासों और परित्यक्त बालकों को दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा करवाने में बाल देखरेख समिति की सहायता करने के साथ ही जहां कहीं भी जरूरत महसूस हो वहां समाचार पत्र में बालक की जानकारी प्रकाशित करना, प्रोबेशन अधिकारी से सामाजिक छानबीन रिपोर्ट प्राप्त करना और विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की सहायता से पुलिस से नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट प्राप्त करना।

- (11) बाल कल्याण सिमिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित करने के अड़तालीस घंटे के भीतर सत्यापन को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करना जिसमें पहले इस तथ्य को अच्छी तरह जांच लिया गया हो कि यह सत्यापन पत्र सिमिति के सदस्यों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित की गई है जिसमें सिमिति का मुखिया भी शामिल है और समुचित स्तम्भ भरे जा चुके हैं।
- (12) जिले में बालकों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित सभी मामलों में ज़िला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना और दत्तकग्रहण से संबंधित सूचना अभिहित पोर्टल पर अपडेट करना;
- (13) अभिहित पोर्टल के माध्यम से अड़तालीस घंटों के भीतर सभी भावी दत्तक माता-पिता की शिकायतों को संबोधित करना।
- (14) यह सुनिश्चित करना कि इसको पेशेवर स्टाफ अर्थात परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और संरक्षण अधिकारी गृह अध्ययन करते समय भावी दत्तक माता-पिता के आवश्यक पेपरवर्क और रजिस्ट्रीकरण के समय दी जाने वाली सूचना को सत्यापित करते हैं।
- (15) भावी दत्तक माता-पिता के रजिस्ट्रीकरण के दो माह के अंदर ही उनके गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को तीन वर्ष की अविध पूरी होने से पूर्व पुन: मान्य की जाए और यिद भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के लिए पात्र नहीं समझा जाता है तो निर्णय करने के लिए संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को ऐसी सभी गृह अध्ययन रिपोर्ट भेजे और उसके उपरांत ये रिपोर्ट तदनुरूप अभिहित पोर्टल पर अपलोड की जाए;
- (16) दत्तकग्रहण की सुनवाई नियत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को मामला प्रस्तुत करने से पहले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से दस्तावेजों की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर अनुसूची 9 में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण से संबंधित के मामले के सभी दस्तावेजों की संवीक्षा करे;
- (17) दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करने में बाल कल्याण समिति की सहायता करना जो विनियम 6 के उप विनियम 7 और विनियम 7 के उप विनियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट है;
- (18) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से जुड़े बाल देखरेख सस्थान में रह रहे बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसी ही रिपोर्टों की व्यवस्था करना।
- **39. बाल कल्याण समिति:** (i) बाल कल्याण समिति विनियम 6 और 7 तथा नियमों के नियम 18 व 19 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में बालकों को जैविक माता द्वारा स्वयं की इच्छा से समर्पित किया जाता है, बालक का जन्म बिना यौन संबंधों की सहमित के हुआ हो या जहां मामला यौन अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत हुआ हो तो बाल कल्याण समिति निर्धारित समय के भीतर दत्तकग्रहण के लिए बालक को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य है जिसमें डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल (डीएनए) नमूना एकत्रित किया जाना चाहिए तािक ऐसे मामलों में दत्तकग्रहण वाले परिवार परेशानी से बच सके।

40. जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन स्थानीय रजिस्टार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या दत्तक माता-पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें दत्तक माता-पिता का नाम माता-पिता के रूप में और ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तकग्रहण आदेशों में उल्लेखित बालक की जन्म तिथि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार होगी:

41. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण: प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- (1) देश में दत्तकग्रहण को बढावा देना, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के सहयोग से अंतर-राज्यीय दत्तकग्रहण की सुविधा करना और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करना;
- (2) गैर-भारतीय निवासी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के आवेदन प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं या केंद्रीय प्राधिकारी या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजदूत मिशन के माध्यम से प्राप्त करना और धारा 59 की उप-धारा (5) के अधीन इसे आगे बढ़ाना है;
- (3) भारत में एक वर्ष या अधिक समय से रह रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक से, जो धारा 59 की उप-धारा (12) के अनुरूप भारत से बालक दत्तकग्रहण का इच्छुक हो, उनके आवेदन लेना और तैयार करना;
- (4) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के बारे में भारत के प्रवासन प्राधिकरणों और जिस देश में बालक का दत्तकग्रहण किया जा रहा है उन्हें सूचित करना;
- (5) प्रशिक्षण, कार्यशाला, एक्पोजर विजिट, मंत्रणा, सम्मेलन, सेमीनार और अन्य क्षमता निर्माण करने वाली गतिविधियों के माध्यम से राज्य दत्तकग्रहण संस्थाओं, जिला न्यायाधीशों, जिला बालक संरक्षण ईकाइयों, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थाओं और अन्य हितधारकों को सहयोग और परामर्श देना;
- (6) राज्य सरकारों या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन संस्थाओं और जिला न्यायाधीशों के साथ समन्वय स्थापित करना और दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों पर उन्हें सलाह देना;
- (7) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक और संकेतक स्थापित करना:
 - क. अनाथ. परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों तथा संबंधियों द्वारा दत्तकग्रहण से संबंधित दत्तकग्रहण प्रक्रिया;
 - ख. सेवा प्रदाताओं की निगरानी और पर्यवेक्षण:
 - ग. दत्तकग्रहण के मामलों में दस्तावेजों का मानकीकरण;
 - घ. चिंतास्वतंत्र दत्तकग्रहण की स्विधा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बचाव और नैतिक प्रथाएं; और
 - ङ. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अलावा अन्य अधिनियम के अधीन किए गए दत्तकग्रहण के लिए प्रक्रिया;
- (8) दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों पर अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करना;
- (9) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के उद्देश्य से बालकों और भावी दत्तक माता-पिता का समग्र केंद्रीयकृत डाटा रखना;
- (10) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित गोपनीय केंद्रीयकृत डाटाबेस रखना:
- (11) या तो स्वयं या अपने अनुषंगी निकायों द्वारा दत्तकग्रहण और अन्य गैर संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एडवोकेसी, जागरूकता और सुचना, शिक्षा और संवाद गतिविधियां आयोजित करना;
- (12) जहां कहीं आवश्यक हो; हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार विदेशी केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना;
- (13) भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए अनिवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रत्यायोजित करने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं को प्राधिकृत करना;
- (14) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में सिस्टम जनरेटेड निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करना;
- (15) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना;
- (16) उन भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु की आवश्यकता को सरल बनाना जो विशेष आवश्यकता वाले जरूरतमंद बालकों या कठिन श्रेणी में आने वाले बालकों का दत्तकग्रहण करते हैं:
- (17) निम्नलिखित परिस्थितियों में दत्तक माता-पिता से अनिवार्य शपथ प्राप्त करने के लिए अनुसूची 17 में किए गए

उपबंध के अनुसार सिस्टम जनरेटेड समर्थन पत्र क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस को जारी करना:-

- जब निवासी भारतीय दत्तक माता साधारणतया भारत में रहते हुए अधिनियम के अनुसार दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है और जब वह विदेश में जाना चाहता है तो यह प्रक्रिया प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं या केंद्रीय प्राधिकारियों या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय मिशन के माध्यम से पश्च-दत्तकग्रहण कार्यवाही के शेष को पूरा करने के लिए शपथ के अधीन है और इस संबंध में, दत्तक माता-पिता को प्राप्तकर्ता देश द्वारा निर्धारित किए गए व्यावसायिक शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है।
- ख. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समर्थन पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कोई विशेष परिस्थिति।
- (18) आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय द्वारा प्रमाणित देशों के मामले में इन विनियमों के अध्याय 8 (हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तकग्रहण के मामलों में निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करना तथा हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में जो देश शामिल नहीं है उन्हें समर्थन पत्र जारी करना जब प्राप्तकर्ता देश के संबंधित सरकारी विभाग से कथित दत्तकग्रहण की स्वीकार्यता का पत्र प्राप्त हो जाए;
- (19) दत्तकग्रहण के माध्यम से परिवार प्राप्त करने में असक्षम बालकों के लिए ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे बालकों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा मिल सके।

42. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

- (1) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समय समय पर केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आवशयक दस्तावेजों के साथ साथ फोटो, बायोमेट्रिक आदी लेने के साथ ही सभी के पूरा होने के दस दिन के अंदर दत्तक बालक के लिए पासपोर्ट जारी करेगा।
- (2) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्राधिकरण के निराक्षेप प्रमाणपत्र, बालक की जन्म की तारीख उल्लिखित करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए दत्तकग्रहण के आदेश तथा अनुरूपता प्रमाणपत्र (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से प्रमाणित देशों के मामले में) के आधार पर पासपोर्ट जारी कर सकता है;
- (3) पासपोर्ट आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करते समय दोनों दत्तक माता-पिता की उपस्थिति वांछनीय होगी। हालांकि, यदि दत्तक माता-पिता में से एक ही उपस्थित हो पाता है तो पासपोर्ट मैनुअल का उपाबद्ध 'घ' यथोचित भरा जाना चाहिए तथा दस्तावेजों को जमा करते समय हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए।
- (4) दत्तक बालक के पासपोर्ट आवेदन को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के अपॉइन्टमेंट स्लॉट की अनुमित के लिए अनुरोध पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- (5) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऐसे मामलों में पहले के अपॉइन्टमेंट को टाल देंगे जहां विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदन के साथ गए हों और उन्हें यथाशीघ्र पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमैट्रिक डाटा या फोटो लेने या सत्यापन आदि के लिए स्लॉट, आवंटित करेंगे।
- (6) पासपोर्ट आवेदन के सभी दस्तावेज प्ररूप दत्तक माता-पिता द्वारा स्व-प्रमाणित होने चाहिए;
- (7) अधिनियम के अधीन पूरे किए गए सभी अंतर-देशीय दत्तकग्रहणों में जहां बालक के साथ दो वर्ष के कानून निवास को पूरा नहीं किया गया हो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन पत्र के आधार पर बालक को पासपोर्ट जारी करेगा।
- (8) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को प्राधिकरण से समर्थन पत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के बाद दत्तक माता-पिता ने विधिक निवास के दो वर्ष पूरे कर लिए हो।
- 43. अंतर्देशीय दत्तकग्रहण में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका- भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तकग्रहण में विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की निम्नलिखित भूमिका होगी, अर्थात:-
- (1) अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों, केन्द्रीय प्राधिकारियों, संबंधित विदेशी सरकारी विभागों और जहां आवश्यक हो उनके द्वारा

- प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से संपर्क स्थापित करना, समन्वय करना और सुगम बनाना;
- (2) भारतीय बालकों के दत्तकग्रहण के प्रायोजन संप्रयोग के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी या संबंधित सरकारी विभाग के परामर्श से अनुज्ञप्ति चाहने वाले विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों की सिफारिश करना;
- (3) भावी विदेशी दत्तक माता-पिता को जो दत्तकग्रहण के पहले, प्राधिकारी द्वारा दत्तकग्रहण आवेदन अनुमोदित किए जाने के बाद और दत्तकग्रहण आदेश के जारी किए जाने के बाद बालक को अपने अभिरक्षा में लेने के लिए, भारत में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक को देखना चाहते हैं, के लिए सहायक दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी करना:
- (4) हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में जहां दत्तकग्रहण के मामले को निपटाने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या सरकारी विभाग नहीं हैं, गृह अध्ययन रिपार्ट सहित दत्तकग्रहण आवेदन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध करना और प्राधिकृत करना;
- (5) हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में प्राप्त करने वाले देश में बालक के पहुंचने से पहले वर्ष में पाक्षिक और दूसरे वर्ष में छमाही आधार पर बालक की प्रगति रिपोर्ट भेजने और दत्तकग्रहण के विच्छेद होने के मामले में विनियम 20 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंध स्थापित करना;
- (6) विदेश में स्थानांतरित होने वाले ग्राही दत्तक माता-पिता की शेष प्रगति रिपोर्ट को पूरा करने के लिए हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना;
- (7) स्थानीय प्राधिकारियों, संबंधित दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकरण के परामर्श से आवश्यक होने पर बालक के प्रत्यावर्तन में आवश्यक मदद करना और सुविधा प्रदान करना।

अध्याय- 7 प्रकीर्ण उपबंध

- 44. भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता (1) निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को राज्यों के विशिष्ट और क्लस्टर विशिष्ट विकल्प के आधार पर बालकों को ज्येष्ठता के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से और इन नियमों के अधीन निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार होगा, जबिक विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को 'भारत में कहीं भी' के आधार पर अभिनिर्देशन प्रदान किया जाएगा।
- (2) भारत में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी कारण से निर्दिष्ट बालक को लेने के लिए इच्छुक नहीं होने के मामले में, अड़तालीस घंटे की आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद बालक प्रतीक्षा सूची में अगले प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता-पिता को स्वतः निर्दिष्ट हो जाएगा।
- (3) विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी कारण से संदर्भित बालक को लेने के इच्छुक नहीं होने के मामले में, छियान्वे घंटे की आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद बालक प्रतीक्षा सूची में अगले प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता-पिता को स्वत: निर्दिष्ट हो जाएगा।
- (4) निवासी भारतीयों की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट को छोड़कर, ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेजों को जमा करने की तिथि पर आधारित होगी।
- (5) अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेश में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण की तारीख और अभिहित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की तिथि पर आधारित होगी।

- (6) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता की गणना, जिन्होंने अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया लेकिन बाद में शादी कर ली, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के स्थिर वैवाहिक संबंध और एक नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन की जाएगी।
- (7) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता की गणना, जो युगल के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, लेकिन बाद में तलाकशुदा, विधवा या पुनर्विवाह कर लिया हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने और पुनर्विवाह के मामले में दो वर्ष के स्थिर वैवाहिक संबंध के अधीन की जाएगी।
- (8) सामान्य बालक के लिए रजिस्ट्रीकृत भावी दत्तक माता-पिता, विशेष आवश्यकता वाले बालक के दत्तकग्रहण में सक्षम होंगे या उसी रजिस्ट्रीकरण के साथ बालक को रखने में सक्षम होंगे।
- 45. उन देशों में रहने वाले भारतीय माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।–(1) ऐसी स्थिति में जहां भारतीय माता-पिता में से एक भारत में रह रहा है और पित या पत्नी अस्थायी वर्क परिमट पर ऐसे देश में काम कर रहे हैं जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, माता-पिता को यह तय करना होगा कि उन्हें अपना गृह अध्ययन कहां कराना है और इस उद्देश्य के लिए, उन्हें देश के भीतर या विदेश में एक साथ रहना होगा।
 - (2) यदि अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता किसी ऐसे देश में प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो भारतीय मिशन ऐसे माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर अधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से गृह अध्ययन रिपोर्ट और दत्तकग्रहण के बाद की अनुवर्तन रिपोर्ट को अपलोड करने सहित दत्तकग्रहण की प्रक्रिया की व्यवस्था भारतीय मिशन करेगा।
 - (3) ऐसे देश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के लिए जो हेग अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अनुसूची 6 में निर्दिष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- **46. समय सीमा का अनुपालन-** दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में शामिल सभी अभिकरणों और प्राधिकरणों को **अनुसूची 14** में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना होगा।
- 47. मूल वंशज की खोज- (1) यदि बालक के अध्यर्पित करने के समय जैविक माता-पिता ने विशेष रूप से अज्ञात रहने का अनुरोध किया है, तो जानकारी प्रकट करने से पहले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा, जैसा भी मामला हो, जैविक माता-पिता की लिखित सहमति ली जाएगी।
- (2) पुराने दत्तकों द्वारा मूल वंशज की तलाश करने के मामले में, जब भी किसी दत्तक द्वारा संपर्क किया जाता है तो अभिकरण या संबंधित प्राधिकारी जो प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, भारतीय राजनयिक मिशन, प्राधिकरण, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण हैं, उनके मूल वंशज की तलाश की सुविधा प्रदान करेगी।
- (3) अठारह वर्ष से ऊपर के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबिक अठारह वर्ष से कम उम्र के बालक अपने दत्तक माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से मूल वंशज की तलाश की सुविधा के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।
- (4) अध्यर्पित मामलों में जैविक माता-पिता द्वारा इंकार करने या माता-पिता का पता न लग पाने की स्थिति में, जिन कारणों और परिस्थितियों के अधीन जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, उनके बारे में दत्तक को बताया जाएगा।
- (5) किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल वंशज की खोज की अनुमित नहीं दी जाएगी और संबंधित अभिकरण या प्राधिकरण जैविक माता-पिता, दत्तक माता-पिता या दत्तक बालक से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेंगे।
- (6) दत्तक बालक का अधिकार जैविक माता-पिता की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।

- 48. दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता- दत्तकग्रहण प्रक्रिया में शामिल सभी अभिकरणों या प्राधिकरणों के सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून के अधीन अनुमित दी गई है, यह सुनिश्चित करना होगा कि दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखी जाए और इस तरह के उद्देश्य के लिए दत्तकग्रहण के आदेश को किसी भी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।
- 49. दत्तकग्रहण के लिए फीस (1) भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण का खर्च वहन करना होगा और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को दत्तकग्रहण की फीस और उनके उपयोग के तरीके का पालन करना होगा जैसा कि अनुसूची 15 में उपबंध किया गया है और जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या सबद्ध बालक देखरेख संस्था भावी दत्तक माता-पिता से दत्तकग्रहण की फीस प्राप्त कर सकता है और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार धन का उपयोग कर सकता है।
- (3) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बालक को दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद या वस्तु के रूप में कोई दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।
- 50. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आंकड़े को अद्यतन करना:- विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अनुसूची 14 में प्रदान की गई निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अभिहित पोर्टल पर आंकड़े को अद्यतन करेगा।
- 51. विशेष आवश्यकता वाले बालकों का दत्तकग्रहण: (1) गृह अध्ययन के माध्यम से बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष जरूरत वाले बालकों को दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए जाने के बाद उनकी प्रोफाइल को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख से पात्र और उपयुक्त पाए गए विशेष आवश्यकता वाले बालकों, जो निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होंगे की दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को संबंधित अभिकरणों या अधिकारियों द्वारा यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा:

 परंतु विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद उपलब्ध होंगे।
- (2) सभी भावी दत्तक माता-पिता यह इंगित करने में सक्षम होंगे कि क्या वे विशेष आवश्यकता वाले बालक की एक विशिष्ट श्रेणी का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं।
- (3) विशेष आवश्यकता वाले बालकों का दत्तकग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि भावी दत्तक माता-पिता बालक की उचित चिकित्सा स्थिति से अवगत हों और बालक को अतिरिक्त देखरेख और ध्यान देने के लिए तैयार हों।
- (4) इन विनियमों की **अनुसूची 18** और **अनुसूची 3** (भाग ड.) में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के जो प्रकार दिए गए हैं, वे सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं; इसे www.cara.nic.in से देखा जा सकता है और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- (5) विशेष आवश्यकता वाले बालक जिनका दत्तकग्रहण नहीं किया गया था, उन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उचित देखरेख और सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यदि उनके पास आवश्यक सुविधाएं और उनकी दीर्घकालिक देखरेख के साधन नहीं हैं, तो ऐसे बालकों को किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किसी अन्य विशिष्ट संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(6) विशेष आवश्यकता वाले बालकों का उपचार:-

- (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक के प्रवेश के एक महीने के भीतर, संस्थान अनुसूची 4 में निर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षणों की व्यवस्था करेगा, और बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण के मुक्त घोषित करने की तिथि से दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (ख) जहां चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में पता चलता है कि बालक किसी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी से पीड़ित है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को

- मामले को चौबीस घंटे के भीतर सिफारिश करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए सूचित करेगा।
- (ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तब विशेष आवश्यकता वाले बालक को वर्गीकृत करने से पहले उक्त बालक का अतिरिक्त जांच और चिकित्सा परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जैसा कि **अनुसूची 3 (**भाग ड.) में उपबंध किया गया है।
- (घ) रोग उपचार योग्य होने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक के उपचार की सुविधा और पर्यवेक्षण करेगा।
- (ड.) मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बालक का इलाज जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
- (च) बालक का इलाज पूरा होने के बाद, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अभिहित पोर्टल पर बालक के स्वास्थ्य की स्थिति को तदनुसार अद्यतन करेगा।
- **52. बड़े बालकों और सहोदर का दत्तकग्रहण:** –(1) चूंकि बड़े बालक को असंबंधित माता-पिता के साथ तालमेल बैठाने में समय लगता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संस्था छोड़ने से पहले बालक और भावी दत्तक माता-पिता को एक-दूसरे से परिचित कराया जाए।
- (2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के मार्गदर्शन में, भावी दत्तक माता-पिता बड़े बालकों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, उन्हे अपनी अभिरक्षा में लेने से पहले भी बातचीत कर सकते हैं और भावी दत्तक माता-पिता को संस्थान छोड़ने से पहले बालक के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- (3) सहोदर और बड़े बालक, बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें विधिक रूप से दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित करने के बाद अभिहित पोर्टल पर उनके प्रोफाइल अपलोड करने की तारीख से निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध माने जाएंगे और अन्य श्रेणी के भावी दत्तक माता-पिता के लिए वे तीस दिनों बाद उपलब्ध होंगे।
- 53. बालकों के पुनर्वास के लिए अन्य विकल्प:- (1) प्राधिकरण अपनी संचालन सिमिति के अनुमोदन से दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालकों को, अभिहित पोर्टल पर पोषण देखरेख के माध्यम से दत्तकग्रहण के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकता है।
- (2) जिन बालकों को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तकग्रहण नहीं किया जा रहा है, वे नियमों के नियम 44 और विनियमों की अनुसूची 16 के अधीन उपयुक्त पोषण माता-पिता द्वारा पोषण देखरेख के लिए पात्र हो सकते हैं।
- (3) दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालक पालक देखरेख के लिए पात्र होंगे और नियमों के नियम 44 में निर्धारित अन्य श्रेणियों के बालकों के साथ ऐसे बालकों की सूची जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के लिए अभिहित पोर्टल के माध्यम से सुलभ होगी।
- (4) पोषण देखरेख में रखे गए बालकों का दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच इसके द्वारा दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए स्थापित संपर्क के अनुसार संपर्क प्रदान करेगा।
- (5) ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण के इच्छुक पालक परिवार उक्त अभिहित पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रीकरण कराएंगे।
- (6) भावी पोषण माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और वे जीवन खतरे वाली चिकित्सा स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें किसी भी आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं ठहराया गया हो या वे बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी न हों।
- 54. **देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण-** (1) भावी दत्तक माता-पिता अभिहित पोर्टल पर **अनुसूची 6** में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्टीकरण करेंगे।

- (2) जैविक माता-पिता की सहमित या बाल कल्याण समिति की अनुमित, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता होगी जैसा कि क्रमशः अनुसूची 19 या अनुसूची 22 में उपबंध किया गया है।
- (3) यदि बालक पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो बालक की सहमति प्राप्त की जाएगी।
- (4) देश में रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामलों में **अनुसूची 24** में निर्दिष्ट उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति के समर्थन में दत्तक माता-पिता के शपथ पत्र की आवश्यकता होती है।
- (5) भावी दत्तक माता-पिता का जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा यथोचित सत्यापन किया जाएगा।
- (6) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण मामले को आगे आवश्यक अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को संदर्भित करेगी जिसके बाद राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जैसा कि अनुसूची 25 में उपबंध किया गया है।
- (7) यदि भावी दत्तक माता-पिता के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो मामला विशिष्ट की सलाह के लिए प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
- (8) आवेदन की जांच के बाद जिला बालक संरक्षण इकाई उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करेगी, जैसा कि **अनुसूची 30** में उपबंध किया गया है, जहां बालक साधारणतया निवास कर रहा है।
- (9) जिला बालक संरक्षण इकाई संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और उसकी एक प्रति अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्राधिकरण और दत्तक माता-पिता को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।
- **55. सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण** (1) दंपत्ति (सौतेले माता-पिता और जैविक माता-पिता में से एक) **अनुसूची 6** में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करेंगे।
- (2) बालक या बालकों को दत्तकग्रहण वाले जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता की सहमित अनुसूची 20 में प्रदान की जाएगी।
- (3) यदि बालक की अभिरक्षा को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो संबंधित अदालत द्वारा मामले को अंतिम रूप देने के बाद ही दत्तकग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- (4) सौतेले माता-पिता या दंपित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा उचित सत्यापन प्राप्त करेंगे।
- (5) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण आवश्यक अनुमोदन के लिए मामले को प्राधिकरण को संदर्भित करेगा जिसके बाद अनुसूची 25 में उपबंध के अनुसार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (6) यदि भावी दत्तक माता-पिता के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो विशिष्ट सलाह के लिए मामला प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा।
- (7) जिला बालक संरक्षण इकाई से उचित सत्यापन और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद अनुसूची 32 में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दायर करेंगे, जहां बालक स्वाभाविक रूप से रह रहा है।
- (8) जिला बालक संरक्षण इकाई संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और अभिहित पोर्टल के माध्यम से उसकी एक प्रति प्राधिकरण और दत्तक माता-पिता को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।
- (9) सौतेले माता-पिता द्वारा अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा और अनुसूची 20 में उपबंध के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष अपेक्षित सहमित फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर अनुसूची 21 में उपबंध के अनुसार परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट को पूरा करना होगा।
- 56. अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण- (1) किसी रिश्तेदार के बालक को दत्तकग्रहण के इच्छुक अनिवासी भारतीय या

- भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
- (2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तो किसी रिश्तेदार के बालक को दत्तकग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता संबंधित सरकारी विभाग या उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के मामलों में) से संपर्क करेंगे।
- (3) गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने पर, यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिकों के मामलों में) अभिहित पोर्टल पर अनुसूची 6 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करेगा।
- (4) अंतर्देशीय दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों में अनुवर्ती विनियम 57, 58, 59 और 60 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- 57. प्राधिकरण से अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण की प्रक्रिया— (1) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता के प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकरण दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अनुसूची 21 में उपबंध के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ उसे राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को अग्रेषित करेगा।
- (2) जिला बालक संरक्षण इकाई अपने सामाजिक कार्यकर्ता से परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त करेगी और इस उद्देश्य के लिए वह प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार शुल्क वसूल कर सकता है।
- (3) जिला बालक संरक्षण इकाई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या विदेश स्थित भारतीय मिशन को प्रस्तुत करने के लिए बालक और जैविक परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।
- (4) रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण उसे हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 4 और 16 के अधीन अपेक्षा के अनुसार प्राप्तकर्ता देश को अग्रेषित करेगा।
- (5) उप विनियम (3) में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, प्राधिकृतविदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग प्राधिकरण को हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन प्रमाण पत्र अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।
- (6) ऐसे देशों के मामले में जिन्होंने भारतीय नागरिकों के संबंध में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन पत्र संबंधित सरकारी विभाग या उस देश के भारतीय मिशन को भेजा जाएगा जो प्राधिकरण को सिफारिश पत्र जारी करेगा।
- (7) भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के मामले में जो भारत में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता हैं, ऐसे माता-पिता अभिहित पोर्टल पर सीधे रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं और प्रारंभिक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
- 58. प्राधिकरण का निराक्षेप प्रमाण पत्र— सभी अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकरण प्राप्तकर्ता देश से हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अधीन जारी प्रमाण पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बालक के दत्तकग्रहण के पक्ष में निराक्षेप प्रमाण पत्र जारी करेगा और इसकी प्रति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।
- **59. रिश्तेदार और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण आदेश** (1) भावी दत्तक माता-पिता, जो धारा 2 के खंड (52) में परिभाषित किसी रिश्तेदार के बालक का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं, देश के भीतर रिश्तेदार दत्तकग्रहण या अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में क्रमशः अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) या

- धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल करेंगे।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के कार्यालय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल करेंगे।
- (3) देश के भीतर रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता अनुसूची 6 और अनुसूची 9 में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुसूची 30 में उपबंध के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक जैविक माता-पिता या अभिभावकों के साथ स्वाभाविक रूप से रहता है।
- (4) अंतर देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता अनुसूची 6 और अनुसूची 9 में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अनुसूची 31 में उपबंध के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक जैविक माता-पिता या अभिभावकों के साथ स्वाभाविक रूप से रहता है।
 - (5) सौतेले माता-पिता और जैविक माता-पिता, जो जीवनसाथी के बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं, अनुसूची 6 और अनुसूची 9 में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुसूची 32 में उपबंध के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण का आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक स्वाभाविक रूप से रहता है।
 - (6) दत्तकग्रहण आदेश जारी करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति अधिनियम की धारा 61 और विनियम 54 से 57 के अधीन निर्धारित विभिन्न शर्तों के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे।
 - (7) भावी दत्तक माता-पिता जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे और प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रति जिला बालक संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेंगे।
 - 60. अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करना— यदि दत्तक बालक का प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तो प्राधिकरण अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिन के भीतर अनुसूची 11 में प्रदान किए गए प्रारूप में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करेगा।
 - 61. बालक देखरेख संस्था और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ इसका जुड़ाव— (1) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत सभी बालक देखरेख संस्था, जिन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यह सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखभाल और संरक्षण के अधीन सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बालकों को अधिनियम की धारा 32, धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 66 की उप-धारा (1) के उपबंधों और इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा सूचित, प्रस्तुत और दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है।
 - (2) ऐसी रिपोर्ट में बालक का नाम, लिंग, जन्म तारीख या उम्र, तस्वीर और स्वास्थ्य की स्थिति, बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा (यदि कोई हो), पता या स्रोत (जहां ज्ञात हो) और बालक को संस्था में लाए जाने और दाखिल किए जाने के तरीके और परिस्थितियों को शामिल किया जाएगा।
 - (3) संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार बाल कल्याण सिमिति द्वारा अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बालक के दत्तकग्रहण के लिए उसे विधिक रूप से मुक्त घोषित करने में संबंधित बालक देखरेख संस्था को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
 - (4) जिला बालक संरक्षण इकाई उस बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार होगी जहां दत्तकग्रहण के योग्य बालकों की पहचान की गई है।
 - (5) यदि बालक देखरेख संस्था उसी जिले में स्थित है-
 - (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक प्रलेखन और औपचारिकताओं को पूरा करेगा, जिसमें क्रमशः **अनुसूची 2** और **अनुसूची 3** में उपबंध के अनुसार बालक की

बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार करना शामिल है; और

- (ख) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण बालक की प्रोफाइल को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसमें बालक की तस्वीर, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति से प्रमाण पत्र शामिल है जिसमें दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है।
- (6) यदि बालक देखरेख संस्था और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण एक ही जिले में स्थित नहीं हैं-
 - (क) जिला बालक संरक्षण इकाई अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में उपबंध के अनुसार किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से बालक की क्रमशः बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार कराएगी:
 - (ख) जिला बालक संरक्षण इकाई अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रोफाइल अपलोड करेगी, जिसमें बालक की तस्वीर, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति से प्रमाण पत्र शामिल है जिसमें दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मृक्त घोषित किया गया है; तथा
 - (ग) अभिहित पोर्टल पर बालकों के दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, लिंक्ड विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण में सहायता प्रदान करने के लिए उनकी जानकारी को अक्सेस करेगा।
- (7) यदि बाल देखदेख संस्था को लिंक करने के लिए जिले में एक से अधिक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण होंगे, तो इन दो के बीच दूरी, बालक की आवश्यकताओं और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।
- (8) दत्तकग्रहण समिति में शामिल होंगे-
 - (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता;
 - (ख) बाल देखदेख संस्था का बाल रोग विशेषज्ञ या अतिथि डॉक्टर;
 - (ग) उस जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई से अधिकारी जहां बालक देखरेख संस्था स्थित है; और
 - (घ) बाल देखदेख संस्था का प्रतिनिधि, यदि उसके बालक को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से लिंक किया गया है।
- (9) दत्तकग्रहण के ऐसे सभी मामलों में जिला बालक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल किया जाएगा और बालक देखरेख संस्था को सह आवेदक बनाया जाएगा।
- (10) यदि बालक ऐसे बालक देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थित है तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण ईकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेगा जहां बालक अवस्थित है।
- (11) दत्तकग्रहण फीस को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच उस अनुपात में साझा किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (12) जिला बालक संरक्षण ईकाई जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और भावी दत्तक माता-पिता, बालक देखरेख संस्था, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को उसकी प्रति प्रस्तुत करेगी और अभिहित पोर्टल पर उसे अपलोड करेगी।
- 62. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण में अपील- (1) देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में कोई भावी दत्तक माता-पिता या बालक या उनकी ओर से कोई व्यक्ति, जो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की राय के कारण दत्तकग्रहण के लिए चयन न होने या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता से संबंधित मुद्दों या भावी दत्तक माता-पिता या बालक से संबंधित प्रलेखन जैसे कि गृह अध्ययन रिपोर्ट या भावी दत्तक माता-पिता की स्वास्थ्य स्थिति, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट या अभिहित पोर्टल से संबंधित किसी तकनीकी मुद्दे के कारण व्यथित हैं, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
- (2) व्यथित पक्ष द्वारा उप विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन राय या निर्णय की तारीख से 7 दिन के भीतर दाखिल किया

जाएगा।

- (3) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।
- (4) यदि व्यथित पक्ष 15 दिन की नियत अवधि के भीतर उपयुक्त प्रत्दुत्तर प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह उक्त प्रत्दुत्तर की प्राप्ति से 48 घंटे के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को लिखेगा। जिस पर प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर विचार किया जाएगा।
- (5) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामलों में, अपील उप विनियम (2) में नियत समय सीमा के भीतर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी और प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।
- **63. शिथिल करने की शक्ति और निर्वचन** (1) किसी मामले या मामलों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने तथा छूट प्रदान करने की शक्ति प्राधिकरण की शिथिलता समिति के पास होगी।
- (2) प्राधिकरण की शिथिलता सिमिति की अध्यक्षता प्राधिकरण की संचालन सिमिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसके दो सदस्य होंगे, इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संचालन सिमिति का कोई सदस्य जिसे विधि का अनुभव हो।
- (3) प्राधिकरण की शिथिलता समिति का कोई भी निर्णय आम तौर पर किसी भावी दत्तक माता-पिता की ज्वेष्ठता को परिवर्तित नहीं करेगा, जब तक की लिखित रूप में कारण अभिलिखित न किए गए हों और मुख्य वजह बालक का सर्वोत्तम हित न हो।
- (4) इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में किसी संदिग्धता के मामले में प्राधिकरण का विनिश्चय अभिभावी होगा।

अध्याय- 8

बालक को विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाले माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तक बालकों के लिए प्रक्रिया

- 64. यह अध्याय लागू होगा
 - (क) देश के बाहर निवास करने वाले दत्तक माता-पिता हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन दत्तकग्रहण के मामलों पर; और
 - (ख) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों से संबंधित दत्तकग्रहण के सभी मामलों पर।
- 65. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन प्रोसेस करने के लिए अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए आवेदनों को रजिस्ट्रीकृत करेगा।
- 66. विनियम 67, 68, 69, 70 और 71 में निर्दिष्ट प्रक्रिया को ऐसे अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया के रूप में निर्धारित की गई है जो देश के बाहर रहते हैं और हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन भारत से किसी बालक को दत्तकग्रहण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- 67. रिजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के मामले में प्रक्रिया- (1) ऐसे मामलों में जहां हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अनुसरण में दत्तकग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के प्रारंभ होने से पूर्व दत्तकग्रहण विलेख निष्पादित किया जा चुका है, दत्तकग्रहण विलेख के तथ्यों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों को जिला मिजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाएगा और अनुसूची 35 में उपलब्ध रूपविधान में संस्तुत किया जाएगा।

(2) अनुसूची 35 के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्राप्तकर्ता देश से अनुचृछेद 5 या 17 के उपबंधों का पालन करेगा।

(3) ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अंतर्गत न आने वाले देशों के मामले में, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण सरकारी विभाग से उक्त दत्तकग्रहण का एक स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर एक समर्थन पत्र जारी करेगा।

68. अंतरदेशीय दत्तकग्रहण की प्रक्रिया-

- (1) 17 सितंबर, 2021 के बाद शुरू किए गए मामलों में, पात्र अनिवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, जो भारत से दत्तकग्रहण किए गए बालक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, द्वारा हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संचालित सभी अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए निम्नलिखित मानक सामान्य प्रक्रिया लागू होगी।
- (2) कोई हिंदू भावी दत्तक माता-पिता जो स्वाभाविक रूप से विदेश में रहता है और भारत में रहने वाले भारतीय हिंदू माता-पिता से जन्मे किसी भारतीय हिंदू बालक का दत्तकग्रहण करना चाहता है, हेग अनुसमर्थित देशों के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण और गैर हेग देशों के मामले में संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
- (3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या स्वाभाविक निवास के उनके देश में संबंधित सरकारी विभाग,पात्र और उपयुक्त भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन को केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रायोजित करेंगे।
- (4) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या प्राप्तकर्ता देश के सरकारी विभाग से माता-पिता के बारे में प्राप्त प्रायोजकता पत्र और अन्य यथापेक्षित सूचना को जिला बालक संरक्षण ईकाई और उस जिले के मैजिस्ट्रेट के साथ साझा करेगा जहां बालक स्वाभाविक रूप से रह रहा है।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट, पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कराएगा जिसमें जैविक माता-पिता और दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक से संबंधित सभी अपेक्षित दस्तावेज शामिल होंगे और यह रिपोर्ट **अनुसूची 21** और **अनुसूची 36** में यथा उपबंधित के अनुसार जिला बालक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से तैयार की जाएगी।
- (6) पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अनुच्छेद 5 या 17 (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले देश) के अधीन आवश्यक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उनके स्वाभाविक निवास के देश में संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

69. दत्तकग्रहण प्रक्रिया-

- (1) हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम,1956 (1956 का 78) के अधीन संचालित दत्तकग्रहण के पक्षकार जिला मजिस्ट्रेट को प्रति के साथ जिले के उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय को दत्तकग्रहण विलेख संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (2) विलेख की ऐसी प्रति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जांच कराएंगे जिसे वे उपयुक्त समझे तािक वह संतुष्ट हो सकें कि हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के सभी उपबंधों और विनियमों के अधीन निबंधनों का पालन किया गया है और ऐसी जांच 30 दिन की अविध के भीतर पूरी की जाएगी।
- (3) यदि जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन के भीतर जांच को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो वह सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ 30 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रदान करने में असमर्थता के कारण बताने के लिए बाध्य होंगे और पक्षकार आवेदन के ब्यौरों को उपादर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन संबंधित उप रजिस्ट्रार के पास दत्तकग्रहण विलेख रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं और यह कि जिला मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट उप विनियम (2) में संदर्भित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है।

- (4) इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट अनुसूची 36 में उपलब्ध जांच सूची के साथ अनुसूची 35 में दिए गए रूपविधान में सत्यापन प्रामाणपत्र केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अग्रेषित करेंगे जिसमें निम्नलिखित का सत्यापन किया जाएगा-
- (क) दत्तकग्रहण विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम 1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जिसमें बालक का स्रोतन, दत्तक माता-पिता की पात्रता और उपयुक्तता शामिल हैं:
- (ख) दत्तक बालक या जैविक माता-पिता दत्तकग्रहण में बालक को देते समय किसी दबाव में नहीं हैं।
- (ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षों की आपसी सहमति से हुआ है।
- (घ) दत्तकग्रहण प्रक्रिया में कोई मौद्रिक पहलू शामिल नहीं है और दत्तकग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित में है।

70. अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना–

- (1) अंदरदेशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथाउपबंधित प्राप्तकर्ता देश से अनुच्छेद 5 या 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख और आवश्यक अनुज्ञप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, अभिसमय के अनुच्छेद 17 (ग) के अधीन हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (2) ऐसे देशों के मामले में जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर हैं, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा एक समर्थन पत्र जारी किया जाएगा।
- 71. दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्तन– विच्छिन्न या गैर समाधान के मामलों में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथा उपबंधित प्राप्तकर्ता देश में उपलब्ध बाल संरक्षण सेवाओं के अनुसार बालक का पुनर्वास किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं.	अनुसूची संख्या	विषय
1.	अनुसूची 1	बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र।
2.	अनुसूची 2	बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)
3.	अनुसूची 3	बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट और विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण।
4.	अनुसूची 4	संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच और विकासात्मक उपलब्धि-चरण
		के लिए चेतावनी-संकेत
5.	अनुसूची 5	अभ्यर्पण का विलेख।
6.	अनुसूची 6	ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रारूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची।
7.	अनुसूची 7	निवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में
		निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट।
8.	अनुसूची 8	दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण वचनबद्धता।
		(शपथपत्र के रूप में)
9.	अनुसूची 9	जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भरे जाने वाले दस्तावेजों (अभिप्रमाणित अथवा नोटरी
		द्वारा सत्यापित) की सूची

10.	अनुसूची 10	अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11.	अनुसूची 11	पुष्टि प्रमाण-पत्र।
12.	अनुसूची 12	बालक की दत्तकग्रहण-पश्चात् रिपोर्ट।
13.	अनुसूची 13	विशिष्ट दत्तकगहण अभिकरणों में बालक देखरेख के मानक।
14.	अनुसूची 14	संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा।
15.	अनुसूची 15	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्थाओं द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क और उनका उपयोग।
16.	अनुसूची 16	पोषण देख रेख एवं दत्तक ग्रहण।
17.	अनुसूची 17	देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के लिए समर्थन पत्र।
18.	अनुसूची 18	दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और अनुसूची- 3 के भाग ड़के अनुसार उपबंधित की गई अनुसूची के अनुसार माना जाएगा]
19.	अनुसूची 19	देश के भीतर नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति
20.	अनुसूची 20	किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमित प्राप्त करने के लिए जैविक माता/पिता के साथ-साथ सौतेले माता या पिता की सहमित।
21.	अनुसूची 21	बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
22.	अनुसूची 22	बालक के रिश्तेदार द्वारा उसके दत्तकग्रहण के लिए उसके अविभावक द्वारा दी गई सहमति पर बाल कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों अथवा सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)।
23.	अनुसूची 23	बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में जिला मजिस्ट्रेट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
24.	अनुसूची 24	देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण की दशा में, विनियम 54 के उप-विनियम 4 के अनुसार अपनी वित्तीय और सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में भावी दत्तक – ग्राही माता-पिता का शपथपत्र
25.	अनुसूची 25	देश के भीतर रिश्तेदार या सौतेल माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के दशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र।
26.	अनुसूची 26	विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन।
27.	अनुसूची 27	देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का प्रारूप।
28.	अनुसूची 28	अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक (बालकों) के मामले में देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन।
29.	अनुसूची 29	अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
30.	अनुसूची 30	देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
31.	अनुसूची 31	रिश्तेदार द्वारा अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।

1.

32.	अनुसूची 32	सौतेले और जैविक माता व पिता द्वारा बालक/ बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
33.	अनुसूची 33	दत्तकग्रहण आदेश का प्रारूप।
34.	अनुसूची 34	दत्तकग्रहण विघटन आदेश का प्रारूप।
35.	अनुसूची 35	हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के मामले में सत्यापन प्रमाणपत्र।
36.	अनुसूची 36	हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट

अनुसूची 1 [विनियम 2(5), 6(13) और 7(17) देखें]

बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 की धारा 38 के अधीन बालक कल्याण समिति में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस समिति के दिनांक के आदेश सं द्वारा (ताम और पता) नामक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था की देखरेख में रखा गया बालक (लंग (लड़का या लड़की या अन्य), जन्तिथि को निम्नलिखित के आधार पर दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है:	ī. ब्र
परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या कोई अन्य (यथास्थिति) की जाँच रिपोर्ट	
बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस समिति के समक्ष (तारीख) को निष्पादित किया गया अभ्यर्पण विलेख;	
चि संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई और बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत कि गई इस आशय की घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40, इसके अधीन विरचित नियमों और दत्तकग्रहण विनियमनों के अधीन यथापेक्षित प्रत्यावर्तन प्रयास कर लिए हैं लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक किसी ने भी बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक होने का दावा करने के लिए अभिकरण से पहुंच नहीं की है;	т
अधिक आयु के बालक की सहमति, यदि लागू हो।	
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि:	
जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक से, जहां कहीं उपलब्ध हैं, परामर्श किया गया है और उन्हें बालक य बालकों के दत्तकग्रहण में स्थानन, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाएगा, सहित उनकी सहमति के प्रभावों की सम्यक जानकारी दे दी गई है।	
जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक ने अपेक्षित प्ररूप में स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति दी है और यह सम्मति संदाय करके या किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देकर प्राप्त नहीं की गई है और माता ने अपनी सम्मति (जहाँ लाहिं) बालक के जन्म के बाद ही दी है।	

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देख रख संस्था जिसे उक्त बालक सौंपा गया है, अभिहित पोर्टल में बालक के फोटो और अन्य आवश्यक ब्यौरे डलवाने की व्यवस्था करेगा/करेगी।

[टिप्पण: उन बॉक्स(सों) को काट दें, जो इस मामले में सुसंगत नहीं हैं।

[टिप्पण: सहोदर या जुड़वा बालकों के मामले में नातेदारी का उल्लेख करते हुए एक ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा|]

[टिप्पण: बालक के सर्वोत्तम हित में दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित जिला बालक संरक्षण ईकाई, जैसा भी मामला हो, को अभिहित पोर्टल पर बालक का फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी संक्षिप्त जीवनी डालने की अनुमित है।]

बालक का फोटो

बाल कल्याण समिति तारीख और स्थान समिति के किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर, तारीख और मुहर

प्रेषित: विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को यह प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल पर डालने के लिए

अनुसूची 2 [विनियम 2(6), 6(15), 7(18), 61(5)(क) और 61(6)(क) देखें] बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)

अभिहित पोर्टल पर बालक की रजिस्ट्रीकरण सं.;

आधार कार्ड सं.:

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था का नाम:

[बालक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट में दस्तावेजों पर आधारित उसकी पहचान संबंधी जानकारी शामिल होगी। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद यथाशीघ्र बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।]

बालक का फोटो

(क). सामान्य सूचना:

- 1. बालक का नाम (जो नाम जैविक माता या माता-पिता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था या बालक कल्याण समिति द्वारा दिया गया हो)
- 2. वर्तमान आयु और जन्म की तारीख:
- 3. लिंग:
- 4. जन्म का स्थान:
- 5. धर्म (यदि पता हो):
- 6. बालक का प्रकार: अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित
- 7. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था में बालक के प्रवेश की तारीख:
- 8. बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख:
- 9. बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख:

(ख). सामाजिक आंकड़े:

कृपया बालक के जैविक माता-पिता की पहचान संबंधी जानकारी न दें।

- 1. आपकी संस्था में बालक कैसे आया?
 - (क) सीधे माता-पिता या किसी अन्य संरक्षक ने उसे संस्था में प्रवेश दिलाया:
 - (ख) सीधे बालक कल्याण समिति ने रखा:
 - (ग) किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर आया, यदि हाँ तो उस संस्था का नाम:
 - (घ) कोई अन्य स्रोत:
- 2. संस्था से संरक्षण मांगने के कारण:
- 3. अन्य बालकों के प्रति बालक का रुख, यदि लागू हो:
- 4. कर्मचारीवृंद और अपरिचितों सहित अन्य वयस्कों के प्रति बालक का व्यवहार और संबंध:
- 5. सामान्य बुद्धिमता:
- 6. यदि बालक का स्कूल में नामांकन है, तो उसकी कक्षा, उपस्थिति, अध्ययन में उसकी साधारण रूचि, प्रगति, यदि कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट दें:
- 7. बालक का साधारण व्यक्तित्व और रूप-रंग का वर्णन:
- 8. खेलकूद क्रियाकलाप और कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभा: बालक की विकासात्मक उपलब्धियाँ (18 मास से कम आयु के बालकों के संबंध में)| कृपया हाँ या ना में बताएं (आयु अनुकूल पर आधारित)।

कृपया बतायें की बालक:-

- (क) मुस्कराता है
- (ख) अपने दोनों तरफ घूमता है
- (ग) अपना सिर उठाता है
- (घ) वस्तुओं को अपने हाथों से पकड़ता है

- (ङ) अपने-आप से सरकता है
- (च) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए बैठता है
- (छ) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए खड़ा हो जाता है
- (ज) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए चलता है
- 9. आहार संबंधी आदतें:
 - (क) तरल खाद्य लेता है:
 - (ख) अर्ध-ठोस खाद्य लेता है:
 - (ग) ठोस खाद्य लेता है:
- 10. विकासात्मक मूल्यांकन (बोली जाने वाली भाषा, व्यवहार, बुनियादी खेल कौशल, शारीरिक कार्यकलाप और संचार और सामाजिक कौशल आदि):
- 11. सामाजिक पृष्ठभूमि: (इसमें बालक का सामाजिक इतिवृत्त अर्थात् उसके जैविक माता-िपता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वे परिस्थितियों जिनके कारण उस बालक का अभ्यर्पण या त्याग करना आवश्यक हो गया, शामिल होनी चाहिए। कृपया जैविक माता-िपता या उनके रिश्तेदारों की पहचान दर्शाने वाली नाम व पते जैसी सूचना न दें।)
- 12. मैं_...... सामाजिक कार्यकर्ता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स या बालक देखरेख संस्था का अधीक्षक प्रमाणित करता/करती हूँ कि बालक के विषय में इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है।

नाम और हस्ताक्षर

सामाजिक कार्यकर्ता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की कर्मचारी नर्स या बालक देखरेख संस्था के अधीक्षक

हमने बाल अध्ययन रिपोर्ट की विषय वस्तु पढ़ और समझ ली है और हम को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर) (स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)

(पुरुष आवेदक का नाम) (स्त्री आवेदक का नाम)

स्थान और तारीख: स्थान और तारीख:

अनुसूची 3

[विनियम 2(16), 2(25), 6(15), 7(18), 8(2), 36(9), 37, 51(4), 61(5)(क) और 61(6)(क) देखें] बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट और उसकी विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण [भाग-क को सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स या बालक देखरेख संस्था के अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, द्वारा भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु एक वर्ष से कम है तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी बालक को अनुसूची 18 और चिकित्सा जांच रिपोर्ट के भाग ङ में उपबंधित विशेष आवश्यकताओं वाला पाया जाता है, तो जांच करने वाले चिकित्सक को मामले को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करना होगा।]

अभिहित पोर्टल पर बालक की रजिस्ट्रीकरण संख्या: स्वास्थ्य की स्थिति: सामान्य / विशेष आवश्यकताओं वाले बालक प्रवेश की तारीख: विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का ताम:

बालक देख रेख संस्था का नाम:

अस्वीकरण -

थैलेसीमिया वाहक और सिकल सेल विशेषक: थैलेसीमिया की वाहक अवस्था वाले बालक लक्षणिवहीन होते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया से ग्रस्त अवयस्क बच्चों को शायद ही कभी रक्त आधान की आवश्यकता होती है। सिकल सेल विशेषक बालकों में हेमटोलॉजिकल अप्रसामान्यताएं नहीं होती हैं और आरबीसी की सिकलिंग अधिक ऊंचाई वाले स्थान और कम ऑक्सीजन दबाव के संपर्क में आने पर शायद ही कभी हो सकती है (केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता के आकलन संबंधी दिशानिर्देश, 2018, खंड 29.6 और 37.3)।

उच्च जोखिम वाले शिशु और बालक: जन्म के समय श्वासावरोध, जन्मगत हाइपरिबलीरुबिनिमया, जन्मगत सेप्सिस, हाइपोग्लाइकेमिया, समय-पूर्व प्रसव से जुड़ी जिटलताएं जैसे रेस्पाइरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज आदि जैसी प्रसवकालीन प्रतिकूल अवस्थाओं के इतिवृत्त वाले बालकों में विकासात्मक उपलब्धि-चरण की प्राप्ति में देरी, मिर्गी, न्यूरोमोटर विकृति और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताएं होने का खतरा रहता है। अतः, इन बालकों को उचित निदान और समग्र प्रबंधन के लिए विस्तृत स्नायु-विकासात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

हेपेटाइटिस बी: विभिन्न होस्ट जीनोम, वायरल स्ट्रेन और होस्ट-वायरल इंटरैक्शन वाले व्यक्तियों के बीच हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण की नैदानिक अविध भिन्न-भिन्न होती है। एचबीवी दूषण की आयु जितनी पहले होगी, आजीवन संक्रमण के परिणाम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में एचबीवी संक्रमण में 90% मामले प्रसवकालीन संक्रमण के होते हैं। जीर्ण एचबीवी संक्रमित व्यक्तियों की अवयस्कता (10%) को एचबीएसएजी सेरोकोनवर्जन होगा, और जीर्ण संक्रमित अवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे रोगियों में से अधिकांश सामान्य एलानिन एमिनोट्रांस्फरेज (एएलटी) स्तरों के साथ चिकित्सकीय रूप से लक्षणिवहीन हो सकते हैं, लेकिन इनमें उच्च वायरल लोड और एचबीईएजी की उपस्थिति होती है। अधिकांश रोगियों में, एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन अपने एंटीबॉडी (एंटी-एचबीई) के लिए किशोर अवस्था के दौरान या बाद में होता है, जो सिक्रय वायरल प्रतिकृति और हेपेटाइटिस एक्टिवटी में कमी का संकेत देता है। निरंतर उच्च विरेमिया के साथ विलंबित एचबीईएपीजी सेरोकोनवर्जन, जीवन के 4 दशक के बाद लीवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विकसित होने का एक उच्च जोखिम को इंगित करता है। जीर्ण एचबीवी से संक्रमित 10-25% वयस्कों को एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन के बाद एचबीईएजी नकारात्मक हेपेटाइटिस हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जो देर से एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन का अनुभव करते हैं और जिनमें लीवर सिरोसिस और एचसीसी का वृद्धिशील आजीवन जोखिम होता हैं।

हेपेटाइटिस सी: हालांकि शैशवावस्था के दौरान हुए एचसीवी संक्रमण के एक वयस्क के रूप में हुए संक्रमण की तुलना में तत्काल ठीक होने की अधिक संभावना होती है, फिर भी लगभग 80% व्यक्ति कालानुक्रमिक रूप से संक्रमित रहते हैं। जो बालक एक वर्ष की आयु के दौरान और बाद में एचसीवी आरएनए पीसीआर से संक्रमित रहे, उनके स्वास्थ्यलाभ की संभावना कम थी। जीर्ण एचसीवी वाले वयस्कों की तरह, बाल रोगियों में यकृत की फाइब्रोसिस आयु के साथ बढ़ने लगती है, जो धीरे-धीरे वृद्धिशील हिस्टोलॉजिक क्षति का संकेत देती है। बाल्यावस्था में सिरोसिस की प्रगति अत्यंत बहुत ही नाममात्र होती है।

एचआईवी: एचआईवी के जोखिम वाले सभी शिशुओं को ड्राइड ब्लड स्पॉट (डीबीएस) में एचआईवी डीएनए पीसीआर कराना चाहिए। यदि डीबीएस एचआईवी के लिए सकारात्मक है, तो पूरे रक्त का परीक्षण किया जाना चाहिए। छह से अठारह माह की आयु के बालकों में, एलिसा द्वारा एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण के बाद एचआईवी के लिए डीबीएस परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि पॉजीटिव पाया जाता है, तो सम्पूर्ण रक्त में डीएनए पीसीआर किया जाना चाहिए और अट्ठारह माह के बाद पृष्टि के लिए एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण कराया जाना चाहिए (नाको दिशानिर्देश, 2-16)।

भाग क. साधारण जानकारी

[भाग 'क' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें]

1. बालक का नाम	۱.
----------------	----

- 2. लिंग:
- 3. जन्म की तारीख:
- 4. जन्म-स्थान:
- 5. राष्ट्रीयता:
- 6. वर्तमान संस्था का नाम: कब से इस संस्था में है:
- 7. जन्म के समय भार (किलोग्राम):
- 8. वर्तमान भार (किलोग्राम):
- 9. सिर की परिधि (सेंटीमीटर):
- 10. सिर की वर्तमान परिधि (सेंटीमीटर):
- 11. जन्म के समय लंबाई (सेंटीमीटर):
- 12. वर्तमान में लंबाई (सेंटीमीटर):
- 13 क्या गर्भावस्था और प्रसव सामान्य थे?
- 14. एपीजीएआर स्कोर, यदि लागू हो:
- 15. न्यूरोइमेजिंग संलग्न है या नहीं:
- 16. प्रवेश से पहले बालक कहाँ रहा है?

 क. अपनी माँ के पास:
 से
 तक

 ख. नातेदारों के पास:
 से
 तक

 ग. निजी देखरेख में:
 से
 तक

 घ. संस्था या अस्पताल में:
 से
 तक

(कृपया संबंधित संस्था या संस्थाओं के नाम आगे दर्शाएं)

टिप्पण: नवजात बालकों की दशा में, **अनुसूची 4** में यथाउपबंधित विभिन्न आयु वर्गों के लिए चिकित्सा जाँच देखें।

सामाजिक कार्यकर्ता अथवा परामर्शदाता अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स अथवा बालक देख रेख संस्था का अधीक्षक [स्टॉफ का नाम और पदनाम, हस्ताक्षर और तारीख]

भाग ख. चिकित्सा ब्यौरा

[भाग 'ख' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु 1 वर्ष से कम हो, तो बालक की जांच बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। विनियमों की अनुसूची 4 में यथा उपबंधित विभिन्न आयु समूहों के लिए चिकित्सा जांच अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए]

- 1. क्या अतीत में बालक को कोई रोग हुआ है? (हाँ या नहीं या अज्ञात)
 - क) रोग का नाम:
 - ख) निदान के समय बालक की आयु (माह):
 - ग) अभ्युक्तियां (कोई जटिलताएं):
- 2. क्या बालक को निम्नलिखित रोग से बचाव के टीके लगाए गए हैं? हाँ या नहीं या अज्ञात

टीकाकरण के ब्यौरे:

तपेदिक (बी.सी.जी.) टीका लगने की तारीख: डिप्थीरिया टीका लगने की तारीख: टीका लगने की तारीख: टिटनेस खों-खों कर खाँसना (वूफींग कफ) टीका लगने की तारीख: पोलियो दवा पिलाने की तारीख: टीका लगने की तारीख: हैपेटाइटिस ए हैपेटाइटिस बी टीका लगने की तारीख: टीका लगने की तारीख: एमएमआर (खसरा)

3. बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें (यदि संभव हो)।

i. दृष्टि बालक कब निश्चित करने में समर्थ हुआ?

ii. श्रवण संबंधी बालक कब आवाज सुनकर अपना सिर घुमाने में समर्थ हुआ?

iii. शारीरिक बालक कब अपने-आप बैठने में समर्थ हुआ?

iv. भाषा

v. संपर्क

vi. भावात्मक

बालक कब सहारा लेकर खड़ा होने में समर्थ हुआ? बालक बिना सहारा लिए कब चला? बालक ने अस्पष्ट तरीके से बोलना कब शुरू किया? बालक ने एक-एक शब्द बोलने कब शुरू किए? बालक ने वाक्य बोलने कब शुरू किए? बालक ने मुस्कराना कब शुरू किया? बालक वयस्कों और अन्य बालकों से के साथ कैसे संवाद करता है?

बालक अजनबियों को देखकर किस प्रकार व्यवहार करता है? बालक अपनी भावनाएं (क्रोध, बेचैनी, निराशा, प्रसन्नता) किस प्रकार दर्शाता है?

भाग ग - चिकित्सा परीक्षा का ब्यौरा:

[भाग 'ग' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें।

- 1. चिकित्सा जांच की तारीख
- 2. बालों का रंग:
- 3. आखों का रंग:
- 4. त्वचा का रंग:
- बालक की पूर्ण नैदानिक जांच के आधार पर मैंने रोग, विकृति या अप्रसामान्यताओं के निम्नलिखित साक्ष्य पाए हैं (यदि लागू हो):
 - क) सिर (खोपड़ी का आकार, हाइड्रोसेफलस; क्रैनियोटेब्स; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
 - ख) मुँह और ग्रसनी (हेअरलिप या क्लैफ्ट पेलेट, दाँत; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
 - ग) आँखें (दृष्टि, भैंगापन, संक्रमण; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
 - घ) कान (संक्रमण, बहना, कम श्रवण-शक्ति, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):
 - ङ) श्रवण श्रमता जांच निम्नलिखितम में से कम-से-कम एक जांच अनिवार्य है:
 - क. ओटोकोउस्टिक एमीशन (ओएई):
 - ख. ब्रेनस्टेम इवोक्ड रेस्पांस ओडियोमीट्री (बीईआरए):
 - च) चेहरे की कोई विकृति? यदि हां, तो विवरण दें
 - छ) छाती के अंग (हृदय, फेफड़े, कोई अन्य, कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - ज) लिम्फेटिक ग्लैंड (ऐडेनाइटिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - झ) उदर (हर्निया, यकृत, स्पलीन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - ञ) जननांग (हाइपोस्पैडिया, अंडकोष अवरोधन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - ट) स्नायुविकास-संबंधी विकार (मेनिनजाइटिस; एंसेफेलाइटिस; मिर्गी; प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी); कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - ठ) रीढ़ (काइफोसिस, स्कोलियोसिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
 - ड) एक्सट्रीमिटी (पेस एक्रिनस, बैल्गस, वेरस, पेस कैल्केनियोवेरस, फ्लेक्सेशन ऑफ हिप, स्पैस्टिसिटी, पेरेसिस;

कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

- ढ) त्वचा (एक्ज़िमा, संक्रमण, परजीबी; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)
- ण) अन्य रोग:

6. परीक्षण

(क) तपेदिक के कोई लक्षण?

तपेदिक के परीक्षण के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ख) हेपेटाइटिस बी के कोई लक्षण?

एचबीएस एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एचबीई एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबीई के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ग) सिफिलिस के कोई लक्षण हैं?

सिफिलिस के रिएक्शन के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या रिएक्शन नहीं किया गया

वीडीआरएल टेस्ट का परिणाम:

टिप्पणी:

(घ) पीलिया या रक्ताधान का कोई पिछला रिकोर्ड?

एचबीएसएजी की जांच का परिणाम (तारीख और वर्ष)?

यदि पॉजीटिव है, क्या विशेषज्ञ से परामर्श किया गया (हां/नहीं, तारीख और वर्ष); और कोई आगे जांच कराई गई / उपचार कराया गया (दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)

- 7. अनिवार्य परीक्षण अथवा मूल्यांकन रिपोर्टे (विनियमों की अनुसूची 4 में उपबंधित)। यदि इनमें से कोई जांच परीक्षण अप्रसामान्य हैं, तो अतिरिक्त पृष्टिकरण परीक्षण और विशेषज्ञ की राय अनिवार्य होगी।
 - (क) एचआईवी
 - (ख) क्या मृत्र में:
 - i. शर्करा?
 - ii. एल्ब्यूमेन?
 - iii. फेनिल्कीटोन है?
 - (ग) मल (अतिसार, कब्ज):

परजीवियों का परीक्षण: सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(घ) क्या बालक में कोई विकासात्मक देरी या अंसगतियां या स्नायु-व्यावहरात्मक या स्नायु-विकासात्मक विकार हैं?

- (ङ) बालक की विकासात्मक स्थिति और दिन-प्रतिदिन की जीवन-यापन गतिविधियों का विवरण दें।
- (च) कोई और टिप्पणियां?

टिप्पण:

एक वर्ष से तीन वर्ष और तीन वर्ष से अधिक की आयु के लिए अनुसूची 4 में यथाउपबंधित चिकित्सा जांच देखें।

भाग घ. विकासात्मक उपलब्धियों का ब्यौरा

[भाग 'घ' को विधिवत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। जहाँ कहीं अपेक्षित हो, वहाँ विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक, स्पीच थेरपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाए]

कृपया प्रत्येक शीर्ष पर निर्णय दें:-

- 1. खिलौनों के साथ कार्यकलाप (आयोनुकूल यथा लागू):
 - क) बालक की नज़र अपने सामने चलते फिरते झुनझुनों या खिलौनों का पीछा करती है।
 - ख) बालक किसी झुनझुने को पकड़ता है।
 - ग) बालक झुनझुनों से खेलता है(उसे अपने मुँह में डालता है, हिलाता है, एक से दूसरे हाथ में लेता है, आदि)।
 - घ) बालक क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर रखता है।
 - ङ) बालक प्रयोजन के ढंग से खिलौनों से खेलता है (कारों को धकेलता है, गुड़ियाओं को बिस्तर पर रखता है, गुड़ियाओं को खिलाता-पिलाता है, आदि)।
 - च) बालक खिलौनों और अन्य बालकों के साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है।
 - छ) बालक मानवों और पशुओं के चेहरों की स्पष्ट आकृतियाँ बनाता है।
 - ज) बालक अन्य बालकों के साथ व्यवस्थित खेल (गेंद वाले खेल, कार्ड वाले खेल आदि) खेलता है।
- 2. उच्चारण या भाषा विकास (आयोनुकूल यथा लागू):
 - क) बालक देखरेखकर्ता के साथ बातें करता है।
 - ख) बालक विभिन्न स्वर-व्यंजनों को दोहराता है (बा-बा, दा-दा, मा-मा आदि)।
 - ग) बालक अपनी आवश्यकताओं के संचार के लिए एक-एक शब्द का उपयोग करता है।
 - घ) बालक वाक्य बोलता है।
 - ङ) बालक पूर्वसर्ग को समझता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
 - च) बालक पूर्वसर्ग का प्रयोग करता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
 - छ) बालक भूतकाल में बात करता है।
 - ज) बालक अपना नाम लिख लेता है।
 - झ) बालक सरल शब्द पढ़ लेता है।
 - ञ) बालक एक ही शब्द या वाक्यांश को बार-बार दोहराता है।
 - ट) कोई अन्य प्रेक्षण।
- 3. शारीरिक विकास (आयोनुकूल यथा लागू):
 - क) किस आयु से बालक अपनी पीठ से घूमकर अपने पेट के बल लेट पाता है: ____
 - ख) किस आयु से बालक बिना सहारे के बैठ पाता है: ____
 - ग) किस आयु से बालक आगे की ओर सरक या हिल पाता है: ____

- घ) किस आयु से बालक फर्नीचर के सहारे से चल पाता है: ____
- ङ) किस आयु से बालक बिना सहारे के स्वयं चल पाता: _ ___
- च) किस आयु से बालक सहारे लेकर सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है:
- छ) किस आयु से बालक बिना सहारे के सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है: _____
- 4. वयस्कों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):
 - क) बालक अपने जाने पहचाने देखरेखकर्ता के संपर्क में मुस्कराता है।
 - ख) बालक को जब उसका जाना-पहचाना देखरेखकर्ता थाम लेता है तो वह आसानी से शांत हो जाता है।
 - ग) जब बालक का जाना-पहचाना देखरेखकर्ता कमरे से जाता है तब वह बालक रोता है या उसके पीछे-पीछे जाता है।
 - घ) बालक जब परेशान हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तब वह अपने जाने-पहचाने देखरेखकर्ता को ढूंढता है।
 - ङ) बालक वार्ड में आने वाले सभी वयस्कों को संपर्क करना चाहता है।
 - च) बालक देखरेखकर्ता को अपनी भावनाएं शब्दों में संचारित करता है।
- 5. अन्य बालकों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):
 - क) बालक अन्य बालकों के कार्यकलाप देखकर या उन पर मुस्कराकर उनमें अपनी रूचि दर्शाता है।
 - ख) बालक अन्य बालकों के साथ खेलकर प्रसन्न होता है।
 - ग) बालक अन्य बालकों के साथ क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करता है।
- 6. कार्यकलापों का साधारण स्तर:
 - क) सक्रिय
 - ख) अत्यधिक सक्रिय
 - ग) अधिक सक्रिय नहीं
- 7. साधारण मनोदशा:
 - क) शांत
 - ख) भावात्मक रूप से उदासीन
 - ग) उत्पाती, शांत करना कठिन है
 - घ) प्रसन्न, संतुष्ट
- 8. बालक का समग्र प्रेक्षण:
- 9. बालक के स्वास्थ्य की प्रास्थिति:
 - (क) यदि सामान्य, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें
 - (ख) यदि बालक के अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजें।

जांच करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या

मुहर

तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _____ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर) (स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर) (पुरुष आवेदक का नाम) (स्त्री आवेदक का नाम)

तारीख: तारीख:

स्थान: स्थान:

भाग ङ- विशेष जरूरतों संबंधी स्थिति

[भाग ङ को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। एक वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में, जिला अस्पताल के बालरोग विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। जिन बालकों में ऐसी किमयां हैं जो उपचारयोग्य और साध्य हैं, उनका उपचार किया जाएगा और बालक को तदनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बालक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:]

क्या बालक इनमें से किसी भी स्थिति के अंतर्गत आता है? [कृपया जहां लागू हो √ का चिह्न लगाएं]

1. शिशु (जन्म से 12 माह), जिनके निरीक्षण की आवश्यकता है:

प्रतिकूल प्रसवकालीन मामलों - उदाहरण के लिए जन्मगत श्वासावरोध, जन्मगत पांडु रोग, जन्मगत सेप्सिस, निम्न रक्त शर्करा, समय से पूर्व प्रसव से जुड़ी जिंटलता और जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) आदि के इतिवृत्त वाले शिशु स्नायुविकासात्मक विकारों, न्यूरोमोटर अवस्था, मिर्गी और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताओं के विकास के जोखिम पर होते हैं। निदान और आगे के प्रबंधन के लिए इन शिशुओं को गहन अनुवर्तन और निरीक्षण की आवश्यकता है। उन्हें विकास में देरी, शरीर में अकड़न या ऐंठन और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वे कम (बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

- (क) निम्नलिखित के इतिवृत्त वाले शिशु:
 - i. आनुवंशिक श्वासावरोध:
 - ii. आनुवंशिक सेप्सिस:
 - iii. पैथोलॉजिकल:
 - iv. आनुवंशिक हाइपोग्लाइसीमिया:
- (ख)जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) जहां उपलब्ध हो, या एसएए में स्थानन के समय वजन या:
- (ग) समय-पूर्व जन्म (बत्तीस सप्ताह से कम) जहां उपलब्ध हो या एसएए में स्थानन के समय निर्धारणीय हो:

अस्पताल से छुट्टी मिलने का विस्तृत सारांश (यदि उपलब्ध हो)

टिप्पण: निरीक्षण की आवश्यकता वाले शिशुओं की यह श्रेणी 1 का वर्गीकरण अस्थायी विशेष जरूरतों की श्रेणी में किया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से जीवन के पहले वर्ष के भीतर समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति के बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इनमें से बहुत-से आम तौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।

2. न्यूरोमोटर स्थितियां:

ये अप्रसामान्यताएं, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या स्नायुतंत्र को नुकसान के परिणामस्वरूप होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चाल और मुद्रा से संबंधित समस्याएं होती हैं। ये स्थितियां हल्की से लेकर गंभीर अकड़न या एक या अधिक अंगों और धड़ के ढीलेपन तक होती हैं। अकड़न या ढीलेपन के कारण इन बच्चों की मुद्रा और चाल असामान्य हो सकती है। वे हल्के रूप में प्रभावित (उदाहरण के लिए टखने की अकड़न) से लेकर गम्भीर रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता) हो सकते हैं। वे दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- (क) मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी):
- (ख) मांसपेशीय विकास का न होना (मस्क्यूलर डिसटोफी):
- (ग) वंशानुगत या एक्वायर्ड न्यूरोपैथी:
- (घ) रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष (स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी) :
- (ङ) न्यूरोपीडियाट्टिक रिपोर्ट:

3. स्नायुविकास संबंधी विकार:

ये मस्तिष्क या केंद्रीय स्नायु तंत्र की वृद्धि और विकास की विकृति होती है। इसमें विकासात्मक मस्तिष्क की शिथिलता शामिल हो सकती है, जो न्यूरोसाइकिएट्रिक समस्याओं या सीखने की समस्याओं, भाषा, गैर-मौखिक संचार आदि के रूप में प्रकट हो सकती है। वे हल्के रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित (जैसे बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता, गंभीर बौद्धिक अक्षमता, गंभीर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार आदि) हो सकते हैं।

- (क) बौद्धिक अक्षमता:
- (ख) अधिगम अक्षमता:
- (ग) ऑटिज्म स्पेक्ट्म विकार:
- (घ) मनोयोग अभाव अतिक्रियाशीलता विकार (एटेन्शन डिफेसिट हाइपरएक्टीविटी विकार):

नैदानिक या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा मूल्यांकन के साथ औपचारिक विकासात्मक उपलब्धि और बौद्धिक उपलब्धि रिपोर्ट:

4. कंकालीय अथवा अस्थि संबंधी स्थिति:

इनमें जन्मजात विसंगतियों जैसे अंग की अनुपस्थिति से उत्पन्न विकृति, क्लबफुट पोलियोमाइलाइटिस जैसे उपार्जित रोगों के कारण होने वाली विकृति या अंगच्छेद, फ्रैक्चर आदि के कारण उत्पन्न अन्य विकृति शामिल हैं।

- (क) अंगच्छेद (आंशिक या पूर्ण):
- (ख) फ्रैक्चर के पश्चात विकृति:
- (ग) एक्स-रे और अस्थि रोग रिपोर्ट अपलोड करें:

5. दृष्टि दुर्बलता और आंखों से संबंधित स्थितियां:

दृष्टि दुर्बलता एक हद तक देखने की क्षमता में कमी होना है जिसके कारण ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो सामान्य साधनों जैसे कि चश्मे से ठीक नहीं हो पाती। इसमें हल्की दुर्बलता से लेकर पूर्ण अंधापन तक हो सकता है। आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं में भेंगापन, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं। ये बालक, स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को अपने आप करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- (क) अंधापन या अल्प दृष्टि:
- (ख) रेटिना अलग होना:
- (ग) भेंगापन*:
- (घ) मोतियाबिंद*:
- (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ रिपोर्ट:

6. श्रवण दोष और वाक् शक्ति और भाषा:

श्रवण दोष, सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता है। वाक् शक्ति और भाषा की स्थितियों में बोलने में शिथिलता या डिस्फैसिया, हकलाना आदि शामिल होंगे। ये बालक स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- (क) बधिरता या श्रवण दोष या सुनने में कठिनाई:
- (ख) बोलने में अक्षमता या डिस्फैसिया:
- (ग) हकलाना:
- (घ) वाक् चिकित्सा रिपोर्ट:
- (ङ) ईएनटी रिपोर्ट:

7. जन्मगत दोष:

इस श्रेणी में, ऐसे बालक शामिल हैं जो किसी अंग के बिना या विकृत अंग के साथ जन्मे हों। इनमें त्वचा, कोमल ऊतक, अस्थि, हृदय आदि जैसे कई दोष शामिल हैं। इनमें शामिल अंग के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

- (क) अस्पष्ट जननांग:
- (ख) अवरोही वृषण:
- (ग) एकल गुर्दा:
- (घ) जन्मजात हृदय दोष:
- (ङ) फेटल एल्कोहल सिंड्रोम:
- (च) कटे होंठ या तालू या दोनों*
- (छ) पियरे रॉबिन सिंड्रोम:
- (ज) हर्निया*:
- (झ) कुल्हे की जन्मजात विकृति:
- (ञ) उंगली या पैर की उंगलियों का जुड़ा होना (सिंडैक्टली):
- (ट) विरूपित जन्म चिन्ह*:
- (ठ) प्राथमिक माइक्रोसेफली:
- (ड) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

8. समान आनुवंशिक या चयापचय की स्थिति:

वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार आनुवंशिक स्थितियां हैं जिसके परिणामस्वरूप चयापचय समस्या होती है। वे आहार संशोधनों द्वारा उपचार योग्य हो सकते हैं या विशेष आहार की आवश्यकता हो सकती है।

- (क) ऐल्बिनिज़म:
- (ख) बौनापन:
- (ग) एक्टोडर्मल डिसप्लेसिया:
- (घ) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

9. रक्त संबंधित स्थितियां:

सामान्य रक्त संबंधी स्थितियों में रक्ताल्पता, रक्तस्राव विकार जैसे हीमोफिलिया आदि शामिल हैं। उन्हें रोग की गंभीरता के आधार पर बार-बार रक्त आधान या स्कंदन कारक आधान की आवश्यकता होती है।

- (क) सिकल सेल एनीमिया:
- (ख) थैलेसीमिया:
- (ग) हीमोफीलिया:
- (घ) हीमेटोलॉजी रिपोर्ट:

10. जीर्ण प्रणालीगत विकार:

इनमें जीर्ण श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी, अंतःस्रावी, जठरांत्र और स्नायुतंत्र संबंधी विकार शामिल हैं। जीर्णता के कारण, उन्हें दीर्घकालिक या आजीवन दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। जीवन काल अंतर्निहित स्थिति के प्रकार पर निर्भर करता है।

- (क) श्वसन संबंधी विकार:
 - (i) जीर्ण अस्थमा:
 - (ii) ब्रोन्किइक्टेसिस:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

- (ख) हृदय विकार:
 - (i) वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग (रियुमैटिक):
 - (ii) कोई अ्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

- (ग) अंतःस्रावी विकार:
 - (i) मधुमेह मेलेटस:
 - (ii) हाइपो या हाइपर थायरायडिज्म:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

- (घ) मस्तिष्क संबंधी विकार:
 - (i) मिर्गी:
 - (ii) मल्टीपल स्क्लेरोसिस:
 - (iii) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

- (ङ) जठरांत्रिय (गैस्टोइंटेस्टाइनल) विकार:
 - (i) सीलिएक रोग:
 - (ii) आंत्रशोथ रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

- (च) अन्य:
 - (i) क्रोनिक टॉन्सिलिटिस:
 - (ii) क्रोनिक ओटिटिस मीडिया:
 - (iii) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

11. त्वचा संबंधी स्थिति:

इनमें गैर-संक्रामक त्वचा की स्थिति जैसे एक्जिमा, विटिलिगो आदि शामिल हैं। इन बच्चों को दीर्घकालिक दवा की आवश्यकता हो सकती है।

- (क) बर्न्स*:
- (ख) इचथ्योसिस:
- (ग) विटिलिगो:
- (घ) त्वचा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

12. संक्रामक स्थितियां:

इनमें जन्मजात और उपार्जित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, क्षय रोग आदि शामिल हैं।

- (क) जन्मजात:
 - (i) हेपेटाइटिस बी:
 - (ii) हेपेटाइटस सी:
 - (iii) एचआईवी:
 - (iv) क्षय रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

(ख) उपार्जित:

- (i) हेपेटाइटिस बी:
- (ii) हेपेटाइटस सी:
- (iii) एचआईवी:
- (iv) एलीफैंटियासिस:
- (v) क्षय रोग:
- (vi) कुष्ठ रोग (सक्रिय):

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

13. पोषण संबंधी विकार और अल्पता स्थिति*:

इनमें आहार में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, कुपोषण, मोटापा और खाने के विकार शामिल हैं।

- (क) कुपोषण*:
- (ख) मोटापा*:

- (ग) भोजन संबंधी विकार*:
- (घ) सुखा रोग (रिकेटस)*:
- (ङ) पोषण संबंधी रक्ताल्पता*:
- (च) स्कर्वी*:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

14. अन्य स्थितियां:

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) अर्बुद (टयूमर) और बाल्यावस्था के कैंसर:
- (ख) सर्जरी (कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी):
- (ग) दर्दनाक चोटें:
- (घ) कोई भी न्यूरोसाइकिएट्रिक रोग:
- (ङ) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

15. एक साथ एक से अधिक स्थितियां:

यदि उपरोक्त सूचीबद्ध एक से अधिक विकारों या रोगों का चयन किया जाता है।

[टिप्पण - *यह एक अस्थायी विशेष आवश्यकताओं वाले बालक संबंधी वर्गीकरण हो सकता है। इसके लिए समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ आमतौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।

उपरोक्त विवरण के साथ, मेरा यह निष्कर्ष है कि बालक विशेष आवश्यकताओं वाला है या बालक विशेष आवश्यकताओं वाला नहीं है।

> जांच करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या मुहर तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की	विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम _	को अपने दत्तक बालक के रूप मे
स्वीकार करने के इच्छुक हैं।		

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)	(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)	(स्त्री आवेदक का नाम)
_	_

तारीख: तारीख: स्थान: स्थान:

अनुसूची 4

[विनियम 30(1)(च), विनियम 30(1)(प) और विनियम 51(6)(क) देखें]

संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच और विकासात्मक उपलब्धि-चरण के लिए चेतावनी-संकेत

- 1. संस्था में प्रवेश दिए गए बालक की चिकित्सा परीक्षा को वृहत रूप में दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:
 - (क) किसी रोग का निदान करना/उस स्थिति जिसमें विशिष्ट उपचार अपेक्षित हो, तथा इस प्रकार जांच बालक के स्वास्थ्य लाभ में सहायता करेगी।
 - (ख) किसी प्रकृति के रोग/स्थिति का निदान करना जो संकेत करती है कि सामान्य बालक की आवश्यकताओं से परे बालक को विशेष ध्यान(चिकित्सा और अभिभावकीय) की अपेक्षा होगी तथा इसलिए वह परिवार जो बालक/बालिका का दत्तकग्रहण करता है, उसकी स्थिति से विदित हो सके।
- 2. चिकित्सा परीक्षण करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
 - (क) बालक का हित सर्वोपरि है।
 - (ख) यदि जांच परिणाम और अधिक जांच करने, विशिष्ट चिकित्सा अथवा विशेषज्ञों से परामर्श के आधार का औचित्य देता है, तो जहां बालक रह रहा है उस एजेंसी/संस्था द्वारा इन्हें किया जाना चाहिए।
- 3. विभिन्न आयु-वर्गों के लिए मानकीकृत चिकित्सा जांच:

3.1 नवजात:

- (क) समय से पूर्व जन्मे शिशुओं अथवा ऐसे नवजातों जिनका जन्म अथवा प्रवेश के समय वजन <2000ग्रा. रहा हो, किसी नवजात विशेषज्ञ अथवा बाल चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन शिशुओं की अपरिपक्वता की रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।
- (ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)।
- (ग) श्रवण स्क्रीनिंगः ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इबोकड रिस्पांस आडियोमेद्री (बीईआरए)।
- (घ) जन्मगत गंभीर हृदय रोग की स्क्रीनिंग: पल्स ऑक्सीमिती।
- (ङ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के रूप में बालक की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए।

- 3.2 एक माह से एक बर्ष की आयु के बीच के शिशु:
 - (क) शिशुओं का बाल चिकित्सकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
 - (ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)
 - (ग) श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बीईआरए)
 - (घ) कंप्लीट ब्लड कांउट, लीवर फंक्शन टेस्ट और रेनल फंक्शन टेस्ट (सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी)
 - (ङ) 4-6 सप्ताह की आयु से बड़े बालकों में एचआईवी जांच करना
 - (च) 3 माह की आयु से बड़े बालकों की एचसीवी जांच करना
 - (छ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के रूप में बालक की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए।

- 3.3 एक से तीन वर्ष और तीन वर्ष से अधिक आयु वाले बालक:
 - (क) अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों (भारत के मध्य और पश्चिमी राज्य और आदिवासी आबादी) में सिकल सेल एनीमिया के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट द्वारा स्क्रीनिंग और हिमोग्लोबिन एस के लिए हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या विलेयता टेस्टिंग या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग या हाई पर्फामेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी) की सलाह दी जाती है।

यदि स्क्रीनिंग में किसी बालक को बीटा थिलसिमिया अथवा सिकल सेल रक्ताल्पता का संवाहक/ट्रेट होना पाया जाता है, उस बालक अथवा बालिका की प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है अथवा उसको ट्रांस्फयुजन की अपेक्षा नहीं होती है, तथा इस प्रकार विशेष आवश्यकताओं वाला बालक नहीं समझा जाना चाहिए।

- (ख) 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में एचआईवी निदान प्रक्रिया:-
 - (i) 18 माह से अधिक आयु के बालकों और वयस्कों में एचआईवी के निदान के लिए एचआईवी सेरोलोजिकल जांच का उपयोग किया जाता है।
 - (ii) सेरालोजिकल टेस्ट भरोसेमंद नहीं है और 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में प्लसांटा से मातृत्व एचआईवी एंटीबॉडी गमन के कारण की व्याख्या करना कठिन है।
 - (iii) 18 माह से छोटे बालकों में, एचआईवी संक्रमण का निदान जन्म के 4 से अधिक सप्ताह पश्चात लिए गए पृथक नमूनों पर निष्पादित द्वितीय वीरोलोजिकल टेस्ट द्वारा की गई पुष्टि एचआईवी के सकारात्मक वीरोलोजिकल टेस्ट अथवा इसके संघटकों (एचआईवी आरएनए अथवा एचआईवी डीएनए अथवा असच्ट्रासेंस्टीव [यूएस] एचआईवी पी24 एजी) पर आधारित है।
 - (iv) डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश सख्ती से अनुशंसा करते हैं कि सभी एचआईवी से ग्रस्त शिशुओं का 4-6 सप्ताह की आयु अथवा इसके पश्चात शीघ्रातिशीघ्र एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्टिंग हो।
 - (v) यदि कोई बालक 9 माह से बड़ा है, तो उसके लिए किसी वीरोलॉजीकल जांच से पूर्व एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है, तथा उनके लिए किसी प्रतिक्रियात्मक एचआईवी सेरॉलाजीकल टेस्ट के साथ एक वीरोलॉजीकल जांच की जानी चाहिए।
 - (vi) ऐसे शिशु जिसने स्तनपान नहीं िकया है अथवा कभी स्तनपान न करने वाले शिशु में 9 माह या इससे अधिक आयु में निगेटिव सिरोलॉजिकल टेस्ट का प्रयोग एचआईवी संक्रमण की संभावना को नकारने के लिए किया जा सकता है।
 - (vii) प्रारंभिक पोजिटिव बीरोलॉजीकल जांच परिणाम वाले शिशुओं में, कड़ाई के साथ अनुशंसा की जाती है कि एंटीरिट्रॉवायरल थेरेपी(एआरटी) अविलम्ब प्रारंभ की जाए तथा, उसी समय, परिणाम की पृष्टि के लिए एक द्वितीय नमूना एकत्र किया जाए।
 - (viii) अज्ञात या अनिश्चित एचआईवी एक्सपोजर वाले सभी शिशुओं, जिन्हें स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में या प्रसव के आस-पास या प्रसव पश्चात प्रथम मुलाकात (आम तौर पर 4-6 सप्ताह) या अन्य बाल स्वास्थ्य मुलाकात में देखा जा रहा है, के एचआईवी एक्सपोजर स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए।
 - (ix) यदि शिशु को प्रसव के पश्चात 72 घंटे से पहले देखा गया है और एचआईवी एक्सपोजर की पहचान की गई है तो 4-6 सप्ताह में एक्सपोजर पश्चात प्रोफिलैक्सिस, सुरक्षित स्तनपान पर काउंसलिंग और एचआईवी वायरोलॉजिकल टेस्ट की सिफारिश की जाती है।
 - (x) 4-6 सप्ताह में पहली बार देखे गए अथवा इसके पश्चात शीघ्र देखे गए तथा उन शिशुओं जिनमें एचआईवी विवरण प्रलेखीकृत है, के लिए एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्ट की जाएगी तथा ऐसे शिशु की मां को सुरक्षित शिशु-आहार परामर्श प्राप्त करना चाहिए।

(xi) मां में निगेटिव एचआईवी सिरोलॉजिकल टेस्ट वस्तुत: एचआईवी एक्सपोजर को नहीं नकारता है; इस गर्भधारण के दौरान मां के बहुत हाल में संक्रमित होने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।

[18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में, एक पोजिटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी होने की पृष्टि करती है परंतु निश्चित रूप से एचआईवी का निदान नहीं कर सकता है। एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच का एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।]

- (ग) शिशुओं और बालकों में एचसीवी निदान:-
 - (i) हेपेटाइटिस सी संक्रमण(एचसीवी) लीवर का चिरकालिक विषाणु संक्रमण है जो 4-2 % वयस्कों और लगभग 0.45 से 0.4% बालकों और किशोरों को प्रभावित करता है।
 - (ii) बालकों में, यह संक्रमण सर्वाधिक माताओं (वर्टिकल ट्रांस्मिशन) से होता है।
 - (iii) स्क्रीनिंग रक्त में एचसीवी एंटीबॉडी की जांच है। माँ के एचसीवी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तथा 18 माह तक के शिशु के रक्त में रह सकते हैं। इस प्रकार, 8 माह से कम आयु के शिशुओं में एचसीवी की स्क्रीनिंग करने के लिए एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी जांच की जा सकती है।
 - (iv) अमेरिकन बाल चिकित्सक अकादमी (एएपी) अधिक जोखिम वाले बालकों में 18 माह की आयु के पश्चात एंटीबॉडी जांच वाली जांच करने की अनुशंसा करती है। एचसीवी-पीसीआर द्वारा पॉजिटिव एंटीबॉडी जांच की पृष्टि की जानी चाहिए।
 - (v) यदि शिशु का किसी ज्ञात एचसीवी पॉजिटिव माँ (अथवा दत्तकग्रहण गृहों में शिशुओं में) से जन्म हुआ है तो एचसीवी-पीसीआर वाली जांच की जा सकती है। यह 3 माह से कम आयु के शिशुओं में अस्थाई रूप से पॉजिटिव जांचों की उच्च दर के कारण 3 माह की आयु उपरांत की जा सकती है। कम से कम 2-3 माह से पृथक दो निगेटिव एचसीवी-पीसीआर जांचों की यह पृष्टि करने के लिए आवश्यकता होती है कि हेपेटाइटिस सी विषाणु वाला संक्रमण नहीं है।
- (घ) एचबीएसएजी
- (ङ) सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी

विकासात्मक उपलब्धि-चरण के लिए चेतावनी-संकेत:-

आयु	बड़ी मांसपेशियों के इस्तेमाल संबंधी चेतावनी संकेत
9 माह	बिना सहारे के न बैठना
12 माह	सहायता के साथ खड़ा न हो पाना
17 माह	अकेले खड़े होने में असमर्थ
18 माह	अकेले चलने में असमर्थ
2 वर्ष	सहायता के साथ ऊपर की ओर चलने में असमर्थ
4 वर्ष	कूदने में असमर्थ

आयु	छोटी मांसपेशियों के इस्तेमाल संबंधी चेतावनी संकेत
5 माह	झुनझुना पकड़ने में असमर्थ
12 माह	चिमटी जैसा पकड़ने में असमर्थ
20 माह	मोज़े या दस्ताने निकालने में असमर्थ
24 माह	कलम चलाने में असमर्थ
3 वर्ष	साधारण खिलौनों के साथ खेलने में असमर्थ
5 वर्ष	चित्र न बनाना

आयु	सामाजिक अनुकूलता के संबंध में चेतावनी संकेत
2 माह	कोई सामाजिक मुस्कान न करना
12 माह	कोई इशारा न करना
3 वर्ष	कोई ढोंग नाटक न करना
4 वर्ष	साथियों पर प्रतिक्रिया न देना
5 वर्ष	असामान्य रूप से एकांती और निष्क्रिय

आयु	श्रवण-क्षमता के संबंध में चेतावनी संकेत
12 माह	कोई बड़बड़ाहट या आवाज की नकल न करना
18 माह	किसी शब्द का प्रयोग न करना
24 माह	10 शब्दों से कम ही एकल शब्द की समझ होना
30 माह	100 शब्दों से कम, 2-शब्दों का संयोजन न कर पाना
36 माह	200 शब्दों से कम, कोई टेलीग्राफिक वाक्य न बोलना
42 माह	600 शब्दों से कम, कोई साधारण वाक्य न बोलना

अनुसूची 5

[विनियम 7(3) देखें]

अभ्यर्पण का विलेख

केस सं	
संदर्भ में	
1. मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी के निवासी पारिवारिक नाम/प्रथम नाम(मों)	के
कारण से स्वेच्छा से और किसी अवपीड़न, विवशता, भय, भुगतान, प्रतिफल, किसी प्रकार के प्रतिकर के बि	ना
जन्म तारीख केआयु के (नाम के) बालक का अभ्यर्पण करते हैं।	

2. मुझसे या हमसे

(क) विवक्षा के बारे में परामर्श किया गया है और इसके बारे में सूचित किया गया है कि मैं / हम इस अभ्यर्पण विलेख के साठवें दिन तक अपनी सहमति वापस ले सकता हूँ / ले सकती हूँ / ले सकते हैं, जिसके पश्चात मेरी / हमारी सहमति अप्रतिसंहरणीय होगी तथा मैं / हम बालक अथवा बालकों पर अपना दावा नहीं कर सकूंगा / नहीं कर सकूंगी / नहीं कर सकेंगे।

- (ख) अभ्यर्पण के विवक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से साठवें दिन के पश्चात, मेरे / हमारे बालक अथवा बालकों तथा मेरे / हमारे बीच विधिक माता-पिता-बालक का रिश्ता समाप्त हो जाएगा।
- (ग) मैं / हम जानते हैं कि मेरा / हमारे बालक का भारत में अथवा विदेश में रह रहे व्यक्ति(यों) द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए और इस प्रयोजन से मैं / हम सहमति देता हूँ / देती हूँ / देते हैं।
- (घ) मैं / हम जानते हैं कि मेरे / हमारे बालक का दत्तकग्रहण दत्तकग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता के रिश्ते का सृजन करेगा तथा तब हम फिर से बालक पर अपना दावा नहीं जता सकते हैं।
- 3. मेरी / हमारी इच्छा है / इच्छा नहीं है (कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) कि जब बालक या बालिका अपनी बुनियाद की खोज के लिए लौटे तो मेरी या हमारी पहचान और पता बालक को बताया जाए।
- 4. मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने उक्त कथनों को सावधानी से पढ़ लिया है तथा इन्हें पूर्णरूपेण समझ लिया है।

तारीख	को पर किया गया
	[अभ्यर्पणकर्ता व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान
5.	साक्षियों द्वारा घोषणा
हम, अध	ोहस्ताक्षरी, उक्त अभ्यर्पण के साक्षी हैं।
(ক)	प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम और पता
(ख)	दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर , नाम और पता

6. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त नाम के अथवा अभिनिर्धारित व्यक्ति और साक्षी इस तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए और हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए।

_	_		_	
			13 m	
ताराख	ক।	ч٠	ाकया	गया

सदस्यों/अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची - 6

[विनियम 10(1), 10(5), 16(3), 21(1), 45(3), 54(1), 55(1), 56(3), 59(3), 59(4) और 59(5) देखें] ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रारूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:					
आवेदक प्रवर्ग:	(i) भारत में रह रहे भारतीय, भावी दत्तक कराना होगा।	माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण			
	(ii) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक व के मामले में, संभावित दत्तक माता-पित	या भारत में रहने वाले एक विदेशी नागरिक ा को अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।			
	प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्त	नेवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता कग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय इ रहे हैं, उस देश से संबंधित सरकारी विभाग			
		ाले देशों के मामले में, भारत में निवास कर रित के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक भावी ोय मिशन कार्रवाई कर सकता है।			
आवेदक की प्रास्थिति:	एकल-अविवाहिता अथवा विधवा अथवा विधुर अथवा विच्छन्न विवाह व्यक्ति अथवा				
	कानूनी रूप से पृथक हो चुके पति या पत्नी अथ	वा विवाहित दंपत्ति			
	(विवाह की तारीख, विवाह का स्थान)				
वैयक्तिक सूचना:					
नाम	पुरुष	स्त्री			
जन्म की तारीख					
जन्म से राष्ट्रीयता					
वर्तमान राष्ट्रीयता / नागरिकता					
वर्तमान आवासीय पता					
नगर/जिला					
राज्य					
देश					
जिप/पिन कोड					
फोन नं.					

मोबाइल नं.					
ईमेल					
ुर्पजीविका का ब्यौरा					
उपजाविका का स्वरूप सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी अथवा कारोव					
उत्तजाविका का (वरून	अथवा अलाभकारी व्यवसाय अथवा परामर्शदाता अथवा पेशेवर अथवा अन्य अथवा गैर नियोजित				
कार्यस्थल					
वार्षिक आय					
जैव/दत्तक बालकों की संख्या	कुल ()				
पहचान का ब्यौरा (यथालागू)					
पैन नंबर					
आधार कार्ड नं.					
भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड नंबर					
पासपोर्ट नंबर					
दत्तकग्रहण के लिए वरीयता					
लिंग	बालक अथवा बालिका अथवा अन्य अथवा कोई वरीयता नहीं				
बालक का प्रवर्ग	सहोदर अथवा एकल				
स्वास्थ्य की प्रास्थिति	सामान्य अथवा विशेष आवश्यकता वाला बालक				
यदि विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालकों का चयन किया जाता है, तो विशेष आवश्यकता की श्रेणी का उल्लेख किया जाए					
आयु	0-2 वर्ष अथवा 2-4 वर्ष अथवा 4-8 वर्ष अथवा 6-8 वर्ष अथवा 8-10 वर्ष अथवा 10-12 वर्ष अथवा 12-14 वर्ष अथवा 14-18 वर्ष				
राज्य संबंधी अधिमानता:					
गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अभिकरण का नाम					
अभिकरण का पता					
दत्तकग्रहण के लिए अभिप्रेरण					
(अधिकतम 200 अक्षरों में)					
भारत में रह रहे निवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा	रजिस्ट्रीकरण के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज				
	1. देश के भीतर दत्तकग्रहण (भारत में रह रहे भारतीय)				

भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्वयं ही रजिस्ट्रीकरण करना होगा।

अनिवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता के मामले में, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों और भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

- (1) परिवार का नवीनतम फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो
- (2) भावी दत्तक माता-पिता का आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या चालक लाइसेंस या भावी दत्तक माता-पिता का भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड (यदि लागू हो) और पैन कार्ड (यदि लागू हो)
- (3) माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र अथवा जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा)
- (4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड अथवा मतदाता कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा बिजली का वर्तमान बिल अथवा टेलीफोन का बिल)
- (5) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर रिटर्न)
- (6) किसी चिकित्सा पेशेवर से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा)
- (7) विवाह प्रमाणपत्र या तलाक डिक्री या सक्षम न्यायालय से घोषणा या तलाक से संबंधित शपथ पर शपथ पत्र या व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा शासित तलाक की स्थिति में तलाक से संबंधित शपथ पर हलफनामा, जहां तलाक की डिक्री अनिवार्य नहीं है या पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो।
- (8) एकल भावी दत्तक माता-पिता (यदि लागू हो) के मामले में रिश्तेदार से शपथपत्र।
- (9) दत्तकग्रहण परिवार में बड़ी आयु के बालक या बालकों की सहमति।

2. अनिवासी भारतीय नागरिक अथवा विदेशी नागरिक कार्ड धारक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में

अंतर-देशीय दत्तकग्रहण

- (1) परिवार का नवीनतम फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो
- (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में रिजस्ट्रीकरण के बाद अपलोड की जाएगी)
- (3) पासपोर्ट (भावी दत्तक पिता)
- (4) पासपोर्ट (भावी दत्तक माता)
- (5) भावी दत्तक माता-पिता का भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक (यदि लागू हो)
- (6) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक पिता)
- (7) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक माता)
- (8) भावी दत्तक माता-पिता का निवास का प्रमाण
- (9) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर विवरणी)
- (10) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे

दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं।

- (11) भावी दत्तक पिता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (12) भावी दत्तक माता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र
- (13) विवाह प्रमाण-पत्र (दंपत्ति के मामले में)
- (14) विवाह-विच्छेद डिक्री अथवा विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दशा में जहां व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां विवाह-विच्छेद या पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की डिक्री आवश्यक नहीं है (यदि लागू होता है)।
- (15) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में संबंधी से वचनबंध (यदि लागू हो)
- (16) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक / भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, उनके राजदूतावास/ उच्चायुक्त से दत्तक ग्रहण और भारत से भावी दत्तक माता-पिता के पुनःस्थापन के मामले में दत्कग्रहण के पश्चात् आश्वासन के लिए निराक्षेप प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।
- (17) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित समाज के सम्मानित व्यक्ति का पहला संदर्भ पत्र
- (18) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित समाज के सम्मानित व्यक्ति का दूसरा संदर्भ पत्र
- (19) ऐसे दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण परिवार के अधिक आयु के बालक या बालकों की सहमति

अभिनिर्देशन के पश्चात अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज

- (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सहमति
- (2) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमित (हेग अभिसमय की अभिपृष्टि करने वाले देशों के मामले में लागू)
- (3) विदेश में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण विनियमनों में यथा अपेक्षित, बालक की प्रगति के अनुवर्तन के लिए, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से वचनपत्र।
- (4) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनपत्र।
- (5) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अविध के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए वचनपत्र।
- (6) कम से कम दो वर्ष की अवधि तक बालक की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और

बाधा आने के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनपत्र।

(7) दत्तकग्रहण पश्चात् अनुवर्तन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के गृह भ्रमण की अनुमित देने के लिए वचनपत्र।

भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, रिश्तेदारी दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए, अध्ययन रिपोर्ट पुरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण केंद्रीय (एएफएए) (सीए) प्राधिकरण सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्टीकरण कराया जाएगा।

3. अंतर-देशीय रिश्तेदारी दत्तकग्रहण

रजिस्ट्रीकरण के समय, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में निम्नलिखित के साथ यथा उपलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज [(1)-(19)] अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

- (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो।
- (2) दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता के साथ बालक का नवीनतम परिवारिक फोटो।
- (3) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति।
- (4) जैविक परिवार के अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति।
- (5) अधिनियम की धारा 2(52) के अनुसार, संबंधित बालक (वंश-वृक्ष) के साथ भावी दत्तक माता-पिता का नाता।

रजिस्ट्रीकरण के आगे के चरण में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

- (1) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अभिसमय में अभिपृष्टि करने वाले देश के मामले में लागू)।
- (2) अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक परिवार की सहमति।
- (3) बाल कल्याण समिति से अनुसूची 22 में यथा उपबंधित रिश्तेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमति (यदि लागू हो)।
- (4) जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अनुसूची 21 में यथा उपबंधित संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा अनुशंसित परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट।

देश के भीतर रिश्तेदारी दत्तकग्रहण के मामले में. भावी दत्तक माता-पिता ऐसे दत्तकग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करेंगे प्रासंगिक और दस्तावेजों को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिला बाल संरक्षक (डीसीपीयू) इकाई को सौंपेंगे।

4. देश के भीतर रिश्तेदारी दत्तकग्रहण

रजिस्ट्रीकरण के समय, देश में दत्तक ग्रहण [(1)-(9)] के मामलों में ऊपर बताए गए अनुसार अभिहित पोर्टल पर सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

- (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो।
- (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति।
- (3) जैविक परिवार के अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति।
- (4) जैविक माता-पिता की सहमति (दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 19** में यथा उपबंधित)
- (5) बाल कल्याण समिति से अनुसूची 22 में यथा उपबंधित रिश्तेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमित (यदि लागू हो)।
- (6) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा उनकी रिश्तेदारी, वित्तीय और सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 24 में यथा उपबंधित शपपथपत्र।

(7) अधिनियम की धारा 2(52) के अनुसार, रिश्तेदार बालक के साथ भावी दत्तक माता-पिता का नाता (वंश वृक्ष) 5. सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में, रजिस्ट्रीकरण के समय, सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामलों में निम्नलिखित जैविक माता-पिता और के साथ यथा उपरिलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज [(1)-(9)] अभिहित पोर्टल पर सौतेले माता-पिता को अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल अभिहित (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो। रजिस्ट्रीकरण करना होगा (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति। और अभिहित पोर्टल के (3) दोनों माता-पिता (जैविक और सौतेले माता-पिता) के विधिक रूप से विवाहित होने माध्यम से अपलोड करके का प्रमाण संगत दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। (4) दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 20 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ इसमें यथा उपबंधित जैविक माता-पिता, बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति या पत्नी की सहमति।

अनुसूची 7

[विनियम 2(14), 10(8) और 21(2) देखें]

निवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट

श्री –

श्रीमती -

भावी दत्तक माता-पिता की प्रास्थिति – एकल-विवाहिता अथवा विवाहित अथवा विच्छन्न विवाह व्यक्ति अथवा पृथक हो चुके पति या पत्नी अथवा विधवा या विधुर अथवा कोई अन्य।

सभी भावी दत्तक माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और प्राधिकृत संस्था से दत्त्कग्रहण करना होगा।

अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
पैन कार्ड नं. (पुरुष आवेदक)	
पैन कार्ड नं. (स्त्री आवेदक)	
आधार कार्ड नं. (पुरुष आवेदक)	
आधार कार्ड नं. (स्त्री आवेदक)	
पासपोर्ट नं,, यदि लागू हो	
(विदेशी अथवा ओसीआई भावी दत्तक माता-पिता के मामले में	
अनिवार्य)	

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम	
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई	
का नाम	
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई	
का पता	
ई-मेल	
गृह के दौरे की तारीख	

रिपोर्ट का भाग-1 भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाएगा। गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता के मजबूत प्रस्ताव को बनाने में सहायता करता है, तथा इसलिए, भावी दत्तक माता-पिता से उनकी सर्वोत्तम जानकारी में सभी सूचना उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। टैम्पलेट में उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रामाणिकता के लिए केवल भावी दत्तक माता-पिता जिम्मेदार होते हैं तथा उनसे भाग-। के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भाग-1 भरने में सामना की जाने वाली किसी कठिनाई को गृह दौरे के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साझा किया जा सकता है।

टैम्पलेट का भाग-2 विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण में संलग्न व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना होता है। गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का आकलन करने में मदद करती है। गृह अध्ययन के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के वित्तीय, रोजगार, स्वास्थ्य, जीवनशैली, गृह और आस-पास के माहौल; उनकी पैतृक शैली तथा दत्तकग्रहण के प्रति उनके रवय्ये (रवय्यों), दत्तकग्रहण की प्रेरणा; दत्तकग्रहण की प्रतिबद्धता और दक्तकग्रहण करने के लिए समग्र तैयारी सह परिपक्वता का मूल्यांकन करता है।

गृह अध्ययन रिपोर्ट का प्रत्येक पृष्ठ संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।

भाग-1

भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा (मुद्रित) जाए

क. दत्तकग्रहण की जानकारी

(यह भाग भावी दत्तक माता अथवा पिता द्वारा भरा जा सकता है)

- 1) बालक के दत्तकग्रहण के पीछे आपकी अभिप्रेरणा क्या है?
- 2) क्या आप किसी बड़े बच्चे, जो निराकरणीय चिकित्सा स्थिति में है अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालक की सहायता करने में समर्थ होगे? हां/ नहीं
- 3) क्या आप किसी दत्तकग्राही परिवार अथवा वे बालक जिन्हें दत्तकग्रहण किया हो, से मिले हैं यदि हां, तो आपका अनुभव और प्रतिक्रिया कैसी रही?
- 4) क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें उस बालक जिसे आप दत्तकग्रहण करना चाहते हैं की सहायता करने में आपको परामर्श देने अथवा व्यावसायिक मदद की जरूरत हो? कृपया ब्यौरा दें।
- 5) कृपया वर्णन करें कि दत्तकग्रहण आपके साथ रह रहे अन्य सदस्यों पर कैसे प्रभाव डालेगा और बालक को कैसे सहायता करेगा।

ख. परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी:

विवरण	पुरुष आवेदक	स्त्री आवेदक
पूरा नाम (परिवारिक नाम रेखांकित करें)		
जन्म की तारीख		
जन्म स्थान		
नागरिकता*		
पता		
ई-मेल आईडी		
संपर्क नंबर और मोबाइल नंबर		
धर्म		
घर पर बोले जाने वाली भाषा(एं)		
विवाह की तारीख		
पूर्ववर्ती विवाह की तारीख (यदि कोई हो)		
विवाह-विच्छेद की तारीख (यदि कोई हो)		
शैक्षिक अर्हता		
रोजगार या उपजीविका		
वर्तमान नियोक्ता अथवा कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम और पता		
वार्षिक आय		
स्वास्थ्य की प्रास्थिति		

* विदेशी नागरिकता के मामले में, पासपोर्ट के ब्यौरों का उल्लेख करना और इसकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, भारत में उनके राजनयिक मिशन से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा।

भावी दत्तक माता पिता का फोटो	

(1) अपने माता-पिता के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें

आवेदकों के माता-पिता का ब्यौरा	पुरुष ३	भावेदक	स्त्री अ	ावेदक -
	पिता	माता	पिता	माता
पूरा नाम				
आयु				
राष्ट्रीयता/नागरिकता				
उपजीविका				
पूर्ववर्ती उपजीविका				
वर्तमान में भावी दत्तक माता-पिता के साथ रह रहे हैं (हाँ / नहीं में बताएं)				

(2) कृपया इस सारणी में अपने प्रत्येक बालक (दत्तक और जैविक) का ब्यौरा भरें।

बालक का नाम	जैविक या दत्तक	लिंग	जन्म की तारीख	शैक्षिक प्रास्थिति

(3) कृपया परिवार में रह रहे अन्य सदस्य(यों) की आयु, लिंग, उपजीविका और रिश्तेदारी के स्वरूप का ब्यौरा दे।

नाम	रिश्तेदारी की प्रकृति	आयु	लिंग	शिक्षा	उपजीविका

(4) कृपया गृह में रह रहे किन्ही अन्य गैर- रिश्तेदार वयस्कों/ बालकों (अर्थात् गृह सहायक, स्टाफ, बाह्य कार्मिक आदि) का ब्यौरा उपलब्ध कराएं:

ग. उपजीविका/नियोजन संबंधी ब्यौरा (पिछले 5 वर्षों के वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा): कृपया आगे दी गई सारणी में अपने वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा भरें।

पुरुष आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा	कार्य उपाधि	से
	(नाम और पता)		तक

स्त्री आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा	कार्य उपाधि	से
	(नाम और पता)		तक

- घ. वित्तीय प्रास्थिति: (सभी स्रोतों से अपनी आय, बचतों, निवेशों, व्यय, ऋण और देनदारियों का संक्षिप्त वर्णन दें) कृपया अपने अद्यतन कर बीजकों, बैंक विवरणों इत्यादि और कर-योग्य आय का ब्यौरा दें। क्या आप पर कोई ऋण बकाया है, आपने कुछ गिरवी आदि रखा हुआ है।
- 1) यदि हाँ, तो कृपया अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें;
- 2) नहीं
- ड. वर्तमान वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध की गुणवत्ता (यदि लागू हो): (विवाह, वैध पृथक्करण, यदि कोई पृथक्करण हुआ हो, ऐसे पृथक्करण के कारणों, वर्तमान वैवाहिक जीवन और विनिश्चय लेने की प्रक्रियाओं का ब्यौरा दें)
- (1) कृपया अपनी वैवाहिक प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करें:
- (2) कृपया यह वर्णन दें कि आप और आपके साथी किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं।
- च. दादा-दादी या नाना-नानी/विस्तृत परिवार के अन्य सदस्यों, अन्य रिश्तेदारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्तमान दत्तकग्रहण के विषय में दृष्टिकोण: (बालक के प्राप्तकर्ता देश में पहुँचने पर उसके पालन-पोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दत्तकग्रहण के विषय में विचारों का संक्षिप्त विवरण दें।)
- छ. दत्तक बालक और परिवार में उसके पालन-पोषण के विषय में भावी दत्तक माता-पिता की प्रत्याशित योजनाएं:
 - (1) कृपया यह वर्णन दें कि आप दत्तक बालक के पालन-पोषण और देखरेख तथा जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे कामकाज को कैसे संभालेंगे?
 - (2) जब आप कामकाज के लिए जाएंगे या घर से अनुपस्थित होंगे तब बालक की देखरेख की जिम्मेदारी कौन संभालेगा/संभालेगी (घरेलू नौकर/नौकरानी, दादा-दादी/नाना-नानी, पित/पित्नी)।
 - (3) कृपया आप बताएं कि यदि दत्तक बालक को परिवार में समायोजन में किठनाइयाँ आईं तो परिवार में उसके समायोजन को आसान बनाने के लिए आपने क्या उपाय करने की योजना बनाई है?
- ज. दत्तकग्रहण की तैयारी और प्रशिक्षण: (दत्तकग्रहण से पहले बालकों की देखरेख, बालकों की जरूरतों के प्रबंधन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (यदि कोई हों) के पालन-पोषण के संबंध में लिए गए परामर्श सत्रों अथवा प्रशिक्षण और/या अनुभव का ब्यौरा दें)
- जो भी लागू हो उस पर (✔) चिह्न लगाएं-
 - (1) दत्तकग्रहण प्रक्रिया के बारे में समझ:
 - (2) संदर्भ सामग्रियों का पठन:

- (3) मित्रों/सगे-संबंधियों से सीखना:
- (4) दत्तकग्राही माता-पिता समृहों के साथ वार्तालाप:
- (5) पेशेवरों से परामर्श के माध्यम से सीखना:
- (6) दत्तकग्रहण पर वीडियो मॉड्यूल:

झ. भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाने की दशा में बालक के लिए संभावित पुनर्वास योजना: (यदि आपके साथ कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक घटना हो जाए तो बालक की सुरक्षा की अपनी योजना का संक्षिप्त ब्यौरा दें।)

- 1) क्या आपको कामकाज के लिए यात्रा करनी पड़ती है?
- 2) आपकी अनुपस्थिति में बालक की देखरेख कौन करेगा/करेगी? कृपया उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसकी रिश्तेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें।
- 3) यदि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बालक का विधिक संरक्षक बन सके? यदि हाँ तो उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसकी रिश्तेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें:
- 4) यदि आप एकल भावी दत्तक माता या पिता हैं, तो उस निकटतम रिश्तेदार का संक्षिप्त विवरण दें जो बालक की सुरक्षा के लिए वचन देगा।

ञ. स्वास्थ्य की प्रास्थिति (भावात्मक और शारीरिक):

- (1) क्या आप या आपके पति/पत्नी किसी रोग से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें?
- (2) क्या वर्तमान में आप या आपके पति/पत्नी का उपचार कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक कर रहे हैं?
- (3) क्या वर्तमान में आप कोई निर्धारित औषधि ले रहे हैं?
- (4) क्या वर्तमान में आपके परिवार में किसी/किन्हीं बालक अथवा बालकों के किसी रोग का इलाज चल रहा है?
- (5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल में उपचार संबंधी बीमा सुरक्षा है?

ट. स्व-घोषणा

मै या हम प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ या करते हैं कि हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीयरूप से सक्षम हूँ या हैं और मुझे या हमें कोई जानलेवा चिकित्सीय स्थिति नहीं हैं और मुझे या हमें किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्य में दोषसिद्ध या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपित नहीं किया गया है।

> भावी दत्तक माता-पिता का नाम भावी दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर तारीख स्थान

भाग-2

(गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

जहाँ तक संभव हो सके, गृह अध्ययन रिपोर्ट अभिहित पोर्टल पर वैध दस्तावेज अपलोड करने की तारीख से दो मास में पूरी कर ली जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को पहले भावी दत्तक माता-पिता से तैयारी संबंधी प्रश्न पूछकर उन्हें सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर झुकाने और हिलाने जैसे मौन संकेत यह दर्शाने के लिए देने चाहिए कि भावी दत्तक माता-पिता ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक प्रश्न के बाद भावी दत्तक माता-पिता को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दे। भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी उत्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता की मौखिक प्रतिक्रिया निष्पक्ष और अनिर्णायक होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रश्न पढ़ने और भावी दत्तक माता-पिता के उत्तर दर्ज करने के बीच के समय में सहानुभूति दर्शाने के लिए यथासंभव भावी दत्तक माता-पिता से आँखें मिलानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को तभी भावी दत्तक माता-पिता को बीच में रोकना चाहिए जब वे किसी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते हैं।

(टैम्प्लेट में भरी गई जानकारी या तथ्यों को अभिकरणों या प्राधिकरणों द्वारा गोपनीय रखा जाना चाहिए।)

1. तथ्यात्मक निर्धारण:

- (i) क्या आपने इस टैम्प्लेट के भाग-। में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन किया है?हॉ/नहीं
- (ii) क्या आप दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों और साक्षात्कारों और दौरों के समय पाई गई वास्तविक स्थिति से संतुष्ट हैं? हॉ/नहीं

2. मनोसामाजिक निर्धारण:

- 2.1 भावी दत्तक माता-पिता से बातचीत
 - (i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता से अलग-अलग और/या एकसाथ बातचीत की है?
 - (ii) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तक ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अकेले भावी दत्तक माता या पिता के मामले में कृपया कौटुम्बिक सहायता व्यवस्था का उल्लेख करें।
- (iii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने पालन-पोषण के लिए अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?
- (iv) क्या आप भावी दत्तक माता-पिता को उनकी तत्परता के लिए आगे के परामर्श के लिए अभिनिर्देशित करना चाहते हैं?
- 2.2 गृह दौरे से प्राप्त निष्कर्ष
 - (i) आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर का दौरा कब किया? आपके दौरे के समय परिवार के कौन से सदस्य उपस्थित थे?
 - (ii) घर के दौरे के समय आपने किससे बातचीत की?
- (iii) क्या आप किसी पड़ोसी/संबंधी से मिले हैं? उस बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दें?
- (iv) क्या घरेलू वातावरण बालक के लिए अनुकूल है? यदि नहीं तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता को सलाह दी है?
- (v) क्या भावी दत्तक माता-पिता को पालन-पोषण संबंधी मुद्दों और अन्य मुद्दों के विषय में कोई शंका थी? क्या आपने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया है?
- (vi) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं?
- (vii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने बातचीत के दौरान अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

- 2.3 परिवार के सदस्यों से बातचीत:
 - (i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की है? प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में उनके क्या विचार हैं? क्या दत्तकग्रहण के विषय में उनकी सोच सकारात्मक है?
- (ii) क्या परिवार के ऐसे कोई अन्य सदस्य भी हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाई लेकिन प्रस्तावित दत्तकग्रहण में उनकी अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका हो सकती है? यदि हाँ तो आपने बातचीत कैसे की? क्या उनके विचार जानने की आपकी कोई योजना है?
- (iii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर में विद्यमान अपेक्षाकृत बड़े बालक अथवा बालकों से बातचीत की है? यदि हाँ तो कृपया बातचीत का ब्यौरा दें।
- (iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों की कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है? यदि हाँ तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर उन टिप्पणियों का कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता:

- (i) भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय स्थिति के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि वे अपने परिवार में एक और सदस्य का स्वागत कर सकते हैं?
- (ii) क्या आपने ऐसी वित्तीय स्थिति देखी है, जिसका उल्लेख भाग-I में नहीं किया गया है?
- 2.5 शारीरिक और भावात्मक क्षमता:
 - (i) क्या भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक और भावात्मक दशा इतनी अच्छी है कि वे बालक की देखरेख कर सकें?
 - (ii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य में कोई ऐसी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्या पाई है, जिससे आने वाले बालक का जीवन प्रभावित होगा? यदि हाँ तो ब्यौरा दें।
- (iii) घर में कमरों की संख्या कितनी है तथा क्या घर में बालक की सहायता के लिए पर्याप्त स्थान है, इसका ब्यौरा दें।
- (iv) क्या भावी दत्तक माता-पिता बालक की देखरेख के लिए भावात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं?
- 3. दत्तक बालक के साथ दत्तकग्रहण के तथ्य को साझा करने और मूल खोज पर भावी दत्तक माता-पिता के विचार और तत्परता।
- 4. आपके आकलन के अनुसार क्या भावी दत्तक माता-पिता अपने अपेक्षित आयु मानदंड में बालक को गोद लेने के मानदंडों को पूरा करते हैं? हां या नहीं यदि नहीं, तो इसके कारणों का उल्लेख करें।

5. दत्तकग्रहण की सिफारिश

- (i) क्या आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करते हैं? माता-पिता की उपयुक्तता सहित दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करने के लिए अपने विचार और औचित्य दर्शाएं।
- (ii) यदि आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो ऐसे निर्णय के लिए उपयुक्त कारण बताएं।
- (iii) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल पर डाले गए दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई के मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर और मुहर

पता:

अनुसूची 8

[विनियम 12(1) और 17(2) देखें]

दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण वचनबद्धता

(शपथपत्र के रूप में)

•		2	
	में (विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम व		
	का पूरा नया नाम) उर्फ (बालक का पुरान आयु वर्ष, के न		
	भी नागरिक, स्थायी रूप से		-
	णा करते हैं कि:	,	· ·
1.	मैं या हम उल्लिखित बालक को संबंधित जिला अ दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में ले रहा हूँ या रही हूँ	*	रहने तक के लिए
2.	मैं या हम यह जानते हैं कि संबंधित न्यायालय से	ो दत्तकग्रहण का अंतिम आदेश प्राप्त होने	ने तक उक्त बालक
	(विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिक बालक के केवल पोषण देख-रेख दत्तक माता पिता म	रण का नाम) के प्राधिकार और संरक्षण में ः ाता-पिता रहेंगे।	रहेगा और हम उक्त
3.	मेरी या हमारी देखरेख में रखे गए बालक को समन् अपेक्षित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।	स्त आवश्यक शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख,	ध्यान, पोषण और
4.	बालक के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाने पर मैं अभिकरण को दूंगा या दूंगी या देंगे।	या हम उस घटना की जानकारी तत्काल	विशिष्ट दत्तकग्रहण
5.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने संस्था को दी जाएगी।	ा तक बालक के विकास संबंधी जानकारी	महीने में एक बार
6.	जब कभी मुझे या हमें बुलाया जाएगा, हम जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण सुनवाई में उपस्थित रहूँगा या रहूंगी या रहेंगे।		
7.	मैं या हम बालक अथवा बालकों को अपने स्वयं के बालक अथवा बालकों के रूप पालन-पोषण करूँगा या करूंगी या करेंगे।		
8.	मैं या हम हमारे परिवार में बालक / बालकों की उन्न		*
	अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण		*
	संसाधन अभिकरण के किसी प्राधिकृत सामाजिक क अनुमति दुंगा या दुंगी या देंगे।	यकता/ कायकारा का अपन या हमार घर	का दारा करन का
q	मैं या हम दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्तन के प्रयोजन वे	के लिए संबंधित विशिष्ट दनकारण अभिव	रण जिला बालक
Ο.	संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिक	-	
	अलावा) के स्थान के किसी परिवर्तन की सूचना का व	-	
श्री		श्रीमती	
भावी द	तक पिता	भावी दत्तक माता	
तारीखः		तारीखः	
साक्षी:		साक्षी:	
नाम:		नाम:	
हस्ताक्षर	<u>:</u>	हस्ताक्षर:	

पता:

अनुसूची 9

[विनियम 11(6), 12(2), 13(1), 16(14), 38(16), 59(4) और 59(5) देखें] जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भरे जाने वाले दस्तावेजों (अभिप्रमाणित अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित) की सूची

1. अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियम की **अनुसूची 6** में यथाउल्लिखित, भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित सभी दस्तावेज विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किए जाने वाले बालक संबंधी सभी दस्तावेज:-

- (1) बालक के नवीनतम फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट।
- (3) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य विधिक रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बालक कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।
- (4) भावी दत्तक माता-पिता के नवीनतम फोटो के साथ उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट।
- (5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति।
- (6) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सम्मति।
- (7) दत्तकग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में)।
- (8) बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी द्वारा शपथ-पत्र।
- (9) दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण का शपथ-पत्र(यदि लागू हो)।

2. भारत में निवास कर रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा विदेश में रह रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक का दत्तकग्रहण।

जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी ओर से दत्तकग्रहण आवेदन को फाइल करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत कार्यकारी के पक्ष में भावी दत्तकग्रहण माता-िपता से मुख्तारनामा सिहत दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 6 में यथाउल्लिखित, भावी दत्तक माता-िपता से संबंधित सभी दस्तावेज, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग अथवा विदेश में स्थित भारतीय मिशन से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले बालक के सभी दस्तावेज:-

- (1) बालक के नवीनतम फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट।
- (2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट।
- (3) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला बालक कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।
- (4) बालक के नवीनतनम पारिवारिक फोटो के साथ भावी दत्तक माता- पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट
- (5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति
- (6) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सम्मति
- (7) दत्तक ग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के अंदर दत्तक ग्रहण के मामलों में)
- (8) बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ-पत्र
- (9) दत्तकग्रहण-पूर्ण पोषण का शपथ पत्र (जहां कहीं भी आवश्यक हो)

3. अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता अपने मुख्तारनामें के माध्यम से केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्व-अनुमोदन पत्र और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 में यथा उपदर्शित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

4. देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता अपने मुख्तारनामें के माध्यम से पूर्व-अनुमोदन पत्र (अनुसूची 25) और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 में यथा उपदर्शित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

5. सौतेले बालक का दत्तकग्रहण

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता पूर्व-अनुमोदन पत्र (अनुसूची 25) और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 में यथा उल्लिखित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

टिप्पण: केवल उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र या दस्तावेज, यथा-लागू, फाइल किया जाना अपेक्षित है। दत्त्कग्रहण के किसी भी मामले में संतानोत्पत्ति में असमर्थता का प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची 10

[विनियम 17(1) देखें]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

(स्त्री और बाल विकास मंत्रालय का कानूनी निकाय)

प्रमाण-पत्र संख्या: तारीख:

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

बालक का फोटो

भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि स्त्री और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जो दत्तकग्रहण के मामलों से संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण है, को आगे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण पर 'कोई आपत्ति नहीं' है:

豖.	बालक का नाम	बालक का लिंग	जन्म की तारीख	भावी दत्तक माता-पिता के नाम और पता
सं.				

- 2. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दत्तकग्रहण विनियम, 2022 और बाल संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों की सुरक्षा और सहयोग के लिए हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 17(ग) के अनुसार जारी किया जाता है।
- 3. दत्तकग्रहण के इस मामले में कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन को प्राधिकृत किया गया है।
- 4. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

प्रेषित:

- (1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।
- (2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।
- (3) जिला मजिस्ट्रेट का नाम और पता।
- (4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।
- (5) प्राप्तकर्ता देश का भारत स्थित राजनयिक मिशन।
- (6) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।
- (7) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

अनुसूची 11

[विनियम 19(1), 60 देखें]

पुष्टि प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या:		तारीख:
	केंद्रीय दत्तकग्रहष	ग संसाधन प्राधिकरण
(बालक संर	क्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत	सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 23 के अधीन)
	बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता
		का फोटो
1 - अशोटस्ता	अरी प्राधिकारी:	
-	त्र विकास । । दत्तकग्रहण प्राधिकारी का नाम और पता)	
(राज्य क रायान	विस्तित्रप्रहर्गित्राविसारी सा साम जार नेसा)	
2. एततद्वारा स	तत्यापित किया जाता है कि बालक:	
कुटुंब नाम:		
पहला नाम:		
लिंग: बालक	() बालिका () अन्य ()	
जन्मतिथि: दि	न () माह () वर्ष ()	
जन्मस्थान:		
निवास का पत	т:	
3- निम्नलिखित	न प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अपनाया <mark>ग</mark>	ाया था।:
विनिश्चय की त	गरीख:	
विनिश्चय को अ	ांतिम रूप देने की तारीख:	
(यदि दत्तकग्रह	ण किसी प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार	न होकर अन्यथा किया गया तो कृपया समतुल्य का ब्यौरा दें)

4. निम्नलिखित व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया:
(क) दत्तक पिता का कुटुंब नाम:
पहला नाम:
जन्म तिथि: दिन () माह () वर्ष ()
जन्म स्थान:
दत्तकग्रहण के समय निवास का पता:
(ख) दत्तक माता का कुटुंब नाम:
पहला नाम:
जन्म तिथि: दिन()माह()वर्ष()
जन्म स्थान:
दत्तकग्रहण के समय निवास का पता:
5. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि दत्तकग्रहण, हेग अभिसमय के अनुसार किया गया और करार अनुच्छेद 17, उप-पैरा ग के अनुसार निम्नलिखित द्वारा किया गया:
(क) मूल राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता
(ख) प्राप्तकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता:
/करार की तारीख:
6. दत्तकग्रहण ने माता-पिता और बालक के बीच पूर्ववर्ती विधिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। अथवा
दत्तकग्रहण से माता-पिता और बालक के बीच पूर्ववर्ती विधिक संबंध को समाप्त नहीं किया है।
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर
प्रेषित:
(1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।
(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।
(3) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम और पता।
(4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।
(5) प्राप्तकर्ता देश का भारत स्थित राजनयिक मिशन।
(6) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।
(7) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

अनुसूची 12

[विनियम 14(1), 20(1) और 21(5) देखें]

बालक की दत्तकग्रहण-पश्चात् रिपोर्ट

$C \supset C$.	•
रिपोर्ट सं.:	तारीख:
1/16/1.	uila.

बालक और भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

[देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के मामले में, पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती पहली रिपोर्ट, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देख-रेख के तीन महीने के भीतर और उसके बाद अर्ध-वार्षिक आधार पर पूर्ण की जाएगी]

पहली पश्च दत्तकग्रहण	दूसरी पश्च दत्तकग्रहण	तीसरी पश्च दत्तकग्रहण	चौथी पश्च दत्तकग्रहण
अनुवर्ती रिपोर्ट	अनुवर्ती रिपोर्ट	अनुवर्ती रिपोर्ट	अनुवर्ती रिपोर्ट
तारीख	तारीख	तारीख	तारीख

^{*} भारत में निवास कर रहे विदेशी, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और स्वाभाविक रूप से विदेश में निवासरत विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामलों में, पहले वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर और दूसरे वर्ष में छमाही आधार पर स्थानन-पश्चात् छह रिपोर्टें होंगी।

1. पहचान संबंधी जानकारी:

- (क) बालक का नाम (आंरभिक और बाद में दिया गया, यदि कोई हो)
- (ख) उपनाम/ कुटुंब नाम:
- (ग) बालक के जन्म की तारीख:
- 2. दत्तक माता-पिता का संपर्कों का ब्यौरा
- 3. बालक का सामंजस्य:
- (क) वर्तमान लंबाई और भार
- (ख) शारीरिक परीक्षाओं और चिकित्सक के दौरों से प्राप्त निष्कर्ष
- (ग) खानपान और सोने संबंधी आदतें
- (घ) भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास
- (ड) कुटुंब के सदस्यों से लगाव
- (च) स्कूल में बालक का नामांकन (यदि लागू हो)
- (छ) बोली जाने वाली भाषा(एं) (यदि लागू हो)

- 4. बालक के साथ दत्तक परिवार के सदस्यों का सामंजस्य:
- 5. कुटुंब की संरचना या सक्रियता में महत्त्वपूर्ण बदलाव, यदि कोई हों:

(निवास, नियोजन, कार्य संबंधी दायित्वों, रोग इत्यादि में परिवर्तन)

6. सामाजिक कार्यकर्ता की संप्रेक्षण और सिफारिशें

(हस्ताक्षर)

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:

अभिकरण का नाम और तारीख

टिप्पण: दत्तकग्रहण-पश्चात अनुवर्ती रिपोर्ट का ऑनलाइन अद्यतन करना अनिवार्य है।

अनुसूची 13

[विनियम 25(1) (च) देखें]

विशिष्ट दत्तकगहण अभिकरणों में बालक की देखरेख के मानक

1. अभिकरणों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि बालकों को संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराई जाएं:

(क) भौतिक सुविधाएं;

- i. भौतिक परिवेश, जिसमें बालक की देखरेख की जाती है, स्वच्छ होना चाहिए। अभिकरण मे स्वच्छता और सफाई का रखरखाव पर्याप्त होना चाहिए चूंकि संस्था में अधिकांश बालक छोटे होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। एक वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे एक कमरे में रखा जाना चाहिए जिससे स्नानघर और दूध पिलाने का कमरा लगा हुआ हो। एक से तीन वर्ष की आयु के बालकों को स्नानघर से जुड़े हुए कमरे में रखा जाना चाहिए। बड़े बालकों को लड़के और लड़कियों के दो अलग-अलग कमरों में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कमरे के साथ स्नानघर और शौचालय जुड़े होने चाहिए।
- ii. इसमें बर्तन धोने का स्थान और बड़ा रसोईघर और बड़े बालकों के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए। इसमें अच्छी रोशनी, हवा के आने-जाने की जगह और पर्याप्त स्थान आवश्यक होना चाहिए।
- iii. गृह को, विशेषकर स्नानघर, शौचालय और रसोईघर को स्वच्छ, साफ होना चाहिए। दीवारें और आस-पास का परिवेश चमकदार और मनोहारी होना चाहिए। कक्षों को सजाने के लिए उनमें अच्छा रोगन होना चाहिए और खिलौने, जानवरों की तस्वीरें आदि लगी होनी चाहिए।

(ख) चिकित्सा सुविधाएं:

नियमित चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो, हर वैकल्पिक दिन रजिस्ट्रीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिशु रोग विशेषज्ञ को जोखिम वाले और अतिसंवेदनशील बालक का निदान और उपचार करने के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- i. शिशुओं और बालक को संस्थाओं में प्रवेश के समय अलग रखा जाए और कम से कम एक सप्ताह तक पर्यवेक्षण में रखा जाए।
- ii. बालक के प्रवेश के समय उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ उसका भार, लंबाई और सिर की माप को लिखा जाना चाहिए।
- iii. चिकित्सा अभिलेख रखा जाना चाहिए और चिकित्सक को यथाशीघ्र, बालक के प्रवेश के चौबीस घंटों के भीतर, उसका आकलन करना चाहिए।
- iv. छह मास से कम आयु के वरीयता प्रत्यके बालक की फोटो प्रत्येक मास, छह मास से तीन वर्ष तक हर तीन मास पर और उसके बाद हर छह मास पर ली जानी चाहिए।
- v. प्रतिरक्षण नियमित रूप से दिया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए।
- vi. गृह में हर समय आपातकालीन किट उपलब्ध होनी चाहिए और बुलाने पर चिकित्सक के आने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- vii. स्वास्थ्य के साधारण उपाय अर्थात् स्वच्छता, दांत और त्वचा की देखरेख और आहार का पर्यवेक्षण किया जाए।
- viii. बालक के समुचित विकास के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दिनचर्या में साधारण प्रेरणा तकनीकों को शुरू करके नर्सो, सहायकों में जागरूकता वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। यह भी सलाह दी जाती है कि फिजियोथैरेपिस्ट नियमित आधार पर बालकों की जांच करे।

(ग) कर्मचारीवृंद:

- अभिकरण के पास बालकों की देखरेख के लिए पर्याप्त कर्मचारीवृंद होने चाहिए, एक वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 4:1 अनुपात की वरीयता, एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए 5:1 और बड़े बालकों के लिए 8:1 के अनुपात में कर्मचारीवृंद होने चाहिए।
- ii. दत्तकग्रहण गृहों में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता होती है जो बालकों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें बालकों की देखभाल में "शिक्षित" किए जाने की जरूरत है। यह सिफारिश की जाती है कि नर्सों, सहायकों, देखरेख कर्ताओं और अन्य कर्मचारीवृंद के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिसमें वे उन बालकों की, जो उनकी देखरेख में है, विशेष प्रास्थिति को पहचानने में सक्षम बन सकें।
- iii. प्रतिबद्धित **कर्मचारीवृंद** अच्छी बालक देखरेख का क्योंकि अभिन्न अंग होता है, अत: **कर्मचारीवृंद** की प्रेरणा का स्तर ऊंचा रखा जाए।
- iv. कर्मचारियों का भी प्रतिरक्षण किया जाए।
- (घ) कपड़े: यह महत्वपूर्ण है कि गृह में रहने वाले बालक हर समय साफ, आरामदायक और अच्छी तरह रखे गए कपड़े पहनें, न कि सिर्फ दत्तक माता-पिता से मुलाकात के दौरान।
- (इ) भोजन: संस्था का भोजन स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ, पोषक और स्वादिष्ट होना चाहिए। व्यंजन सूची में भिन्नता होनी चाहिए। विशिष्ट भोजन लेने वाले बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इससे गृह में आने वाले बालकों के सामने आ रही कुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। सूत्रों के संकेत वाला आहार चार्ट प्रदर्शित किया जाए और उसका अनुपालन किया जाए।
- (च) शिक्षा: विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अर्हित शिक्षक और विशेष शिक्षक के माध्यम से अथवा किसी ऐसे विद्यालय से जुड़ कर जो बालक अथवा बालकों को अस्थायी आधार पर लेगा, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

2. बालकों की देखरेख करते समय, निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

- (क) किसी बालक का स्नायुविक विकास उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले कुछ वर्षों के भीतर पूर्ण हो जाता है और शेष पूरे जीवन में उनकी मस्तिष्क की क्षमताओं को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, किसी बालक को संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने के लिए 3 वर्ष की आयु तक सुरक्षित लगाव का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अतः विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा ऐसे बालकों के लिए वैकल्पिक परिवार को शीघ्रता से खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे उनमें शैशावस्था के दौरान ही सुरक्षित लगाव और उचित बंधन अनुभव विकसित हो सकें।
- (ख) बालकों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए उनसे बात करना, गले लगाना, पकड़ना, खेलना, कहानियां सुनाना और गाना बहुत जरूरी है। यद्यपि यह कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए, यह भी सलाह दी जाती है कि स्वयंसेवकों को इस क्रियाकलाप को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- (ग) गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख (प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख) से शिशु और छोटे बालक को अपने साथियों के साथ खेलने और सामाजिककरण में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, भोजन और पोषण प्रदान करना, एक सुरक्षित वातावरण बनाना, स्कूली तत्परता को बढ़ावा देना और प्राथमिक विद्यालय के लिए बालकों को तैयार करना और बाल्यावस्था के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
- (घ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब बालक संस्था में हो तो बाल शोषण और उपेक्षा की कोई घटना न हो।

टिप्पण: सभी दत्तकग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट बालक देखरेख के मानकों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची-14 [विनियम 46 एवं 50 देखें] संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा

क. बालक से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा:

۹٬.	वालक त तवावत प्राप्तवाचा कालपु तमयतामा.		
क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1.	6(2)	बालक देख भाल संस्थान या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को परित्यक्त बालक को बाल कल्याण समिति के सामने उनकी तस्वीर और विवरण वाली रिपोर्ट के साथ पेश करना होगा।	चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा अवधि को हटाकर)।
2.	6(5) और 7 (10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को अभिहित पोर्टल पर बालक के विवरण को उनकी तस्वीर के साथ ऑनलाइन दर्ज करेगी।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
3	6(7)	जिला बाल संरक्षक इकाई को एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में परित्यक्त बालक के विवरण और तस्वीर को विज्ञापित करने के लिए व्यापक प्रसार, स्थानीय केबल नेटवर्क, जहां कहीं भी विद्यमान है और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोयापाया में डाटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
4	6(9)	जिला बालक संरक्षण इकाई को विज्ञापन के परिणाम सहित परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता या	

		विधिक अभिभावक का पता लगाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों पर बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	से तीस दिनों के भीतर।
5	6(10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख भाल संस्थान को बालक द्वारा उनके अल्पावधि प्लेसमेंट के दौरान प्रकट की गई किसी भी जानकारी और बालक का दावा करने के लिए संपर्क करने वाले व्यक्तियों के विवरण के बारे में बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यदि कोई हो।	बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को पेश करने की तारीख से तीस दिन के तुरंत बाद।
6	6(13)	बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ या परित्यक्त बालक को गोद लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना।	दो या दो वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक के मामलों में क्रमशः दो या चार महीने की समाप्ति के बाद तीन दिनों की अवधि के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करना।
7	6(15),7(18),30(1) (ड़) (च), और 38 (2)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को बालक की नवीनतम तस्वीर के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।	बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8	7(3)	जैविक माता-पिता द्वारा समर्पण विलेख पर हस्ताक्षर।	बालक को प्रस्तुत करने वाले दिन।
9	7(10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अभ्यर्पित बालक या बालक का विवरण अपलोड किया जाना है।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
10	7(11) और 7(16)	जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा आत्मसमर्पण किए गए बालक की पुनर्विचार अवधि या पुनः प्राप्त करना।	अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन।
11	30(1) (ঘ)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाली बाल कल्याण समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।	ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर।
12.	36(8)	बालक में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या संदिग्ध विशेष आवश्यकता की स्थिति होने पर जिला मजिस्ट्रेट बालक को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेंगे।	चौबीस घंटे के भीतर जैसे ही संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई की मदद से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख भाल संस्थान से ऐसे बालक की जानकारी मिलती है।
13	36(9) और 37	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालक के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करेगा और आकलन करेगा कि बालक को कोई बीमारी है या विशेष जरूरत है।	मामला प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर।

ख. निवासी भारतीयों के साथ-साथ भारत के भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए समयसीमा:

क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1.	10 (1)	भावी दत्तक माता-पिता को अपने रजिस्ट्रीकरण के बाद दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।	तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर।
2.	10(8),30(3) (फ) और 38(14)	सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक माता- पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा किया जाना है।	अभिहित पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर
3.	10(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा नामित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट अपलोड करना।	गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
4.	11(3) और 21(3)	एक बालक को आरक्षित करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता।	नामंकन की तारीख और समय से अड़तालीस घंटे के भीतर।
5	11(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा आरक्षित बालक के मिलान की प्रक्रिया और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति।	बालक के आरक्षण की तिथि से तीस दिनों के भीतर।
6	12(1)	बालक को दत्तकग्रहण -पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाना है।	दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैचिंग की तारीख से दस दिनों के भीतर।
7	30(5)(ए) और 18(2)	विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा जिला बालक संरक्षण इकाई को संवीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के मिलान की तारीख से पांच दिनों के भीतर।
8	18(2), 30(5) (क) और 38(16)	जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संवीक्षा के बाद जिलाधिकारी के पास जमा करना है।	विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण से आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर।
9	13(6),18(1) और 36(2)	जिला दण्डाधिकारी द्वारा दत्तक ग्रहण आवेदन का निराकरण।	दत्तक ग्रहण आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर।
10	13(8)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त संभावित दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अग्रेषित करना।	दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के दस दिनों के भीतर।
11	13(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी।	दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर।
12	13(9),19(5) और 40	जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण गोद लेने के आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा।	संबंधित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर।
13	14(1) और 14(3)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई दत्तक ग्रहण के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार करेगी।	दत्तक-ग्रहण के पश्चात अनुवर्ती रिपोर्ट के संचालन प्रक्रिया से दस दिनों के भीतर।
14	62(2)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को देश में दत्तक ग्रहण के मामले में अपील।	राय या विनिश्चय की तारीख से सात दिनों के भीतर।

15	62(3)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा	आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के
		शिकायत या शिकायत का निवारण।	भीतर।
16	62(5)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
		से पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर	से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अड़तालीस
		उपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ होने	घंटे के भीतर।
		की स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन	
		प्राधिकरण से अपील करें।	
17	62(5)	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह
		शिकायत या शिकायत का निवारण।	दिनों के भीतर।

ग. भारत में निवास कर रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में नहीं रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण की समय सीमा:

क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1	16(7)	प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के माध्यम से नामित पोर्टल से भावी दत्तक माता-पिता द्वारा एक बालक या बालकों का आरक्षण।	नामांकन प्राप्त होने मिलने के 96 घंटे के भीतर।
2	16(10)	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति।	बालक को आरक्षित करने के तीस दिनों के भीतर।
3	17(1) और 58	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति और जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
4	19(1) और 60	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग दत्तक ग्रहण कन्वेंशन के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करेगा।	दत्तक ग्रहण के आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
5	19(3)	दत्तक ग्रहण किए गए बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगी।	दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
6	19(4) और 42	दत्तक ग्रहण किए गए बालक के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करेगा।	केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अंतर्देशीय दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में परिपत्रों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।

अनुसूची 15

[विनियम 25(1)(ड़), 29(1), 49(1) देखें]

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख रेख संस्थानों द्वारा दत्तक ग्रहण शुल्क और उनका उपयोग

1. देश के भीतर दत्तक ग्रहण शुल्क (शुल्क आदि): किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अधीन किये गए दत्तक ग्रहण के मामलों में निवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए लागू।

क) सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भारत में भावी दत्तक माता- पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) या कुटुंब पृष्ठभूमि रिपोर्ट।	रु. 6,000/(यात्रा व्यय सहित)
ख) दत्तकग्रहण का शुल्क, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट, बालक की देख-रेख और रखरखाव, और अन्य प्रशासनिक लागत तैयार करने के प्रयोजन से।	₹. 50,000/*
ग) पश्च दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती मुलाकातें और परामर्श (दो वर्ष की अवधि के भीतर चार बार)।	रु. 2,000/प्रति विज़िट या रिपोर्ट (यात्रा व्यय सहित)
घ) जहां कहीं आवश्यक हो, गृह अध्ययन रिपोर्ट का पुनः विधिमान्यता।	रु. 2,000 प्रति विज़िट या रिपोर्ट (यात्रा व्यय सहित)

- * देश के भीतर दत्तक ग्रहण के मामलों में, सहोदर के मामलों में दत्तकग्रहण करने की फीस 10,000 रुपये प्रति अतिरिक्त बालक के रूप में निर्धारित की गई है।
- 2. अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण (शुल्क आदि): किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अधीन प्रोसेस्ड दत्तकग्रहण के मामलों में गैर-निवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए लागू।

क) प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन	प्राप्त करने वाले देश के मानदंडों
रिपोर्ट।	के अनुसार
ख) बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट, बालक की देख-रेख और रखरखाव, और अन्य प्रशासनिक लागत तैयार करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण का शुल्क।	5,000 यूएस \$**
ग) पश्च दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती मुलाकातें और परामर्श (दो वर्ष की अवधि के	प्राप्त करने वाले देश के मानदंडों
भीतर छह बार)	के अनुसार।

^{**}अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में, सहोदर के मामलों में दत्तक-ग्रहण शुल्क 1000 अमेरिकी डॉलर प्रति अतिरिक्त बालक के रूप में निर्धारित किया गया है।

सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले बालक को अंतर-देशीय गोद लेने के मामले में, दत्तकग्रहण का शुल्क देश में गोद लेने के समान होगा।

3. मानक उपयोग पैटर्न

सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन, दत्तक-ग्रहण शुल्क और दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्राप्त शुल्क के लिए निम्नलिखित मानक उपयोग पैटर्न का पालन करेंगे:

- (क) संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा नियत विशिष्ट सरकारी अस्पताल दरों में यथाविहित चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने सहित बालकों के चिकित्सा परीक्षण और उपचार के संचालन के लिए सभी लागत;
- (ख) बालकों के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में व्यय;
- (ग) बालकों के पासपोर्ट प्राप्त करने में व्यय;
- (घ) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है से बड़े बालकों को परामर्श;
- (ड) बालकों का संज्ञानात्मक विकास जिसमें मस्तिष्क का विकास, ज्ञान का विकास, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव सम्मिलित हैं, जो बालकों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में सहायता करते हैं जो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रकम का 10% से अधिक नहीं है (खिलौना और शिक्षण बालकों के लिए शिक्षण सामग्री आदि);
- (च) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणया बालक देख-रेख संस्था में रहने वाले बालकों के लिए चिकित्सा बीमा कवर जब तक उन्हें दत्तक नहीं लिया जाता है;
- (छ) मामला दर मामला के आधार पर वास्तविक बिल के अनुसार आपात चिकित्सा स्थिति;
- (ज) मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के आधीन या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करने वाले ऐसे बालकों की बालक देखरेख और रखरखाव;
- (झ) बालकों के लिए फिजियोथेरेपी सुविधाएं।
- 4. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या संबद्ध बालक देखरेख संस्थाएं दत्तक लेने की फीस के रूप में प्राप्त रकम का उपयोग केवल संबंधित घरों में बालकों के कल्याण के लिए करेंगी और ऊपर दी गई निधियाँ का उपयोग करेंगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान खातों के ब्यौरे बनाकर रखेंगी और अव्ययित अतिशेष को अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया जा सकता है।
- 5. दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 26(2) के अनुसार, दत्तक ग्रहण फीस या सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग या व्यपवर्तन किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन का एक आधार हो सकता है।
- 6. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख-रेख संस्थाओं को दत्तकग्रहण विनियम- 2022 के नियम 29 (2) के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित की जाने वाली अन्य सरकारी अधिसूचित योजनाओं के अधीन दत्तक की फीस और सरकारी अनुदान के उपयोग सहित उचित खातों को बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपगत किए गए सभी व्यय बिलों और वाउचरों द्वारा समर्थित होने चाहिए और हर हालत में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इसका लेखापरीक्षित किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के मामले में, बालकों के कल्याण के लिए ऐसी निधियों के उपयोग के लिए उपयुक्त स्तर पर अनुमोदन लिया जाएगा।
- 8. यदि किसी अभिकरण की मान्यता समाप्त हो जाती है, और राज्य सरकार द्वारा उस अभिकरण के बालकों को किसी अन्य अभिकरण या अभिकरणों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है, तो दत्तक लेने के फीस खाते में उपलब्ध अतिशेष राशि ऐसी अभिकरण या अभिकरणों को स्थानांतरित बालकों की संख्या के अनुपात में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- 9. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राप्त दत्तक लेने की फीस के लिए एक अलग बैंक खाता बनाएगी जिसमें अलग रिकॉर्ड या रसीदों या भुगतानों या व्यय या खातों के रजिस्टर होंगे और खाते की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी चाहिए जो यह प्रमाणित करें कि शुल्क का उपयोग उपरोक्त पैरा 3 में नियत मानदंडो के अनुसार किया गया है।
- 10. जहां विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ने किसी अन्य बालक देख-रेख संस्था से संबंधित बालक के दत्तक लेने के मामले की प्रिक्रिया की है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संबंधित बालक देख-रेख संस्था के बैंक खाते के ब्यौरे प्राप्त करेगी और इसे प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या संभावित दत्तक माता-पिता को प्रदान करेगी। संबंधित बालक देख-रेख संस्था को इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के माध्यम से दत्तक लेने की फीस का पचास प्रतिशत भुगतान करने के लिए और ऐसे मामलों में, बालक देख-रेख संस्था को भी दत्तक लेने की फीस के उपयोग के समान पैटर्न का पालन करना अपेषित होता है। उनको छोड़कर जो लागू नहीं हैं।

11. जिन अभिकरणों को मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के अधीन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, वे केवल बालकों की देख रेख के लिए और उपरोक्त मदों के अधीन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

अनुसूची 16 [विनियम 53(2) देखें]

पोषण देख रेख दत्तकग्रहण

- (1) कुटुंब पालन-पोषण देख-रेख के लिए उपलब्ध बालक और बाद में पालक माता-पिता द्वारा दत्तक लिए गए बालक
 - (क) प्रवर्ग -1: दत्तक लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक, जिन्हें किशोर न्याय नियम 2022 के नियम 44 और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पोषण देख-रेख के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार देश में या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण में कोई कुटुंब नहीं मिलता है।
 - (ख) प्रवर्ग -2: बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक, जिन्हें दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 2 के खंड (13) में यथाउपवंचित जिन बालकों को कठिन श्रेणी या वो बालक जो तत्काल स्थापन के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें देश में दत्तकग्रहण करने या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण हेतु कुटुंब नहीं मिलता है।

(2) पालक माता-पिता की पात्रता।

- (क) भावी पालक माता-िपता शारीरिक, मानिसक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम हों, और उनको जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए और उनको कोई खतरनाक बीमारी न हो और उन्हें किसी भी आपराधिक प्रकृति के कृत्य में सिद्ध दोषी नहीं होना चाहिए या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले में अभियुक्त नहीं होना चाहिए।
- (ख) भावी पालक माता-पिता भी किशोर न्याय नियम 2022 और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पोषण देख-रेख मार्गदर्शक सिद्धांत में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार पात्र होने चाहिए।

(3) पालन की जाने वाली प्रक्रिया-

- (क) भावी पालक दत्तक माता-पिता अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रर करेंगे और जिला बालक संरक्षण इकाई यथा अपेक्षित उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करेगी।
- (ख) जिला बालक संरक्षण इकाई भावी पालक माता पिता के साथ बालक का मिलान पूरा करेगी और पोषण देख-रेख करने वालों का चयन करते समय, पड़ोस की देख-रेख और समूह पोषण देख-रेख द्वारा पालित विस्तारित कुटुंबिक संबंधों को, उसके बाद को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ग) बालक के हित को ध्यान में रखते हुए बालक को उसी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में पालक माता-पिता के साथ पोषण देख-रेख में रखा जाएगा।
- (घ) यदि पालक माता-पिता विशेष बालक या बालकों को दत्तक लेना चाहते हैं, तो दो वर्ष की अवधि के पश्चात इसकी अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामले में, पालक माता-पिता को दत्तक लेने के लिए अभिहित पोर्टल में संतोषजनक अनुवर्ती रिपोर्ट पालन के अधीन ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

(4) अन्य मामलों में प्रक्रिया।

(क) ऐसे मामलों में, जहां कोई बालक विधिक रूप से मुक्त घोषित नहीं है और उसे सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अस्थायी अविध के लिए एक पालक कुटुंब के साथ रखा गया है, ऐसा पालक कुटुंब विशेष बालक को दत्तक ले सकता है परंतु बालक विधिक रूप से मुक्त घोषित की स्थिति प्राप्त करता है जिसके बाद कम से कम दो वर्ष की अविध के लिए संतोषजनक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। (ख) इसके अतिरिक्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई की सहायता से सुसंगत जानकारी को अभिहित पोर्टल में अपलोड करेगी।

अनुसूची 17

[विनियम 41(17) देखें]

देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के लिए समर्थन पत्र

रिजस्ट्रीकरण संख्या) ने किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनयम, 2021 के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट	प्रमाणित किया जाता है कि श्री और श्रीमती (अभिहित पोर्टल पर
द्वारा दत्तक लेने हेतु जारी आदेश संख्या	
द्वारा दत्तक लेने हेतु जारी आदेश संख्या	अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट (जिले का नाम)
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधत अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार उस तारिख से, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता है। 3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आजापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद अववर्धि भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रपित	
जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सिंहत सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में जिला मिजिस्ट्रेट द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता है। 3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आजापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	या स्त्री या अन्य), को (जन्म तारीख) को देश में विधिमान्य रूप से दत्तक लिया है।
मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता हैं। 3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तक ग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अबधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आजापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अबधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनियक मिशन द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनियक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधत अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार उस तारिख से,
बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता है। 3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आज्ञापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टो) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में जिला
है। 3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आजापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आज्ञापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनियक मिशन द्वारा व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनियक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता
दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अविध के लिए दत्तक लिए गए वालक के लिए आज्ञापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अविध (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनियक मिशन द्वारा व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनियक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	है।
गए बालक के लिए आज्ञापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में तक दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्ट) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अबिध (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अविध (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनियक मिशन द्वारा व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनियक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
अविध (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनियक मिशन द्वारा व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनियक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसियक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेपित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। (दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	•
प्रति संलग्न)। 4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
4. उपरोक्त समर्थन पत्र (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	
प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है। भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल:	,
भवदीय, सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल: प्रतिलिपि	
सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल: प्रतिलिपि	त्राविकारा के अनुमादन से बालक के लिए पासपाट जारा करने के प्रयोजन से जारा किया जा रहा है।
सहायक निदेशक, सी ए आर ए प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल: प्रतिलिपि	0
प्रेषित (भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल: प्रतिलिपि	
(भावी दत्तक माता-पिता) ईमेल: प्रतिलिपि	सहायक निदेशक, सी ए आर ए
ईमेल: प्रतिलिपि	प्रेषित
प्रतिलिपि	(भावी दत्तक माता-पिता)
	ईमेल:
	प्रतिलिपि
*** *** ** <u></u>	
ईमेल:	

अनुवर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए माता-पिता द्वारा वचनबद्धता।

मैं या हम, दत्तक माता-पिता	अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण संख्या के
रूप में है नेको विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभि	नेकरण से बालक
(बालक या बालकों का नाम) को दत्तक लिया है, मैं घोषणा करता हूं कि, मैं य से तक की समयावधि के लिए	
यह घोषित किया जाता है कि भारतीय राजनयिक मिशन (संबंधित आईडी द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण होगा।	
(दत्तक पिता) (द	त्तक माता)
तारीख	

^^^^

अनुसूची 18

[विनियम 2 (25), 8 (2), 36(9), 37, 51(4) देखें]

दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और अनुसूची- 3 के भाग ड़के अनुसार उपबंधित की गई अनुसूची के अनुसार माना जाएगा]

1. शारीरिक दिव्यांगता

- (अ) **गतिविषयक् दिव्यांगता** सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्व है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत-
 - (क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-
 - (i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;
 - (ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससें वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है।;
 - (iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्व जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कृष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदृनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
 - (ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई गैर-प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;
 - (ग) "बौनापन" से कोई चिकित्सय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणास्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से0मी0) या उससे कम रह जाती है;
 - (घ) "पेशीयदुष्पोषण" से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए

आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(इ) "तेजाबी आक्रमण पीड़ित" से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दिष्टगत ह्रास

- (क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोतम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विघमान होती है, -
 - (i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव या; या
 - (ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम, या 10/200 (स्नेलन)से कम या; या
 - (iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;
- (ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्: -
 - (i) बेहतर ओख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनिधक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या
 - (ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ). श्रवण शक्ति का ह्रास-

- (क) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ख) "ऊँचा" सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ई). "वाक् भाषा दिव्यांगता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।
- 2. "बौद्धिक दिव्यांगता" से एसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोषलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत-
- (क) विनिर्दिष्ट विघा दिव्यांगताओं" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विघमान होती है जो समझने, बोलने पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलक्लिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी है;
- (ख) स्वपरायणता स्पैक्ट्रस विकार "से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्ट: जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकाडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरण मनोदशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के कलए समग्र रूप् से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर कर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

(क) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे-

- (i) "ब्हु-स्केलेरोसिक" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरें के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- (ii) "पार्किंसंस रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और घीमा, किठन संचलन द्वारा चिहनिकंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अघपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्वास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है

(ख) रक्त विकृति-

- (i) हेमाफीलिया" से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायःपुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे स्त्री द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्त्राव हो सकता है;
- (ii) "थेलेसीमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;
 - (iii) "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, हेमोलेटिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।
- 4. बहुदिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बिधरता, अधंता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सिम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएँ अभिप्रेत है।
- कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।
- 6. अनुसूची 3 (भाग ड़) को घ्यान में रखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाने वाली संबधित बालक की विशेष आवश्यकताओं की सटीक प्रकृति।

अनुसूची 19

[विनियम 54(2) देखें]

देश के भीतर नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति

क. मैंने/ हमने, अधोहस्ताक्षरी ने, आगे दर्शाए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे या हमें अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है और मैं या हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन को कह रहे हैं।

जैविक पिता	जैविक माता
परिवारिक नाम:	परिवारिक नाम:
प्रथम नाम:	प्रथम नाम:
जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()	जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()
स्थायी पता:	स्थायी पता:

मैं/हम

- (i) एतद्वारा बालक से अपना विधिक संबंध समाप्त करता हूँ /करती हूँ /करते हैं।
- (ii) यह समझता हूँ /समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
- (iii) यह प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ /करते हैं कि बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और हमारे संबंधी को दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू हो)।
- (iv) यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि हमारी यह सहमति भुगतान या किसी भी प्रकार के प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।
- (v) अपने बालक या बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2 (52) की परिभाषा के अधीन आने वाले अपने नातेदार को दत्तकग्रहण में देने के लिए सहमत हूँ/सहमत हैं।

बालक का कुटुम्ब नाम:
प्रथम नाम:
लिंग: पुरुष [] स्त्री [] अन्य []
जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()
जन्म स्थान:
पता:
मैं/हम यह घोषणा करता हूँ /करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।
मेंको हस्ताक्षरित
(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

जैविक पिता जैविक माता

टिप्पण: यदि जैविक माता/पिता जीवित नहीं है, जैविक माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

ख. यदि बालक ने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उस बालक की सहमति

जैविक माता-पिता के प्रतिहस्ताक्षर

ग. बालक या बालकों का दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता या पिता (माता-पिता)

दत्तकग्रहण करने वाला पिता	दत्तकग्रहण करने वाली माता
परिवारिक नाम:	परिवारिक नाम:
प्रथम नाम:	प्रथम नाम:
जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()	जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()
स्थायी पताः	स्थायी पता:
बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध:	बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध:

٦٠			_		0
म	या	हम.	अध	ाहस्त	ाक्षरी:

- (i) ऊपर क पर उल्लिखित बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए मेरी या हमारी स्वेच्छा से मेरी या हमारी सहमित देता हूँ / देती हूँ या देते हैं।यह समझता हूँ /समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी ऑर विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।
- (iii) मैं या हम यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मैंने या हमने उपरोक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

~·	_	\sim
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<u> </u>	
	 ભા	हस्तालारत
	 ٠,	(,

(दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता या पिता (माता-पिता) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

दत्तकग्रहण करने वाला पिता

दत्तकग्रहण करने वाली माता

जैविक माता-पिता का फोटो	दत्तक माता-पिता का फोटो

घ. साक्षियों द्वारा घोषणा

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।

- (क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता
- (ख) पहचान के साक्ष्य के साथ दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता

.....को हस्ताक्षरित

(जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता/संरक्षकों और साक्षियों के फोटो सामने चिपकाए जाने और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।)

ङ. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

उपर्युक्त	सम्मतियों	और प	ारिवारिक	वृक्ष सहित	समर्धित	दस्तावेजों वे	_म आधार	पर,	बालक	कल्याण	समिति	 (जिले
का नाम) विधिवत	इस म	ामले को न	मातेदार द्व ा	ा दत्तकग्र	ाहण का माग	ग्ला होने	की पु	पुष्टि कर	ती है।		

 मेंक	ो हस्ताक्षरित
बाल कल्याण सरि	नेति की महर

बाल कल्याण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुसूची 20

[विनियम 7(22), 55(2) और 55(9) देखें]

किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक या बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए जैविक माता या पिता के साथ-साथ सौतेले माता या पिता की सहमति

क. में य	ा हम, अधीहस्ताध	क्षरा:	
जैविक	पिता		जैविक माता
परिवार्	रेक नाम:		परिवारिक नाम:
प्रथम न	ाम:		प्रथम नाम:
जन्म की	ो तारीख: तारीख	() माह () वर्ष ()	जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()
स्थायी	पता:		स्थायी पता:
(i)		लक या बालकों (नाम, लिंग, अभ्यर्पित करता हूँ /करती हूँ	जन्म की तारीख) से मेरा या अपना नैसर्गिक या करते हैं।
(ii)			ा दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता या माता/पिता और बालक का स्थायी ऑर विधिक संबंध स्थापित हो
(iii)	कर दी है और	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	बालक या बालकों ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान । माता/पिता को माता या पिता के रूप में स्वीकार करने का/की/के
(iv)	*	रता हूँ /करती हूँ/करते हैं कि न या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है	मेरी या हमारी उक्त सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है और किसी भी ।
(v)	यह घोषणा कर	ता हूँ /करती हूँ/करते हैं कि मैंं	ने या हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।
	में	को हस्ताक्षरित	
(जैविक	माता-पिता के हर	स्ताक्षर या अंगूठे का निशान)	
जैविक ी		जैविक माता	
ख. बाल कर ली		के समक्ष क(i) पर उल्लिखित	बालक या बालकों की सहमति, यदि उसने पांच वर्ष की आयु पूरी

ग. बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाला सौतेले माता/पिता और जैविक माता या पिता

परिवारिक नाम:
प्रथम नाम:
जन्म की तारीख: तारीख () माह () वर्ष ()
स्थायी पता:
हम, अधोहस्ताक्षरी
(i) ऊपर क(i) पर उल्लिखित बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति देता / देती हूँ या देते हैं।
(ii) यह समझता/समझती हूँ कि इस दत्तकग्रहण से बालक या बालकों का मेरे या हमारे साथ इस संबंध से जुड़े सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ स्थायी माता/पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
(iii) यह घोषणा करता/करती हूँ या करते हैं कि मैंने या हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
में को हस्ताक्षरित
(सौतेले माता/पिता और जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
सौतेले माता/पिताजैविक माता-पिता
घ. साक्षियों द्वारा घोषणा
मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।
(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता
(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता
में को हस्ताक्षरित
टिप्पण:
(i) यदि जैविक माता या पिता जीवित नहीं है, उनका / उसका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

- (ii) जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता, बालक या बालकों का दत्तकग्रहण वाले पित/पत्नी और गवाहों के प्ररूप प्रपत्र में सामने चिपकाए जाने और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।
- (iii) यदि पति-पत्नी दोनों द्वारा अपने-अपने पूर्व के विवाह से बालकों का त्याग/अभ्यपर्ण किया जा रहा है, तो अलग-अलग सहमति पत्र भरा जाएगा।
- (iv) केवल माता-पिता को ही बालक या बालको का पूर्ण संरक्षक अधिकार होगा।

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	सौतेले माता-पिता का फोटो

इ. बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र

उपर्युक्त सहमतियों और समर्थित दस्तावेज़ों के आधार पर बाल	। कल्याण समिति	(जिले का नाम), जिला
मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तकग्रहण आदेश जारी किए जाने के अध्यधीन,	क(i)पर उल्लिखित बालक या बा	लकों को केवल
(सौतेले माता या पिता) और	(जैविक माता या पिता)	द्वारा दत्तकग्रहण करने के
लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करती है।		
	;;	
	н	को हस्ताक्षरित

बालक कल्याण समिति की मुहर

बाल कल्याण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुसूची 21

[विनियम 55(9), 57(1) और 68(5) देखें] बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

(जिला बालक संरक्षण इकाई के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाएं)

घर के दौरे की तारीख:

जिला बालक संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि का नाम:

1. बालक का व्यक्तिगत ब्यौरा

- 1.1 बालक का पूरा नाम:
- 1.2 लिंगः पुरुष, स्त्री, अन्य
- 1.3 जन्म की तारीख (बालक का जन्म प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए):
- 1.4 जन्म-स्थान:
- 1.5 धर्म:
- 1.6 बोली जाने वाली भाषा (यदि लागू हो):
- 1.7 कुटुंब में जन्म का क्रम:
- 1.8 वर्तमान शैक्षणिक स्थिति:
- 1.9 बालक का सामान्य व्यक्तित्व और वर्णन:
- 1.10 बालक की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि:

2. बालक के जैविक माता-पिता या संरक्षक का ब्यौरा, जैसी भी स्थिति हो।

पिता/संरक्षक का ब्यौरा	माता/संरक्षक का ब्यौरा
जन्म की तारीख और आयु	जन्म की तारीख और आयु
धर्म	धर्म
राष्ट्रीयता	राष्ट्रीयता
वर्तमान और स्थायी पता	वर्तमान और स्थायी पता
शैक्षिक अर्हताएं	शैक्षिक अर्हताएं
वर्तमान व्यवसाय	वर्तमान व्यवसाय
कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाए)	कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाए)
क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाए)	क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाए)

3. जैविक माता-पिता/संरक्षक के साथ रह रहे परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा (अन्य व्यक्ति जो घर में या घर से बाहर रहते हैं)

पूरा नाम	आयु/लिंग	व्यवसाय का ब्यौरा	वैवाहिक स्थिति	बालक से संबंध

- 4. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में कुटम्ब के प्रत्येक सदस्य के विचार:
- 5. जैविक कुटुंब और दत्तकग्रहण करने वाले परिवार के बीच संबंध (कृपया परिवारिक वृक्ष संलग्न करें)
- 6. जिला बालक संरक्षण इकाई की टिप्पणियां:

[जिला बालक संरक्षण इकाई को जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के विषय में परामर्श प्रदान करना अपेक्षित है, और किसी बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव करने के कारण बताने हैं। इसके अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण इकाई को यह उल्लेख करना है कि क्या दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता ने बालक से विचार-विमर्श किया है, यदि हां तो कब, तथा दत्तकग्रहण के कारण या उद्देश्य क्या हैं। जिला बालक संरक्षण इकाई जैविक परिवार के घर का वर्णन भी करे तथा यह भी बताए कि क्या बालक या बालकों के माता-पिता भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के संपर्क में हैं, रहने के स्थान तथा दत्तकग्रहण करने वाले कुटुंब के साथ बालक का फोटो इत्यादि भी प्रस्तुत करें।]

जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं:

क) क्या बालक देश की विधि के अनुसार दत्तकग्रहण के योग्य है और विशेष रूप से दत्तकग्रहण का/के क्या कारण है/हैं?

- ख) क्या जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के बारे में परामर्श दिया गया है कि दत्तकग्रहण के परिणामस्वरूप बालक और उनके मूल परिवार के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाएंगे?
- ग) अपेक्षित विधिक प्ररूप में जैविक माता-िपता की सहमित इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि यह किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।
- घ) क्या दत्तकग्रहण के प्रभावों के बारे में बालक को पूर्ण रूप से परामर्श दिया गया है?
 (पांच वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में लागू नहीं)
- ङ) बालक को परामर्श किसने प्रदान किया है? माता-पिता या संरक्षक या बाल कल्याण समिति या सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता या शिक्षक या चाचा या चाची / ताई/ ताया/ माया/ मामी / भाई-बहन / दादा-दादी / कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- च) अपेक्षित विधिक प्ररूप में बालक की सहमति, यदि वह पांच वर्ष से अधिक आयु का है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बालक को बिना किसी प्रलोभन के परामर्श दिया गया है और वह दत्तकग्रहण के प्रभावों से पूरी तरह से अवगत है।
- छ) दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता (यदि कोई हो तो चिकित्सा जांच रिपोर्ट में दर्शाई जाए)
- ज) क्या बालक को दत्तकग्रहण के कारण माता-पिता-बालक के संबंध की विधिक रूप से समाप्ति के बारे में पता है? (यदि बालक की आयु पांच वर्ष से कम है, तो लागू नहीं है)
- झ) बालक को देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए स्थानन न करने का कारण क्या हैं, [यदि लागू हो]
- ञ) बालक को जैविक कुटुम्ब से अलग करने का औचित्य। (न्यूनतम 100 शब्दों में) [यदि लागू हो]

7. क्या परिकल्पित स्थानन बालक के सर्वोत्तम हित में है:

जिला बालक संरक्षण अधिकारी का नाम जिला बालक संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर/तारीख सहित

रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

क) <u>जैविक माता-पिता से संबंधित दस्तावेज:</u>

- 1. जैविक कुटुम्ब या संरक्षक के निवास का साक्ष्य
- 2. जैविक कुटुम्ब या संरक्षक के जन्म की तारीख का साक्ष्य
- 3. यदि जैविक माता-पिता को कोई बीमारी है, तो चिकित्सा प्रमाणपत्र
- 4. जैविक माता-पिता की सहमति को दर्शाने वाला शपथपत्र

ख. बालक से संबंधित दस्तावेज

- 1. बालक के जन्म की तारीख का साक्ष्य
- 2. दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट
- 3. यदि बालक की आयु पांच वर्ष से अधिक है, तो दत्तकग्राही बालक की सहमित को दर्शाने वाला शपथपत्र
- 4. जैविक माता-पिता के साथ बालक का फोटो
- 5. दत्तकग्राही के साथ बालक का फोटो

अनुसूची 22

[विनियम 54(2) देखें]

बालक के रिश्तेदार द्वारा उसको दत्तकग्रहण में लेने के लिए उसके अविभावक द्वारा दी गई सहमति पर बाल कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों या सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)

अ. मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, बाल कल्याण समिति (जिला-----) के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करता हूँ /करती हूँ/करते हैं:

पुरुष सं	रक्षक	स्त्री संरक्षक	
नाम		नाम	
उप नाम	т	उप नाम	
पिता क	ा नाम	पिता का नाम	
जन्म की	ा तारीख: दिन () माह () वर्ष ()	जन्म की तारीख: दिन () माह () वर्ष ()	
स्थायी प	नता:	स्थायी पता:	
वर्तमान पता:		वर्तमान पता:	
जो बाल तारीख: माता-पि माता-पि	तारीख () माह () वर्ष (), जन्म स्थान और वर्तमान में गेता (दोनों) की मृत्यु हो जाने के कारण मेरी या हमा गेता मेरे या हमारे है/हैं (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट	लिंग: लड़का () लड़की (), अन्य () जन्म की , सुपुत्री/सुपुत्र, स्थायी निवासी पते पर रहा / रही है, वह बालक अपने री अभिरक्षा में है। ऊपर वर्नित बालक या बालकों के नैसर्गिक करें और समर्थन में दस्तावेजों के साक्ष्य संलग्न करें)।	
मैं या हम (i) नामक बालक को दत्तकग्रहण के लिए मेरे या हमारे संबंधी को अभ्यर्पित किए जाने के लिए सहमति प्रदान करता/करती हूँ या करते हैं।			
(ii)	उक्त बालक या बालकों के साथ संरक्षक-प्रतिपाल्य का विधिक संबंध समाप्त करता हूँ /करती हूँ या करते हैं।		
(iii)	यह समझता/समझती हूँ या समझते हैं कि उक्त बालक का दत्तकग्रहण भारत या विदेश में रह रहे उनके संबंधी द्वारा किया जाएगा।		
(iv)	यह समझता हूँ/समझती हूँ अथवा समझते हैं कि इस बालक के दत्तकग्रहण से उसका दत्तकग्रहण करने वाले माता- पिता के साथ स्थायी माता – पिता बालक का संबंध स्थापित हो जाएगा।		
(v)	मेरा या हमारा बालक पर कोई अधिकार नहीं होगा।		
(vi)	मै या हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ या करते हैं कि मैंने अथवा हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक समझ लिया है।		
(vii)	मेरी या हमारी अपनी सहमति के प्रभावों की जानक	ारी है।	
(viii)	बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्र हस्ताक्षर कर रहा हूँ/रही हूँ /रहे हैं।	कार किसी संदाय या प्रतिकर प्राप्त किए बिना यह कथन पर	

..... में हस्ताक्षरित

[संरक्षक/संरक्षकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 109

ख. बालक का दत्तकग्रहण कर रहे बालक के रिश्तेदार की स्वीकृति:

दत्तक ग्राही पिता	दत्तक ग्राही माता
कुटुम्ब नाम:	कुटुम्ब नाम:
पहला नाम:	पहला नाम:
जन्म की तारीख: दिन () माह () वर्ष ()	जन्म की तारीख: दिन () माह () वर्ष ()
स्थायी पता:	स्थायी पता:

मैं या हम

- (i) यह स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ / करते हैं और समझता हूँ/ समझती हूँ अथवा समझते हैं कि इस बालक का दत्तकग्रहण हमारे साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध सृजित करेगा।
- (ii) प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ अथवा करते हैं कि सहमित किसी भी प्रकार के संदाय या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।
- (iii) यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ/करते हैं कि मैंने या हमने उपरोक्त कथन को पूर्णरूप से समझ लिया है।

को	 में	हस्ताक्षरित

[दत्तक ग्राही माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

दत्तक ग्राही पिता दत्तक ग्राही माता

ग. साक्षियों द्वारा घोषणा

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी **साक्षियों**, बालक या बालकों के संरक्षक को भली भांति जानता/जानती हूँ या जानते हैं और सहमति/अभ्यर्पण के उपर्युक्त कथन का / की / के साक्षी हूँ या हैं।

- (क) पहला साक्षी के हस्ताक्षर, नाम व पता
- (ख) दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम व पता

संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक ग्राही माता-पिता का फोटो
-----------------	--------------	--

घ. बाल	कल्याण समिति का प्रमाणन
नाम:	
पदनाम:	·
	न्याण समिति(जिले का नाम), यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति और साक्षी (यों) के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए तथा हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।
	को में हस्ताक्षरित
	बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मुहर
	अनुसूची 23
गास	[विनियम 13(10) देखें] के दत्तकग्रहण के समर्थन में जिला मजिस्ट्रेट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति
बालक	क दत्तकग्रहण क समयन म ।जला माजस्ट्रट का विशिष्ट दत्तकग्रहण आमकरण क मुख्य कायकारा / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
1 शपथपत्र	में स्थित में के रूप में कार्यरत का ग
2. मैं नि	यमानुसार सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं /करती हूं कि:
(क)	बालक (नाम, लिंग और जन्म की तारीख) के ब्यौरों की प्रविष्टि अभिहित पोर्टल पर कर दी गई है। बालक को अभिहित पोर्टल के माध्यम से दी गई विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या है।
(ख)	बाल कल्याण समिति(जिले का नाम) ने (तारीख) को बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया है।
(ग)	कि बालक का ब्यौरा अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चाइल्ड अभिनिर्देशन प्रणाली में प्रतीक्षारत भावी दत्तक ग्राही माता-पिता को निर्दिष्ट किया गया और बालक को मौजूदा भावी दत्तक ग्राही माता-पिता (रजिस्ट्रीकरण संख्या और नाम) ने दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या द्वारा यथा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार कर लिया है।
(ঘ)	द्वारा तैयार की गई भावी दत्तक ग्राही माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उपयुक्त पाई गई है।
(ङ)	दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या के अधीन गठित दत्तकग्रहण समिति ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में विनिश्चय किया है और तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दत्तकग्रहण आवेदन दायर किया जा रहा है।
	या
	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिएतारीख को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है (जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

[भाग II-	—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र	: असाधारण		111
(च)		गई दत्तकग्रहण प्रक्रिया वि ।।राऔर द			
(ন্তু)		राज्य सरकार द्वारा न्यता दी गई है , जो			संख्या के रूप
(ज)	*	ाभिकरण ने केंद्रीय दत्तक ाये का दत्तकग्रहण शुल्क प्राप्त		रण द्वारा यथा	निर्धारित मात्र
(झ)	~	ा व्यक्त करता / करती हूं कि ग ा-पिता या उनके संबंधियों से रूंगा/करूंगी।	~		
(ञ)		जानकारी और विश्वास के अ त्य न पाए गए तो परिणामों ^ह	·	-	ा करता/करती हूं
		सत्या	पन		
	 गत तथ्य सत्य और सही हैं	उपर्युक्त अभिसाक्षी एतत् द्वा [.] ।	रा यह सत्यापित करता/क	रती हूँ कि उपर्युक्त	शपथपत्र में
				_	<u> </u>
				विशिष्ट दत्तक ग्रह	
			प्रार्	धेकृत व्यक्ति का ना	म तथा हस्ताक्षर
 किए गए		मेरी उपस्थिति में	को मेरे समक्ष	शपथ ग्रहण की गई	और हस्ताक्षर
		अनुसूर्च	रे 24		
		[विनियम	54(4)]		
		ज्य्रहण की दशा में, विनियम श भावी दत्तक – ग्राही माता-पि		अनुसार अपनी विक्	तीय और
लिए श्र	र परिवार श्री औ ो और श्रीमर्त ो के विषय में शपथपत्र।	र श्रीमती निवा ो निवासी	सी, से का उनर्व	बालक का दत्त ो सामाजिक-आर्थि	कग्रहण करने के क और वित्तीय
1.	मैं या हम	वर्ष से	में रह रहा/रही/रहे भा	रतीय नागरिक हूँ//हैं	है / हैं।
2.		गावित बालक मेरा 21 की धारा 2(52) में यथा			
3.		हमारी कुल वार्षिक आय : परिवार में बालक का पालन			ते है के स्थानीय

सत्यापन

मैं या हम और सही	, उपर्युक्त आवेदक, यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सत्य हैं।
	आवेदक
	(देश के भीतर दत्तकग्रहण की दशा में
	भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता)
प	र सत्यापित
मेरी उपरि	त्थिति में को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की गई और हस्ताक्षर किए गए।

	अनुसूची 25
	[विनियम 54(6) और 55(5) देखें]
	देश के भीतर रिश्तेदार या सौतेल माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण की दशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र
	तारीख:
<u>प्रारूप 1 -</u>	- पूर्व-अनुमोदन पत्र (रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण)
उसके रिश	नामक बालक लिंग (बालक या बालिका या अन्य) (जन्म तिथि) का तेदारों और और (अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या) तथा (रजिस्ट्रीकरण की तारीख) द्वारा दत्तकग्रहण की दिशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र।
- - -	यह कि भावी दत्तक माता पिता, बालक (बालक या बालिका) (जैविक माता पिता) का पुत्र या पुत्री, को गोद लेने के इच्छुक है और(दत्तकग्राही माता और पिता) (बालक या बालकों के नाम) के (बालक अथवा बालकों के नाम के साथ नाता विनिर्दिष्ट करे) है और इसलिए किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2 की उपधारा (52) के अधीन दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए एक ' रिश्तेदार' है।
	यह कि भावी दत्तक माता-पिता ने दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(1) के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराया लिया है।
7	यह कि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(2) के उपबंधों के अनुसार और दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 19 या 22 में विहित प्रारूप में जैविक माता-पिता से सहमति पत्र या बाल कल्याण समिति की अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है।
ā 2	यह कि दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 (4) के अधीन अपेक्षित अपनी सामाजिक और वित्तीय स्थिति की घोषणा करने वाले भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता का शपथपत्र विहित प्रारूप, अर्थात दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 24 के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया है और जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा सम्म्यक रूप से मत्यापित किया गया है और संतोषजनक पाया गया है।

- 6. यह कि भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(5) के अनुसार जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं, चूंकि उन्होंने देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण करने के लिए, किशोर न्याय (बालक की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
- 7. यह कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 30 में यथाउपबंधित आवेदन के आधार पर विनियम 36(3)(घ) के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश जारी कर सकता हैं।

प्राधिकृत अधिकारी (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)

प्रेषित:- भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, जिला बालक संरक्षण इकाई एवं केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण।

प्रारूप 2 - पूर्व-अनुमोदन पत्र (सौतेले माता - पिता द्वारा दत्तकग्रहण)

बालक अन्य लिंग (बालक य	या बालिका या अन्य)(जन्म तिथि) का
उसके सौतेले माता - पिता	(अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या) एवं
रजिस्ट्रीकरण की तारीख द्वारा दत्तकग्र	ग्रहण के मामले में पूर्व-अनुमोदन पत्र।

- 2. यह कि जैविक माता पिता------ , और सौतेले पिता या सौतेली माता------ ने----- (विवाह की तारीख) को विवाह किया।
- 3. यह कि सौतेले और जैविक माता-पिता ने दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 20 के अनुसार बालक कल्याण समिति से अनुमति अभिप्राप्त कर ली है।
- 4. यह कि सौतेले और जैविक माता-पिता ने अपेक्षित दस्तावेज अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं।
- 5. यह कि जिला बालक संरक्षण इकाई ----- (जिले का नाम) ने विनियम के अनुसार सत्यापन जांच का सम्पादन कर दिया है और उल्लेख किया है कि उसमें दी गई जानकारी और दस्तावेज सत्य और सही हैं।
- 6. यह कि दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 59(5) के अनुसार सौतेले और जैविक माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के कार्यालय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ------ (जिले का नाम) से संपर्क कर सकते हैं।
- 7. यह कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की **अनुसूची 32** में यथाउपबंधित आवेदन के आधार पर विनियम 36 (3) (घ) के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश जारी कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)

प्रेषित:- भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, जिला बालक संरक्षण इकाई एवं केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण।

अनुसूची 26

[विनियम 24(1) देखें]

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन

- 1. संस्था के बारे में:
- 1.1 संस्था अथवा संगठन का नाम
- 1.2 सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्था या संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण के सुसंगत दस्तावेज और उप-नियमों, संगम ज्ञापन संलग्न किए जाएं)

- 1.3 बालक देखरेख संस्था के रूप में संस्था या संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
- 1.4 बालक देखरेख संस्था के संचालन की विधिमान्यता की अवधि
- 1.5 आवेदक या संस्था या संगठन का पूरा पता
- 1.6 एसटीडी कोड या टेलिफोन नंबर
- 1.7 एसटीडी कोड फैक्स नंबर
- 1.8 ईमेल पता
- 1.9 यदि संगठन का स्वरूप अखिल भारतीय हो तो कृपया अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं के पते दें
- 1.10 यदि पहले कभी बालक देखरेख संस्था को मान्यता प्रदान करने या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रिजस्ट्रीकरण से इनकार किया गया है?

हां या नहीं

यदि हां

- (क) उस आवेदन की संदर्भ संख्या, जिसके परिणामस्वरूप बालक देखरेख संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने से इनकार किया गया:
- (ख) इनकार करने की तारीख:
- (ग) किस विभाग ने मान्यता प्रदान करने से इनकार किया है:
- (घ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने से इनकार करने का कारण:
- 2. अवसंरचना:
- 2.1 कमरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
- 2.2 शौचालयों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
- 2.3 रसोईघर की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)
- 2.4 रोगी कक्षों की संख्या
- 2.5 भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति (भवन का अधिप्रमाणितरेखा चित्र नक्शा संलग्न की जाए
- 2.6 अनपेक्षित आपदा से निपटने की व्यवस्था: की गई व्यवस्था के स्वरूप का भी उल्लेख करें:
 - (क) कीट नियंत्रण
 - (ख) अपशिष्ट निपटान
 - (ग) भंडारण क्षेत्र
 - (घ) अन्य कोई व्यवस्था
- 2.7 किराया करार या भवन रखरखाव प्राक्ललन (जो कोई भी लागू हो) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)
- 3 संस्था या संगठन की क्षमता
- 3.1 गृह में मौजूदा बालकों की संख्या
 - क) 0-5 वर्ष
 - ख) 5-11 वर्ष
 - ग) 11-18 वर्ष
- 4 बालकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं
- 4.1 शैक्षणिक सुविधा
- 4.2 स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, जांच की बारंबारता, किए जाने वाली प्रस्तावित जांचों का प्रकार
- 4.3 बालक के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली अन्य कोई सुविधा

- 5 कर्मचारीवृंद
- कर्मचारियों की विस्तृत सूची (संलग्न की जानी है) 5.1
- 5.2 साझेदार संगठनों के नाम
- 6 बालक देखरेख संस्था पृष्ठभूमि की जानकारी
- पिछले दो वर्षो में संगठन के प्रमुख कार्यकलाप (पिछले दो वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें) 6.1
- प्रबंधन समिति या शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (दत्तकग्रहण अभिकरण चलाने के विनिश्चय के 6.2 समर्थन में संस्था की कार्यकारिणी निकाय का संकल्प संलग्न करें)
- संगठन की आस्तियो या अवसंरचना की सुची (संलग्न की जाए) 6.3
- यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या (6.4 प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- पिछले दो वर्षों में प्राप्त विदेशी अभिदायों का ब्यौरा (सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) 6.5
- सहायतानुदान वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) के साथ योजना या परियोजना का नाम, 6.6 प्रयोजन, रकम इत्यादि।
- अभिकरण के विद्यमान बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या उपदर्शित किए गए हों। 6.7
- क्या संस्था प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है। 6.8

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम. 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 को पढ़ और समझ लिया है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पूर्व में दोषी सिद्ध नहीं हुआ है या किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल-शोषण या बाल श्रमिक को काम पर रखने में संलिप्त नहीं रहा है और न ही केंद्रीय या राज्य सरकार ने कभी भी इस संगठन को ब्लैकलिस्ट किया है।

...... [संगठन अथवा संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के अधीन विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

मैं अभिहित पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन आंकड़े अपलोड करने तथा इस प्रयोजनार्थ सुविधाएं स्थापित करने का

और अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की जाने वाली

वचन देताहूँ/देती हूँ।
मैं इस विषय में केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दत्तकग्रहण विनियमों
सभी शर्तों को पूरा करने का वचन देताहूँ/देती हूँ।
मुख्य पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:
पदनाम:
पता:
जिला:
तारीख:
कार्यालय की मुहर:
हस्ताक्षर:
साक्षी संख्या 1:

साक्षी संख्या 2:

अनुसूची 27

[विनियम 11(4) देखें]

देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का प्रारूप

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता:

 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (4) के अनुसार दत्तक ग्रहण समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम
(1)		
(2)		
(3)		

[विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण - बालक देखरेख संस्था लिंकेज के माध्यम से दत्तकग्रहण के मामले में सदस्य दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 61(8) के अनुसार होंगे। समिति का कोरम विनियम 11(5) के अनुसार होगा।

- 2. समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों (सत्यापित/नोटरी से प्रमाणित) की जांच कर ली है, जो कि इस प्रकार हैं:
 - 1) वर्तमान परिवार का फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो
 - 2) माता-पिता का पैन कार्ड
 - 3) माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र या जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें)
 - 4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड या मतदाता कार्ड या पासपोर्ट या मौजूदा बिजली बिल या टेलिफोन बिल)
 - 5) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर विवरणी)
 - 6) किसी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिससे प्रमाणित होता है कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं है और वे दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड करें)
 - 7) विवाह प्रमाण पत्र/विवाह –िवच्छेद डिक्री/सक्षम अदालत से घोषणा या स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) द्वारा शासित विवाह –िवच्छेद के मामले में विवाह –िवच्छेद से संबंधित शपथ पर शपथपत्र जहां विवाह –िवच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/ पित या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लागू हो।
 - 8) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या रिश्तेदारों के दो संदर्भ पत्र।
 - 9) विवाह विच्छेद के बारे में विवाह-विच्छेद डिक्री अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा यदि विवाह विच्छेद स्वीविधि (पर्सनल लॉ) द्वारा अभिशासित है, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ अथवा पित या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की प्रति।
 - 10) परिवार में अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति की प्रति।

3. दत्तकग्रहण समिति का विनिश्च	य			
(1) समिति ने यह विनिश्चय किया है कि भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता जिनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या है, को बालक (जन्मतिथि) जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या है, का दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त समझा गया है।				
	को उपयुक्त नहीं समझा गया तो उसके कारण	т:		
()	()	()		
सदस्य 1	सदस्य 2	सदस्य 3		
(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)		
	0			
·	अनुसूची 28	<u>``</u>		
្រ	ारा 56(1), 58,61 और विनियम 13(2) वे	ख]		
अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यपि	ति बालक /बालकों के मामले में देश के भीत	र दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तत किए जाने		
	वाला मॉडल आवेदन			
[विशिष्ट दत्तकग्रहण अि	भेकरण द्वारा में जिला मजिस्ट्रेट के स	ामक्ष फाइल किया जाए]		
4 24				
1. आवेदन संख्या / वर्ष				
 भावी दत्तक माता-िपता की अभिहित पोर्टल पर रिजस्ट्रीकरण संख्या: जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता: 				
 जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता: दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 13(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन 				
4.				
या अन्य), (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन।				
आवेदक (आवेदकगण)				
1 भावी दत्तक माता-पिता की ओ	ार से संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण	· का नाम और पता·		
	 भावी दत्तक माता-िपता की ओर से संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता: यदि दत्तकग्रहण आवेदन एक लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा है, तो संबंधित बालक देखरेख संस्था का नाम 			
और पता:				
भावी दत्तक माता-पिता				
श्री सपत्र	, आयु लगभ	ग वर्षनागरिक		
	स्थायी निवास स्थान का पता			
	, आयु लगभग			

व्यवसाय:, स्थायी निवास स्थान का पता

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते है, जो इस प्रकार है:-

- 1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय अधिनियम" कहा गया है) की धारा 65 के अधीन ____ राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण है।
- 2. कि आवेदक को बालक लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख:) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह इस बालक को उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने का इच्छुक है।
- 3. कि सह-आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख:) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है।

[टिप्पणी: इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा हो।]

- 4. कि बालक अथवा बालकों..... (लड़का या लड़की या अन्य, जन्म की तारीख:......) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बाल कल्याण समिति जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
- 5. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता वर्तमान में (पूरा पता) में रह रहे भारत के निवासी हैं।
- 6. कि उन्हें उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 और दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 5 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए योग्य और उपयुक्त पाया गया है।
- 7. कि दत्तकग्रहण समिति द्वारा भी भावी दत्तक माता-पिता को उपर्युक्त नामित बालक/ बालकों को गोद लेने के लिए उपयुक्त पाया गया है। दत्तक ग्रहण समिति के निर्णय की एक सत्य प्रति भी संलग्न है।
- 8. कि उपर्युक्त बालक अथवा बालकों को उक्त भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल के माध्यम से आरक्षित किया गया है और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर को हस्ताक्षर करके उक्त बालक अथवा बालकों को स्वीकार किया है।
- 9. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58 (3) और दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 12(1) के उपबंधों के अनुसार, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र (सत्य प्रति संलग्न) प्राप्त करने के बाद बालक अथवा बालकों को को उक्त भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में दिया गया है।
- 10. कि बाल संरक्षण समिति ने तारीख की अपनी बैठक में बालक अथवा बालकों को भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण में स्थानन करने का विनिश्चय किया है।
- 11. कि भावी दत्तक माता-पिता ने उक्त दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र में यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कार्यकारी को अपने घर आने की अनुमित देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58(5) की परिकल्पना के अनुसार)।
- 12. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे, अपने निवास स्थान में किसी भी बदलाव (इस आवेदन में सूचित निवास स्थान से भिन्न) की सूचना, दत्तकग्रहण-पश्चात अनुवर्तन के प्रयोजनार्थ, आवेदक(कों), संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण तथा जिला बालक संरक्षण इकाई को देंगे।
- 13. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक अथवा बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक अथवा बालकों को अपने नैसर्गिक बालक के समान परिस्थिति अथवा अधिकार अथवा

सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसा कि इस आवेदन के साथ संलग्न दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र में कहा गया है।

- 14. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 15. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 16. कि जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 58(3) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- 17. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 18. कि आवेदक/(कों) ने किसी अन्य जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।
- 19. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है:
 - (क) कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
 - (ख) कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।

स्थान और तारीख:

आवेदक सं. 2 (यदि लागू हो)

आवेदक सं. 1

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

सत्यापन

मैं अथवा हम, श्री/श्रीमती, आयु लगभग ___, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता, शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यिनष्ठा से यह पुष्टि करता /करती हूँ अथवा करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

आवेदक सं. 1 (नाम एवं हस्ताक्षर, मुहर सहित)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित, स्थान और तारीख)

अनुसूची 29

[धारा 59 और विनियम 18(2) देखें]

अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए मॉडल आवेदन

[विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा फाइल किया जाए]

- 1. आवेदन संख्या ____/ वर्ष
- 2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
- 3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
- 4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 18(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 59(7) के अधीन नामक बालक (लड़का या लड़की या अन्य), (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन।

आवेदक (आवेदकगण)

- 1. भावी दत्तक माता-पिता की ओर से संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता:
- 2. यदि दत्तकग्रहण आवेदन एक लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा है, तो संबंधित बालक देखरेख संस्था का नाम और पता:

भावी दत्त	तक माता-पिता				
श्री	सुपुत्र	,	आयु लगभग	 वर्ष,	नागरिक
	, व्यवसाय	स्थायी निवास स्था	ान का पता	 	:
		पत्नी	-		
	व्यवसाय:	स्थायी निवास स्थान	[·] का पता	 	

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-

1.	कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय
	अधिनियम" कहा गया है) की धारा 65 के अधीन राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और
	दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम
	से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण है।

- 2. कि आवेदक को बालक (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख:) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह इस बालक को उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने का इच्छुक है।
- 3. कि सह-आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख:) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है।

[टिप्पण: इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा हो।]

- 4. कि बालक अथवा बालकों..... (लड़का या लड़की या अन्य, जन्म की तारीख:......) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
- 5. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता वर्तमान में (पूरा पता) में रह रहे भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या विदेशी नागरिक हैं।
- 6. कि भावी दत्तक माता-पिता को प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय अभिकरण (नाम और पता) द्वारा तथा उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर और उनके निवास के देश के कानून के अनुसार, दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है।
- 7. कि भावी दत्तक माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 में उल्लिखित मानदंडों और दत्तक ग्रहन विनियम के विनियम 5 के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा योग्य पाया गया है।
- 8. कि उक्त नामित बालक अथवा बालकों को उक्त भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन आरक्षित किया गया है और भावी दत्तक माता-पिता ने बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर को हस्ताक्षर करके स्वीकार किया है।
- 9. कि भावी दत्तक माता-िपता ने प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी अथवा संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 59(11) में यथापरिकल्पित, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता या कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे।
- 10. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक अथवा बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक अथवा बालकों को अपनी नैसर्गिक संतान के समान प्रास्थिति अथवा अधिकार अथवा सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- 11. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 12. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

- 13. कि आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारिता के अधीन हैं, और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 59(7) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने की अधिकारिता प्राप्त है।
- 14. कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 17 में यथाउपबंधित प्रस्थावित दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।
- 15. कि आवेदक/(कों) ने किसी अन्य जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।
- 16. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 17. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:
- (क) उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त बालक अथवा बालकों का माता-पिता घोषित करने तथा उक्त बालक अथवा बालकों को उस देश ले जाने की अनुमति देने कृपा करें, जिस देश में उन माता-पिता का निवास स्थान है, ताकि वे उक्त बालक अथवा बालकों का पालन-पोषण अपने बालक की भांति कर सकें।
- (ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 19 (5) और विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्य दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।
- (ग) संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 42 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान और तारीख:

आवेदक सं. 1

आवेदक सं. 2

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो
--------------	------------------------------

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती, आयु लगभग ___, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता, एतद्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यिनष्ठा से यह पृष्टि करता /करती हूँ कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 123

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित, स्थान और तारीख)

[टिप्पण: भारत में निवासरत विदेशी नागरिकों के मामले में, आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त संशोधन किया जाए]

अनुसूची 30

[धारा 2(52), 56(2) और विनियम 54(8) देखें] देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[भावी दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल किया जाए]

1.	आवेदन संख्या / वर्ष
2.	भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3.	जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4.	दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(2) के अधीन नामक बालक (बालक या बालिका), (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन
भावी द	तक माता-पिता (आवेदक)
	सुपुत्र वर्ष, नागरिक , व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पता
	, व्यवसाय:, स्थायी निवास स्थान का पता

20		20		\sim
नैसर्गिक	अथवा	जावक	माताः	-ापता

	सुपुत्र वर्ष, नागरिक , व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पता:
	, व्यवसाय:पत्नी, स्थायी निवास स्थान का पता
आवेदक	जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो इस प्रकार है:-
1.	आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (जिसे इसमे इसके पश्चात किशोर न्याय अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 (52) के अधीन बालक (बालक अथवा बालिका) के भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।
2.	आवेदक बालक के चाचा / ताऊ या चाची/ ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना- नानी हैं।
3.	बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने को जन्म दिया था और वे के निवासी हैं।
4.	नैसर्गिक माता-पिता कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने में इच्छुक हैं।
5.	भावी दत्तक माता-पिता कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने में इच्छुक हैं।
6.	आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ उपब्ध्द है। (यदि नैसर्गिक माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बाल कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपबध्द किए जाएंगे।)
7.	जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं।

या

जिस बालक या बालिका के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।

- 8. नैसर्गिक माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपिर कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे सभी अधिकारो और दायित्वो सहित।
- 9. दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या प्रतिफल दिया है या देने के लिए सहमित प्रदान की है और न ही नैसर्गिक माता-पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या प्रतिफल प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमित प्रदान की है।
- 10. प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में अधिकाधिक शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 11. बालक अथवा बालकों को देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 12. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

- 13. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।
- 14. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

15. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:

- क) आवेदको को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
- ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को विनियमों के विनियम 19(5) और विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

सत्यापन

मैं या हम, श्री/श्रीमती, शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन की अंतर्वस्तु मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी माता-पिता

नाम		हस्ताक्षर
जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी माता-पिता का फोटो

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के में यथाउपबिंधत उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित, स्थान और तारीख)

अनुसूची 31

[धारा 2(52), 60 और विनियम 59(4) देखें]

रिश्तेदार द्वारा अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[भावी दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल किया जाए]

1.	आवेदन संख्या / वर्ष
2.	भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3.	जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4.	दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 60 के अधीन नामक बालक (बालक या बालिका), (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन
भावी द [्]	तक माता-पिता (आवेदक)
	सुपुत्र वर्ष, नागरिक , व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पता:
	, व्यवसाय: स्थायी निवास स्थान का पता
नैसर्गिक	अथवा जैविक माता-पिता
	सुपुत्र वर्ष, नागरिक , व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पतां
	, व्यवसाय:, स्थायी निवास स्थान का पता
आवेदक	जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो नियमानुसार है:-
1.	आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (जिसे इसमेन इसके पश्चात किशोर न्याय अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 (52) के अधीन बालक (बालक या बालिका) के भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।
2.	आवेदक बालक के चाचा/ ताऊ या चाची/ ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।
3.	आवेदक के निवासी हैं।
4.	को जन्म दिया था और वेको निवासी हैं।
5.	नैसर्गिक माता-पिता कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने के इच्छुक हैं।
6.	भावी दत्तक माता-पिता कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हैं।

- आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ उपाबद्ध है। (यदि नैसर्गिक माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनसार बाल कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेज उपाबद्ध किए जाएंगे।)
- 8. जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आय्), जो कि अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है।

या

जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छक है।

- ै नैसर्गिक माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे सभी अधिकारो और दायित्वो सहित ।
- 10. दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई संदाय या प्रतिफल दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही नैसर्गिक माता-पिता या संरक्षकों ने कोई संदाय या प्रतिफल प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।
- 11. प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- 12. बालक अथवा बालकों को में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
- 13. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- 14. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए किसी देश के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।
- 15. प्राप्तकर्ता देश से अनुज्ञा (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का अनुच्छेद 5 अथवा 17) पहले ही आवेदन के साथ संलग्न कर
- 16. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने पहले ही को पूर्व-अनुमोदन पत्र (प्रति संलग्न) जारी कर दिया है।
- 17. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

18. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:

- क) आवेदकों को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने और आवेदकों को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
- ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।
- ग) संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 19(4) और 42 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।

सत्यापन

मैं या हम, श्री/श्रीमती, शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यिनष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन की अंतर्वस्तु मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी माता-पिता

नाम		हस्ताक्षर
जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी माता-पिता का फोटो

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 में यथाउपबंधित उपाबद्ध किए जाने वाले	संदर्भ	पृष्ठ सं.
	दस्तावज		

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट को अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित, स्थान और तारीख)

अनुसूची 32

[धारा 39(1), 56(1) और विनियम 55(7) और 59(5) देखें]

सौतेले और जैविक माता व पिता द्वारा बालक/ बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[जैविक और सौतेले माता अथवाव पिता द्वारा फाइल किया जाए]

	_		
1.	आवेदन	संख्या	/ वर्ष

- 2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
- 3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:

भावी द	त्तक माता-पिता (आवेदकगण)
	, आयु लगभग वर्ष, नागरिक
	व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पता
	, आयु लगभग वर्ष, नागरिक
	, व्यवसाय:, स्थायी निवास स्थान का पता
नैसर्गिक	अथवा जैविक माता-पिता (आवेदकगण)
	, आयु लगभग वर्ष, नागरिक
	, व्यवसाय स्थायी निवास स्थान का पता
	, आयु लगभग वर्ष, नागरिक
	, व्यवसाय:, स्थायी निवास स्थान का पता
	[जो लागू न हो, उसे काट दें]
	, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो इस प्रकार है:-
1.	आवेदक अनुसूची 20 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बालक अथवा बालकों के जैविक माता-पिता या सौतेले माता-
	पिता (जैविक माता-पिता के/की विधिक रूप से विवाहित पति/पत्नी) हैं।
2.	आवेदकके निवासी हैं।
3.	बालक या बालकों, (बालक या बालिका या अन्य) और जन्म की तारीख
	को नैसर्गिक माता-पिता (जैविक माता-पिता) के निवासी हैं।
1	जैविक माता-पिता, बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति/पत्नी (आवेदक) को, उससे विधिकरूप से
4.	विवाह कर लेने के कारण और वह बालक (बालकों) का दत्तकग्रहण करना चाहता/चाहती है, विधिक संबंध को
	साझा करने के इच्छुक हैं।
5.	्र दूसरे जैविक माता/पिता की सहमति प्राप्त कर ली गई है या दूसरे जैविक माता/पिता की मृत्यु हो गई है। (जो लागू
	न हो उसे काट दें)
6.	जैविक माता-पिता और बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता यह समझते हैं कि बालक
	या बालकों के दत्तकग्रहण से उनके साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
7.	दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 20 में दत्तकग्रहण के लिए यथा अपेक्षित सहमति (सहमतियां) इस आवेदन के
	साथ उपाबद्ध है(हैं)।
8.	जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने
	विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है।
	या
	जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस (उन) बालक (बालकों) ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए
_	अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह (वे) आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है (हैं)।

9. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61(1) में अधिकथित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

- 10. देश के भीतर या विदेश में किसी भी न्यायालय में उक्त बालक या बालकों की अभिरक्षा के लिए कोई मुकदमा नहीं है।
- 11. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए किसी देश के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।
- 12. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।
- 13. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- 14. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:
 - क) उक्त बालक अथवा बालकों के पिता अथवा माता का विधिक संबंध, बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता- पिता के साथ-साथ जैविक माता अथवा पिता (आवेदक) को हस्तांतरित कर दिया जाए - उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।
 - ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने या संशोधित करने का निदेश देने की कृपा करें।

आवेदक

स्थान:

तारीख:

जैविक माता या पिता अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, का फोटो	बालक का फोटो	दत्तक माता या पिता अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, का फोटो
--	--------------	--

सत्यापन

मैं या हम, श्री या श्रीमती, शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता /करती हूँ अथवा करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी दत्तक माता पिता		
(जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता)		
नाम हस्ताक्षर		

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट के परिशीलन के लिए प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित, स्थान और तारीख)

अनुसूची 33 [विनियम 36(2) देखें] दत्तकग्रहण आदेश का प्रारूप

जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय

ज़िला:	राज्य:	
अभिहि	_ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष। हण आवेदन सं वर्ष त पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या: हण आदेश का प्रकार (कृपया √ का चिह्न लगाएं)	
1.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	
2.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	

दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और

संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश

दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय

(बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 60 और 61 के

अधीन नातेदार (परिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण

3.

4.

के भीतर दत्तकग्रहण

5.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और	
	संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 39(1), 56(1) और 57(5) और 61 के अधीन	
	सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	

भाग 1

- क) आवेदक/आवेदकों का नाम और पता [भावी दत्तक माता-पिता]:
- ख) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में नियुक्त मुख्तारनामा धारक (यदि लागू हो तो):
- ग) मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागु नहीं):
- घ) बालक देखरेख संस्था का नाम और पता, यदि यह मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से संबद्ध है (जहां कहीं भी लागू हो):
- ङ) नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में जैविक माता-पिता का नाम, (यदि लागू हो):
- च) जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
- छ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण:
- ज) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकृत दत्तकग्रहण विदेशी अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन का नाम और पता:

भाग 2

- क) यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा जिला बालक संरक्षण ईकाई...... के माध्यम से को दत्तकग्रहण का आवेदन फाइल किया गया है और दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में यथा उपबंधित जाँच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है। [नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में, आवेदन सीधे जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाए]
- ख) यह कि आवेदकगण ने बालक को एक नया नाम देने के लिए एक शपथपत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम ----------- है तथा तदनुसार बालक को नाम के बजाय से जाना जाएगा। (यदि लागू हो)
- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् ---------- दत्तकग्रहण के लिए पात्र और उपयुक्त पाए गए हैं [देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त या अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी निराक्षेप प्रमाणपत्र के आधार पर];
- (ii) बालक की इच्छा पर सम्यक रूप से विचार किया गया है। (पांच वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में);
- (iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में यथाउपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के (v) महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता-पिता का नाम और बालक की जन्म तिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पांच दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश दिया जाता है।
- यदि बालक अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक (vi) संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए, जबकि अन्य सभी मामलों में आदेश को संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अपलोड किया जाएगा।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट का नाम

तारीख:

कार्यालय का पता और मृहर

प्रति प्रेषित – सभी संबंधित व्यक्ति

[रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण या सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में, आवेदन केवल जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा फाइल किया जाएगा और दत्तकग्रहण आदेश को तद्नुसार संशोधित किया जा सकेगा।]

अनुसूची 34 [विनियम 36(10) देखें] दत्तकग्रहण विघटन आदेश का प्रारूप

जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय

ज़िला:	राज	य:
दत्तकग्रहण आवेदन अभिहित पोर्टल पर	जेस्ट्रेट के समक्ष। पत्र संवर्ष र भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या:	
दत्तकग्रहण आदेश व	का प्रकार (कृपया √ का चिह्न लगाएं)	
(बालकों व	ा विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्यार की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 बे गाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	
(बालकों व	ा विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्यार की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 वे गथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	
	ा विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख औ गंशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश इत्तकग्रहण	

	١.	दत्तकग्रहण विनियम	r, 2022 के वि <u>र</u>	नियम 56, 57,	58 और 59 के स	गथ पठित किशोर	न्याय	
		(बालकों की देखरेख	और संरक्षण) सं	ांशोधन अधिनिय	ाम, 2021 की धार	ा 2(52), 60 और 6	61 के 📗	
		अधीन नातेदार (परि	रेवारिक अथवा स	गैतेले) द्वारा अंत	र-देशीय दत्तकग्रहण			
5	5.	दत्तकग्रहण विनियम	, 2022 के विनि	यम 55 के साथ	पठित किशोर न्याय	(बालकों की देखरेख	ा और	
		संरक्षण) संशोधन अ	ाधिनियम, 202 [,]	1 की धारा 56	(1), 39(1) और 5	7(5) और 61 के उ	अधीन 📗	
		सौतेले बालक का देश	श के भीतर दत्तक	ग्रहण				
भा	ग 1							
क)	अ	विदक/आवेदकों का ना	ाम और पता [भा	वी दत्तक माता-	पेता]:			
ख)	अं	तर-देशीय दत्तकग्रहण	के मामले में निय्	युक्त मुख्तारनामा	। धारक (यदि लागू	हो तो):		
ग)		ान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्त — —ः	तक ग्रहण अभिक	रण का नाम औ	र पता (नातेदार या	सौतेले बालक के दर	तकग्रहण के म	ामले में
		ागू नहीं):	2	0 00	6	.	. 0. 0	
घ)		ालक देखरेख संस्था क े		~	~			Į):
ङ)		ातेदार या सौतेले बाल			वेक माता-पिता का	नाम और पता (यदि	लागू हो):	
च)	তি	ोला बालक संरक्षण इ	काई का नाम औ	र पता:				
छ)	रा	ज्य दत्तकग्रहण संसाध	ान अभिकरण:					
ज)		तर-देशीय दत्तकग्रहण		-	हण विदेशी अभिकर	ण या केंद्रीय प्राधिव	करण अथवा स	गरकारी
	वि	भाग अथवा भारतीय	मिशन का नाम	और पता:				
भा	ग 2							
क)	दत्त	क माता-पिता	ने	तारी	ख के दत्तकग्रहण	आदेश के तहत	(विशिष्ट
		कग्रहण अभिकरण या					_	
		ा) के माध्यम से				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
		(जन्म ी कैः	तिथि) का दत्तकग्र	प्रहण किया था ³	ग़ेर क	ो एक दत्तकग्रहण सर	मापन आवेदन	फाइल
		π है।	2		2 2 7 7	6		
ख)		क माता-पिता को	- आर का प	परामशादया गर	ग्रा ह आर व अपन द	TATION TACET OF	` ` `	c -> ->-
/		o r i) or arr i				त्तकग्रहण-।ववटन अ	ावेदन के संदभ	र्ग मेरे
ग)	_	क्ष पेश हुए। —-				•		
,	तम विघ	.		ारण	यह	त्तकग्रहण-ाववटन अ तथ्य	ावेदन के संदभ हैं	र्ग में मेरे कि
,	_	.		ारण		•		
,	_	.		ारण		•		
,	_	.		ारण		•		
,	विघ 	ाटन के	क		यह	तथ्य	हैं	कि
,	विघ मैं,	ाटन के 	क को जारी किए ग	ाए दत्तकग्रहण अ	यह यह गादेश को समाप्त कर	तथ्य .ता हूँ क्योंकि दत्तक	हैं संबंध अब ब	कि
ੱ ਬ)	विघ मैं, सर्वो	ाटन के तारीख रित्तम हित में नहीं है अं	क को जारी किए ग ग़ैर दत्तक माता-ि	ाए दत्तकग्रहण अ पेता और बालक	यह गादेश को समाप्त कर भली-भांति सामंजन	तथ्य ता हूँ क्योंकि दत्तक त्य स्थापित नहीं कर	हैं संबंध अब ब पा रहे हैं।	कि !लक के
ੱ ਬ)	विघ मैं, सर्वो	ाटन के 	क को जारी किए ग ग़ैर दत्तक माता-ि	ाए दत्तकग्रहण अ पेता और बालक	यह गादेश को समाप्त कर भली-भांति सामंजन	तथ्य ता हूँ क्योंकि दत्तक त्य स्थापित नहीं कर	हैं संबंध अब ब पा रहे हैं।	कि !लक के
ੱ ਬ)	विघ मैं, सर्वो भाव	ाटन केतारीख ित्तम हित में नहीं है अं	क को जारी किए ग गौर दत्तक माता-र्ि श्री और अनुशंसा	ाए दत्तकग्रहण अ पेता और बालक श्रीमती	यह गादेश को समाप्त कर भली-भांति सामंज को निम्न कारणों से नहीं	तथ्य ता हूँ क्योंकि दत्तक त्य स्थापित नहीं कर ा किसी अन्य बालक	हैं संबंध अब ब पा रहे हैं। का दत्तकग्रह'	कि ग ग करने जाती
ੱ ਬ)	विघ मैं, सर्वो भाव	ाटन केतारीख ित्तम हित में नहीं है अं	क को जारी किए ग गौर दत्तक माता-र्ि श्री और अनुशंसा	ाए दत्तकग्रहण अ पेता और बालक श्रीमती	यह गादेश को समाप्त कर भली-भांति सामंज को निम्न कारणों से नहीं	तथ्य ता हूँ क्योंकि दत्तक त्य स्थापित नहीं कर ा किसी अन्य बालक की	हैं संबंध अब ब पा रहे हैं। का दत्तकग्रह'	कि ग ग करने जाती
ੱ ਬ)	विघ मैं, सर्वो भाव	ाटन केतारीख ित्तम हित में नहीं है अं	क को जारी किए ग गौर दत्तक माता-र्ि श्री और अनुशंसा	ाए दत्तकग्रहण अ पेता और बालक श्रीमती	यह गादेश को समाप्त कर भली-भांति सामंज को निम्न कारणों से नहीं	तथ्य ता हूँ क्योंकि दत्तक त्य स्थापित नहीं कर ा किसी अन्य बालक की	हैं संबंध अब ब पा रहे हैं। का दत्तकग्रह'	कि ग ग करने जाती

च) यदि बालक अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक है, तो आवश्यक परामर्श के बाद तीन दिन की अवधि के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए। [अन्य सभी मामलों में आदेश को संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अपलोड किया जाएगा।]

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट का नाम

तारीख:

कार्यालय का पता और मुहर

संपर्क सं -

प्रति प्रेषित - सभी संबंधित व्यक्ति

अनुसूची 35

[विनियम 67(1), 67(2) और 69(4) देखें]

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के मामले में सत्यापन प्रमाणपत्र

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

जिला: राज्य:

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के अनुसार, नामक बालक को जैविक माता-पिता या संरक्षक...... निवासी से दत्तक लिया है।

- 2. पक्षकारों और साक्षियों की परीक्षा के पश्चात, मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:
- क) दत्तकग्रहण विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण बालक के स्त्रोत, पात्रता और दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता सहित हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार ही किया गया है।
- ख) बालक के दत्तकग्रहण के समय दत्तक बालक या जैविक माता-पिता पर कोई दबाव नहीं था।
- ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षकारों की आपसी सहमति से संपन्न हुआ।
- घ) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में कोई मौद्रिक प्रतिफल शामिल नहीं है और दत्तकग्रहण, बालक के सर्वोत्तम हित में है।
- 3. मैने दत्तक के समर्थन की सूचना को सत्यापित कर लिया है और दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाही के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अनुशंसा करता हूं।

जिला मजिस्टेट का नाम मुहर सहित कार्यालय का पता संपर्क सं.

निदेशक (कार्यक्रम) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण वेस्ट ब्लॉक-8, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066

सूचनार्थ प्रेषित:

- 1. जन्म और मृत्यु के जिला रजिस्ट्रार
- 2. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण
- 3. जिला बालक संरक्षण इकाई

अनुसूची 36

[विनियम 68(5) तथा 69(4) देखें]

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट

हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के अधीन किए गए दत्तकग्रहण के सत्यापन के लिए जिला मजिस्टेट के लिए जांच सूची (कृपया नीचे दिए गए बॉक्स पर √ चिह्न लगाएं)

1.	जैविक माता-पिता हिंदू हैं (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार):
2.	दत्तक माता-पिता हिंदू हैं (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार):
3.	दत्तक पुरुष हिंदू की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार):
	क) स्वस्थचित्त है।
	ख) अवयस्क नहीं है।
	ग) किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम है।
	घ) अपनी पत्नी की सहमति ले चुका है (जब तक पत्नी ने पूर्णतया और अंतिम रूप से संसार का परित्याग न किया
	हो या वह अब हिंदू नहीं रही हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे विकृतचित घोषित किया

- 4. दत्तक स्त्री हिंदू की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार):
 - क) स्वस्थचित्त है।

गया हों)।

- ख) अवयस्क नहीं है।
- ग) किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम है।
- घ) अविवाहित है या यदि विवाहित है, उसका विवाह-विच्छेद हो गया है या उसके पति की मृत्त्यु हो गई है या पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो या सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम हो।
- 5. हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अधीन दत्तकग्रहण में देने में सक्षम (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार):
 - क) पिता, माता की सहमति से, जब तक कि माता पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या हिंदू न रह गई हो या सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न कर दिया गया हो।
 - ख) माता यदि पिता की मृत्यु हो गई हो या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो या हिंदू न रह गया हो या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया गया हो।
 - ग) बालक के संरक्षक को बालक को दत्तक देने का अधिकार होगा।

6. दत्तकग्रहण के लिए बालक की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसार):

- क) वह एक हिंदू है;
- ख) वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है;
- ग) उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो;
- घ) उसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

7. विधिमान्य दत्तकग्रहण की अन्य शर्तें (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अनुसार):

- क) यदि पुत्र का दत्तक है, तो दत्तकग्रहण करने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए, का कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तकग्रहण के समय न हो।
- ख) यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तकग्रहण करने वाले पिता या माता, जिसके द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाए, की कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) न हो।
- ग) यदि दत्तकग्रहण किसी पुरूष द्वारा किया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति स्त्री है, तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो।
- घ) यदि दत्तकग्रहण किसी स्त्री द्वारा किया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है, तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो।
- ङ) वही बालक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक नहीं लिया गया हो।
- च) दत्तक किये जाने वाले बालक को वास्तव में संबंधित माता पिता या संरक्षक द्वारा उनके प्राधिकार के अधीन, बालक को उसके जन्म के परिवार से अंतरण करने के आशय के साथ, दत्तक लिया और दिया गया हो।

हस्ताक्षर तारीख जिला मजिस्टेट का नाम मुहर सहित कार्यालय का पता संपर्क नं.

[फा. सं. सीडब्ल्यू-II-26/37/2021- सीडब्ल्यू-II] तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2022

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred under clause (c) of section 68 read with clause (3) of section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and in supersession of the Adoption Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the following Adoption Regulations as framed by the Central Adoption Resource Authority.

CHAPTER – I PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement.—** (1) These regulations may be called the Adoption Regulations, 2022
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—
- (1) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) 2015 (2 of 2016) Act;
- (2) "Adoption Committee" means the Committee comprising of the authorised office-bearer of the Specialised Adoption Agency concerned, its visiting doctor or a medical officer from a Government hospital and one official from the District Child Protection Unit and shall also include a representative of the Child Care Institution, in case the adoption is from a Child Care Institution other than the Specialised Adoption Agency and the committee shall be chaired by District Child Protection Officer;
- (3) "Adoption fee" means the fee as specified by the Authority to be received from the prospective adoptive parents directly, in case they are living in India and through Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department, as the case may be, in cases of intercountry adoptions;
- (4) "Biological parent" means a man or woman who is genetically father or mother of a child;
- (5) "child legally free for adoption" means a child declared as such by the Child Welfare Committee as per the format provided in the **Schedule I**, after making due inquiry under section 38 of the Act;
- (6) "Child Study Report" means the report which contains details about the child, including their date of birth and social background as per the format provided in the **Schedule II**;
- (7) "Cluster of states" for the purpose of adoption means zones or regions as defined by Government of India from time to time;
- (8) "Designated Portal" means Child Adoption Resource Information and Guidance System or any other portal to be notified by the Government from time to time designed for facilitating, guiding and monitoring the adoption programme;
- (9) "disruption" means the child being unmatched from the adoptive family due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other after placement, but prior to the completion of the legal process of adoption;
- (10) "dissolution" means the annulment of the adoption legally, due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other, after the adoption order has been obtained from the District Magistrate;
- (11) "habitual residence" means the ordinary residence of a person for at least a period of one year;
- (12) "Hague Adoption Convention" means the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoption (1993);
- (13) "Hard to place child" refers to a child who has not been placed in adoption after going through the procedure as mentioned below:
 - (a) a normal child under the age of five who has not been placed in adoption with a resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive parents within sixty days after referral;
 - (b) or a child over the age of five or siblings who has not been placed in adoption with a resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive

- parents within thirty days after referral;
- (c) categories of children mentioned in clause (a) and (b) above, who have not been placed in adoption within the prescribed time limit shall further be shown to all the prospective adoptive parents referred to in clause (a) and (b) for another seven days period;
- (d) after expiry of the stated time line in clause (c), the child shall be referred to foreign prospective adoptive parents for fifteen days;
- (e) the child not placed in adoption after clause (a) to (d) above stipulated timeline shall be categorised as hard to place.
- (14) "Home Study Report" means a report containing details of the prospective adoptive parents, which shall include social and economic status, family background, description of home and atmosphere therein and health status as per the format provided in **Schedule VII**;
- (15) "in-country adoption" means adoption of a child by a citizen of India residing in India;
- (16) "Medical Examination Report" means the report in respect of health condition of a child given by a duly licensed physician in the format provided in **Schedule III**;
- (17) "No Objection Certificate" means the certificate issued by the Authority for permitting the child to be placed in adoption with foreign or Overseas Citizen of India Cardholder or non-resident Indian prospective adoptive parents;
- (18) "older child" for the purpose of adoption means a child who is above five years of age;
- (19) "pending adoptions" means those adoption matters, where the prospective adoptive parents are already registered for adoption or who have accepted the referral of a child from a Specialised Adoption Agency before the expiry, suspension or withdrawal of recognition of such Specialised Adoption Agency;
- (20) "pre-adoption foster care" means a stage when the temporary custody of a child is given to prospective adoptive parents, till the adoption order is granted by the District Magistrate;
- (21) "resident Indian" means an Indian citizen residing in India;
- (22) "rules" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022;
- (23) "Schedule" means a Schedule annexed to these regulations;
- (24) "Section" means the section of the Act;
- (25) "special needs child" means a child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons With Disabilities Act, 2016(49 of 2016)as given in **Schedule XVIII** and **Schedule III (Part E)** of these Regulations;
- (26) "step parent" means a parent who is married to the father or mother of a child, but who is not that child's biological father or mother;
- (27) "step parent adoption" means any situation in which someone becomes a legal parent for his or her spouse's child;
- (28) The words and expressions used herein and not defined in these regulations shall have the same meaning as respectively assigned to them in that Act or the rules made thereunder.
- **3. Fundamental principles governing adoption.** The following fundamental principles shall govern adoptions of children from India, namely:—
 - (a) the child's best interests shall be of paramount consideration, while processing any adoption placement;
 - (b) preference shall be given to place the child in adoption with Indian citizens with due regard to the principle of placement of the child in their own socio-cultural environment, as far as possible;
 - (c) all applications for adoptions shall be registered on the Designated Portal and confidentiality of the same shall be maintained by the Authority.
- **4. Child eligible for adoption.**—The following shall be eligible for adoption, namely:—
 - (a) any orphan or abandoned or surrendered child, declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
 - (b) a child of a relative defined under clause (52) of section 2;
 - (c) child or children of spouse from earlier marriage, surrendered by the biological parents for adoption by the step-parent.

- **5. Eligibility criteria for prospective adoptive parents.** (1)The prospective adoptive parents shall be physically, mentally, emotionally and financially capable, they shall not have any life threatening medical condition and they should not have been convicted in criminal act of any nature or accused in any case of child rights violation.
- (2) Any prospective adoptive parent, irrespective of their marital status and whether or not they have biological son or daughter, can adopt a child subject to the following, namely:—
 - (a) the consent of both the spouses for the adoption shall be required, in case of a married couple;
 - (b) a single female can adopt a child of any gender;
 - (c) a single male shall not be eligible to adopt a girl child.
- (3) No child shall be given in adoption to a couple unless they have at least two years of stable marital relationshipexcept in the cases of relative or step-parent adoption.
- (4) The age of prospective adoptive parents, as on the date of registration, shall be counted for deciding the eligibility of prospective adoptive parents for children of different age groups as under:-

Age of the child	Maximum composite age of prospective adoptive parents (couple)	Maximum age of single prospective adoptive parent
Upto 2 years	85 years	40 years
Above 2 and upto 4 years	90 years	45 years
Above 4 and upto 8 years	100 years	50 years
Above 8 and upto 18 years	110 years	55 years

Provided that the minimum age difference between the child and either of the prospective adoptive parents shall not be less than twenty five years.

- (5) In case of a couple, the composite age of the prospective adoptive parents shall be counted.
- (6) The age criteria for prospective adoptive parents shall not be applicable in case of relative adoptions and adoption by step-parent.
- (7) Couples with two or more children shall only be considered for special needs children as specified in clause (25) of regulation 2, and hard to place children as stated in clause (13) of regulation 2 unless they are relatives or step-children.
- (8) The prospective adoptive parents have to revalidate their Home study report after a period of three years.
- (9) The seniority of the prospective adoptive parents who have not received a single referral within three years shall be counted from their date of registration except those who have crossed composite years of one hundred ten years.

CHAPTER II PROCEDURE RELATING TO CHILDREN FOR ADOPTION

- **6. Procedure relating to orphan or abandoned child.** (1) The provisions relating to the process of declaring an orphan or abandoned child, as legally free for adoption are laid down in sections 31, 32, 36, clauses (a) to (c) and clause (h) of sub-section (1) of section 37, section 38 and section 40 of the Act, as well as under the relevant provisions of the rules made thereunder.
- (2) An orphan or abandoned child received by a Child Care Institution, including a Specialised Adoption Agency, directly without the involvement of Child Welfare Committee, shall be produced before the Child Welfare Committee within twenty-four hours (excluding the journey

- time) along with a report as per the format given in Form 17 of the rules and a copy of such report shall be submitted by the Child Care Institution or the Specialised Adoption Agency, as the case may be, to the local police station within the same period.
- (3) If a child is under treatment or not in a condition to be produced before the Child Welfare Committee, only documents related to the child shall be submitted to the Child Welfare Committee within the said timeline and the Child Welfare Committee shall visit the child.
- (4) If inquiry is pending, the Child Welfare Committee shall issue an order in Form 18 of the rules for a short term placement or interim care of the child to a Child Care Institution or a Specialised Adoption Agency, as the case may be, as per the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 37 of the Act and the sub-rule (26) of rule 19 of the said rules.
- (5) On admission of the child by the order of the Child Welfare Committee, their details and photograph shall be entered online on the Designated Portal in the prescribed format by the Specialised Adoption Agency within three days of getting the order of the Child Welfare Committee, and the photograph and profile of the child shall be updated by such Agency every six months on the Designated Portal.
- (6) In case of orphan, abandoned or surrendered older children admitted in Child Care Institutions on the basis of the order from the Child Welfare Committee, the details of such children shall be entered by the District Child Protection Unit concerned on the Designated Portal.
- (7) For tracing out the biological parents or the legal guardians, the Child Welfare Committee, after taking into account the risk factors, and in the best interest of the child, may direct the District Child Protection Unit to advertise the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in a national newspaper with wide circulation in the place where the child was found within three days from the time of receiving the child and also ensure entry of data in the Track Child portal or *Khoya Paya* by the concerned Child Care Institution or Specialised Adoption Agency.
- (8) In case where the child is from another State, the publication shall be done in the known place of origin of the child in the local language and such publications including the entry of information in Track Child portal or *Khoya Paya* shall be facilitated by the State Adoption Resource Agency concerned.
- (9) In case the biological parents or legal guardian cannot be traced, despite the efforts specified in sub-regulations (7) to (8), the District Child Protection Unit shall submit a report to the Child Welfare Committee within thirty days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee.
- (10) The Child Care Institution or Specialised Adoption Agency shall submit a report to the Child Welfare Committee, immediately on completion of thirty days from the date of production of the child, before the Child Welfare Committee and the report shall include any information revealed by the child during their short term placement and details of persons whosoever approached for claiming the child, if any.
- (11) If the local police report on the non-traceability of the biological parents or legal guardians is not received within two months in the case of an orphan or abandoned child under the age of two years, and within four months in the case of child over the age of two years respectively, the parents shall be deemed to be non-traceable.
- (12) The Child Welfare Committee shall use the Track Child Portal or *Khoya Paya* to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child and incase the child's identity is established, they shall be restored to biological parents or legal guardians.
- (13) The Child Welfare Committee, after taking actions as per the provisions of the Act, rules made thereunder and these regulations shall issue an order signed by any three members of the Child Welfare Committee declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption in the format provided in the **Schedule I** within a period of three days after the expiry of two or four months, from the date of production of the child before the Child Welfare Committee, in case of a child upto two or above two years of age respectively.
- (14) The inquiry under section 36 and the order declaring an abandoned or orphan child as legally free for adoption by the Child Welfare Committee under section 38 shall be completed in the district where the child was initially found, or in the district to which the child is shifted under orders of the Child Welfare Committee.
- (15) The Child Study Report and Medical Examination Report of an orphan or abandoned child shall be prepared in the format provided in the **Schedule II** and **Schedule III** respectively and posted on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency maximum within ten days from the

- date the child is declared legally free for adoption and the details shall be updated on the Designated Portal every six months and whenever appreciable physical changes are observed in the child.
- (16) The Child Study Report and Medical Examination Report shall be in English, apart from the regional language of the concerned area.
- (17) The District Child Protection Unit shall facilitate the Specialised Adoption Agency in uploading the Child Study Report and Medical Examination Report or any other required information on the Designated Portal, in case the Specialised Adoption Agency is facing any technical difficulty.
- (18) The procedure for declaring a child of parents with mental illness or intellectual disability as legally free for adoption by the Child Welfare Committee shall be done on the basis of a certificate reflecting mental disability of the parents from the medical board constituted by the Central Government or the State Government, as the case may be, as per the laws established by the Government of India, with respect to the same.
- (19) In case of siblings or twins, the Child Welfare Committee shall specify the status of the children as siblings or twins and declare the children as legally free in a single order.
- **7. Procedure relating to a surrendered child.** (1) A parent or guardian wishing to surrender a child under sub-section (1) of section 35 of the Act, shall apply to the Child Welfare Committee as provided in the Form 23 of the rule.
- (2) For parents or guardians who are unable to give an application, due to illiteracy or any other reason, the Child Welfare Committee shall facilitate the same through the legal aid counsel provided by the Legal Services Authority.
- (3) The Deed of Surrender shall be executed on the day of production of the child as provided in the **Schedule V**.
- (4) If a female biological parent including an unwed mother is willing to surrender the child through the procedure laid down under section 35 of the Act, then the Deed of Surrender may be executed in the presence of any one female member of the Child Welfare Committee as envisaged under section 35 of the Act.
- (5) If a child born to a married couple is to be surrendered, both parents shall sign the Deed of Surrender and in case one of them is dead, death certificate is required to be furnished in respect of the deceased parent.
- (6) If a child born to a married couple is to be surrendered by one biological parent and the whereabouts of the other parent are not known, the child shall be treated as abandoned child and further procedures in accordance with regulation 6 of these regulations shall be followed.
- (7) In case of a child born out of wedlock, only the mother can surrender the child and if the mother is a minor and the guardian or the family of the minor is willing to surrender the child under the procedure given in section 35 of the Act, then the Deed of Surrender shall be signed by an accompanying adult as the witness.
- (8) Nobody other than the parents or legal guardian can surrender the child. If the surrender is by a person other than the parents or legal guardian, the child shall be treated as abandoned child and further procedures in accordance with regulation 6 shall be followed:
 - Provided that any female biological parent including an unwed mother or a minor surrendering the child is not willing to disclose her identity, such child shall be treated as abandoned.
- (9) The Child Welfare Committee shall ensure that a copy of the Deed of Surrender is given to the surrendering parents or person.
- (10) The details of the surrendered child along with their photograph shall be uploaded on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency within three days from the time of receiving the child.
- (11) Efforts shall be made by the Specialised Adoption Agency, District Child Protection Unit and the Child Welfare Committee for exploring the possibility of parents retaining the child, which shall include counselling or linking them to the counselling centre identified by the State Government, encouraging them to retain the child and explaining that the process of surrender shall become irrevocable after expiry of sixty days from the date of signing the Surrender Deed to discourage surrender by biological parents.
- (12) The Specialised Adoption Agency and the Child Welfare Committee shall ensure that the surrendering parents or the legal guardian is made aware that they can reclaim the surrendered child only within a period of sixty days from the date of surrender.

- (13) Due regard shall be given to the privacy of the surrendering parents and the surrendered child by the authorities and agencies involved in the process.
- (14) No public notice or advertisement shall be issued in the case of a surrendered child.
- (15) In case the surrendering biological parent has not claimed back the child during the reconsideration period, the same shall be intimated by the Specialised Adoption Agency to the Child Welfare Committee on completion of sixty days from the date of surrender.
- (16) The reconsideration period for the biological parents is specified in sub-section (3) of section 35 of the Act and no further notice shall be issued to the surrendering parents.
- (17) The Child Welfare Committee shall issue an order signed by at least three members declaring the surrendered child as legally free for adoption after the expiry of sixty days from the date of surrender, in the format in the **Schedule I**.
- (18) The Child Study Report and Medical Examination Report of the surrendered child shall be prepared and posted on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency, within ten days from the date the child is declared legally free for adoption, in the format in the **Schedule II** and **Schedule III** of these regulations respectively.
- (19) The Child Study Report and Medical Examination Report shall be made available in English (apart from the regional language of the concerned area) and the District Child Protection Unit shall facilitate the Specialised Adoption Agency in uploading the Child Study Report and Medical Examination Report on the Designated Portal, in case the Specialised Adoption Agency is facing any technical difficulty.
- (20) Strict confidentiality shall be maintained in cases of all documents pertaining to biological parents in all circumstances unless the surrendering parents have expressed their willingness for divulging the same:
 - Provided that only the child shall have access to the surrendered deed.
- (21) The surrender of a child before the Child Welfare Committee shall be in camera.
- (22) The surrender of child or children by the biological parents for adoption by the step-parent shall be before the Child Welfare Committee in the format provided in the **Schedule XX**.
- **8. Availability of child for adoption.**—(1) As soon as a child is declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee, such child shall be allowed to be given in adoption to prospective adoptive parents who is a resident Indian or non-resident Indian or a Overseas Citizen of India Cardholder.
 - a normal child below the age of five years shall be referred to resident Indian or nonresident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents for sixty days;
 - (b) a normal child above the age of five years or siblings shall be referred to resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive parents for thirty days;
 - (c) categories of children mentioned in clause (a) and (b) above who have not been placed in adoption in the prescribed time limit shall be made available to resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive parents for seven days irrespective of their seniority;
 - (d) thereafter, categories of children mentioned in clause (a) to (c) above shall be referred to foreign prospective adoptive parents for fifteen days.
- (2) Procedure related to special needs child or children:-If the child has any disability as listed in the **Schedule XVIII** and **Schedule III** (**Part E**) of the Medical Examination Report, such a child shall be made available for resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive parents for fifteen days and thereafter shall be made available for all categories of prospective adoptive parents.
- (3) Procedure related to hard to place children: As far as hard to place children are concerned, such children shall be made available for adoption as provided in sub-regulation (13) of regulation 2.

Explanation:-For the purposes of this regulation, it is hereby clarified that the time limit shall be calculated from the date when the certificate issued by the Child Welfare Committee declaring the child as legally free for adoption is uploaded on the Designated Portal.

- **9. Priority in adoption referral.** (1)The resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents shall be allowed choice of two states based on identity documents proof such as Aadhar Card or Passport or Voter card or Driving License or Birth Certificate or Overseas Citizen of India Card of either spouse, or otherwise they can choose a cluster of States as per their identification.
- (2) All prospective adoptive parents shall be able to indicate whether they want to adopt a specific category of child having special needs and shall be able to reserve a child from the "Hard to Place Child" category.
- (3) When resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents do not reserve a child, out of three referrals, such parents shall be debarred for a period of one year, after which they shall be eligible for fresh registration and the foreign prospective adoptive parents shall also be debarred for a period of one year if they do not reserve a child out of two referrals.
- (4) If the adoptive parents are found to be the cause of the disruption or dissolution, they shall be barred from adopting again.

CHAPTER III

ADOPTION PROCEDURE FOR RESIDENT INDIANS

- **10. Registration and home study of the prospective adoptive parents.** (1) The Indian prospective adoptive parents, if interested to adopt an orphan or abandoned or surrendered child, may apply for the same on the Designated Portal by filling up the online application form, as provided in the **Schedule VI**, and uploading the relevant documents within thirty days thereby registering themselves as prospective adoptive parents.
- (2) The prospective adoptive parents shall be permitted two state choices or they may choose a cluster of states as per their identification.
- (3) Registration on the Designated Portal shall be a deemed registration in all Specialised Adoption Agencies of the State or States they have opted for.
- (4) The prospective adoptive parents shall get their registration number from the acknowledgement slip which may be used for viewing the progress of their application.
- (5) The registration shall be completed and confirmed to the prospective adoptive parents immediately once the application form as provided in the **Schedule VI** are uploaded on the Designated Portal.
- (6) After registration, prospective adoptive parents shall apply to a Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit nearest to their residence for conducting the Home Study.
- (7) The Home Study Report of the prospective adoptive parents shall be prepared through the social worker of the selected Specialised Adoption Agency or the empanelled social worker of the District Child Protection Unit or the State Adoption Resource Agency who shall also be responsible for providing pre-adoption counselling to the prospective adoptive parents.
- (8) The Home Study Report shall be completed in the format given in the **Schedule VII**, within sixty days from the date of submission of requisite documents and shall be shared with the prospective adoptive parents immediately, thereafter.
- (9) The Home Study Report shall be posted on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency within a period of three days from the date of completion of Home Study Report.
- (10) The Home Study Report shall remain valid for three years and shall be the basis for adoption of a child by the prospective adoptive parents from anywhere in the country.
- (11) The District Child Protection Unit shall facilitate online registration of application of prospective adoptive parents, uploading of their documents and also for addressing technical difficulties faced by the Specialised Adoption Agencies.
- (12) The adoption of a child by the prospective adoptive parents, after completion of their Home Study Report, shall depend upon the availability of a suitable child.
- 11. Referral of a child from a Specialised Adoption Agency through the Designated Portal to prospective adoptive parents.—(1)The seniority of the prospective adoptive parents for child referral shall be from the date of completion of registration process on the Designated Portal.

- (2) On the basis of seniority, the prospective adoptive parents shall be referred maximum three referral with one month interval in between two consecutive referrals subject to availability of children through the Designated Portal which shall include their photographs, Child Study Report and Medical Examination Report, in their preference category, if any, from one or more Specialised Adoption Agencies.
- (3) After viewing the profile of the child or children on the Designated Portal, the prospective adoptive parents may reserve the child or children within a period of forty-eight hours for possible adoption and the unreserved child or children shall be released by the Designated Portal for other prospective adoptive parents in the waiting list.
- (4) The Specialised Adoption Agency shall get the details of the prospective adoptive parents through the Designated Portal for fixing an appointment with the prospective adoptive parents for matching, to assess the suitability of the prospective adoptive parents by an Adoption Committee as defined in sub-regulation (2) of regulation 2 and the Adoption Committee shall prepare the minutes of the meeting as per format provided in the **Schedule XXVII**.
- (5) The Chairperson and another member shall form the quorum of the Adoption Committee in case of adoption from a Specialised Adoption Agency and in case of adoption from a Child Care Institution, the committee shall constitute Chairperson and two other members of the committee as specified in sub-regulation (2) of regulation 2.
- (6) The Adoption Committee shall scrutinise the requisite documents as stipulated for the prospective adoptive parents and listed in the **Schedule IX** (**Part 1**) of the regulations.
- (7) The Specialised Adoption Agency shall organise a meeting of the prospective adoptive parents with the child.
- (8) At the time of matching, the social worker of Specialised Adoption Agency concerned shall orient the prospective adoptive parents for taking care of the child and also older child or children about their rights and responsibilities.
- (9) The entire process of matching shall be completed within a maximum period of thirty days from the date of reserving the child.
- (10) The prospective adoptive parents shall raise their grievance to District Child Protection Unit regarding the matching of the child, if any.
- (11) While accepting the child, the prospective adoptive parents shall sign the Child Study Report and Medical Examination Report which may be downloaded from the Designated Portal, in the presence of the social worker or chief functionary of the Specialised Adoption Agency and the Specialised Adoption Agency shall record the acceptance by the prospective adoptive parents on the Designated Portal.
- (12) In case the prospective adoptive parents are not selected for the child by the Adoption Committee, the reason for non-selection of the prospective adoptive parents shall be recorded on the Designated Portal.
- (13) If grounds of rejection after the enquiry are found to be due to systemic error or on non-justiciable reasons, seniority of the prospective adoptive parents shall be retained.
- (14) In case the prospective adoptive parents do not accept the reserved child, the prospective adoptive parents shall be relegated to the bottom of the seniority list, as on that date, who may avail a fresh chance when the seniority becomes due and the same procedure shall be followed in the subsequent chances.
- (15) In all cases referred to in sub-regulations (12), the reasons for not considering the prospective adoptive parents have to be clearly stated on the Designated Portal.
- (16) The registration of prospective adoptive parents shall continue till the time they have not exceeded the maximum composite age, i.e. fifty five years for single and one hundred ten years for couple as provided in sub-regulation (4) of regulation 5 and subject to revalidation of the Home Study Report in every three years.
- (17) The prospective adoptive parents may also get the Medical Examination Report of the child reviewed by a medical practitioner of their choice before giving their acceptance for adoption of the child.
- **12. Pre-adoption foster care.** (1) The child shall be taken in pre-adoption foster care by the prospective adoptive parents within ten days from the date of matching, after signing the pre-adoption foster care undertaking in the format provided in the **Schedule VIII**.
- (2) The prospective adoptive parents shall provide original documents or notarised or self-attested

copy of the original documents to the Specialised Adoption Agency as provided in the Schedule IX.

- **13. Adoption Order. (1)** The Specialised Adoption Agency shall file an application with the District Magistrate of the district through District Child Protection Unit where the child is located, along with relevant documents as provided in the **Schedule IX** within ten days from the date of matching of the child with the prospective adoptive parents.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall file an application in the office of the District Magistrate through District Child Protection Unit in the given format as provided in the **Schedule XXVIII.**
- (3) In case the child is from a Child Care Institution, which is not a Specialised Adoption Agency and is located in another district, the Specialised Adoption Agency shall file the application in the office of the District Magistrate in the district through District Child Protection Unit where the child is located and in such a case, the Child Care Institution shall be a co-applicant along with the Specialised Adoption Agency and the Child Care Institution shall render necessary assistance to the Specialised Adoption Agency concerned.
- (4) In case of siblings or twins, the Specialised Adoption Agency shall file single application with the District Magistrate through District Child Protection Unit.
- (5) The Specialised Adoption Agency shall not make any opposite party or respondent in the adoption application since an adoption case is non-adversarial in nature.
- (6) The District Magistrate shall hold the adoption proceeding in-camera and dispose of the case as early as possible, not exceeding two months from the date of filing of the adoption application by the Specialised Adoption Agency, as provided under sub- section (2) of section 61.
- (7) The adoptive parents shall not be asked in the adoption order to execute any bond or make investment in the name of the child, considering the fact that their psycho-social profile and financial status have already been ascertained from the Home Study Report and other supporting documents.
- (8) The Specialised Adoption Agency shall obtain a certified copy of the adoption order from the District Magistrate through the District Child Protection Unit and forward it to the prospective adoptive parents within ten days via e-mail and shall also upload it on the Designated Portal which could be downloaded by the prospective adoptive parents.
- (9) The Specialised Adoption Agency shall apply to the birth certificate issuing Authority for obtaining the birth certificate of the child within five days from the date of issuance of adoption order, with the name of adoptive parents as parents, and date of birth as recorded in the adoption order and the same shall be issued by the issuing Authority within five days from the date of receipt of the application.
- (10) The Specialised Adoption Agency shall submit an affidavit to the District Magistrate while filing the application as provided in the **Schedule XXIII.**
- (11) In case the recognition of Specialied Adoption Agency has not been renewed or not likely to be renewed soon, then the District Child Protection Unit concerned shall directly file the application before the District Magistrate after completing its scrutiny.
- **14. Follow-up of progress of adopted child.—** (1) The Specialised Adoption Agency which has prepared the Home Study Report, shall prepare the post-adoption follow-up report on six monthly basis for two years from the date of pre-adoption foster placement with the adoptive parents, in the format as provided in the **Schedule XII** and upload the same on the Designated Portal along with photographs of the child within ten days from the conduction of such report.
- (2) In case the adoptive parents relocate, they shall inform the agency which has conducted their home study and the District Child Protection Unit of the district where they relocate.
- (3) The District Child Protection Unit of the district of the current residence of the prospective adoptive parents shall prepare the post-adoption follow-up report and upload the same on the Designated Portal within ten days from the conduction of such report:
 - Provided that first follow-up report of the adopted child shall be done within three months from the date of pre-adoption foster care.
- (4) In case of non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other, the Specialised Adoption Agency or the District Child Protection Unit shall arrange the required counselling for such adoptive parents and adoptees or link them to the counselling services available within the district or state within seven days with due intimation to the State Adoption Resource Agency and the District Magistrate:

Provided that in case of non-compliance for three consecutive post adoption follow-ups the District Child Protection Unit shall prepare the social investigation report and inform the Child Welfare Committee for further action as may deem fit.

- (5) **Procedure of disruption** In case of disruption in in-country adoption.—
 - (a) at the stage of pre-adoption foster care before filing an adoption application, the child shall be taken back to the Specialised Adoption Agency with information to District Child Protection Unit and State Adoption Resource Agency;
 - (b) at the stage of pre-adoption foster-care after the application has been filed with the District Magistrate through District Child Protection Unit, the child shall be taken back by the Specialised Adoption Agency and adoption application shall be withdrawn with prior permission from the Child Welfare Committee with intimation to the District Child Protection Unit and the State Adoption Resource Agency and the status of the child onthe Designated Portal shall be updated by the Specialised Adoption Agency accordingly;
 - (c) where the child has been taken to another state during the adoption process, the relocation of the child shall be coordinated by the State Adoption Resource Agency in the state where the child is currently residing and the State of origin.
- (6) **Procedure for dissolution**-In case of dissolution in in-country adoption.-
 - (a) In case of dissolution, the application for annulment of adoption order shall be filed by the Specialised Adoption Agency with the District Magistrate through District Child Protection Unit;
 - (b) No application should be filed until two counselling sessions have been completed by the local Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit before making any decision concerning disruption or dissolution;
 - (c) Post dissolution order, the child shall become legally free for adoption;
 - (d) The Specialised Adoption Agency or the District Child Protection Unit shall update the child's status as legally free for adoption on the Designated Portal within three days.
- (7) Where the Indian adoptive parents move with the child abroad, within two years from the date of pre-adoption foster care, the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of arrival in case of Non-Hague countries and Authorised Foreign Adoption Agencies or Central Authorities in Hague countries, shall be intimated at least fifteen days in advance through a written communication for the purpose of remaining follow up reports by the adoptive parents with their full contact details at the new place.
- (8) The onus of getting the balance post-adoption follow-up is with the adoptive parents and they have to bear the professional charges on their own, and further the adoptive parents shall give an undertaking to the Authority to that effect.

CHAPTER IV

ADOPTION PROCEDURE FOR NON-RESIDENT INDIAN, OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARDHOLDER AND FOREIGN PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS

- 15. Non-resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholder to be treated at par with resident Indian.—Non-resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents shall be treated at par with Indians living in India in terms of priority for adoption of orphan, abandoned or surrendered children.
- **16.** Registration and Home Study Report for prospective adoptive parents for inter-country adoption.—(1)Any non-resident Indian, Overseas Citizen of India Cardholder or foreign prospective adoptive parents, living in a country which is a signatory to the Hague Adoption Convention and wishing to adopt an Indian child, can approach the Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority concerned, as the case may be, for preparation of their Home Study Report and for their registration on the Designated Portal.
 - (2) In case, there is no Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority in their country of habitual residence, then the non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents shall approach the Government department or Indian diplomatic mission concerned in that country for the purpose.

- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department or the Indian diplomatic mission concerned, as the case may be, on ascertaining the eligibility of the prospective adoptive parents for adopting a child, shall get their Home Study Report completed and register their application on the Designated Portal along with the required documents as specified in the Schedule VI.
- (4) The seniority of the prospective adoptive parents shall be counted from the date of their registration and uploading of requisite documents on the Designated Portal.
- (5) The Home Study Report and other documents of the prospective adoptive parents, referred to in this Chapter, shall be scrutinised at the Authority in order to determine their eligibility and suitability.
- (6) The profiles of two children, in one or two referrals with one month interval between two consecutive referrals, shall be forwarded through the Designated Portal to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department or Indian diplomatic mission, as the case may be, which may further forward such profiles to the prospective adoptive parents concerned as per local rules:

Provided that in case of the non-resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents, the number of referrals shall be as that of resident Indians.

- (7) The prospective adoptive parents may reserve the referred child within ninety-six hours.
- (8) In case the prospective adoptive parents fail to reserve the child within ninety-six hours, then the profile of the child shall stand automatically withdrawn.
- (9) Preference of the prospective adoptive parents shall be taken into consideration when sending referrals to them.
- (10) If the prospective adoptive parents reserve the child shown, they shall accept the referral by signing the Child Study Report and Medical Examination Report of the child within thirty days from the date of reservation.
- (11) The Child Study Report, Medical Examination Report and photograph of the child, in original, shall be sent by the Specialised Adoption Agency to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Indian diplomatic mission concerned.
- (12) In case the prospective adoptive parents fail to accept the reserved child within thirty days, then the profile of the child shall stand withdrawn from the Designated Portal and the seniority of the prospective adoptive parents shall be relegated to the bottom of the list; and shall be given another opportunity to reserve and accept a child when their turn becomes due, provided that their Home Study Report remains valid.
- (13) If the prospective adoptive parents desire to visit the Specialised Adoption Agency to see the child in person after reservation, they may be facilitated by the Specialised Adoption Agency to get the Medical Examination Report of the child reviewed by a medical practitioner of their choice.
- (14) The Authorised Foreign Adoption Agency shall forward the original documents of the prospective adoptive parents, as specified in the **Schedule IX**, to the Specialised Adoption Agency concerned for their scrutiny.
- (15) All documents forming part of the Home Study Report shall be notarised and the signature of the notary is to be apostilled by the Competent Authority of the receiving country in cases of Hague Adoption Convention ratified countries, however the documents originating from India shall be self-attested.
- (16) If the documents are in any language other than English, then the originals must be accompanied by translations in English, duly attested by the agency or Authority in the country of residence of the prospective adoptive parents designated for the purpose of attestation.
- 17. No Objection Certificate of Authority and pre-adoption foster care.—(1)The Authority shall issue No Objection Certificate in favour of the proposed adoption in the format provided in the Schedule X, within ten days from the date of receipt of the acceptance of the child by the prospective adoptive parents and letter of approval or permission of the receiving country as per Article 5 and Article 17 of the Hague Adoption Convention, wherever applicable; and the No Objection Certificate shall be generated online through the Designated Portal.
- (2) The prospective adoptive parents may take the child in pre-adoption foster care for a temporary period within India after issuance of No Objection Certificate by the Authority while

- the adoption order is pending, by furnishing an undertaking to the Specialised Adoption Agency in the format provided in the **Schedule VIII**.
- (3) The prospective adoptive parents shall receive final custody of the child from the Specialised Adoption Agency as soon as the passport and visa are issued to the child after issuance of adoption order from the District Magistrate.
- **18. Adoption Order.** (1) The legal procedure as provided in regulation 13 shall, *mutatis mutandis* be followed in cases of inter-country adoption under this Chapter.
- (2) On receipt of the No Objection Certificate from the Authority, the Specialised Adoption Agency shall approach the District Child Protection Unit within five days with the adoption application and the District Child Protection Unit shall scrutinise the application for submission of the dossier to the District Magistrate within five days in the format provided in the **Schedule XXIX:**

Provided that the aforesaid timeline shall be reduced to three days at each stage once it is enabled through the online mode.

- (3) In cases of the prospective adoptive parents habitually residing abroad desire the Specialised Adoption Agency to represent on their behalf, the application shall also be accompanied by a Power of Attorney in favour of the social worker or adoption in-charge of the Specialised Adoption Agency which is processing the case and such Power of Attorney shall handle the case on behalf of the prospective adoptive parents.
- 19. Passport and visa, intimation to immigration authorities, Conformity Certificate, Birth Certificate, etc.— (1) The Authority shall issue a Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in the format provided in the Schedule XI within three days from the date of availability of the adoption order on the Designated Portal, in case the receiving country of the adopted child is a signatory to the Hague Adoption Convention.
- (2) The Authority shall inform the immigration authorities and the foreign regional registration office about confirmation of the adoption.
- (3) To obtain Indian passport for the adopted child, the Specialised Adoption Agency shall submit the application to the regional passport officer within three days from the date of receipt of the adoption order.
- (4) The regional passport office shall issue passport for the adopted child within ten days from the date of receipt of application, in accordance with the circulars regarding issuance of passport to intercountry adopted children, issued by the Ministry of External Affairs of the Central Government from time to time.
- (5) The Specialised Adoption Agency shall approach the birth certificate issuing Authority for obtaining birth certificate of the adopted child, with the name of adoptive parents, as parents, and date of birth as recorded in the adoption order within a period of five days of obtaining of the certified copy of the adoption order.
- (6) The adoptive parents shall come to India for taking the adopted child to their country within a period of two months from the date of adoption order.
- 20. Follow-up of progress of adopted child by Non-resident Indian, Overseas Citizens of India Cardholder and foreign adoptive parents.—(1) The Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or Indian diplomatic mission or Government department concerned, as the case may be, shall report the progress of the adopted child for two years from the date of arrival of the adopted child in the receiving country, on a quarterly basis during the first year and on six monthly basis in the second year, by uploading information online on the Designated Portal along with photographs of the child as provided in the Schedule XII.
- (2) On the basis of the progress report or in course of post-adoption home visits, if an adjustment problem of an adoptee with the adoptive parents comes to the notice of the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department concerned in the receiving country, necessary counselling shall be arranged for the adoptive parents and for the adoptee, wherever applicable.
- (3) If it is found that the adoptee is unable to adjust in the adoptive family or that the continuance of the child in the adoptive family is not in the interest of the child, the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department in the receiving country, as the case

- may be, shall withdraw the child and provide necessary counselling and shall arrange for suitable alternate adoption or foster placement of the child in that country, in consultation with the Indian diplomatic mission and the Authority.
- (4) In case of disruption or dissolution of adoption, the child shall be entitled to receive care, protection and rehabilitation through the child protection services of that country and as provided in the Hague Adoption Convention.
- (5) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned shall contact Indian diplomatic mission to render necessary help and facilitate the repatriation of the child, if required.
- (6) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned, may organise annual get-together of Indian adoptees and their adoptive parents and forward a report of the event to the Authority.
- (7) The prospective adoptive parents shall furnish an undertaking to the effect that they shall allow personal visits of the representative of Authorised Foreign Adoption Agency, the foreign Central Authority or Government department concerned, as the case may be, to ascertain the progress of the child with the adoptive parents or family at least for a period of two years from the date of arrival of the child in the receiving country.
- 21. Adoption by Overseas Citizen of India Cardholder or foreign national of Hague Adoption Convention ratified countries living in India.—(1) An Overseas Citizen of India Cardholder or foreign national, who is a citizen of a country that has ratified the Hague Adoption Convention and is a habitual resident of India, shall apply for adoption online in prescribed format as provided in the Schedule VI along with the required documents specified therein including No Objection Certificate from their Embassy or High Commission for adoption by uploading on the Designated Portal.
- (2) On receipt of the application, along with the required documents duly notarised, except those documents originating from India which may be self-attested, the Authority shall refer the case to a Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit for preparing the Home Study Report in the format provided in the Schedule VII and the Specialised Adoption Agency shall upload the Home Study Report on the Designated Portal.
- (3) The prospective adoptive parents shall reserve one of the referred children within forty-eight hours and the procedures shall be followed as per the provisions of sub-regulations (9), (10), (12) and (13) of regulation 16 and regulations 17 to 19 as applicable.
- (4) The preparation of Home Study Report and uploading of progress report as required under these regulations shall be done by the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit concerned.
- (5) The Specialised Adoption Agency shall report the progress of the child on six monthly basis for a period of two years from the date of pre-adoption foster care by uploading the details on the Designated Portal in the format as provided in the **Schedule XII** along with photographs of the child:
 - Provided that the first post-adoption follow-up report shall be completed within the three months of the pre-adoption foster care.
- (6) During the follow-up, if the Specialised Adoption Agency finds that the adoptee is unable to adjust in the adoptive family or the continuance of the adoptee in the adoptive family is not in the best interest of the child, counselling shall be arranged for the adoptive parents and the adoptee and further, the procedure as provided in sub-regulations (4), (5) and (6)of regulation 14 shall be followed.
- (7) The diplomatic mission concerned shall also ensure that the adopted child acquires citizenship of the country of their parents immediately after adoption decree and a copy of the passport of the child from the country of the nationality of the prospective adoptive parents shall be forwarded to the Authority and the Specialised Adoption Agency concerned.
- (8) An Overseas Citizen of India Cardholder or foreign prospective adoptive parents living in India, are required to give an affidavit to the effect that they shall allow personal visits of the representative by the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency, as the case may be, for a period of at least two years from the date of adoption.
- (9) An Overseas Citizen of India Cardholder or foreign prospective adoptive parents living in India, as the case may be, shall give an undertaking to the effect that if they move out of India before

- completion of two years after adoption, they shall inform to the Authority about their movement, furnish their new address, and continue to send their post-adoption progress report to the Authority for the remaining period.
- (10) On receiving information for change of location of the adoptive parents to a different country, the adoptive parents shall be assigned a foreign adoption agency, Central Authority through which remaining post-adoption follow-up shall be sent under intimation to the Indian Mission concerned so that in case of any difficulty, disruption or dissolution, the Mission can provide necessary assistance.
- 22. Adoption by Indian prospective adoptive parents who are habitual resident or are having permanent residence of another country.— (1) In all such cases, if the prospective adoptive parents are habitually residing in a foreign country have to approach the adoption authority of the receiving country for preparing the Home Study Report and for their online registration on the Designated Portal.
- (2) In such cases, if the prospective adoptive parents are temporarily residing in India shall approach to embassy or high commission of the receiving country located in India for allowing them to go ahead with their adoption process and on receiving such information shall register on the Designated Portal.
- (3) If one of the prospective adoptive parents is a foreigner and other is an Overseas Citizen of India Cardholder or Indian, such case shall be treated at par with Indians living in India for considering priority in adoption placement.
- (4) The adoption procedure can be carried out in accordance with regulation 21 of the Adoption Regulations for such prospective adoptive parents.
- **23. Procedure for adoption of a child from a foreign country by Indian citizens.** (1) Necessary formalities for adoption of a child from a foreign country by Indian citizens shall initially be completed in that country as per their law and procedure.
- (2) On receiving Home Study Report of the prospective adoptive parents (including supporting documents), Child Study Report and Medical Examination Report of the child, the Authority shall issue the approval, as required in the cases of adoption of children coming to India as a receiving country under Article 5 or Article 17 of the Hague Adoption Convention.
- (3) A child adopted abroad by the Indian citizens, having a foreign passport, and requiring the Indian visa to come to India, shall apply for visa or Overseas Citizen of India Card to the Indian mission in the country concerned, who may issue entry visa to the child after checking all the relevant documents so as to ensure that the adoption has been done following the due procedure.
- (4) The immigration clearance for the child adopted abroad shall be obtained from the Central Government in the Foreigner's Division, Ministry of Home Affairs, through the Indian diplomatic mission to that country.

CHAPTER V

RECOGNITION, INSPECTION AND FUNCTION OF ADOPTION AGENCIES

- **24. Recognition of Specialised Adoption Agency.**—(1) Any Child Care Institution, intending to be recognised as Specialised Adoption Agency to place children in in-country and inter-country adoption, shall submit an application on the Designated Portal as provided in the **Schedule XXVI**, along with the following documents to the State Government concerned, namely:—
 - (a) a copy of the registration certificate under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) or any other corresponding law for the time being in force;
 - (b) a copy of its Memorandum of Association, rules, regulations and bye-laws;
 - (c) a copy of the registration certificate as Child Care Institution under the act;
 - (d) a list of management committee or executive committee or board members showing that the majority of the members of such committee or board are Indian citizens;
 - (e) annual reports including audited accounts for the last three years;
 - (f) resolution by the agency supporting the decision for placing orphan, abandoned or surrendered children in adoption;

- (g) undertaking of the chief functionary of the Child Care Institution in its letter head to abide by the relevant rules in force in respective States and these Regulations;
- (h) undertaking of the chief functionary of the Child Care Institution in its letter head to regularly update data on the Designated Portal and to have necessary facilities for the same;
- (i) supporting documents indicating that the organisation has been engaged in child protection and welfare activities;
- (j) list of children in the institution;
- (k) list of professional social worker and qualified child care staff.
- (2) The State Government shall issue a certificate of recognition to a Child Care Institution as a Specialised Adoption Agency within three months from the date of application, if the Child Care Institution is found fit to be considered as a Specialised Adoption Agency, based upon inspection conducted for the purpose.
- (3) The recognition to a Specialised Adoption Agency to place children both in in-country and intercountry adoption shall be for a period of five years, unless it is revoked earlier on the grounds as mentioned in regulation 26.
- **25.** Criteria and procedure for renewal of recognition of Specialised Adoption Agency.—(1)The State Government shall take into consideration the following factors before renewal of recognition of a Specialised Adoption Agency, namely:—
 - (a) whether the Specialised Adoption Agency has satisfactorily performed in adoption placement;
 - (b) whether it has regularly updated data on the Designated Portal and meeting the timelines specified for Specialised Adoption Agency in these Regulations;
 - (c) whether it has followed the provisions of these regulations as also instructions issued by the State Government, State Adoption Resource Agency and the Authority in handling matters related to adoption;
 - (d) whether it indulged in any malpractice;
 - (e) whether it made proper utilisation of the adoption fee as provided in the **Schedule XV**
 - (f) whether it maintains the standards of child care as provided in the **Schedule XIII**.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall apply six months before the expiry of its recognition for renewal with the following documents and information, namely:—
 - (a) number of children restored to biological parents, relatives or guardians during the period of last recognition with details;
 - (b) number and details of children placed in in-country and inter-country adoption and details of post-adoption follow-up thereof during the period of last recognition;
 - (c) details of year wise receipt of adoption fee and its utilisation during the period of last recognition;
 - (d) an affidavit declaring that it has been regularly updating the data on the Designated Portal;
 - (e) an affidavit stating that it agrees to abide by these regulations as also the instructions issued by the State Government or State Adoption Resource Agency or the Authority from time to time.
- (3) The recognition to a Specialised Adoption Agency shall be renewed by the State Government before the expiry of existing recognition, for a period of five years, if the Specialised Adoption Agency is found fulfilling the eligibility factors specified in sub-regulation (1) and furnishing the documents and information specified in sub-regulation (2), and on the basis of inspection conducted for the purpose.
- (4) In case the Specialised Adoption Agency has applied for recognition or renewal with the State Government and the provisional registration certificate has not been issued by the State Government within one month from the date of application, the proof of receipt of application for registration shall be treated as provisional recognition to run the agency for a maximum period of six months.
- (5) In case the renewal of recognition of a Specialised Adoption Agency is pending, all the pending adoption cases shall be allowed to proceed subject to all other provisions of these regulations being fulfilled.
- 26. Suspension or revocation of recognition of Specialised Adoption Agency.—(1) The State

- Government, shall act upon, *suo-motu* or on the recommendation of State Adoption Resource Agency or the Authority, either suspend or revoke the recognition granted to a Specialised Adoption Agency on any of the grounds specified in the sub-regulation (2).
- (2) The recognition of a Specialised Adoption Agency may be suspended on any one or more of the following grounds, namely:—
 - (a) violation of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder, relating to adoption as well as these regulations;
 - (b) furnishing false information or forged documents to State Adoption Resource Agency or the State Government or the Authority or on the Designated Portal;
 - (c) incomplete or false information to prospective adoptive parents, Child Welfare Committee or District Child Protection Unit about the child or any adoption related process;
 - (d) failure to update data online on the Designated Portal;
 - (e) failure to submit reports or data within the time limits specified in these regulations;
 - (f) adverse findings of the inspection team of the Central Government, the Authority, State Government or State Adoption Resource Agency concerned, regarding the functioning of the Specialised Adoption Agency;
 - (g) if professional social worker and qualified child care staff are not employed;
 - (h) financial irregularities or malpractices or receiving any donation whether in kind or cash from prospective adoptive parents or adoptive parents;
 - (i) misuse or diversion of adoption fee or grant received from the Government for the purposes other than the purposes for which they were received;
 - (j) unethical acts, such as expecting or demanding fees or gifts from potential adoptive parents in addition to adoption fee already specified by the Authority, inducing single mothers or biological parents to relinquish their child or illegally sourcing the child;
 - (k) divulging information of biological mother or parents or adoptee to public in violation of the principles of confidentiality;
 - (l) non-compliance of instructions issued from time to time by the Authority, State Government concerned or the State Adoption Resource Agency;
 - (m) abuse or neglect of children in the Specialised Adoption Agency.
- (3) No order for suspension or revocation of authorisation shall be passed without giving an opportunity to the Specialised Adoption Agency to offer its explanation.
- (4) After suspension of recognition of a Specialised Adoption Agency, the State Government or the State Adoption Resource Agency concerned shall conduct necessary enquiries within a maximum period of six months, and if charges are proven, the State Government concerned shall revoke the recognition of the Specialised Adoption Agency.
- (5) In case of revocation of recognition of a Specialised Adoption Agency, the State Government concerned shall prepare an alternate rehabilitation plan for the children in that home, including shifting them to another Specialised Adoption Agency, within thirty days.
- (6) In the event of suspension or revocation of recognition or closure of the Specialised Adoption Agency, the cases where referrals have been accepted by the prospective adoptive parents shall be allowed to proceed for final adoption, subject to all other provisions of these regulations being fulfilled.
- (7) In all such cases referred to in sub regulation (6), the District Child Protection Unit of the District or any other agency where the children have been transferred shall be responsible for processing the cases as decided by State Adoption Resource Agency.
- **27. Inspection of Specialised Adoption Agencies.** (1) The State Government concerned shall inspect the Child Care Institution before considering its recognition or renewal as a Specialised Adoption Agency as provided in the Form 46 A of rules.
- (2) The State Government or State Adoption Resource Agency concerned shall conduct annual inspections of Specialised Adoption Agencies to ensure that they are performing efficiently and as per norms laid down in the Form 46 of rules.
- **28. Entitlement to grants under other Government notified schemes.-**A Specialised Adoption Agency is entitled to receive grants-in-aid under other Government notified schemes, subject to the

fulfillment of terms and conditions under such scheme.

- **29. Specialised Adoption Agencies to maintain accounts.** (1)The Specialised Adoption Agency shall utilise funds received as adoption fee in accordance with norms as provided in the **Schedule XV** or as may be prescribed by the Authority from time to time.
- (2) The Specialised Adoption Agency shall maintain proper accounts including utilisation of adoption fee and Government grant under other Government notified schemes to be audited by a chartered accountant every year.
- (3) An attested copy of the audited accounts of the organisation alongwith its audit report, a copy of the annual report and report in accordance with the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) shall be furnished within six months from the date of closing of the financial year to State Adoption Resource Agency or the State Government concerned.
- **30. Functions of Specialised Adoption Agencies.** The Specialised Adoption Agency shall perform the following functions, in addition to those assigned to them under these regulations, to facilitate placement of orphan, abandoned and surrendered children in adoption, namely:—
- (1) Function towards children: Every Specialised Adoption Agency shall:—
 - (a) be responsible for the care, protection and well-being of every child in its charge and shall cater to their health needs; emotional and psychological needs; educational and training needs; leisure and recreational activities; protection from any kind of abuse, neglect and exploitation; social mainstreaming and restoration, as the case may be, and follow-up;
 - (b) report all cases of admissions, restorations, transfers, death and adoption of children, as well as about children missing from the institution, if any to the Child Welfare Committee, District Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency and the Authority through the Designated Portal;
 - (c) submit the status of every orphan, abandoned and surrendered child on the Designated Portal, which is accessible on the website www.cara.nic.in;
 - (d) shall upload the certificate, issued by the Child Welfare Committee, declaring the child legally free for adoption on the Designated Portal within forty-eight hours from the receipt of such certificate and also ensure that the certificate has been duly signed by three members of the committee including the chairperson and all appropriate columns have been filled up;
 - (e) prepare the Child Study Report of all orphan, abandoned and surrendered children, through its social worker, and upload them on the Designated Portal, within ten days from the date such children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
 - (f) arrange medical tests, as provided in the **Schedule IV**, for all children admitted in its home and prepare the Medical Examination Report through its paediatrician or doctor within a period of one month of the admission of the child in the institution for uploading the same on the Designated Portal, within ten days from the date such children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee;
 - (g) inform about the children with special needs admitted in the institution, to the District Child Protection Unit, District Magistrate and the Chief Medical Officer of the district;
 - (h) produce the child before the Chief Medical Officer of the district with the assistance of the District Child Protection Unit and the District Magistrate concerned, if the child's medical tests indicate a health issue or problem;
 - (i) treat the child in a public health facility for treatment of their health problem or ailment with the assistance of the Chief Medical Officer of the District;
 - (j) update the health status of the child on the Designated Portal if the child is ill and when recovered from an ailment;
 - (k) prepare individual care plan as per Form 7 of the Rules for each child following the principle of the best interests of the child:—
 - (i) restoration to the biological family or legal guardian;
 - (ii) in-country adoption;
 - (iii)inter-country adoption;
 - (iv) foster care; and

- (v) institutional care.
- (l) Every Specialised Adoption Agency shall prepare an individual care plan for each child, based on age and gender specific needs in respect of the following namely:—
 - (i) health and medical needs;
 - (ii) emotional and psychological needs;
 - (iii)educational and training needs;
 - (iv)leisure, creativity and play;
 - (v) attachments and relationships;
 - (vi)protection from all forms of abuse, neglect and maltreatment;
 - (vii) rehabilitation including reunion with family, adoption and other non-institutional care;
 - (viii) social mainstreaming; and
 - (ix) follow-up after rehabilitation or restoration.
- (m) create a memory album, which shall include a photo album of the child, history and details of the child's life i.e. details of surrendering parents not to be mentioned, and interests of the child, which shall be handed over to the adoptive family along with the medical history of the child at the time of handing over the child to the prospective adoptive parents in preadoption foster care;
- (n) make efforts to place each child in adoption, who has been declared legally free for adoption by Child Welfare Committee;
- (o) be responsible to complete referral process of a child to prospective adoptive parents and the legal procedure related to adoption as provided in these regulations;
- (p) prepare every adoptable child psychologically for their assimilation with the adoptive family, wherever required;
- (q) facilitate interaction of the child with prospective adoptive parents, wherever required;
- (r) ensure that siblings and twins are placed in the same Child Care Institution and in the same family, as far as possible;
- (s) preserve adoption records in a manner, that such record is accessible to authorised persons only:
- (t) facilitate root search by adoptees in the manner as provided under regulation 47;
- (u) train the child care staff to be aware and look out for the Red Flags of developmental milestones in all children especially those under five years of age and refer to a pediatrician for a formal assessment wherever required as provided in the **Schedule IV** and also provide them training for taking care of children with special needs;
- (v) ensure that the benefits of all the Government schemes that a child is eligible for are applied, for the betterment of the child, including scholarships, anganwadi services and so on.
- (2) Functions towards biological parents: Every Specialised Adoption Agency shall:—
 - (a) treat biological parents of a surrendered child with respect and dignity throughout the surrender process;
 - (b) maintain confidentiality of unwed mother and biological parents;
 - (c) counsel the surrendering parents and inform them about a possible root search, in future by their child;
 - (d) encourage the biological parents surrendering a child to provide maximum information about the background and development of the child as well as their own health;
 - (e) explain to the parents implication of surrendering their child including possibility of intercountry adoption;
 - (f) ensure that the consent for surrender and adoption is given by the parents without any coercion or monetary or material consideration;
 - (g) have no commitment or agreement with biological parents regarding adoption of a child prior to their birth;
 - (h) inform the parents that they shall have a re-consideration period of sixty days from the date of surrender during which they may take back the child.

- (3) Functions towards prospective adoptive parents: Every Specialised Adoption Agency shall:—
 - (a) treat prospective adoptive parents with respect and extend due courtesy, assistance and advice;
 - (b) facilitate registration of prospective adoptive parents on the Designated Portal in case they face any difficulty;
 - (c) counsel the prospective adoptive parents, through an authorised professional social worker or counsellor, to make them aware of the process of adoption and to ascertain the level of their preparedness for the same which include the following, namely:
 - (i) acceptance of adoption as an alternative way of building their family;
 - (ii) preference for child to be adopted;
 - (iii) emotional readiness to adopt an unrelated child;
 - (iv) concerns about the social background of the child and genetic factors;
 - (v) attitude towards parenting and disciplining;
 - (vi) sharing the fact of adoption with the child, when the child grows up;
 - (vii) dealing with root search by the adopted child, when the child grows up;
 - (viii) any other issue that might emerge during the interactions.
 - (d) complete the Home Study Report of prospective adoptive parents who have opted for the home study by them, within a period of two months from the date of their registration and submission of documents and ensure their revalidation prior to expiry of three years;
 - (e) continuously update the prospective adoptive parents of the current status and procedure to be followed during the entire adoption process after the child has been reserved by the prospective adoptive parents;
 - (f) provide additional photographs, video clips of the children to prospective adoptive parents and facilitate their video calls to children after referral;
 - (g) provide information to prospective adoptive parents about the medical history of the child and the health status of a special needs child, if such a child is proposed for adoption;
 - (h) provide the immunisation record and recent diagnostic reports as well as any vital information relating to child including their food and social habits and memory album to the prospective adoptive parents;
 - (i) provide a copy of the adoption order from the District Magistrate, birth certificate and passport wherever required, to the adoptive parents as and when available;
 - (j) place a child in pre-adoption foster care on completion of referral and after observing necessary procedural formalities as laid down in these regulations;
 - (k) extend post adoption services including counselling to the prospective adoptive parents , if required;
 - (l) ensure that the social worker while conducting home study verifies the information and required documents provided by the prospective adoptive parents at the time of registration;
 - (m) complete revalidation of the home study of the prospective adoptive parents prior to expiration of their validity period and in the event they are not found eligible or suitable to adopt, all such Home Study Reports shall be referred to the District Child Protection Unit;
 - (n) provide additional assistance to inter-country adoptive parents, such as filing an application for the child's passport with the regional passport officer, applying for the child's birth certificate as soon as the adoption order is received, and handing over the adopted child's passport, birth certificate, adoption order and photo album of the child etc. to the adoptive parents to facilitate their departure;
 - (o) address all the grievances of prospective adoptive parents and adoptive parents within forty eight hours through the Designated Portal.
- (4) **Functions relating to counselling:** The functions of the Specialised Adoption Agency in respect of counseling shall include the following, namely:—
 - (a) counselling of biological parents in case of surrender;
 - (b) pre-adoption counseling of prospective adoptive parents during preparation of Home Study Report and matching process and linking them to the counseling centre at the Authority or State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit, wherever required;

- (c) counselling of older children before and during adoption;
- (d) counselling of adoptive parents whenever required;
- (e) post-adoption counselling of the adoptees, when contacted by them in search of their roots.

(5) Other functions of Specialised Adoption Agency are as under:

- (a) organise training and orientation activities to spread awareness about the adoption programme; train its childcare and professional staff about the procedures provided in the provision of these Regulations; ensure that application of in-country adoption is forwarded to the District Child Protection Unit within five days of pre-adoption foster care for the purpose of scrutiny; and similarly, in cases of inter-country adoption, application to be forwarded to the District Child Protection Unit within five days from the date of receipt of complete dossier from the Authorised Foreign Adoption Agency for scrutiny; and such other functions as may be assigned to it by the State Government.
- (b) set up cradle baby point at its own home to receive abandoned children and may set up cradle baby points at primary health care centers, hospitals, nursing homes, short-stay and Swadhar Homes for Women.
- (c) keep the following documents in the case file of each child, namely:—
 - (i) case history and social investigation report of the child;
 - (ii) interim care order as well as the order declaring the child legally free for adoption by the Child Welfare Committee and the Deed of Surrender in case of a relinquished child;
 - (iii)Child Study Report, Medical Examination Report and immunisation record of the child;
 - (iv)photographs of the child taken at intervals of every six months
 - (v) application form, documents and Home Study Report of the prospective adoptive parents;
 - (vi)adoption application, adoption order, birth certificate of the child and copy of passport of the child wherever required;
 - (vii) post-placement progress reports of the child.
- (d) Every Specialised Adoption Agency shall maintain the following records namely:—
 - (i) master admission register;
 - (ii) medical and development file of the child;
 - (iii)case file of the child;
 - (iv) attendance register of the children and staff;
 - (v) register of adopted children with details of adoptive parents (date of registration, date of Home Study Report, date of referral of child or children, date of adoption order, date of handing over of the child to prospective adoptive parents, etc.;
 - (vi) vouchers, cashbook, ledger, journal and annual accounts;
 - (vii) grant and adoption fees receipt and utilisation register;
 - (viii) stock register;
 - (ix)record of minutes of meetings of the management committee and Adoption Committee (to be maintained separately).
- **31. Functions of Authorised Foreign Adoption Agency.** The Authorised Foreign Adoption Agency shall perform the following functions, namely:-
- (a) register the prospective adoptive parents interested to adopt children from India and to complete their Home Study Report expeditiously;
- (b) upload attested copies of the adoption application of the prospective adoptive parents on the Designated Portal and forward the original of the same to the allotted Specialised Adoption Agency;
- (c) follow-up with Specialised Adoption Agency for ensuring early adoption after receipt of No Objection Certificate for the adoption from the Authority;
- (d) give orientation to the prospective adoptive parents on culture, language and food of the place to which the adopted child belongs;
- (e) ensure the submission of post-adoption follow-up of the progress of adopted children and to address the cases of disruption and dissolution, as specified in regulation 20;
- (f) arrange get-togethers of children of Indian origin and their adoptive families from time to time with the involvement of the Indian diplomatic mission concerned;

- (g) facilitate root search by older adoptees;
- (h) fulfill the legal requirements of the host country as well as the terms and conditions of the authorisation given by the Authority.
- **32.** Criteria and procedure for authorisation of foreign agencies.— (1)A foreign adoption agency desirous of seeking authorisation for sponsoring applications of foreign adoptive parents for adopting an Indian child shall make an application to the Authority along with the recommendation of the Central Authority or Government department concerned of that country, through the Indian diplomatic mission.
- (2) The authorisation to foreign adoption agency may be given by the Central Authority for a maximum period of five years and the documents required to be attached with the application shall be as under:—
 - (a) memorandum or bye-laws, copies of registration status, latest license issued by the Government department concerned to undertake international adoptions, list of board or executive members, list of countries it is working with, accreditation certificate and its annual reports or financial statements for last two years;
 - (b) an undertaking signed by the head or chief executive of the organisation stating that the agency shall abide by the provisions of these regulations;
 - (c) an undertaking by the foreign adoption agency that in case of disruption or repatriation of the adopted children, it shall abide by the specific provisions laid down in these regulations;
 - (d) an undertaking by the foreign adoption agency to send an annual report to the Authority in the month of April every year on the status of children placed in adoption from India;
 - (e) copy of adoption law or Adoption Regulations or adoption rules of their country;
 - (f) a list of staff of the foreign adoption agency, recommendation or authorisation from the Central Authority or Competent Authority to work with India;
 - (g) recommendation letter from Indian diplomatic mission abroad and the Central Authority or Government department of the receiving country.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency is required to apply for renewal of its authorisation, ninety days prior to expiry of its authorisation, as per the procedure given at sub-regulations (1) and (2) alongwith the following details, namely:—
 - (a) list of children placed in adoption through the Authorised Foreign Adoption Agency alongwith their citizenship status;
 - (b) disruption, if any.
- (4) In the case of authorisation or renewal, after taking into account the overall requirement of such organisations to handle inter-country adoptions from India, the Authority shall have sole discretion to consider or reject an application:

Provided that no application shall be rejected without specifying the reasons mentioned therein.

- **33. Suspension or revocation of authorisation.**—(1)The grounds of suspension or revocation of the authorisation of an Authorised Foreign Adoption Agency shall be as follows:—
- (a) if the foreign adoption agency violates or fails to abide by the provisions of these regulations;
- (b) if the license or recognition or accreditation of the foreign adoption agency is suspended or revoked by the appropriate Authority of that country;
- (c) if the foreign adoption agency fails to upload adoption applications or the post-adoption follow-up reports on the Designated Portal from time to time.
- (2) No order for suspension or revocation shall be made unless the Agency has been provided an opportunity of hearing in the matter.

CHAPTER VI FUNCTIONS OF GOVERNMENT ORGANISATIONS AND AUTHORITY

34. Roles of State Government.— (1) The State Government shall at regular intervals review the

- adoption cases pending with the District Magistrate and guide and assist them for timely disposal of adoption cases.
- (2) The State Government shall recognise Specialised Adoption Agencies and carry out such other functions as provided in the Act and rules.
- (3) The State Government shall take appropriate action on the receipt of a complaint or *suo-moto*, in the cases of violation of the provisions under the section 32, sub-sections (1) and (5) of section 41, sub-section (4) of section 65, section 80 and section 81.

35. State Adoption Resource Agency.— (1) The structure of the State Adoption Resource Agency shall be as under:—

- (a) The State Government shall set up a State Adoption Resource Agency for dealing with adoptions and related matters in the State under the guidance of the Authority, as per the provisions of section 67 of the Act.
- (b) The State Government shall set up a Governing Body of the State Adoption Resource Agency which shall be chaired by Principal Secretary or Secretary of the department of the State Government dealing with adoption matters and the Director of the department shall function as its Chief Executive Officer and Member-Secretary.
- (c) The State Adoption Resource Agency shall engage a nodal officer at the level of Deputy Director and such other staff as required under the Child Protection Scheme to strengthen its functioning who shall be assisting the Member Secretary in arranging Governing Body meetings and taking up such other tasks as assigned by the Chief Executive Officer.
- (d) The Governing Body of the State Adoption Resource Agency shall be constituted with seven members as mentioned below:—
 - (i) Principal Secretary or Secretary of the department of the State Government dealing with adoption as Chairperson;
 - (ii) Director of the department who functions as Chief Executive Officer of the State Adoption Resource Agency shall be its Member Secretary;
 - (iii) Director of the department of Health or Hospital Administration of the State Government as Member;
 - (iv)Chairperson of a Child Welfare Committee as Member;
 - (v) Representative of a Specialised Adoption Agency as Member;
 - (vi)One member from the civil society involved in child welfare as Member;
 - (vii) One member from the State Legal Services Authority as Member.
- (e) The authorities dealing with issuance of birth certificate, passport and other related matters may be invited as special invitees to attend the meetings of the State Adoption Resource Agency.
- (f) The Governing Body of State Adoption Resource Agency shall hold meeting on quarterly basis to review its overall functions, review the progress of adoption work, address the operational as well as logistic issues and bottlenecks in the adoption process and take key decisions for rehabilitation of orphan and destitute children in the State.
- (2) The State Adoption Resource Agency shall function as the executive arm of the State Government for promotion, facilitation, monitoring and regulation of the adoption programme in the State and its functions shall include to.—
 - (a) publish the contact details of Specialised Adoption Agency in the State at least once in a year;
 - (b) recommend renewal of recognition to Specialised Adoption Agency every five years subject to satisfactory performance;
 - (c) conduct meetings of Specialised Adoption Agencies on quarterly basis for addressing issues related to adoption and uploading the minutes of such meetings on the Designated Portal;
 - (d) inspect and monitor adoption programme and activities of all Specialised Adoption Agencies within its jurisdiction;
 - (e) identify Child Care Institutions which are not recognised as Specialised Adoption Agencies and link them to Specialised Adoption Agencies for enabling and facilitating adoption of

- eligible children in such institutions, in pursuance of the provisions under section 66;
- (f) enforce standards and measures for the adoption of orphan, abandoned and surrendered children, as envisaged under the Act and the rules made thereunder and these regulations;
- (g) identify Specialised Adoption Agencies or Child Care Institutions which have the capacity to provide quality care and treatment on a long term basis to special needs children including children affected or infected by Human Immunodeficiency Virus (HIV) or Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and mentally or physically challenged children, and facilitate transfer of such children to these agencies;
- (h) expedite de-institutionalisation of children through adoption and other non-institutional care;
- (i) take measures that are required for expansion of the adoption programme in the State, such as, strengthening the knowledge base, research and documentation, strengthening child tracking system, training and capacity building activities, publicity and awareness activities, advocacy and communication, monitoring and evaluation;
- (j) validate the data furnished online on the Designated Portal by the Child Welfare Committees in the State, in pursuance of the provisions of sub section (5)of section 38;
- (k) ensure furnishing of correct adoption related documents on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency, in the format and periodicity as specified in these regulations;
- (l) maintain a State-specific database on the Designated Portal of adoptable children, prospective adoptive parents, children given in in-country and inter-country adoptions;
- (m) ensure that all adoption placements in the State are done in accordance with the relevant provisions of the Act, rules made thereunder and these regulations;
- (n) put a system at place so that adequate number of social workers and or counsellors are available with District Child Protection Unit for :—
 - (i) counselling and preparation of the Home Study Report of the prospective adoptive parents;
 - (ii) preparation of the Child Study Report and counselling of older children, wherever required;
 - (iii)preparing post-adoption follow-up report, wherever required;
 - (iv)post adoption counselling to adopted children and adoptive parents;
 - (v) assisting and counselling older adoptees in root search.
- (o) carry out such other functions as assigned by the Authority from time to time including monitoring of progress reports in cases of in-country adoptions, getting family background report and family tree of the biological parents prepared through the District Child Protection Unit and issuing pre-approval letter in case of relative and step-parent adoptions, hiring qualified professionals for counselling and conducting Home Study Reports, addressing grievances of the prospective adoptive parents in a time bound manner and any other function assigned by the Authority;
- (p) make additional efforts with the waiting parents within the state to arrange adoption of children in the category of special needs, older children and hard to place children;
- (q) make rehabilitation efforts including foster care for such children with the help of State Child Protection Society and District Child Protection Unit within the timeframe provided in the rule 44;
- (r) conduct mass awareness campaigns on the issue of safe surrender, sensitising the public, media, and stakeholders on legal adoption;
- (s) update timely data on Specialised Adoption Agency in the Central Adoption Resource Authority website;
- (t) forward report to the Authority in case of disruption or dissolution as the case maybe with specific suggestions.
- **36. Functions of the District Magistrate.**—(1)All the cases pertaining to adoption matters pending before the court shall stand transferred to the District Magistrate from the date of notification of these regulations as provided in rule 45.
- (2) In cases of fresh applications, it shall issue adoption order within a period of two months from the date of filing of the application, as provided under sub-section (2) of section 61 of the Act and as per format given in the **Schedule XXXIII**.

(3) The District Magistrate shall have following executive functions namely:-

- (a) receive an application from the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Office or relative family of a child or children for obtaining the adoption order;
- (b) make necessary arrangements for hearing of the cases after due scrutiny of the documents by the concerned District Child Protection Unit;
- (c) maintain confidentiality about adoption cases particularly those of the orphan, abandoned and surrendered children;
- (d) issue an adoption order upon satisfying itself that
 - (i) in the proposed adoption due procedure has been followed as provided under the Adoption Regulations framed by the Authority and adoption is for the welfare of the child;
 - (ii) all documents which are required for adoptions as provided in the applicable Schedule of the Adoption Regulations have been verified by the District Child Protection Unit;
 - (iii)the consent of the child is available, if the child is above five years of age;
 - (iv)the Authority has issued No Objection Certificate in the cases of inter-country adoptions in the prescribed format;
 - (v) the minutes of the Adoption Committee is available in all cases of domestic adoptions;
 - (vi)neither the prospective adoptive parents have given or agreed to give nor the Specialised Adoption Agency or the parent or guardian of the child in case of relative adoption has received or agreed to receive any payment or reward in consideration of the adoption, except as permitted under the Adoption Regulations framed by the Authority towards the adoption fees.
- (e) instruct the District Child Protection Unit to upload adoption order on the Designated Portal and preserve the adoption records in safe custody;
- (f) serve notice to any applicant in case of in-country adoption for physical appearance during any adoption proceedings, if necessary:
 - Provided that no physical presence of prospective adoptive parents is required in cases of inter-country adoptions and if deemed necessary, video conferencing with the prospective adoptive parents should suffice.
- (g) dismiss or reject an application for adoption if it does not comply with the laid down provisions of Adoption Regulations giving specific reasons for such dismissal through a speaking order;
- (h) review cases of disruption or dissolution by the District Child Protection Unit and if the prospective or adoptive parents are found to be the cause of disruption or dissolution, they may be barred from adopting in the future, and notify the same to the State Adoption Resource Agency and the Authority, as well as take appropriate legal action for any abuse or neglect caused by the adoptive parents.
- (4) No information or adoption order issued by District Magistrate regarding adoption disclosing the identity of the child shall be uploaded on any portal exceptonthe Designated Portal as provided in the Adoption Regulations.
- (5) In cases of adoptions completed other than this Act, the District Magistrate shall ensure that all such provisions are complied therein.
- (6) In cases of siblings, the District Magistrate, as far as possible, shall ensure that they remain in the same campus or in the institution before they are placed in adoption.
- (7) The District Magistrate shall appoint an officer at appropriate level incase there is no District Child Protection Officer present to head the Adoption Committee.
- (8) In cases of children having health issues or suspected special needs conditions, the District Magistrate shall refer the child to the Chief Medical Officer of the District within twenty four hours as soon as information about such children is received from the Specialised Adoption Agency or the Child Care Institution with the help of the District Child Protection Unit concerned.
- (9) The Chief Medical Officer shall then examine the health status of the child and assess whether the child is having any ailment or special needs within a period of fifteen days as given under Schedule XVIII of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, (49 of 2016) and Schedule III (Part-E) of the Regulations.

- (10) In cases of adoption dissolution, District Magistrate shall pass dissolution order filed by the Specialised Adoption Agency through District Child Protection Unit as per format provided in **Schedule XXXIV.**
- **37.** Chief Medical Officer.— The Chief Medical Officer of the district shall facilitate the treatment of the children having special needs housed in Specialised Adoption Agency or Child Care Institution through the existing Central Government or State Government schemes and shall declare the health status of the child as normal or having special needs as provided in the **Schedule XVIII** and **Schedule III(Part-E)** within a period of fifteen days and also encourage treatment of such children under various schemes of the Government.
- **38. District Child Protection Unit.** In addition to the functions as envisaged in the Act and rules made thereunder, as well as under other Government notified schemes, the District Child Protection Unit shall.—
- (1) identify orphan, abandoned and surrendered children in the district and get them declared legally free for adoption by Child Welfare Committee with the help of Specialised Adoption Agency or Child Care Institution, wherever required;
- (2) ensure that the Child Study Report and Medical Examination Report are uploaded on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency within ten days from the date a child is declared legally free for adoption;
- (3) facilitate the linkage of Child Care Institution with Specialised Adoption Agency in the same or other districts to facilitate adoption;
- (4) track the progress of adoption of each child declared legally free for adoption and take necessary actions for expediting the case, wherever required;
- (5) track the progress of application of each prospective adoptive parent registered on the Designated Portal for adopting a child or children from the district and take necessary actions for expediting the case wherever required;
- (6) carry out such services through the empanelled social workers or counsellors as provided in regulation 35(2)(n)of the Adoption Regulations;
- (7) supervise and monitor adoption programme in the district;
- (8) ensure that data is being updated by Specialised Adoption Agency on the Designated Portal on time and in correct manner;
- (9) assist State Adoption Resource Agency and the Authority in all matters related to adoption;
- (10) assist the Child Welfare Committee in the restoration effort and in completing the process for declaring the abandoned children legally free for adoption, including publishing information of the child in the newspaper, obtaining the social investigation report from the probation officer and non-traceable report from police with the help of Specialised Adoption Agency, wherever required;
- upload the certificate of Child Welfare Committee declaring children legally free for adoption on the Designated Portal within forty-eight hours after verification of the fact that the certificate has been duly signed by three members of the committee including the chairperson and all appropriate columns have been filled up;
- (12) report to the District Magistrate in all matters related to protection and rehabilitation of children within the district and update adoption related information on the Designated Portal;
- (13) address the grievances of all prospective adoptive parents within forty eight hours through the Designated Portal;
- (14) ensure that its professional staff namely, counsellor, social worker or protection officer while conducting home study verifies the prospective adoptive parent's required paperwork and the information they provided at the time of registration;
- (15) complete the prospective adoptive parent's Home Study Report within two months of their registration and ensure that their Home Study Report is revalidated before the expiry of three-year period, and if the prospective adoptive parents are not found eligible or suitable to adopt, all such Home Study Reports shall be referred to the State Adoption Resource Agency concerned for decision, and there after the reports shall be uploaded onthe Designated Portal accordingly;
- (16) scrutinise all documents in adoption case as provided in the **Schedule IX** within five days of receipt of the documents from the Specialised Adoption Agency before submitting the case to the District Magistrate for fixing the adoption hearing;

- support the Child Welfare Committee in declaring a child legally free for adoption as referred in sub-regulation 7 of regulation 6 and sub-regulation 11 of regulation 7;
- (18) arrange reports like Child Study Report, Medical Examination Report and the like of a child residing in a Child Care Institution which is linked with a Specialised Adoption Agency.
- **39.** Child Welfare Committee.—The Child Welfare Committee shall take actions as provided in regulations 6 and 7 and as provided in rule 18 and 19 of the rules.

Explanation: Further for removal of doubt, it is hereby clarified that, in cases where a child is willingly surrendered by the biological mother, the child being born out of non-consensual sexual relations or where cases have been registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act or Indian Penal Code, the Child Welfare Committee is obliged to issue an order clearing the child legally free for adoption within the stipulated period within which the Dioxyribo Nucleic Acid (DNA) sample collection should be completed to avoid undue harassment to the families who adopt the children in such cases.

40. Birth certificate issuing Authority.—The local Registrar notified under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) shall issue birth certificate within five days in favour of an adopted child on an application filed by the Specialised Adoption Agency or adoptive parents, incorporating the names of the adoptive parents as parents and the date of birth of the child as mentioned in the adoption order issued by the District Magistrate, in accordance with circulars issued from time to time by the Registrar General of India:

Provided that no physical presence of the adoptive parents shall be required for issue of such certificate.

41. Central Adoption Resource Authority.—The Authority shall:—

- (1) promote in-country adoptions, facilitate inter-state adoptions in co-ordination with State Adoption Resource Agency and regulate inter-country adoptions;
- (2) receive applications of an non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder or a foreigner living abroad through Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the Government department or the Indian diplomatic mission concerned and process the same under sub-section (5) of section 59;
- (3) receive and process applications from a foreigner or an Overseas Citizen of India Cardholder residing in India for one year or more, and who is interested in adopting a child from India in terms of sub-section (12) of section 59;
- (4) intimate the immigration authorities of India and the receiving country of the child about the intercountry adoption cases;
- (5) provide support and guidance to State Adoption Resource Agencies, District Magistrates, District Child Protection Units, Specialised Adoption Agencies and other stakeholders on adoption related matters through trainings, workshops, exposure visits, consultations, conferences, seminars and other capacity building programmes;
- (6) coordinate with State Governments or the State Adoption Resource Agencies, and District Magistrates and advise them in adoption related matters;
- (7) establish uniform standards and indicators, relating to:—
 - (a) adoption procedure related to orphan, abandoned and surrendered children and also related to relative adoptions;
 - (b) monitoring and supervision of service providers;
 - (c) standardisation of documents in cases of adoptions;
 - (d) safeguards and ethical practices including online applications for facilitating hassle-free adoptions and;
 - (e) procedures for adoption where adoption is done under the act other than the Juvenile Justice Act,2015 (2 of 2016).
- (8) conduct research, documentation and publication on adoption and related matters;
- (9) maintain a comprehensive centralised database relating to children and prospective adoptive parents for the purpose of adoption on the Designated Portal;
- (10) maintain a confidential centralised database relating to children placed in adoption and adoptive parents on the Designated Portal;

- (11) carry out advocacy, awareness and information, education and communication activities for promoting adoption and other non-institutional child care services either by itself or through its associated bodies;
- (12) enter into bilateral agreements with foreign Central Authorities as provided under the Hague Adoption Convention, wherever necessary;
- (13) authorise foreign adoption agencies to sponsor applications of non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder or foreign prospective adoptive parents for inter-country adoption of Indian children;
- (14) issue a system-generated No Objection Certificate in the case of inter-country adoptions;
- (15) issue Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in respect of intercountry adoption;
- (16) consider easing the age requirements for prospective adoptive parents adopting special needs children or children who fall into the hard-to-place category;
- (17) issue a system-generated support letter to regional passport office as provided in the **Schedule XVII** on receiving necessary undertaking from the adoptive parents in the following situations, namely:—
 - (a) when resident Indian adoptive parents habitually residing in India have completed adoption procedure as per the Act and they intend to move abroad subject to undertaking for completion of the balance of the post-adoption follow-ups through the Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or the Government department or the Indian Mission concerned and in this regard, the adoptive parents have to pay the professional fees as stipulated by the receiving country.
 - (b) any special circumstance that requires issue of a support letter with approval of Competent Authority.
- (18) issue No Objection Certificate in cases of adoptions done under Chapter VIII (Inter-country adoptions under Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) of these regulations in cases of Hague Adoption Convention ratified countries on completion of required procedure and issue support letter in cases of countries outside the Hague Convention, on receiving letter of acceptance of the said adoption from the concerned Government department of the receiving country;
- (19) carry out such activities in order to promote non-institutional care for children who have been unable to find a family through adoption.
- **42. Regional Passport Officer.** (1) The regional passport office shall issue passport for the adopted child within ten days from the date of completion of all formalities including submission of requisite documents, as well as capture of photo, biometrics etc., in accordance with the circulars issued by the Ministry of External Affairs of the Central Government from time to time;
- (2) The regional passport officer may issue a passport based on the Authority's No Objection Certificate, the adoption order issued by the District Magistrate mentioning the date of birth of the child, and the Conformity Certificate (in the case of Hague Adoption Convention ratified countries);
- (3) The presence of both adoptive parents shall be desirable at the time of submission of passport application and requisite documents. However, if only one adoptive parent could be present, 'Annexure 'D' of passport manual duly filled and signed be presented at the time of submission of documentation;
- (4) Passport application of adopted children shall be given due priority upon request for grant of appointment slot by the regional passport officer;
- (5) The regional passport officer shall waive prior appointment in such cases where the Specialised Adoption Agency arrives at regional passport office with passport application and shall promptly allocate slots to them at Passport Seva Kendras or Post Office Passport Seva Kendras for biometric data capture or photo capture or verification etc.;
- (6) All documents forming the passport application may be self-attested by the adoptive parents;
- (7) In all in-country adoptions completed under the Act where two years of legal residence with the child have not yet been completed, the regional passport officer shall issue passport to the child on the basis of support letter from the Authority;
- (8) The regional passport officer shall not require a support letter from the Authority if the adoptive parents have already completed two years of legal residence with the child after the adoption order was issued.

- **43. Role of Indian diplomatic missions in inter-country adoption.** Indian diplomatic missions abroad shall have the following role in inter-country adoption of Indian children, namely:—
- (1) liaise, coordinate and facilitate in the matter of inter-country adoption of Non- resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholders with the help of the Authorised Foreign Adoption Agencies, Central Authorities, concerned foreign Government departments and social workers authorised by them wherever required;
- (2) recommend proposals seeking for authorisation of foreign adoption agencies and social workers in consultation with Central Authority or Government department concerned for the purpose of sponsoring applications for adoption of Indian children;
- (3) issue visa on the basis of supporting documents to foreign prospective adoptive parents who wish to see a child in person at a Specialised Adoption Agency in India, before accepting them for adoption, after their adoption application is approved by the Authority and also for taking custody of the child after issue of adoption order;
- (4) empanel and authorise social workers in Non-Hague countries to complete adoption application formalities including Home Study Report, where there is no Authorised Foreign Adoption Agency or a Government department to deal with adoption;
- (5) liaise with the authorised social workers of the Non-Hague countries to send progress report of the child on quarterly basis in the first year and on six monthly basis in the second year, from the date of arrival of the child in the receiving country and in case of disruption of adoption, shall take actions as provided under regulation 20;
- (6) liaise with the authorised social workers of the Non-Hague countries to complete remaining progress reports of the adoptive parents relocating abroad;
- (7) render necessary help and facilitate the repatriation of the child in case required, in consultation with the local authorities, adoption agency concerned and the Authority.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS

- **44. Seniority of the prospective adoptive parents.**—(1) The resident Indian or non-resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents based on states specific and cluster specific choice shall be referred children on the basis of seniority which shall be from the date of registration and other criteria as stipulated under these regulations while the foreign prospective adoptive parents shall be provided referrals on the basis of 'anywhere in India'.
- (2) In case prospective adoptive parents residing in India are not willing to take the referred child for any reason, the child shall be automatically referred to the next waiting prospective adoptive parents in the waiting list after expiry of forty eight hours of the reservation period.
- (3) In case prospective adoptive parents residing abroad are not willing to take the referred child for any reason, the child shall be automatically referred to the next waiting prospective adoptive parents in the waiting list after expiry of ninety six hours of the reservation period.
- (4) The seniority of resident Indians shall be based on the date of online registration and submission of the documents, except for Home Study Report, on the Designated Portal.
- (5) The seniority of non-resident Indian or Overseas Citizen of India Card holder or foreign prospective adoptive parents residing abroad shall be based on the date of online registration and submission of the requisite documents alongwith Home Study Report on the Designated Portal.
- (6) Seniority of prospective adoptive parents who registered as single but later got married shall be counted from the date of registration subject to two years of stable marital relationship and receipt of a fresh Home Study Report.
- (7) Seniority of prospective adoptive parents who registered as couple but later got divorced, widowed or remarried shall be counted from the date of registration subject to receipt of a new Home Study Report and two years of stable marital relationship in case of remarriage.
- (8) Prospective adoptive parents registered for normal child, shall be able to adopt a special needs child or hard to place child with the same registration.

- **45. Adoption by Indian parents residing in countries which are not signatory to Hague Adoption Convention.**—(1)In a situation where one of the Indian parents is residing in India and the spouse is working in a country which is not signatory to the Hague Adoption Convention on temporary work permit, the parents have to decide the place where they have to conduct their home study and for such purpose, they have to be together, either within the country or abroad.
- (2) In case the non-resident Indian and the Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents desire to initiate the process in a country which is not a signatory to the Hague Adoption Convention, the Indian Mission shall arrange to conduct the home study of such parents and facilitate adoption process including uploading of Home Study Report and post-adoption follow-up report on the Designated Portal through the authorised social workers.
- (3) For adoption by prospective adoptive parents residing in a country which is not signatory to the Hague Convention, the prospective adoptive parents have to provide documents as specified in the **Schedule VI**.
- **46. Adherence to time line.** All agencies and authorities involved in the adoption process shall adhere to the timeline as specified in the **Schedule XIV**.
- **47. Root search.** (1)If the biological parents, at the time of surrender of the child, have specifically requested anonymity, then the consent in writing of the biological parents shall be taken by the Specialised Adoption Agency or the District Child Protection Unit, as the case may be, before divulging information.
- (2) In cases of root search by older adoptees, the agencies or authorities concerned that is Authorised Foreign Adoption Agency, Central Authority, Indian diplomatic mission, Authority, State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency, whenever contacted by any adoptee, shall facilitate their root search.
- (3) Persons above eighteen years can apply independently online while children below eighteen years shall apply jointly with their adoptive parents to the Authority seeking facilitation of root search.
- (4) In case of denial by the biological parents or non-traceability of the parents in surrendered cases, the reasons and the circumstances under which the information is not being made available shall be disclosed to the adoptee.
- (5) A root search by a third party shall not be permitted and the agencies or authorities concerned shall not make any information public relating to biological parents, adoptive parents or adopted child.
- (6) The right of an adopted child shall not infringe the right to privacy of the biological parents.
- **48. Confidentiality of adoption records.**—All agencies or authorities involved in the adoption process shall ensure that confidentiality of adoption records is maintained, except as permitted under any other law for the time being in force and for such purpose, the adoption order may not be displayed on any public portal.
- **49. Adoption fees.**—(1)The prospective adoptive parents shall bear the expenses for adoption and the Specialised Adoption Agencies shall adhere to the adoption fees and their utilisation pattern as provided in the **Schedule XV** which shall be revised by the Authority from time to time.
- (2) The Specialised Adoption Agency or the linked Child Care Institution may receive adoption fee from the prospective adoptive parents and utilise the funds in accordance with norms prescribed by the Authority from time to time.
- (3) The Specialised Adoption Agency is not permitted to accept any donation in cash or kind, directly or indirectly, from the prospective adoptive parents for adoption of a child.
- **50. Updating adoption data by Specialised Adoption Agency.** Specialised Adoption Agency shall update data on the Designated Portal as per stipulated timeline provided in the **Schedule XIV.**
- **51. Adoption of children with special needs.**—(1)The adoption process for children with special needs shall be completed as expeditiously as possible by the agencies or authorities concerned, who shall be available for adoption by resident Indians, non-resident Indians and Overseas Citizen of India

Cardholder found eligible and suitable by way of Home Study Report from the date their profile is uploaded on the Designated Portal after the special needs children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee:

Provided that such children with special needs shall be available for adoption by foreign adoptive parents, after fifteen days from the date they are declared legally free for adoption.

- (2) All prospective adoptive parents shall be able to indicate whether they want to adopt a specific category of child having special needs.
- (3) Special care shall be taken while processing the cases for adoption of children with special needs, so that the prospective adoptive parents are aware of exact medical condition of the child and are ready to provide extra care and attention that the child needs.
- (4) The types of children with special needs are provided in the **Schedule XVIII** and **Schedule III** (**PartE**) of these Regulations, which are illustrative and not exhaustive; the same may also be accessed from www.cara.nic.in, and the decision of the Authority shall be final in this regard.
- (5) The children with special needs who were not adopted shall be provided due care and protection by the Specialised Adoption Agency and if they do not have necessary facilities and the means for their long term care, such children shall be shifted to any other specialised institutions run by any Government or non-government organisation.
- (6) Treatment of children with special needs.—
 - (a) Within one month of a child's admission to a Specialised Adoption Agency, the institution shall arrange medical tests, as specified in **Schedule IV**, and prepare the Medical Examination Report through its pediatrician or doctor for uploading on the Designated Portal within ten days of the date such children are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee.
 - (b) Where the Medical Examination Report finds that the child is suffering from some health issue or ailment, the Specialised Adoption Agency shall inform the District Child Protection Unit concerned to approach the District Magistrate to recommend the case to the Chief Medical Officer of the district within twenty-four hours.
 - (c) The Chief Medical Officer shall then facilitate additional tests and medical examination of the said child before categorising the child with special needs as provided in **Schedule III** (**Part E**).
 - (d) In case the health ailment is treatable, the Chief Medical Officer shall facilitate and supervise the treatment of such child having special needs under various Government schemes.
 - (e) The Chief Medical Officer shall ensure that the treatment of such a child is completed at the earliest.
 - (f) After completion of the treatment of the child, the Specialised Adoption Agency shall update the health status of the child accordingly on the Designated Portal.
- **52. Adoption of older children and siblings.**—(1)Since it takes time for an older child to adjust with unrelated parents, it is important that the child and the prospective adoptive parents are made familiar to each other, before leaving the institution.
- (2) Under the guidance of Specialised Adoption Agency or Authorised Foreign Adoption Agency, the prospective adoptive parents may have interactions with older children through video calls or by any other means, even before taking custody and the prospective adoptive parents may be encouraged to spend some quality time with the child before leaving the institution.
- (3) The siblings and older children shall be deemed to be available for adoption by resident Indians, non-resident Indians and Overseas Citizens of India Cardholder prospective adoptive parents from the date their profile is uploaded on the Designated Portal after they are declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee and they shall be available for adoption by other categories of prospective adoptive parents after thirty days.
- **53.** Other options for rehabilitation of children.—(1)The Authority with the approval of its Steering Committee, may make additional efforts for adoption of hard to place children, through foster care on the Designated Portal.
- (2) The children who are not being adopted after being declared legally free for adoption may be eligible for foster care by suitable foster parents under rule 44 of the rules and the **Schedule XVI** of the Regulations.
- (3) The hard to place children shall be eligible for foster care and list of such children along with other categories of children as stipulated in rule 44 of the rules shall be accessible to District Child Protection Unit and the State Adoption Resource Agency through the Designated Portal.

- (4) The Authority shall provide links between the Specialised Adoption Agency and the Child Care Institution for the purpose of adoption of children who are in foster care in the manner it has established links for the purpose of adoption.
- (5) The foster families willing to adopt such children shall register themselves on the said Designated Portal.
- (6) The prospective foster parents shall be physically, mentally, emotionally and financially capable and shall not have any life threatening medical condition and they should not have been convicted in any criminal act or accused in any case of child rights violation.
- **54. In-country relative adoptions.**—(1)The prospective adoptive parents shall register on the Designated Portal with the required documents as specified in the **Schedule VI.**
- (2) Consent of biological parents or permission of the Child Welfare Committee, as the case may be, shall be required as provided in the **Schedule XIX or Schedule XXII** respectively.
- (3) The consent of the child shall be obtained, if they are five years of age or above.
- (4) Affidavit of adoptive parents is required in cases of in-country relative adoptions in support of their financial and social status as specified in the **Schedule XXIV**.
- (5) The prospective adoptive parents shall receive due verification by the District Child Protection Unit.
- (6) The State Adoption Resource Agency shall further refer the case to the Authority for necessary approval following which pre-approval certificate shall be issued by the State Adoption Resource Agency as provided in the **Schedule XXV**.
- (7) If the prospective adoptive parents have a foreign passport, the case shall be referred to the Authority for expert advice.
- (8) After scrutiny of the application, the District Child Protection Unit shall file the application as provided in the **Schedule XXX** before the District Magistrate of the district where the child is habitually residing.
- (9) The District Chid Protection Unit shall obtain a certified copy of the adoption order from the District Magistrate concerned and furnish a copy of the same online to the Authority and the adoptive parents through the Designated Portal.
- **55. Adoption by step-parent.**—(1)The couple (step-parent and one of the biological parents) shall register on the Designated Portal with the required documents as specified in the **Schedule VI**.
- (2) Consent of the biological parents and the step-parent adopting the child or children shall be as provided in the **Schedule XX**.
- (3) In case the custody of the child is under litigation, the adoption process shall be initiated only after the finalisation of the case by the court concerned.
- (4) The step-parent or the couple shall receive due verification by the District Child Protection Unit.
- (5) The State Adoption Resource Agency shall further refer the case to the Authority for necessary approval following which pre-approval certificate shall be issued by the State Adoption Resource Agency as provided in the **Schedule XXV**.
- (6) If the prospective adoptive parents have a foreign passport, the case shall be referred to the Authority for expert advice.
- (7) The biological parent and the step-parent shall file an application with the District Magistrate of the district through the District Child Protection Unit where the child is habitually residing, as per format provided in the **Schedule XXXII**, after due verification from the District Child Protection Unit and approval by State Adoption Resource Agency.
- (8) The District Chid Protection Unit shall obtain a certified copy of the adoption order from the District Magistrate concerned and furnish a copy of the same online to the Authority and the adoptive parents through the Designated Portal.
- (9) In case of inter-country adoption by step parent, the process has to be followed as outlined in Inter-country relative adoption and requisite consent form has to be signed before the Child Welfare Committee as provided in the **Schedule XXI** and further Family Background Report has to be completed as provided in the **Schedule XXI**.
- **56. Inter-country relative adoptions.**—(1)A non-resident Indian or an Overseas Citizen of India Card holder, interested to adopt a relative's child, may approach an Authorised Foreign Adoption Agency

- or the Central Authority in the country of residence for preparation of their Home Study Report and for online registration on the Designated Portal.
- (2) In case there is no Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority in their country of residence, then the prospective adoptive parents interested to adopt a relative's child shall approach the Government department concerned or Indian diplomatic mission (in cases of Indian citizens and Overseas Citizen of India Cardholder) in that country.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or the department concerned or the Indian diplomatic mission (in cases of Indian citizens), as the case may be, on completion of the Home Study Report, shall register the application of the prospective adoptive parents on the Designated Portal along with the required documents as mentioned in the **Schedule VI.**
- (4) Procedure laid down in succeeding regulations 57, 58, 59 and 60 shall be followed in the cases related to inter-country relative adoptions.
- **57. Procedure for inter-country relative adoption from Authority.**—(1)On receipt of Home Study Report along with relevant documents of prospective adoptive parents on the Designated Portal by Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned or Indian Mission abroad, the Authority shall forward the same to State Adoption Resource Agency or District Child Protection Unit for obtaining family background report of the child proposed for adoption along with supportive documents, as provided in the **Schedule XXI**.
- (2) The District Child Protection Unit shall get the family background report conducted by its social worker and for this purpose, it can charge a fee as stipulated in the norms prescribed by the Authority from time to time.
- (3) District Child Protection Unit shall forward a copy of the family background report of the child and the biological family to the Authority through State Adoption Resource Agency concerned for onward submission to Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Indian Mission abroad.
- (4) On receiving family background report of the relative's child, the Authority shall forward the same to the receiving country as required under Article 4 and 16 of the Hague Adoption Convention.
- (5) The Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned, on receiving requisite documents as stipulated in sub regulation (3), shall arrange to forward a certificate under Article 5 or Article 17 of the Hague Adoption Convention to the Authority.
- (6) In case of countries which are not signatories to Hague Adoption Convention, in respect of Indian citizens, family background report of the relative's child and prior approval letter from the Authority shall be forwarded to the Government department concerned or Indian Mission of that country which shall issue a recommendation letter to the Authority.
- (7) Incase of Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents residing in India, such parents can register directly on the Designated Portal and upload initial requisite documents.
- **58. No Objection Certificate of Authority.**—In case of all inter-country adoptions, the Authority shall issue No Objection Certificate in favour of the adoption of the child within ten days from the date of receipt of certificate issued under Article 5 or 17 of the Hague Adoption Convention from receiving country and a copy of the same shall be forwarded to the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority concerned.
- **59. Adoption Order for relative and step-parent adoption.** (1) The prospective adoptive parents, who intend to adopt the child of a relative as defined in clause (52) of section 2, shall file an application with the District Magistrate under sub-section (2) of section 56 or sub section (1) of section 60 of the Act in case of in-country relative adoption or inter-country relative adoption, respectively.
- (2) The prospective adoptive parents shall file an application with the District Magistrate through the office of District Child Protection Unit.
- (3) The prospective adoptive parents in case of in country relative adoption shall file the adoption application with the District Magistrate concerned as provided **Schedule XXX**, where the child habitually resides with biological parents or guardians along with all requisite documents as provided in the **Schedule VI and Schedule IX**.

- (4) The prospective adoptive parents, in case of inter-country relative adoption, shall file the adoption application with the District Magistrate concerned as provided in **Schedule XXXI**, where the child habitually resides with biological parents or guardians along with all requisite documents as provided in the **Schedule VI and Schedule IX** and along with No Objection Certificate from Authority.
- (5) The step-parent and the biological parent, who intend to adopt the child or children of the spouse, shall file the adoption application with the District Magistrate as provided in **Schedule XXXII**, where the child habitually resides, along with requisite documents as provided in the **Schedule VI** and **Schedule IX**.
- (6) Before issuing an adoption order, the District Magistrate shall satisfy itself of the various conditions stipulated under section 61 of the Act, and regulations 54 to 57, as the case may be.
- (7) The prospective adoptive parents shall obtain a certified copy of the adoption order from the District Magistrate and furnish a copy of the same to the District Child Protection Unit for online submission to the Authority.
- **60. Issue of Conformity Certificate.**—The Authority shall issue a Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in the format provided in the **Schedule XI** within three days from the date of availability of the adoption order on the Designated Portal, in case the receiving country of the adopted child is a Hague Adoption Convention signatory.
- 61. Child Care Institution and its linkage with Specialised Adoption Agency.—(1)All Child Care Institutions registered under this Act, which may not have been recognised as Specialised Adoption Agencies, shall ensure that all orphan or abandoned or surrendered children under their care and protection are reported, produced and declared legally free for adoption, by the Child Welfare Committee as per the provisions of section 32, sub-section (2) of section 38 and sub section (1) of section 66 of the Act and the procedure laid down in these regulations.
- (2) Such report shall include the name, gender, date of birth or age, photograph and health condition of the child, language spoken by the child (if any), address or source (wherever known) and the manner and circumstances in which the child was brought and admitted to the institution.
- (3) The District Child Protection Unit concerned shall render all necessary assistance to the Child Care Institution concerned in getting an orphan, abandoned or surrendered child declared legally free for adoption by Child Welfare Committee as per the procedure and time frame stipulated under the provisions of the Act, rules framed thereunder and these regulations.
- (4) The District Child Protection Unit shall be responsible for linking the Child Care Institution where adoptable children have been identified with Specialised Adoption Agency.
- (5) If the Child Care Institution is located in the same district.—
 - (a) The Specialised Adoption Agency shall complete the documentation and formalities required for the adoption of an orphan, abandoned or surrendered child including preparation of Child Study Report and Medical Examination Report of the child as provided in the **Schedule II** and **Schedule III** respectively;
 - (b) The Specialised Adoption Agency shall upload the profile of the child on the Designated Portal, which includes photograph, Child Study Report, Medical Examination Report of the child and certificate from Child Welfare Committee declaring the child legally free for adoption.
- (6) In case the Child Care Institution and the Specialised Adoption Agency are not located in the same district.—
 - (a) The District Child Protection Unit shall conduct Child Study Report through a social worker and Medical Examination Report of the child as provided in the **Schedule II** and **Schedule III** respectively;
 - (b) the District Child Protection Unit shall upload the profile of the child on the Designated Portal, which includes photograph, Child Study Report, Medical Examination Report of the child and certificate from Child Welfare Committee declaring the child legally free for adoption;
 - (c) once documents of children are uploaded on the Designated Portal, the linked Specialised Adoption Agency shall access information of such children for facilitating their adoption as per the provisions of these regulations.

- (7) In case there is more than one Specialised Adoption Agency in the district for linking the Child Care Institution, the distance between the two, the needs of the child and the capacity of the Specialised Adoption Agency shall be taken into consideration.
- (8) The Adoption Committee shall include.—
 - (a) adoption in-charge or social worker of the Specialised Adoption Agency;
 - (b) paediatrician or visiting doctor of the Child Care Institution;
 - (c) official from the District Child Protection Unit of the district where Child Care Institution is located:
 - (d) representative of the Child Care Institution in case its child is linked with the Specialised Adoption Agency .
- (9) In all such adoption cases, adoption application shall be filed with the District Magistrate by the Specialised Adoption Agency, through the District Child Protection Unit making the Child Care Institution as a co-applicant.
- (10) In case the child is from a Child Care Institution which is located in another district, the Specialised Adoption Agency shall file the adoption application with the District Magistrate of the district where the child is located through the District Child Protection Unit.
- (11) The adoption fee shall be shared between Specialised Adoption Agency and Child Care Institution in the ratio as may be prescribed by the Authority.
- (12) The District Child Protection Unit shall obtain a certified copy of the adoption order from the office of the District Magistrate and furnish a copy of the same to the prospective adoptive parents, Child Care Institution, Specialised Adoption Agency and upload it on the Designated Portal.
- **62.** Appeal to State Adoption Resource Agency and Central Adoption Resource Authority.—(1)In case of in-country adoption, any prospective adoptive parents or child or any person on their behalf, aggrieved due to non-selection for adoption because of the opinion of Specialised Adoption Agency or issues related to eligibility of the prospective adoptive parents or of the child to be adopted or regarding the documentation relating to the prospective adoptive parents or the child, such as, Home Study Report or health status of the prospective adoptive parents, the Child Study Report and Medical Examination Report or any technical issue related to the Designated Portal may approach the State Adoption Resource Agency.
- (2) The application referred to in sub-regulation (1) shall be made by the aggrieved party within seven days from the date of opinion or decision.
- (3) The State Adoption Resource Agency shall take decision on the application within fifteen days from the date of receipt of the application.
- (4) The aggrieved if unable to get suitable response within the stipulated period of fifteen days, shall write to Central Adoption Resource Authority for redressal of their grievance within forty-eight hours of receiving the said response which shall be addressed by the Authority within fifteen days from the date of receipt of the application.
- (5) In cases of inter-country adoption matters, appeal shall be forwarded to the Authority within the stipulated time referred to in sub-regulation (2) and the Authority shall take decision on the application within fifteen days from the date of receipt of the application.
- **63. Power to relax and interpretation.**—(1)The power of relaxation and grant exception to any provision of these regulations in respect of a case or class of cases shall be vested with the Relaxation Committee of the Authority.
- (2) Relaxation Committee of the Authority shall be chaired by the chairperson of Steering Committee of the Authority and two members consisting of its Chief Executive Officer and a member of Steering Committee having experience in law as members.
- (3) No decision of the Relaxation Committee of the Authority shall ordinarily have the effect of altering the seniority of any prospective adoptive parents unless reasons are recorded in writing and the primary consideration being the best interests of the child.
- (4) In case of any ambiguity in interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Authority shall prevail.

CHAPTER VIII

PROCEDURE FOR CHILDREN ADOPTED UNDER THE HINDU ADOPTION AND MAINTENANCE ACT, 1956, BY PARENTS WHO DESIRE TO RELOCATE THE CHILD ABROAD

64. This Chapter shall apply to—

- (a) all adoption cases under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) by prospective adoptive parents or adoptive parents residing outside the country and
- (b) all adoption cases pertaining to countries outside the Hague Adoption Convention.
- **65**. The Central Adoption Resource Authority shall register applications for inter-country adoptions to be processed under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956).
- **66**. The following procedure referred to in regulations 67, 68, 69, 70 and 71 is set forth as an adoption procedure for non-resident Indians or Overseas Citizen of India Card holder prospective adoptive parents who live outside the country and meet the requirements to adopt a child from India under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956(78 of 1956).
- 67. Procedure in the case of registered adoption deed.— (1) In the cases where the adoption deed has already been executed in pursuance of adoption under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), before the commencement of the Adoption (Amendment) Regulations, 2021, the requisite documents supporting the facts of the adoption deed shall be duly verified and recommended by the District Magistrate in the format as provided in Schedule XXXV.
- (2) On receipt of the verification of documents as per **Schedule XXXV**, the Central Adoption Resource Authority shall comply with the provisions of Articles 5 or 17 from the receiving country as provided in the Hague Adoption Convention.
- (3) Upon receiving such certificate, the Central Adoption Resource Authority shall issue no objection certificate for Hague ratified countries and in cases of countries outside the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-country Adoption, the Central Adoption Resource Authority shall issue a support letter upon receiving a letter accepting the said adoption from the Government department.

68. Procedure for inter-country Adoption.—

- (1) In the cases initiated after 17th September, 2021, the following standard common procedure shall be applicable for all inter-country adoptions concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), by eligible non-resident Indians or Overseas Citizen of India Cardholders, who are to take a child in adoption from India.
- (2) Any Hindu prospective adoptive parents habitually residing abroad and who wish to adopt an Indian Hindu child born to Indian Hindu Parents, residing in India, may contact an Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority in case of Hague ratified countries and the Government department concerned in case of Non-Hague countries in their country of habitual residence, as the case may be.
- (3) The Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or the Government department concerned in their country of habitual residence shall sponsor the application of eligible and suitable prospective adoptive parents to the Central Adoption Resource Authority.
- (4) The Central Adoption Resource Authority shall share the sponsoring letter and other requisite information about the parents received from the Authorised Foreign Adoption Agency or the Central Authority or the Government department of the receiving country, as the case may be, with the District Child Protection Unit and the District Magistrate of the district where the child is habitually residing.
- (5) The District Magistrate shall get a family background report prepared which shall include all required documents related to the biological parents and the child proposed to be adopted and the report shall be conducted through the District Child Protection Officer as provided in **Schedule XXI** and **Schedule XXXVI**.
- (6) Upon receipt of the family background report, the Central Adoption Resource Authority shall

forward it to the concerned Authorised Foreign Adoption Agency, or Central Authority, in their country of habitual residence for issuing necessary permission under Article 5 or17 (Hague Adoption Convention ratified countries).

69. Adoption process.—

- (1) The parties to an adoption concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) shall jointly present the deed of adoption to the Sub-Registrar's office in the district with copy to District Magistrate.
- (2) Based on such copy of the deed, the District Magistrate shall conduct such inquiry, as he may deem fit, to satisfy that all the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), and the stipulations under the regulations have been followed and such inquiry shall be completed within a period of thirty days.
- (3) In case the District Magistrate fails to complete the inquiry within thirty days, he shall be bound to give reasons along with verification certificate for failing to provide the inquiry report within thirty days and the parties may register the adoption deed with the Sub-Registrar concerned under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), indicating the details of application made and that inquiry from District Magistrate has not been received within the stipulated time referred to in sub-regulation (2).
- (4) The District Magistrate shall thereafter forward the verification certificate in the format in **Schedule XXXV** along with the checklist provided in Schedule **XXXVI** to the Central Adoption Resource Authority certifying the following that-
 - (a) the adoption recorded in the deed of adoption has been made in accordance with the provisions of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956), including the sourcing of the child, the eligibility and suitability of the adoptive parents;
 - (b) the adopted child or the biological parents are not under any duress while giving the child in adoption;
 - (c) the adoption has been concluded with mutual consent of all parties concerned;
 - (d) there has been no monetary consideration involved in the adoption process and the adoption is in the best interest of the child.

70. Issue of No Objection Certificate and Conformity Certificate.—

- (1) On receipt of verification certificate from the District Magistrate, on the registered adoption deed and necessary permission under Articles 5 or 17 from the receiving country as provided in the Hague Adoption Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-country Adoption, the Central Adoption Resource Authority shall issue No Objection Certificate for Hague ratified countries under Article 17(c) and Conformity Certificate under Article 23 of the Convention.
- (2) In the case of countries outside the Hague Adoption Convention, a support letter shall be issued by the Central Adoption Resource Authority.
- **71. Post-adoption follow-up.**—In cases of disruption or dissolution, the rehabilitation of the child shall be followed as provided in the Hague Adoption Convention and as per child protection services available in the receiving country.

SCHEDULES

S.No.	Schedule No.	Subject
1.	Schedule I	Certificate declaring the child legally free for adoption
2.	Schedule II	Child Study Report
3.	Schedule III	Medical Examination Report and classification of special needs of the child
4.	Schedule IV	Medical test for children admitted into institutions and red flags of developmental milestones

5.	Schedule V	Deed of surrender
6.	Schedule VI	Online registration form and list of documents to be uploaded
7.	Schedule VII	Home study report of resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents living in India
8.	Schedule VIII	Pre-adoption foster care undertaking (in the form of an affidavit)
9.	Schedule IX	List of documents (Attested or Notarised) to be filed in the office of District Magistrate
10.	Schedule X	No Objection Certificate
11.	Schedule XI	Conformity Certificate
12.	Schedule XII	Post adoption follow-up report of the child
13.	Schedule XIII	Standards of child care in Specialised Adoption Agencies
14.	Schedule XIV	Timeline for Authorities and Agencies concerned
15.	Schedule XV	Adoption fees and their utilisation by Specialised Adoption Agencies or Child Care Institutions
16.	Schedule XVI	Foster Care Adoption
17.	Schedule XVII	Support Letter for Regional Passport Officer in case of in- country adoption
18.	Schedule XVIII	Classification of special needs children for the purpose of adoption
19.	Schedule XIX	Consent for the purpose of relative adoption
20.	Schedule XX	Consent of biological parents along with step-parent to obtain the permission of Child Welfare Committee for adoption of child or children by biological parent and the step-parent
21.	Schedule XXI	Family background report of the child and the biological parents
22.	Schedule XXII	Permission by Child Welfare Committee to the consent given by the guardian of the child for adoption by their relative (where biological parents are not alive or not able to give consent)
23.	Schedule XXIII	Affidavit by the chief functionary or authorised person of the Specialised Adoption Agency to District Magistrate in support of adoption of child
24.	Schedule XXIV	Affidavit of prospective adoptive parents in cases of in-country relative adoption in support of their financial and social status as per sub-regulation 4 of regulation 54
25.	Schedule XXV	Pre-Approval format in case of In-country relative or step adoption
26.	Schedule XXVI	Application from a Child Care Institution for recognition as a Specialised Adoption Agency
27.	Schedule XXVII	Format of minutes of the Adoption Committee in case of in- country adoption

28.	Schedule XXVIII	Model application in case of orphan or abandoned or surrendered child(ren) for in-country adoption
29.	Schedule XXIX	Model application in case of orphan or abandoned or surrendered child(ren) for inter-country adoption
30.	Schedule XXX	Model application for in-country relative adoption
31.	Schedule XXXI	Model application for inter-country relative adoption
32.	Schedule XXXII	Model application for adoption of child or children by step & biological parent
33.	Schedule XXXIII	Adoption order
34.	Schedule XXXIV	Adoption dissolution Order
35.	Schedule XXXV	Verification certificate in case of adoption concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act(HAMA), 1956 (78 of 1956)
36.	Schedule XXXVI	Family background report under adoption concluded under the Hindu Adoptions and Maintenance Act(HAMA), 1956 (78 of 1956)

SCHEDULE I

[See regulations 2(5), 6(13) and 7(17)]

CERTIFICATE DECLARING THE CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

1.		exercise of the powers vested in the Child Welfare Committeeunder ction 38 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021,
		ild, sex (Male or Female or Other), date of
		thplaced in the care of the Specialised Adoption Agency or Child Care
		Institution (name and address) vide order
		dated of this Committee, is hereby declared legally e for adoption on the basis of the following:
	_	o for adoption on the cases of the following.
		Inquiry report of the Probation Officer or Child Welfare Officer or Social Worker or Case Worker or any other (as the case may be);
	_	Deed of surrender executed by the biological parents or the legal guardian of the child before this Committee on (date);
		before this committee on (date),
		Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialised Adoption Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under section 40, the rules framed there under and the Adoption Regulations, but, nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration;
		Consent of older child, in case applicable.
2.	Thi	s is to certify that:
	П	
	Ц	The biological parents or legal guardian, wherever available, has or have been counselled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or

	children in adoption which shall re the child and their family of origin		of the legal	l relationship between
	The biological parents or legal gu form, and the consent has not been the consent of the mother (where child;	n induced by payment of	or compens	sation of any kind and
[<i>No</i>	The Specialised Adoption Agency aforesaid child is entrusted shall at of the child on the Designated Porte: Strike out the box(es) which	rrange to post the photogral.	graph and	
[Note: Only one certificate may be issued in case of siblings or twins stating the relationship] [Note: To facilitate adoption in the best interest of the child, the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit concerned, as the case may be, is permitted to post the profile of the child, including photograph, Child Study Report, Medical Examination Report and this certificate on the Designated Portal.]				
		Most recent photog the child	raph of	
Date an Commi				Child Welfare
		Signature of any t	three mem	bers of the Committee
, Date & Stamp To: Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit- to post this certificate on the Designated Portal				
SCHEDULE II [See regulations 2(6), 6(15), 7(18), 61(5)(a) and 61(6)(a)] CHILD STUDY REPORT				
Registration No. of the Child on the Designated Portal: Aadhar Card No:				
[The docum	of the Specialised Adoption Agence letailed report on the child sha ents. Child Study Report shou free for adoption by the Child W	all include identifyin ld be prepared as so	g inform	

Photograph of the child

I. GENERAL INFORMATION:

- 1. Name of the Child. ----- (given by biological mother or parents or by the Specialised Adoption Agency or Child Care Institution or Child Welfare Committee)
- 2. Present age and date of birth:
- 3. Sex:
- 4. Place of Birth:
- 5. Religion (if known):
- 6. Type of child: Orphan or abandoned or surrendered
- Date of admission of the child to the Specialised Adoption Agency or Child Care Institution:
- 8. Date of production before Child Welfare Committee:
- 9. Date declared as legally free for adoption by the Child Welfare Committee:

II. SOCIAL DATA

Please do not give identifying information about the natural parent.

- 1. How did the child come to your institution?
 - (a) Admitted directly by parent or any other guardian:
 - (b) Placed by Child Welfare Committee directly:
 - (c) Transferred from any other institution, if so, name of the institution:
 - (d) Any other source:
- 2. Reasons for seeking protection in the Institution:
- 3. Attitude of the child towards other children, if applicable:
- 4. Behaviour and relationship of the child towards staff and other adults including strangers:
- 5. General intelligence:
- 6. If the child is enrolled in school, give a detailed report about their standard, attendance, general interest in studies, progress, if any:
- 7. General personality and description of the child:
- 8. Play activity and any specific talent: Milestones of the child (for children below eighteen months). Please mark Yes or No (based on age appropriate responses)

Does the child:-

- (a) Smile
- (b) Turn on their sides
- (c) Lift its head Grasp objects in its hand
- (d) Crawl on its own
- (e) Sit with full support or Sit without support
- (f) Stand with support or Stand without support
- (g) Walk with support or Walk without support
- 9. Dietary Habits:-
 - (a) Intake of liquid food:
 - (b) Semi-solid food:
 - (c) Solid food:
- 10. Developmental Assessment (language spoken, behaviour, basic play skills, physical activity and communication and social skills etc.):
- 11. Social Background (This should include their social history i.e. brief background of the

hirth parents and circumstances pagescitating the child's surrander or abandonment ato

1	g information such as name and address of birth parents or
	Il worker or the staff nurse of the Specialised Adoption Agency ald Care Institution hereby certify that the information given in _ is correct.
	Name & Signature of Social worker or Staff nurse of the Specialised Adoption Agency or Superintendent of the Child Care Institution
We have read and understood the as our	contents of the Child Study Report and are willing to accept r adoptive child.
(Signature of the male applicant)	(Signature of the female applicant)
(Name of the male applicant)	(Name of the female applicant)
Place and Date:	Place and Date:

SCHEDULE III

[See regulations 2(16), 2(25), 6(15), 7(18), 8(2), 36(9), 37, 51(4), 61(5)(a) and 61(6)(a)]

MEDICAL EXAMINATION REPORT AND CLASSIFICATION OF SPECIAL NEEDS OF THE CHILD

[Part-A may be filled by the social worker, counsellor or the staff nurse of the Specialised Adoption Agency or the Superintendent of the Child Care Institution as the case may be. If any information is not available, please state "Not Available". A paediatrician should be consulted if the child is under the age of one year. In case any child is found to have special needs as provided in the Schedule XVIII and Part E of the Medical Examination Report, the visiting doctor has to refer the case to Chief Medical Officer of the district.]

Registration No. of the Child on the Designated Portal: Health Status: Normal or Special Needs Date of Admission: Name of the Specialised Adoption Agency: Name of the Child Care Institution:

Disclaimer-

Thalassemia carriers and sickle cell trait: Children with carrier state of Thalassemia are asymptomatic. Similarly children with thalassemia minor shall rarely require blood transfusion. Children with sickle cell trait do not have haematological abnormalities and sickling of RBCs may rarely occur only when exposed to high altitude and low oxygen pressure (Guidelines for assessment of Disability by Union Ministry of Social Justice and Empowerment, 2018, section 29.6 and 37.3).

High risk infants and children: Children with history of perinatal adverse events like birth asphyxia, neonatal hyperbilirubinemia, neonatal sepsis, hypoglycaemia, complications associated with preterm delivery like respiratory distress syndrome, intraventricular haemorrhage etc., are at risk for developing subsequent delay in attainment of developmental milestones, epilepsy, neuromotor impairment and behavioural abnormalities. Hence, these children need detailed neurodevelopmental evaluation for proper diagnosis and holistic management.

Hepatitis B: The clinical course of Hepatitis B virus infection is diverse among individuals with different host genome, viral strains, and host-viral interactions. The earlier the HBV acquisition age is, the more likely the lifelong infection results. The perinatal infection constitutes 90% of chronic HBV infection in early childhood. Minority (10%) of chronic HBV infected subjects shall have HBsAg seroconversion, and get rid of chronic infected status. Majority of such patients may be clinically asymptomatic with normal Alanine Aminotransferase (ALT) levels but with high viral loads, and presence of HBeAg. In majority of the patients, HBeAg seroconversion to its antibody (Anti-HBe) occurs during or after the adolescent stage, indicating decrement of active viral replication and hepatitis activity. Delayed HBeAg seroconversion with persistently high viremia. After the 4 decade of life indicates a higher risk of developing liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Up to 10-25% of chronic HBV infected adult subjects may suffer from HBeAg negative hepatitis flare after HBeAg seroconversion, especially in those who experience late HBeAg Seroconversion and are associated with increased lifelong risk of liver cirrhosis and HCC.

Hepatitis C: Although HCV infections acquired during infancy are more likely to spontaneously resolve than those acquired as an adult, still about 80% remain chronically infected. Children who remained HCV RNA PCR positive during and after one year of age had a lower likelihood of clearance. As in adults with chronic HCV, fibrosis of the liver in paediatric patients tends to increase with age suggesting slow progressive histologic injury although at a slower pace. Progression to cirrhosis in childhood is extremely rare.

HIV: All HIV exposed infants should undergo HIV DNA PCR in Dried blood spot (DBS). If DBS is positive for HIV, then the test is to be repeated in whole blood. In six to eighteen months old children, HIV antibody testing by ELISA followed by DBS testing for HIV and if found to be positive, and then DNA PCR in whole blood HIV antibody testing is confirmatory after eighteen months (NACO guidelines, 2-16).

Part A- General Information

[A duly registered Special Adoption Agency should complete Part A. If any information is not available, please state "Not Available".]

- 1. Name Of the Child:
- 2. Sex:
- 3. Date Of Birth:
- 4. Place Of Birth:
- 5. Nationality:
- 6. Name of the Present Institution : Placed since :
- 7. Weight at Birth (Kgs):
- 8. Current Weight (Kgs):
- 9. Head Circumference (cm):
- 10. Current Head Circumference (cm):
- 11. Length at Birth (cm):
- 12. Current Length (cm):
- 13. Was the Pregnancy and Delivery normal?
- 14. APGAR Score, if applicable:
- 15. Attach Neuroimaging:
- 16. Where has the child been staying before admission?:

a. With the Mother: From To
b. With relatives: From To
c. In private care: From To
d. In institution or hospital: From To

(Please state the name of the institution or institutions concerned)

Note: In case of new born children, refer to Medical Test for different age groups provided in the **Schedule IV.**

Social worker or counsellor or
The staff nurse of the Specialised Adoption Agency or
The Superintendent of the Child Care Institution
[Name and designation of the staff,
date with signature]

Part B - Medical Details

[A duly registered physician should complete the Part B. If any information is not available, please state "Not Available". If the child is below 1 year, the child should be examined by Paediatrician. Medical Test for different age groups as provided in the Schedule IV of Regulations must be available.]

1. Has the Child had any disease during the past? Yes or No or Do not Know a)Disease:

b)Age at the time of diagnosis (Months):

c) Remarks (any Complications):

2. Has the Child been vaccinated against any of the Following Disease?:

Yes or No or Do not know

Immunisation Details:

Tuberculosis (BCG)	Date of immunisation
Diphtheria	Date of immunisation
Tetanus	Date of immunisation
Whooping Cough	Date of immunisation
Poliomyelitis	Date of immunisation
Hepatitis A	Date of immunisation
Hepatitis B	Date of immunisation
MMR(Measles)	Date of immunisation

3. Description of Mental Development, Behaviour and Skill of the Child (if Possible).

i	Visual	When was the child able to fix?
ii	Aural	When was the child able to turn head to Sounds?
iii	Motor	When was the child able to sit by self?
		When was the child able to stand with support?
		When was the child able to walk without support?
iv	Language	When did the child start to speak monosyllables?
		When did the child start to say single words?
		When did the child start to speak sentences?
v	Contact	When did the child start to smile?
		How does the child communicate with adult and Other children?
		How does the child react towards strangers?
vi	Emotional	How does the child show emotions (anger, uneasiness,

disappointment, joy)?

Part C- Medical Examination Details

[A duly registered physician should complete the Part C. If any information is not available, please state "Not Available".]

- 1. Date of Medical Examination
- 2. Colour of Hair:
- 3. Colour of Eyes:
- 4. Colour of Skin:
- 5. Based on complete clinical examination of the child, I have observed the following evidence of disease, impairment or abnormalities (in case applicable).
 - (a) Head (Form of Skull; Hydrocephalus; Craniotabes; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (b) Mouth and Pharynx (Harelip or Cleft Palate, Teeth; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (c) Eyes (Vision; Strabismus; Infections; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (d) Ears(Infections; Discharge; Reduced Hearing; Any Other; Deformity No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (e) Hearing Screening At least one of these test is mandatory:
 - a) Otoacoustic emissions (OAE):
 - b) Brainstem evoked response audiometry (BERA):
 - (f) Any Dysmorphic face? If yes, describe.
 - (g) Organs of the chest (Heart, Lungs, Any Other, No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (h) Lymphatic Glands (Adenitis: Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (i) Abdomen (Hernia; Liver; Spleen; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (j) Genitals (Hypospadias; Testis Retention; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (k) Neurodevelopmental Disorder (Meningitis; Encephalitis; Epilepsy; Cerebral Palsy; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (l) Spinal Column (Kyphosis; Scoliosis; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (m) Extremities (Pes equines; Valgus; Pescalcaneovarus; Flexation of the Hip, Spasticity; Paresis; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (n) Skin (**Eczema**; **Infections**; **Parasites**; Any Other; No Disease, Impairment or Abnormalities):
 - (o) Any Other:

6. Tests

- (a) Any Symptoms of Tuberculosis?
 - Result of Tuberculosis test made (date and year): Positive or Negative or Not done
- (b) Any Symptoms of Hepatitis B?
 - Result of Test for Hbs Ag: Positive or Negative or Not done
 - Result of Test for Anti-HBs: Positive or Negative or Not done
 - Result of Test for HBeAg: Positive or Negative or Not done
 - Result of Test for Anti-HBe: Positive or Negative or Not done

(c) Any Symptoms of Syphilis? Result of syphilis reaction made (date and year): Positive or Negative or Not done

Result of VDRL Test:

Note:

(d) Any History of Jaundice and Blood Transfusion?

Result of HbSAg Test (date and year)

If Positive, whether specialist consultation taken? (Yes or no, date and year); and further tests or treatment undertaken (attach a copy of the documents)

- 7. Mandatory Test or Evaluation Reports (Provided in the **Schedule IV** of Regulations). If any of these screening tests is abnormal, further confirmatory tests and specialists opinion shall be mandatory.
 - (a) HIV
 - (b) Does the Urine Contain:
 - i. Sugar
 - ii. Albumen
 - iii. Phenyl Ketone
 - (c) Stools (diarrhoea, constipation)

Examination for Parasites: Positive or Negative or Not done

- (d) Is there any developmental delay or regression or neurobehavioral or neurodevelopmental disorders?
- (e) Give description of the developmental status and activities of daily living of the child.
- (f) Any Additional Comments?

Note:

Refer to Age one to three years and more than three years of Medical Test as provided in the Schedule IV.

Part D- Developmental Milestones Detail

[A duly registered physician should complete the Part D. If any information is not available, please state "Not Available". Wherever required, assistance may be taken from a special educator, psychologist, physiotherapist, speech therapist and the social worker concerning the psychological and social circumstances of the child.]

Please Check on each of the following: -

- 1. Activity with Toys (age appropriate as applicable):
 - (a) The child's Eyes follow rattles or toys that are moved in front of the child.
 - (b) The child holds on to a rattle.
 - (c) The child plays with rattle (putting it in mouth, shaking it, moving it from one hand to other).
 - (d) The child put cubes on top of each other.
 - (e) The child plays purposely with toys, pushes cars, puts doll to bed, feeds doll, etc.).
 - (f) The child engages in role play with toys with other children.
 - (g) The child draws faces, human beings or animal with distinct features.
 - (h) The child co-operates in structured games with other children: ball games, card games, etc.
 - (i) The child likes to play more with inanimate objects other than toys.

2. Vocalisation or Language Development (age appropriate as applicable):

- (a) The child vocalises in contact with care giver.
- (b) The child repeats different vowel-consonant combinations (ba-ba, da-da, ma-ma,etc).

- (c) The child uses single word to communicate.
- (d) The child speaks in sentences.
- (e) The child understands prepositions as: on top of, under, behind, etc.
- (f) The child uses prepositions as: on top of, under, behind, etc.
- (g) The child speaks in past tense.
- (h) The child writes their own name.
- (i) The child reads simple words.
- (j) The child repeats same word or phrase again and again.
- (k) Any other observation.

3. Motor Development (age appropriate as applicable):

- (a) The child turns from back to stomach from age:
- (b) The child sits without support from age:
- (c) The child crawls or moves forward from age:
- (d) The child walks with support of furniture from age:
- (e) The child walks alone from age:
- (f) The child climbs up and down stairs with support from age:
- (g) The child climbs up and down stairs without support from age:

4. Contact with Adults (age appropriate as applicable):

- (a) The child smiles in contact with a known caregiver.
- (b) The child is easily soothed when held by a known caregiver.
- (c) The child cries or follows known caregiver when caregiver leaves the room.
- (d) The child actively seeks known caregiver when he or she is upset or has hurt themselves.
- (e) The child seeks physical contact with all adults that come into the ward.
- (f) The child communicates their feeling in words to caregivers.

5. Contact with other children (age appropriate as applicable):

- (a) The child shows interest in other children by looking or smiling at their activity.
- (b) The child enjoys playing besides other children.
- (c) The child engages actively in activities with other children.
- (d) The child prefers to stay alone most of the time.

6. General Level of Activity:

1. Active 2. Overactive 3. Not Very Active

7. General Mood:

- (a) Sober
- (b) Emotionally indifferent
- (c) Fussy, difficult to soothe
- (d) Happy, content

8. Overall Observation of the child. :

9. Health status of the child:

- (a) If Normal, submit the report
- (b) Incase the child needs further investigation, refer the case to the CMO

Signature of the Examinee Physician
Designation and Registration No.
Stamp
Date

Acceptance of Medical Examination Report by Prospective Adoptive Parents

We have read and understood the contents of the Medical Examination Report and are willing accept as our adoptive child.		
(Signature of the male applicant)	(Signature of the female applicant)	
(Name of the male applicant)	(Name of the female applicant)	
Date:	Date:	
Place:	Place:	

Part E – Special Needs Condition

[Chief Medical Officer of the district shall complete the Part E maximum within a period of fifteen days. If any information is not available, please state "Not Aavailable". In case of child below one year, it should be examined and reported by a paediatrician of the district hospital which should be countersigned by Chief Medical Officer of the district. Children having deficiencies which are curable and treatable shall be given treatment for the same and the child shall accordingly be not included in the category of child with special needs. Details of classification of children having special needs are placed below:]

Does the child fall under any of these conditions? [Please mark where applicable]

1. Infants (birth to 12 months) Requiring Observation:

Infant with history of adverse perinatal events; e.g. birth asphyxia, neonatal jaundice, neonatal sepsis, low blood sugar, complication associated with preterm delivery and very low birth weight (less than 1500gms) etc. at the risk of developing neurodevelopment disorders, neuromotor conditions, epilepsy and behavioural abnormalities. These infants need close follow up and observation for diagnosis and further management. They can have developmental delay, stiffness or looseness of body convulsions and behavioural problems. They can be mildly (mild speech delay) to severely affected.

- (a) Infants with history of:
 - i. Birth Asphyxia:
 - ii. Neonatal Sepsis:
 - iii. Pathological:
 - v. Neonatal Hypoglycemia:
- (b) Very low birth weight(less than 1500gms) wherever available or weight at time of placement to SAA or:
- (c) Pre-term(less than thirty two weeks) wherever available or assessable at time of placement to SAA:

Detailed hospital discharged summary (if available)

NOTE: This category 1 of Infants requiring observation may be a temporary special needs categorisation. It shall require close follow up and evaluation of the special needs status periodically especially within the 1st year of life. Many of these may become typically developing

or normal children.

2. Neuromotor Conditions:

These are abnormalities resulting from damage to the brain, spinal cord or nervous system, which result in problems related to movement and posture. These conditions range from mild to severe stiffness or looseness of one or more limb and trunk. Due to stiffness or looseness, these children may have abnormal posture and gait. They can be mildly effected (e.g. stiffness of ankle) to severely affected (e.g. nonattainment of sitting or standing or walking etc.). They may or may not be independent in carrying out activities of daily living.

- (a) Cerebral Palsy:
- (b) Muscular Dystrophy:
- (c) Hereditary or Acquired Neuropathy:
- (d) Spinal Muscular Atrophy:
- (e) Neuropaediatric report:

3. Neurodevelopmental Disorders:

These are impairment of growth and development of the brain or central nervous system. This can include developmental brain dysfunction, which can manifest as neuropsychiatric problems or problems of learning, language, non-verbal communication etc. They can be mildly affected (e.g. mild speech delay) to severely affected (e.g. nonattainment of sitting or standing or walking, severe intellectual disability, severe autism spectrum disorder etc.)

- (a) Intellectual Disability:
- (b) Learning Disability:
- (c) Autism Spectrum Disorder:
- (d) Attention deficit hyperactivity disorder:

Formal Developmental Quotient & Intelligence Quotient Report with assessment by the clinical or child psychologist:

4. Skeletal or Orthopaedic Conditions:

These include impairments caused by congenital anomalies such as absence of member, clubfoot, Impairment caused by acquired diseases such as poliomyelitis or impairment for other causes to include amputation, fractures etc.

- (a) Amputation (Partial or Complete):
- (b) Post fracture deformity:
- (c) Upload X-Ray and Orthopaedic Report:

5. Vision Impairment and eye related Conditions:

Vision impairment is a decreased ability to see to a degree that causes problems not fixable by usual means such as glasses. It ranges from mild impairment to complete blindness. Other eye related problems include squint, cataract etc. These children may or may not be independent in activities of daily living depending on severity of condition.

- (a) Blind or Low vision:
- (b) Retinal Detachment:
- (c) Squint*:
- (d) Cataract*:
- (e) Ophthalmologist Report:

6. Hearing Impairment and speech and language:

Hearing impairment is a partial or total inability to hear. Speech and language conditions shall include speech dysfunction or dysphasia, severe stammering etc. These children may or may not be independent in activities of daily living depending on severity of condition.

- (a) Deaf or Hearing impairment or Hard of hearing:
- (b) Speech dysfunction or dysphasia:
- (c) Severe Stammering:
- (d) Speech therapy report:
- (e) ENT Report:

7. Birth Defects:

This category includes babies born with a part of the body that is missing or malformed. This includes a range of defects like skin, soft tissue, bone, cardiac etc. These may or may not be required intervention based on organ involved.

- (a) Ambiguous genitalia:
- (b) Undescended Testis:
- (c) Single Kidney:
- (d) Congenial Heart Defects:
- (e) Fetal Alcohol Syndrome:
- (f) Cleft lip or palate or both*
- (g) Pierre Robin Syndrome:
- (h) Hernia*:
- (i) Congenial Dislocation of Hip:
- (j) Finger or Toes Joined (syndactyly):
- (k) Disfiguring Birth Mark*:
- (1) Primary Microcephaly:
- (m) Clinical Report along the opinion of medical specialist:

8. Identical Genetic or Metabolic Conditions:

Inherit metabolic disorders are genetic conditions that result is metabolism problem. They may be treatable by dietary modifications or may require special diets.

- (a) Albinism:
- (b) Dwarfism:
- (c) Ectodermal Dysplasia:
- (d) Clinical Report along the opinion of medical specialist:

9. Blood related conditions:

Common blood related conditions include anaemia, bleeding disorders such as haemophilia etc. They require frequent blood transfusion or coagulation factor transfusion based on severity of disease.

- (a) Sickle Cell Anaemia:
- (b) Thalassemia:
- (c) Haemophilia:
- (d) Haematology Report:

10. Chronic Systemic Disorders:

These include chronic respiratory, cardiac, endocrine, gastrointestinal and neurological disorder. Due to chronicity, they may require long term or lifelong medications. Life span depends on type of underlying condition.

(a) Respiratory Disorders:

- (i) Chronic Asthma:
- (ii) Bronchiectasis:

Medical specialist report:

- (b) Cardiac Disorders:
 - (i) Rheumatic Heart Disease:
 - (ii) Any Other:

Medical specialist report:

- (c) Endocrinal Disorders:
 - (i) Diabetes Mellitus:
 - (ii) Hypo or Hyper Thyroidism:

Medical specialist report:

- (d) Neurological Disorders:
 - (i) Epilepsy:
 - (ii) Multiple Sclerosis:
 - (iii) Any Other:

Medical specialist report:

- (e) Gastrointestinal Disorders:
 - (i) Celiac Disease:
 - (ii) Inflammatory Bowel Disease:

Medical specialist report:

- (f) Others:
 - (i) Chronic Tonsillitis:
 - (ii) Chronic Otitis Media:
 - (iii) Any Other:

Medical specialist report:

11. Skin Conditions:

These includes non-infectious skin conditions like eczema, vitiligo etc. These children may need long term medication.

- (a) Burns*:
- (b) Ichthyosis:
- (c) Vitiligo:
- (d) Dermatologist Report:

12. Infectious Conditions:

These include congenial and acquired infection like Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis etc.

- (a) Congenial:
 - (i) Hepatitis B:
 - (ii) Hepatitis C:
 - (iii) HIV:
 - (iv) Tuberculosis:

Relevant Test Report along with opinion of medical specialist:

(b) Acquired:

- (i) Hepatitis B:
- (ii) Hepatitis C:
- (iii) HIV:
- (iv) Elephantiasis:
- (v) Tuberculosis:
- (vi) Leprosy (Active):

Relevant Test Report along with opinion of medical specialist:

13. Nutritional Disorders and Deficiency States*:

These include nutrient deficiencies or excesses in the diet, malnutrition, obesity and eating disorders.

- (a) Malnutrition*:
- (b) Obesity*:
- (c) Eating Disorders*:
- (d) Rickets*:
- (e) Nutritional Anaemia*:
- (f) Scurvy*:

Relevant Test Report along with opinion of medical specialist:

14. Other Conditions:

These include the following.

- (a) Tumorous and Childhood Malignancies:
- (b) Post Surgery (Colostomy, Ileostomy):
- (c) Traumatic Injuries:
- (d) Any Neuropsychiatric Illness:
- (e) Any Other:

Relevant Test Report along with opinion of medical specialist:

15. Multiple Co-existing Conditions:

In case combination of the above listed disorders or diseases are selected.

[Note- * This may be a temporary special needs categorisation. It shall require close follow up and evaluation of the special needs status periodically. Some of these may become typically developing or normal children.]

With the above profile, I conclude that the child is having special needs or not having special needs.

Signature of the Examinee CMO

Designation and Registration No.

Stamp

Date

Acceptance of Medical Examination Report by Prospective Adoptive Parents

accept as our adoptive child.	Medical Examination Report and are willing to
(Signature of the male applicant)	(Signature of the female applicant)
(Name of the male applicant)	(Name of the female applicant)
Date:	Date:
Place:	Place:

SCHEDULE IV

[See regulations 30(1)(f), 30(1)(u) and 51(6)(a)]

MEDICAL TEST FOR CHILDREN ADMITTED INTO INSTITUTIONS & RED FLAGS FOR DEVELOPMENTAL MILESTONES

- 1. Medical test for a child admitted into an institution can be broadly divided into two categories:
 - (a) To diagnose an illness or condition that requires specific treatment and thus testing shall help in restoring the health of the child.
 - (b) To diagnose an illness or condition of a nature that implies that the child shall require special attention (medical and parental) beyond what a normal child needs, and therefore the family that adopts them should be aware of the condition.
- 2. Following shall be considered while conducting the medical test:
 - (a) The interest of the child has to be foremost.
 - (b) If the test results warrant further testing, specific therapy or consultation with specialists, should be undertaken by the Agency or Institution where the child is staying.
- 3. Medical Tests for different age groups:
- 3.1 Newly born:
 - (a) Preterm newborns or those newborns weighing <2000g at birth or admission should be evaluated by a specialist neonatologist or paediatrician. These babies should undergo screening for Retinopathy of prematurity.
 - (b) Screening for hypothyroidism by thyroid function test (T4,TSH)
 - (c) Hearing screening: Otoacoustic Emissions (OAEs) or Brain stem evoked response audiometry (BERA)
 - (d) Screening for critical congenital heart disease: Pulse oximetry
 - (e) HBsAg

If any of these screening tests is abnormal, further confirmatory tests and specialist's opinion should be mandatory, before labelling the child as special needs.

- 3.2 Infants between 1 month to 1 year of age
 - (a) Infants should be evaluated by a paediatrician
 - (b) Screening for hypothyroidism by thyroid function test (T4,TSH)
 - (c) Hearing screening: otoacoustic emission (OAE) or Brain stem evoked response audiometry (BERA)
 - (d) Complete blood count, liver function test and renal function test (CBC, LFT and RFT)
 - (e) HIV testing in children older than four-six weeks of age
 - (f) HCV testing in children older than three months of age
 - (g) HBsAg

If any of these screening tests is abnormal, further confirmatory tests and specialist's opinion should be mandatory, before labelling the child as special needs.

- 3.3 Age one to three years and more than three years
- (a) In high risk areas (central and western states of India and tribal populations), screening for sickle cell anaemia is advised by complete blood count and either of these-haemoglobin electrophoresis or solubility testing for haemoglobin S or isoelectric focusing or high-performance liquid chromatography (HPLC).
 - If a child is found to be a carrier or trait for beta thalassemia or sickle cell anaemia on screening, he or she is unlikely to be affected or have transfusion requirement, and hence should not be considered as special needs.
- (b) HIV Procedure for diagnosis in infants and children below eighteen months of age:-
 - HIV serological testing is used for the diagnosis of HIV in adults and children above eighteen months of age.
 - (ii) Serological tests are not reliable and difficult to interpret in infants and children below eighteen months of age because of passage of maternal HIV antibody across the placenta.
 - (iii) In children younger than eighteen months, diagnosis of HIV infection is based on: a positive virological test for HIV or its components (HIV RNA or HIV DNA or ultrasensitive [Us] HIV p24 Ag) confirmed by a second virological test performed on a separate specimen taken more than four weeks after birth.
 - (iv) The World Health Organisation guidelines strongly recommend that all HIV- exposed infants have HIV virological testing at four-six weeks of age or at the earliest opportunity thereafter.
 - (v) If the child is older than nine months, an HIV serological test is recommended prior to any virological testing, and a virological test should be performed for those with a reactive HIV serological test.
 - (vi) In the non-breastfed or never-breastfed infant, a negative serological test result at or above the age of nine months can be used to rule out HIV infection.
 - (vii) In infants with an initial positive virological test result, it is strongly recommended that antiretroviral therapy be started without delay and, at the same time, a second specimen collected to confirm the result.
 - (viii) All the infants with unknown or uncertain HIV exposure being seen in health-care facilities at or around birth or at the first postnatal visit (usually four-six weeks), or other child health visit, have their HIV exposure status ascertained.
 - (ix) If the infant is seen <72 hrs after the delivery and HIV exposure is identified, post-exposure prophylaxis, counselling on safe breastfeeding and an HIV virological test at four–sixweeks is recommended.
 - (x) For infants first seen at four-six weeks or the earliest thereafter and in whom HIV exposure is documented, HIV virological testing should be performed and the mother should receive safe infant-feeding counselling.
 - (xi) A negative HIV serological test in the mother does not per se exclude HIV exposure; the possibility of very recent incident infection of the mother during this pregnancy should be kept in mind.
 - [In infants and children less than eighteen months of age, a positive HIV serological test confirms HIV exposure but cannot definitively diagnose HIV. HIV serological testing can be used to exclude HIV infection.]
- (c) HCV diagnosis in infants and children:-
 - (i) Hepatitis C infection (HCV) is a chronic viral infection of the liver that affects 1-2% of adults and about 0.15 to 0.4% of children and adolescents.
 - (ii) In children, the infection is mostly acquired from mothers (vertical transmission).
 - (iii) Screening is by testing for HCV antibody in blood. The mother's HCV antibody crosses

- the placenta and can stay in the blood of an infant for up to eighteen months. Thus the anti-HCV antibody test cannot be done to screen for HCV in infants <eighteen months of age.
- (iv) The American Academy of Paediatrics recommends testing with antibody test after eighteen months of age in high-risk children. Positive antibody test should be confirmed by HCV- PCR.
- (v) If the baby is born to a known HCV positive mother (or in babies in adoption homes), testing with the HCV-PCR can be done. This should be done after three months of age due to a high rate of temporarily positive tests in infants under three months of age. Two negative HCV-PCR tests separated by at least two to three months are needed to confirm that there is not an infection with the hepatitis C virus.
- (d) HBsAg
- (e) CBC, LFT and RFT

RED FLAGS FOR DEVELOPMENTAL MILESTONES:-

Age	Red flags for gross motor
9 months	No sitting without support
12 months	No standing with assistance
17 months	Unable to stand alone
18 months	Unable to walk alone
2 years	Unable to walk upstairs with help
4 years	Unable to jump

Age	Red flags for fine motor
5 months	Unable to hold rattle
12 months	No pincer grasp
20 months	Unable to remove socks or gloves
24 months	Unable to scribble
3 years	Cannot work with simple toys
5 years	Does not draw picture

Age	Red flags for socio adaptive
2 months	No social smile
12 months	No pointing
3 years	No pretend play
4 years	Does not respond to peers
5 years	Unusually withdrawn and not active

Age	Red flags for hearing
12 months	No babbling or vocal imitation
18 months	No use of single words
24 months	Single word vocabulary ≤ 10 words
30 months	<100 words, No 2-word combination
36 months	<200 words, No telegraphic sentence
42 months	<600 words, No simple sentences

[See regulation 7 (3)]

DEED OF SURRENDER

DEED OF SCHIEFIDER
Case No
In Re
1. I or We, the undersigned
2. I or We have been counselled and informed:
(a) about the implication that I or we can withdraw our consent until sixteeth day of this surrender deed after which my or our consent shall be irrevocable and I or we shall have no claim over the child or children.
(b) have been made aware of the implications of surrender and are conscious of the fact that after the sixtieth day from date of the surrender deed, the legal parent-child relationship between my or our child or children and me or us shall be terminated.
(c) understand that my or our child may be adopted by person(s) residing in India or abroad and give my or our consent for this purpose.
(d) understand that the adoption of my or our child shall create a permanent parent-child relationship with the adoptive parents and then cannot claim back the child.
3. I or we wish or do not wish (please tick whichever is applicable) my or our identity and address to be disclosed to my or our child when he or she returns for root search.
4. I or we declare that I or We have read the above statements carefully and have fully understood the same.
Done at on
[Signature or Thumb Impression of surrendering person(s)]
5. Declaration by Witnesses
We the undersigned have witnessed the above surrender.
(a) Signature, Name and Address of the first witness
(b) Signature, Name and Address of the second witness
6. Certification of Child Welfare Committee
We hereby certify that the person and the witness(es) named or identified above appeared before us this date and signed this document in our presence.
Done at on

Signature and Seal of Members or Chairperson Child Welfare Committee

SCHEDULE VI

[See regulations 10(1), 10(5), 16(3), 21(1), 45(3), 54(1), 55(1), 56(3), 59(3), 59(4) and 59(5)]

ONLINE REGISTRATION FORM AND LIST OF DOCUMENTS TO BE UPLOADED

Date of Registration:		
Applicant category:	(i) Indians living in India, the prospective adoptive parents shall have to register themselves.	
	(ii) In case of Overseas Citizen of India Cardholder or a foreign national habitually residing in India, the prospective adoptive parents have to register themselves.	
	 (iii) In cases of non- resident Indian, Overseas Citizen of India Cardholder or a foreign prospective adoptive parents habitually residing in a foreign country, registration shall be done by Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Foreign Government department concerned in the country of residence. (iv) In case of Non-Hague countries, Indian mission abroad can process the applications of non- resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholder 	
Applicant status:	prospective adoptive parents. Single-unmarried or widow or widower o Married couple	r divorcee or legally separated or
	(Date of marriage, place	e of marriage)
	Male	Female
Name		
Date of Birth		
Nationality by Birth		
Current Nationality or Citizenship address		
Current residential address		
City or District		
State		
Country		
Zip or Pin code		
Phone no.		
Mobile no.		
Email		
Occupation Details		
Nature of occupation	Govt. job or Private job or Public sector job or profit organisation or Consultant or Professiona working	
Place of Work		
Annual Income		
No. of Biological or Adopted Children	Total ()	

Identification Details (As appl	icable)	
PAN Number		
Aadhar Card Number		
Overseas Citizens of India Card Number		
Passport Number		
Preference for Adoption		
Sex	Boy or Girl or Other or No Choice	
Child Category	Sibling or Single	
Health Status	Normal or Special Needs	
If opted for Child or Children with Special Needs , kindly mention the specific categories		
Age	0-2 years or 2-4 years or 4-6 years or 6-8 years or 8-10 years or 10-12 years or 12-14 years or 14-18 years	
Preference for State		
Name of the Agency for Home Study Report		
Address of the Agency		
Motivation for Adoption		
(Max 200 characters)		
Overseas Citizens of India Card holder or Foreign prospective adoptive parents habitually residing in India, the prospective adoptive parents shall have to register themselves with all relevant documents.	 In-country Adoption (Indians residing in India) Current family photograph or Photograph of person adopting a child Aadhar Card or Passport or Voter card or Driving License of the prospective adoptive parents or Birth Certificate or Overseas Citizen of India card of the prospective adoptive parents (if applicable) and PAN card(if applicable). Birth certificate or Proof of date of birth of the parents (In the event of a married couple, upload the applicant's respective medical certificates.) Proof of residence (Aadhar card or voter card or passport or current electricity bill or telephone bill) Proof of income of last year (salary slip or income certificate issued by Govt. department or income tax return) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal disease and they are fit to adopt (In the event of a married couple, upload the applicant's respective medical certificates.) Marriage certificate or Divorce Decree or Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory or Death certificate of spouse whichever is applicable Undertaking from the relative in case single prospective adoptive parents (if applicable) Consent of the older child or children in the adoptive family 	
	2. Inter-country Adoption in cases of non- resident Indian or Overseas Citizens of India Cardholder and Foreign prospective adoptive parents	
In case of non- resident Indian or Overseas Citizens of India card holder or Foreign prospective adoptive parents	 (1) Current family photograph or Photograph of person adopting a child (2) Home Study Report of prospective adoptive parents (in case of Overseas Citizens of India Cardholder and foreign prospective adoptive parents 	

residing abroad, registration shall be done by Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department or through Indian Mission (in cases of Indian citizens and Overseas Citizen of India Cardholders) only after completion of Home Study Report.

residing in India to be uploaded later after registration)

- (3) Passport (Male prospective adoptive parent)
- (4) Passport (Female prospective adoptive parent)
- (5) Overseas Citizen of India card of the prospective adoptive parents (if applicable)
- (6) Birth Certificate(Male prospective adoptive parent)
- (7) Birth Certificate (Female prospective adoptive parent)
- (8) Proof of Residence of prospective adoptive parent
- (9) Proof of income of last year (e.g. salary slip or income certificate issued by Government department or Income tax return)
- (10) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal decease and they are fit to adopt
- (11) Police Clearance certifying the antecedents of male prospective adoptive parent
- (12) Police Clearance certifying the antecedents of female prospective adoptive parent
- (13) Marriage Certificate (in case of couple)
- (14) Copy of divorce decree or Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory or death certificate of the spouse (if applicable)
- (15) Undertaking from the relative in case of single prospective adoptive parent (if applicable)
- (16) In case of Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents living in India, a copy of No Objection Certificate from their Embassy or High Commission for adoption
- (17) First Reference Letter from a respected member of the society known to the prospective adoptive parents
- (18) Second Reference Letter from a respected member of the society known to the prospective adoptive parents
- (19) Consent of the older child or children in the adoptive family for such adoption

Other documents to be uploaded after referral

- (1) Consent of the older child or children to be adopted
- (2) Permission of the receiving country as provided in Article 5 or 17 of The Hague Adoption Convention (applicable in case of Hague ratified country)
- (3) In case of prospective adoptive parents residing abroad, undertaking from the prospective adoptive parents to allow personal visits by the representative of the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or concerned Government department or Indian Mission, as the case may be, for follow-up of the progress of the child as required under the Adoption Regulations
- (4) In case of Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents living in India, undertaking from the concerned Specialised Adoption Agency to provide post adoption follow-up
- (5) In case of Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents living in India, undertaking to allow personal visits of the representative of the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency at least for a period of two years from the date of adoption
- (6) Undertaking from the Authorised Foreign Adoption Agency to provide progress report of the child for a period of two years and make alternate arrangement in case of disruption

(7) Undertaking for permitting home visit to the social worker during post-adoption follow up

In case of Non- resident Indian and Overseas Citizen India Cardholder prospective adoptive parents residing abroad, registration shall be done by the concerned authority, i.e. Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department or Indian Mission(in cases of Indian citizens) for the purpose of relative adoption only after completion of Home Study Report.

3. Inter-country Relative Adoption

At the time of registration, all requisite documents to be uploaded on the Designated Portal as stated above in cases of inter-country Adoption[(1)-(19)] along with

- (1) a recent photograph of the child or children to be adopted.
- (2) Recent family photographs of the child with adoptive parents and biological parents.
- (3) Consent of the older child to be adopted.
- (4) Consent of the older child or children in the biological family.
- (5) Relationship of the prospective adoptive parents to the relative child (family tree), as per section 2(52) of the Act.
 - To be uploaded at the later stage of registration
- (6) Permission of the receiving country as provided in Article 5 or 17 of The Hague Adoption Convention (applicable in case of Hague ratified country)
- (7) Consent of the biological family as provided in the **Schedule XIX**.
- (8) Permission from the Child Welfare Committee to the legal guardian to surrender the child in adoption with the relative as provided in the **Schedule XXII** (if applicable).
- (9) Family background report by District Child Protection Unit as provided in the **Schedule XXI** duly recommended by concerned State Adoption Resource Agency.

In case of In-country Relative Adoption, the prospective adoptive parents have to register for such adoptions on the Designated Portal and handover relevant documents to District Child Protection Unit to upload in the Designated Portal.

4. In-country Relative Adoption

At the time of registration, all requisite documents to be uploaded on the Designated Portal as stated above in cases of in-country Adoption[(1)-(9)] alongwith

- (1) A recent photograph of the child or children to be adopted
- (2) Consent of the older child to be adopted
- (3) Consent of the older child or children in the biological family
- (4) Consent of the biological parents (as provided in the **Schedule XIX** of the Adoption Regulations)
- (5) Permission from the Child Welfare Committee to the legal guardian to surrender the child in adoption with the relative as provided in the **Schedule XXII** (if applicable)
- (6) Affidavit by prospective adoptive parents in support of their relationship, financial and social status as provided in the **Schedule XXIV** of the Adoption Regulations
- (7) Relationship of the prospective adoptive parents to the relative child (family tree), as per section 2(52) of the Act

In case of Adoption of child or children by step-parent, the biological and step parents have to register on the Designated Portal and provide relevant documents by uploading the same online through the Designated Portal.

(5) Adoption of child or children by step-parent

At the time of registration, all requisite documents to be uploaded on the Designated Portal as stated above in cases of in-country Adoption[(1)-(9)] alongwith

- (10) A recent photograph of the child or children to be adopted
- (11) Consent of the older child to be adopted
- (12) Proof of both parents (biological and step-parent) being legally wedded
- (13) Consent of the biological parents, spouse adopting the child or children as provided in the **Schedule XX** of the Adoption Regulations alongwith relevant documents mentioned thereof

[See regulations 2(14), 10(8) and 21(2)]

HOME STUDY REPORT OF RESIDENT INDIAN PARENT OR OVERSEAS CITIZEN OF INDIA CARD HOLDER OR FOREIGNER LIVING IN INDIA

Mr. -

Ms. -

Status of prospective adoptive parents – Single or Married or Divorced or Separated or Widow or Any Other

All prospective adoptive parents are required to register on the Designated Portal and adopt from the authorised institutions.

DESIGNATED PORTAL REGISTRATION NO.	
DATE OF REGISTRATION	
PAN CARD NO. (MALE APPLICANT)	
PAN CARD NO. (FEMALE APPLICANT)	
AADHAR CARD NO. (MALE APPLICANT)	
AADHAR CARD NO. (FEMALE APPLICANT)	
PASSPORT NO., IF APPLICABLE	
(MANDATORY IN CASE OF FOREIGN OR OCI PROSPECTIVE	
ADOPTIVE PARENTS)	
NAME OF THE SOCIAL WORKER	
NAME OF THE SPECIALISED ADOPTION AGENCY OR DISTRICT	
CHILD PROTECTION UNIT	
ADDRESS OF THE SPECIALISED ADOPTION AGENCY OR DISTRICT	
CHILD PROTECTION UNIT	
CONTACT NO. OF THE SOCIAL WORKER	
E-MAIL ID	
DATE OF HOME VISIT	

Part-1 of the report is to be filled up by the prospective adoptive parents. The Home Study Report helps build a strong proposal for the prospective adoptive parent (s) to adopt, and therefore, prospective adoptive parents are expected to provide all information to the best of their knowledge. The prospective adoptive parents are solely responsible for the authenticity of the information provided in the template and are required to sign below on each page of Part1. Any difficulty faced by the prospective adoptive parents in filling up Part 1 may be shared with the social worker during the home visit.

Part-2 of the template is to be filled up by the professional social worker engaged by the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency. The Home Study Report helps assess the suitability of the prospective adoptive parents to adopt. During the home study, the Social Worker shall assess the financial, employment, health, lifestyle, home and neighbourhood environments of the prospective adoptive parents; their parenting styles or attitude(s) towards parenting; motivation for adoption; commitment towards adoption and their overall readiness-cum-maturity to adopt. The social worker is also responsible for providing pre-adoption counselling to the prospective adoptive parents.

Each and every page of the Home study report needs to be duly attested by the concerned social worker.

To be filled (printed) by the prospective adoptive parents

A. Familiarity with Adoption

[This section can be filled up by either of the prospective adoptive parents]

- (1) What is your motivation behind adopting a child?
- (2) Will you be able to support an older child, a child with an addressable medical condition or a child with special needs? Yes or No.
 - If yes, kindly elaborate on the motivating factors for the same.
- (3) Have you met any adoptive families or children who were adopted if yes, how was your experience and response
- (4) Are there any areas where you may need counselling or professional help in supporting the child you wish to adopt please provide details.
- (5) Please describe how the adoption shall affect other members residing with you and extend support to the child.

B. Family background information:

Particulars	Male Applicant	Female Applicant
Name (underline Family name)		
Date of birth		
Place of birth		
Citizenship*		
Address		
Email ID		
Contact Phone No. and Mobile No.		
Religion		
Language(s) spoken at home		
Date of marriage		
Date of earlier marriage (if any)		
Date of divorce (if any)		
Educational Qualification		
Employment or Occupation		
Name and Address of the present Employer or Business concern		
Annual Income		
Health Status		

^{*}Incase of foreign citizenship, it is mandatory to mention details and attach copy of the passport. In such cases, the No Objection Certificate from their Diplomatic Mission in India shall be required.

Photograph of the prospective adoptive parents	

(1) Provide following information about your parents.

Details about Parents of the Applicants	Male Applicant		Female Applicant	
	Father	Mother	Father	Mother
Name in full				
Age				
Nationality or Citizenship				
Occupation				
Previous occupation				
Presently residing with prospective adoptive parent (Indicate Yes or No)				

(2) Please complete the following table with the details of each of your respective children (adopted and biological).

Name of the Child	Biological or Adopted	Gender	Date of Birth	Educational Status

(3) Please provide age, gender, occupation, and nature of the relationship of other family member(s) residing with prospective adoptive parents.

Name	Nature of Relationship	Age	Gender	Education	Occupation

- (4) Please provide details of any other non-related adults or children living in the home(e.g. househelp, staff, outside personnel etc):
- C. Professional or Employment Details (Professional career details for last five years): Please complete

the following table with details relating to your professional career.

Male Applicant			
Organisation	Employer Details (Name and Address)	Job Title	From To

Female Applicant			
Organisation	Employer Details (Name and Address)	Job Title	From To

D. Financial Status: (Give a short description of your income from all sources, savings, investments, expenditures, debts and liabilities).

Please provide your most recent tax invoices, bank statements etc. of both of you.

Do you have any outstanding debts, mortgages etc.

- (1) If yes, please provide supporting documentation:
- (2) No
- **E.** Current marital relationship (if applicable): (Give details about the marriage, legal separation, if any, reasons for such separation, present marital life and decision making procedures).
 - (1) Please specify your marital status:
 - (2) Please describe the procedures you and your spouse use to reach a decision.
- F. Attitude of grand parents or extended family members, other relatives and significant others towards the present adoption: (Give a short description about the opinion of other important persons towards adoption who shall have impact in the child rearing process when the child arrives in the receiving country.)
- G. Anticipated Plans of the prospective adoptive parents for taking care of the child:
- (1) Please describe how you will manage caring for the adopted child and other life commitments such as work.
- (2) Who shall be responsible for caring for the child when you are at work, or absent from the familial home (domestic help, grandparents and spouse).
- (3) In case the adopted child demonstrates adjustment difficulties, please describe the steps that you plan to take to ease their transition into the family?
- **H. Preparation and Training for Adoption:** (Give details about the pre-adoption counselling sessions or training and or experiences related to child care, handling of needs of children, parenting children having special needs, if any.)

Put a tick (✔) on the following as applicable

- (1) Understanding about adoption procedure:
- (2) Reading of reference materials:
- (3) Learning from friends or relatives:
- (4) Interaction with adoptive parents groups:
- (5) Learning through counseling from professionals:
- (6) Video Modules on Adoption
- I. Possible Rehabilitation Plan for the child in case of any eventuality with prospective adoptive

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 201

parents: (Give a short description about your plan for the security of the child in case you face any short or long term eventuality.

- (1) Does your work require you to travel?
- (2) Who shall care for the child in your absence? Please provide a brief description including their age, gender, occupation and relationship:
- (3) In the event of unforeseen misfortune do you have someone who could take legal guardianship of child? If so, Please provide a brief description including their age, gender, occupation and relationship and contact details:
- (4) In case you are a single prospective adoptive parent, please give a short description about the close relative who shall be giving undertaking for the security of the child.

J. Health Status (Emotional and Physical):

- (1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so, kindly provide details?
- (2) Are you or your spouse currently being treated by a psychologist or psychiatrist?
- (3) Are you currently taking any prescribed medication?
- (4) Are there currently any child(ren) in your house being treated for a severe medical condition?
- (5) Does everyone in your family including you and your spouse have health and hospitalisation insurance coverage for all family members?

K. Self-declaration

I or We certify that we are physically, mentally, emotionally and financially capable, and do not have any life threatening medical condition and have not been convicted in criminal act of any nature or accused in any case of child rights violation.

Name of the prospective adoptive parents

Signature of the prospective adoptive parents

Date

Place

PART 2

(To be filled up by the social worker preparing the Home Study Report)

As far as possible, the Home Study Report has to be completed within a period of two months from the date of uploading valid documents on the Designated Portal.

The social worker should attempt to put the prospective adoptive parents at ease by opening the conversation with a warm-up question. The social worker should employ non-verbal cues such as inclining the head and nodding to indicate that the prospective adoptive parents are actively listening. After each question, the social worker may provide the prospective adoptive parents with sufficient time to respond. Any verbal response by the social worker to an answer by the prospective adoptive parents should be neutral and non-judgmental. The social worker should attempt to establish eye contact as much as possible between reading the question and jotting down the response of the prospective adoptive parents to demonstrate empathy. The social worker should try to avoid interrupting the prospective adoptive parents unless they do not understand a response.

(The information or facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies or authorities.)

1. Factual Assessment:

- (i) Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I of the template?
- (ii) Are you satisfied about the facts mentioned in the documents vis-à-vis observation during interviews and visits?

Yes or No

2. Psycho-social Assessment:

- 2.1 Interaction with the prospective adoptive parents
 - (i) Have you interacted with the prospective adoptive parents individually and or jointly?
 - (ii) Are the prospective adoptive parents well prepared for adoption? In case of single prospective adoptive parent, please mention about family support system.
 - (iii) Do you think that prospective adoptive parents have expressed their genuine feeling for parenting?
 - (iv) Do you want to refer the prospective adoptive parents for further counselling for their preparedness? Yes or No

2.2 Home visit findings:

- (i) When did you visit the home of the prospective adoptive parents? Who were the members present during your visit?
- (ii) Whom did you interact during the home visit?
- (iii) Have you met any neighbour or relative? Give a detailed description about the interaction?
- (iv) Whether the home environment is conducive for the child? If no, what steps can be taken to improve the situation? Have you advised the prospective adoptive parents?
- (v) Did the prospective adoptive parents have any doubt about parenting issues or any other issues? Have you cleared their doubts?
- (vi) Are the prospective adoptive parents well prepared for adoption?
- (vii) Do you think that prospective adoptive parents have expressed their genuineness during the interaction?

2.3 Interaction with the family members:

- (i) Have you interacted with other family members of the prospective adoptive parents? What is their opinion about the proposed adoption? Are they positive about the adoption?
- (ii) Are there any other family member(s) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed adoption? If so, how did you do their assessment? Did you take their views subsequently?
- (iii) Have you interacted with older child(ren) present in the home of the prospective adoptive parents? Are they positive about the adoption? If yes, have they provided their consent? Yes or No.
- (iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members? If so, how far those remarks may have an impact on the adoption process?

2.4 Financial capacity:

- (i) What is your opinion about the financial status of the prospective adoptive parents? Are they financially sound to welcome another member into their family?
- (ii) Have you observed any financial situation which is not disclosed in Part-I?

2.5 Physical and emotional capacity:

- (i) Are the prospective adoptive parents in a good physical and emotional state to take care of a child?
- (ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective adoptive parents or any other family member that is going to affect the life of the upcoming child? If so, give details.
- (iii) Provide details of number of rooms in the house and if there is adequate space for the child to

be supported.

- (iv) Are the prospective adoptive parents emotionally equipped enough to take care of a child?
- 3. Views and readiness of the prospective adoptive parents on sharing the fact of adoption with the adopted child and the Root Search.
- 4. As per your assessment do the prospective adoptive parents meet the criteria for adoption of the child in their expected age criteria? Yes or No

In case No, the reason(s) for the same

5. Recommendation for adoption.

- (i) Do you recommend the prospective adoptive parents for adoption? Put your views and rationale for recommending the prospective adoptive parents for adoption including the parent's suitability. (Attach additional sheets, if required)
- (ii) In case you do not recommend the prospective adoptive parents for adoption, appropriate reasons for taking such decision must be given in detail.
- (iii) Documents which have been posted on the Designated Portal by the prospective adoptive parents have been duly verified.

Name of Social Worker Signature of Social Worker Name of Agency or District Child Protection Unit

Signature and Seal of chief functionary of the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit

SCHEDULE VIII

[See regulations 12(1) and 17(2)] PRE-ADPTION FOSTER CARE UNDERTAKING (IN THE FORM OF AN AFFIDAVIT)

	I or We, Mr,	, aged Years, citizen o
and Mrs	years, citizen	of, permanently
residing at	present address being	proposed Adopter(s) of child
(new	full name) @ (old name) born	on presently in the
care of	(name and address of the S	Specialised Adoption Agency), do
solemnly hereby	declare as follows:-	

- 1. I or We are taking the above mentioned child in pre-adoption foster care, pending the adoption order by the District Magistrate.
- 3. The child placed with me or us shall be given all necessary education, medical care, attention, nutrition and treatment required.
- 4. In case of any untoward incident with the child, I or we shall report the same to the Specialised Adoption Agency immediately.
- 5. The institution shall be kept informed about the development of the child once a month till the final adoption order is issued by the District Magistrate.
- 6. I or We shall attend to the Adoption hearing before the District Magistrate as and when asked to do so.
- 7. I or We undertake to bring-up the child or children as my or our own.

- 8. I or We shall allow the authorised social worker or functionary of the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency to visit our home for undertaking post- adoption follow up to ascertain the progress and well-being of the child or children in my or our family.
- 9. I or We further undertake to inform any change of place of our residence (other than as stated in this application), to the Specialised Adoption Agency, District Child Protection Unit and the State Adoption Resource Agency concerned for the purpose of post adoption follow-up.

Mr	Ms
Prospective Adoptive Father	Prospective Adoptive Mother
Date:	Date:
Witness:	Witness:
Name:	Name:
Signature:	Signature: Address:
Address:	Address:

SCHEDULE IX

[See regulations 11(6), 12(2), 13(1), 16(14), 38(16), 59(4) and 59(5)]

LIST OF DOCUMENTS (ATTESTED OR NOTARIASED) TO BE FILED IN THE OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE

1. In-country Adoption of Orphan, Abandoned and Surrendered children

All prospective adoptive parents related documents to be obtained by the Specialised Adoption Agency as indicated in the **Schedule VI** of the Adoption Regulations.

All child related documents to be arranged by the Specialised Adoption Agency:-

- 1. Child Study Report signed by the prospective adoptive parents along with recent photograph of the child.
- 2.Medical Examination Report of the child signed by the prospective adoptive parents.
- 3. Certificate of Child Welfare Committee declaring the child 'legally free for adoption'.
- 4. Home Study Report of the prospective adoptive parents along with their recent family photograph.
- 5. Recognition certificate of the agency as Specialised Adoption Agency.
- 6. Consent of the older child or children to be adopted.
- 7. Decision of the Adoption Committee (only in case of In-country adoption).
- 8. Affidavit by the Chief Functionary of the Specialised Adoption Agency in support of adoption of child.
- 9.Pre-adoption foster care affidavit.(wherever required)

2. Adoption of Orphan, Abandoned and Surrendered children by non- resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents residing in a foreign country

All prospective adoptive parents related documents are to be obtained by the Specialised Adoption Agency from the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department concerned or Indian Mission abroad as indicated in the **Schedule VI** of the Adoption Regulations including the Power of Attorney in favour of the authorised functionary of the Specialised Adoption Agency to file the adoption application on their behalf before the District Magistrate.

All child related documents to be arranged by the Specialised Adoption Agency:-

- Child Study Report signed by the prospective adoptive parents along with recent photograph of the child.
- 2. Medical Examination Report of the child signed by the prospective adoptive parents.
- 3. Certificate of Child Welfare Committee declaring the child 'legally free for adoption'.
- 4. Recognition certificate of the agency as Specialised Adoption Agency
- 5. Consent of the older child or children to be adopted
- 6. Affidavit by the Chief Functionary of the Specialised Adoption Agency in support of adoption of child.
- 7. Pre-adoption foster care affidavit (wherever required)
- 8. No Objection Certificate issued by Central Adoption Resource Authority
- 9. In case of Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents living in India, a copy of **No Objection Certificate** from their Embassy or High Commission for the proposed adoption shall be required.

3. Inter-country Relative Adoption

The prospective adoptive parents shall file the adoption application alongwith documents (as indicated in the **Schedule VI** of the Adoption Regulations) and Pre-approval letter issued by Central Adoption Resource Authority before the District Magistrate concerned through their power of attorney, where the child resides with the biological parents or guardians. The concerned District Child Protection Unit shall be approached to take up the matter with the District Magistrate.

4. In-country Relative Adoption

The prospective adoptive parents shall file the adoption application alongwith documents (as indicated in the **Schedule VI** of the Adoption Regulations) and pre-approval letter (**Schedule XXV**) before the District Magistrate concerned, where the child resides with biological parents or guardians. The concerned District Child Protection Unit shall be approached to take up the matter with the District Magistrate.

5. Step-child Adoption

The prospective adoptive parents shall file the adoption application alongwith documents (as indicated in the **Schedule VI** of the Adoption Regulations) and pre-approval letter (**Schedule XXV**) before the District Magistrate concerned, where the child resides with biological parents or guardians. The concerned District Child Protection Unit shall be approached to take up the matter with the District Magistrate.

NOTE: Only the above mentioned list of certificates or documents as applicable are required to be filed. Infertility certificate is NOT required in any case of adoption.

SCHEDULE X

[See regulation 17(1)]

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

(A Statutory Body of Ministry of Women and Child Development)

Certificate Number:	Date:

NO OBJECTION CERTIFICATE

Photograph of the child

Photograph of the prospective adoptive parents

matters, under the Ministry of Women and Child Development, Government of India, has 'NO OBJECTION' to the adoption of the child or children with the prospective adoptive parents as per the details mentioned below:-

S. No.	Name of the child	Sex of Child	Date of Birth	Name prospec	and tive ado	Address optive paren	of its	the

- 2. This No Objection Certificate is issued as per Adoption Regulations, 2022 and Article 17 (c) of the Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country Adoption, 1993.
- 3.The Specialised Adoption Agency and the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or concerned Foreign Government department or Indian Diplomatic Mission have been authorised to process this adoption case.
- 4.The Specialised Adoption Agency shall file the adoption application before the District Magistrate concerned.

Signature and Seal of Authorised Signatory

To:

- (1) Name and address of the Specialised Adoption Agency.
- (2) Name and address of the State Adoption Resource Agency or concerned State Government department.
- (3) Name and address of District Magistrate.
- (4) Name and address of Authorised Foreign Adoption Agency or concerned Foreign Government department or Indian Diplomatic Mission.
- (5) Diplomatic Mission of the Receiving Country in India.
- (6) Central Authority of the Receiving Country
- (7) Foreigner's Regional Registration Officer

SCHEDULE XI

[See regulation 19(1), 60]

CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

Certificate Number: Date:

CONFORMITY CERTIFICATE

(Under Article 23 of the Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of intercountry Adoption, 1993)

Photograph of the child

Photograph of the prospective adoptive parents

1. The undersigned authority:
(Name and address of the competent authority of the State of adoption)
2. Hereby certifies that the child:
Family name:
First name(s):
Sex: Male [] Female [] Data of high: day(_)month(_)year(_)
Date of birth: day()month()year() Place of birth:
Habitual residence:
Habitual residence.
3. Was adopted according to the decision of the following Authority:
Date of the decision:
Date at which the decision became final: (If the adoption was made otherwise than by a decision of an authority please specify the equivalent details)
(If the adoption was made otherwise than by a decision of an authority, please specify the equivalent details)
4. By the following person(s):
(a) Family name of the adoptive father:
First name(s):
Date of birth: day () month () year ()
Place of birth:
Habitual residence at the time of the adoption:
(b) Family name of the adoptive mother:
First name(s):
Date of birth: day()month()year() Place of birth:
Habitual residence at the time of the adoption:
The undersigned Authority certifies that the adoption was made in accordance with the Convention
and that the agreements under Article 17, sub-paragraph c, were given by:
(a) Name and address of the Central Authority of the State of origin
Date of the agreement:
(b) Name and address of the Central Authority of the receiving State:
Date of the agreement:
6. The adoption had the effect of terminating the pre-existing legal parent- child relationship. Or
The adoption did not have the effect of terminating the pre-existing legal parent-child relationship.

To:

- (1) Name and address of the Specialised Adoption Agency.
- (2) Name and address of the State Adoption Resource Agency or State Government concerned department.
- (3) Name and address of Regional Passport Office.
- (4) Name and address of Authorised Foreign Adoption Agency or concerned Foreign Government department or Indian Diplomatic Mission.
- (5) Diplomatic Mission of the Receiving Country in India.
- (6) Central Authority of the Receiving Country.
- (7) Foreigner's Regional Registration Officer.

SCHEDULE XII

[See Regulations 14(1), 20(1) and 21(5)]

POST-ADOPTION FOLLOW-UP REPORT OF THE CHILD

Report No:	Date	e:

Photograph of the child and the prospective adoptive parents

[First post-adoption follow-up report to be completed within three months of the pre adoption foster care and thereafter on half-yearly basis in case of In-country adoption]

I post-adoption follow-up report	II post-adoption follow-up report	III post-adoption follow-up report	IV post-adoption follow-up report	
Date	Date	Date	Date	

^{*}In cases of adoption by non- resident Indian, Overseas Citizens of India Cardholder and foreign adoptive parents habitually residing abroad, there shall be six follow up reports on a quarterly basis during the first year and on six monthly basis in the second year.

1. Identifying Information:

- (a) Child's Name (initial and given. If any):
- (b) Surname or family name:
- (c) Child's date of birth:

2. Contact Details of the Adoptive Parents:

3. Child's Adjustment:

- (a) Current height and weight
- (b) Results of physical examinations or doctor visits
- (c) Eating and sleeping habits
- (d) Emotional, physical and social development

- (e) Attachment of family members
- (f) Child's enrolment in school (if applicable)
- (g) Language(s)spoken (if applicable)
- 4. Adjustment Between Adoptive Family and The Child:
- 5. Significant Changes In Family Structure or Dynamics, If Any:

(Change of residence, employment, work responsibilities, illness etc.)

6. Observations And Recommendations of Social Worker

(Signature) Social Worker's Name: Agency Name and Date:

Note: Online updating of post-adoption follow-up report is mandatory.

SCHEDULE XIII

[See regulations 25(1) (f)]

STANDARDS OF CHILD CARE IN SPECIALISED ADOPTION AGENCIES

1. The agencies are required to ensure that the following facilities are provided to the children in the institution:

(a) Physical facilities:

- i. Physical surroundings in which the children are cared for must be clean. Sanitation and hygiene maintained at the agency must be adequate since a majority of children at the institution are small and suffer from numerous ailments. Children below the age of one year should be in a room with an attached bathing room and milk room. Children between the age of one to three years should be kept in a room with an attached bathing and bathroom. The older children need to be separated into two boy's room and girl's room. Each room must have attached baths, and toilets.
- ii. There should be a separate washing area and a large kitchen and dining hall for the older children. Good lighting, ventilation and adequate space must be mandatory.
- iii. The home should be neat, clean, particularly bathrooms, toilets and kitchen. Walls and surroundings must be bright and stimulating. For visual stimulation the rooms should be well painted and decorated with toys, animal cut outs, etc.

(b) Medical facilities:

Regular medical inspection must be done, preferably every alternate day by a registered medical practitioner. The child specialist is best trained to diagnose and treat children who are at risk and highly vulnerable.

- i. Infants and children on admission to institutions should be in quarantine and observation for a week at least.
- Weight, height and head circumference may be noted along with any other details available on the child at admission.
- iii. A medical record should be maintained and a doctor must assess the child as soon as possible, preferably within twenty-four hours of their admission.
- iv. Each child below the age of six months should be photographed every month, from six months to three years every three months and thereafter, every six months.
- v. Immunisation should be regularly given and monitored.
- vi. Emergency kits should be available at all times in the Home and there should be a doctor on call.
- vii. General health measures viz hygiene, dental, skin care and diet to be supervised.

viii. Stimulation is very important for the proper development of the child. This could be achieved by increasing awareness amongst the nurses, helpers by introducing simple stimulation techniques in the daily routine. It is also advised to have a physiotherapist visit the children on a regular basis.

(c) Staff:

- i. The agency must have adequate staff for child care, preferably in the ratio of 4:1 for children below one year, 5:1 for children in the age group one to three years and 8:1 for older children.
- ii. Adoption Homes need personnel who are sensitised to the issues of the children. They need to be "educated" in caring for the children. It is recommended to conduct workshops for nurses, helpers, care takers and other staff to enable them to recognize the special status of these children who are under their care.
- iii. As committed staff is an integral part of good child care, the motivational levels of the staff should be kept high.
- iv. Staff to be immunised as well.
- (d) Clothing: It is important that the children in a home are dressed in clean, comfortable and well-kept clothes at all times, not just during the visit of the adoptive parents.
- (e) Food: The food in the institution should be hygienically cooked, nourishing and tasty. The menu should be varied. The need of children on a special diet should be attended to. This shall help overcome the problems of malnutrition faced by children entering a home. Feeding charts with indication of the formulas may be displayed and followed.
- **(f) Education:** The Specialised Adoption Agency should be able to provide informal education through a qualified teacher, and a special educator, or tie up with a school that shall take the child or children on a temporary basis.
- 2. While providing child care, the following issues are important:
 - (a) A child's neurological growth is complete within the first few years of their early childhood and determines the brain's capabilities throughout the rest of their life. Moreover, a child needs to have experienced secure attachment by the age of 3 in order to develop cognitively, physically, socially, and emotionally. Hence, every effort shall be made by the Specialised Adoption Agency to expeditiously find alternate family for such children so that they develop secure attachment and proper bonding experiences during infancy itself.
 - (b) It is very essential to talk, hug, hold, play, tell stories and sing to the child to give it a sense of security. Though this should be done regularly by the staff, it is also advisable to encourage volunteers to take up this activity.
 - (c) Quality child care (early childhood care) means providing adequate health care, immunisation, feeding and nutrition, creating a safe environment so that infants and young children can play and socialize with their peers, promoting school readiness and preparing children for primary school and focusing on total development during early years of childhood.
 - (d) It should be ensured that there is no instance of child abuse and neglect while the child is in the institution.

Note: All adoption agencies shall adhere to the standards of child care prescribed under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022.

SCHEDULE XIV

[See regulation 46 and 50]

TIMELINE FOR AUTHORITIES AND AGENCIES CONCERNED

A. Timeline for the processes relating to children:

S.No.	Regulations	Action	Time
1.	6(2)	Child Care Institution or Specialised Adoption Agency to produce an abandoned child before the Child Welfare Committee along with a report containing their photograph and particulars.	Within twenty four hours (excluding journey period).
2.	6(5) and 7(10)	Specialised Adoption Agency to enter the details of the child along with their photograph online on the Designated Portal.	Within three days from the time of receiving the child.
3.	6(7)	District Child Protection Unit to advertise the particulars and photograph of an abandoned child in a national level newspaper having wide circulation, local cable networks, wherever existing and also ensure entry of data in the Track Child portal or <i>KhoyaPaya</i> .	Within three days from the time of receiving the child.
4.	6(9)	District Child Protection Unit to submit a report to the Child Welfare Committee on the efforts made by it for tracing out the biological parents or legal guardian of an abandoned child, including the outcome of the advertisement.	Within thirty days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee for the same.
5.	6(10)	Specialised Adoption Agency or Child Care Institution to submit a report to the Child Welfare Committee about any information revealed by the child during their short term placement and details of persons whosoever approached for claiming the child, if any.	Immediately after thirty days from the date of production of the child before the Child Welfare Committee.
6.	6(13)	Declaring the orphan or abandoned Child legally free for adoption by Child welfare Committee.	Within a period of three days after the expiry of two or four months, from the date of production of the child before the Child Welfare Committee, in case of a child upto two or above two years of age respectively.
8	6(15),7(18),30(1) (e)(f),and 38(2)	Specialised Adoption Agency to upload the Child Study Report and Medical Examination Report along with latest photograph of the child.	Within ten days from the date of declaration of the child as legally free for adoption by Child Welfare Committee.
9	7(3)	Signing of surrender deed by the biological parents	On the day of production of the child.
10	7(10)	Details of the surrendered child or children to be uploaded on the	Within three days from the time of receiving the child.

		Designated Portal by the Specialised Adoption Agency.	
11	7(11) and 7(16)	The reconsideration period or reclaiming of the surrendered child by the biological parent or legal guardian.	Sixty days of the date of surrender.
12	30(1)(d)	Specialised Adoption Agency shall upload the certificate, issued by the Child Welfare Committee, declaring the child legally free for adoption onthe Designated Portal.	Within forty-eight hours from the receipt of such certificate.
13	36(8)	In cases of children having health issues or suspected special needs conditions, the District Magistrate shall refer the child to the Chief Medical Officer of the District.	Within twenty four hours as soon as information about such children is received from the Specialised Adoption Agency or Child Care Institution with the help of the District Child Protection Unit concerned.
14.	36(9) and 37	The Chief Medical Officer shall examine the health status of the child and assess whether the child is having any ailment or special needs.	Within a period of fifteen days from the date of receiving the case.

B. Timeline for Adoption by resident Indians as well as Overseas Citizens of India Cardholder or Foreigners living in India:

S. No.	Regulations	Action	Time
1.	10 (1)	The prospective adoptive parents should upload documents after their registration.	Within a stipulated period of thirty days.
2.	10(8),30(3)(d) and 38(14)	Home Study Report of the prospective adoptive parents to be completed by the social worker.	Within sixty days from the date of submission of required documents on the Designated Portal.
3.	10(9)	Uploading of Home study Report on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency.	Within three days from the date of completion of the Home Study Report.
4.	11(3) and 21(3)	Prospective adoptive parents to reserve one child.	Within forty-eight hours from the date and time of referral.
5.	11(9)	Process of matching of the reserved child by the Specialised Adoption Agency and acceptance by prospective adoptive parents.	Within thirty days from the date of reserving the child.
6.	12 (1)	Child to be taken in pre-adoption foster care.	Within ten days from the date of matching after signing the pre- adoption foster car undertaking.
7.	30(5)(a) and 18(2)	Specialised Adoption Agency to submit application to District Child Protection Unit for scrutiny.	Within five days from the date of matching of the child by the prospective adoptive parents.

8.	18(2), 30(5)(a) and 38(16)	District Child Protection Unit to submit the application along with the requisite documents to District Magistrate after scrutiny.	Within five days of receiving the application from Specialised Adoption Agency.
9.	13(6),18(1) and 36(2)	Disposal of the adoption application by the District Magistrate.	Within sixty days of receiving the Adoption application.
10.	13(8)	Forwarding the certified copy of adoption order to Prospective adoptive parents obtained by Specialised Adoption Agency.	Within ten days from the issuance of the adoption order.
11.	13(9)	Specialised Adoption Agency shall apply for the birth certificate of the child.	Within five days from the date of issuance of the adoption order.
12.	13(9),19(5) and 40	Birth certificate issuing Authority shall issue the certificate based on the adoption order and other requisite documents.	Within five days of receiving the application from the concerned Specialised Adoption Agency.
13.	14(1) and14(3)	Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit shall prepare post-adoption follow-up report.	Within ten days from the conduction of post-adoption follow up report.
14.	62 (2)	Appeal in case of in-country adoption to State Adoption Resource Agency.	Within seven days from the date of opinion or decision.
15.	62(3)	Redressal of the grievance or complaint by State Adoption Resource Agency.	Within fifteen days from the receipt of application.
16.	62(5)	Appeal to Central Adoption Resource Authority in case the aggrieved is unable to get suitable response within the stipulated period of fifteen days from State Adoption Resource Agency.	Within forty-eight hours of receiving the response from the State Adoption Resource Authority.
17.	62(5)	Redressal of the grievance or complaint by Central Adoption Resource Authority.	Within fifteen days from the date of receipt of the application.

C. Timeline for Adoption from India by non- resident Indian or Overseas Citizen of India Cardholder or Foreign prospective adoptive parents not living in India:

S. No.	Regulations	Action	Time
1.	16(7)	Reservation of a child or children by the prospective adoptive parents from the Designated Portal through the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or Government department or Indian Mission.	Within ninety-six hours of getting the referral.
2.	16(10)	Acceptance of the child by the prospective adoptive parents.	Within thirty days of reserving the child.

S. No.	Regulations	Action	Time
3.	17(1) and 58	No Objection Certificate by Central Adoption Resource Authority.	Within ten days from the date of receipt of requisite documents including acceptance of the child by the prospective adoptive parents and approval of the Central Authority wherever required.
4.	19(1) and 60	Central Adoption Resource Authority shall issue conformity certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention.	Within three days from the date of availability of adoption order.
5.	19(3)	To obtain Indian passport for the adopted child, the Specialised Adoption Agency shall submit the application to the Regional Passport Officer.	Within three days from the date of receipt of the adoption order.
6.	19(4) and 42	The Regional Passport office shall issue passport for the adopted child.	Within ten days from the date of receipt of application, in accordance with the circulars regarding issuance of passport to inter-country adopted children, issued by the Ministry of External Affairs of the Central Government from time to time.

SCHEDULE XV

[See regulation 25(1)(e), 29(1), 49(1)]

ADOPTION FEES AND THEIR UTILISATION BY SPECIALISED ADOPTION AGENCIES OR CHILD CARE INSTITUTIONS

1.In-Country Adoption (Fees etc.): Applicable in cases of adoptions processed under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 for resident Indians or Overseas Citizens of India Cardholder or Foreigners habitually residing in India.

a)	Home Study Report (HSR) or Family Background Report of the prospective adoptive parents in India by social worker.	Rs. 6,000/ (inclusive of travel expenses)
b)	Adoption Fee, for the purpose of preparing the Child Study Report, Medical Examination Report, child care and maintenance, and other administrative costs.	Rs. 50,000/*
c)	Post-adoption follow-up visits and counselling (four times within a period of two years).	Rs. 2,000/ per visit or report (inclusive of travel expenses)
d)	Revalidation of Home Study Report wherever required.	Rs. 2,000or- per visit or report (inclusive of travel expenses)

^{*}In cases of In-country adoptions, the adoption fees in cases of siblings have been prescribed as Rs.10,000/per additional child.

2. Inter-Country Adoption (Fees etc.): Applicable in cases of adoptions processed under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 for non- resident Indians or Overseas Citizen of India Card holders or Foreigners habitually residing in a foreign country.

a) Home Study Report of the prospective adoptive parents by the authorised social worker.	As per the norms of the receiving country.
b) Adoption Fee, for the purpose of preparing the Child Study Report, Medical Examination Report, child care and maintenance, and other administrative costs.	5,000 US \$**
c) Post-adoption follow-up visits and counselling (Six times within a period of two years)	As per the norms of the receiving country.

**In cases of Inter-country adoptions, the adoption fees in cases of siblings have been prescribed as US\$ 1000 per additional child.

In case of inter-country adoption of a child with normal health conditions, the adoption fee shall be as that of in-country adoption.

3. Standard Utilisation Pattern

All specialised adoption agencies shall adhere to the following standard utilisation pattern for fees received for conducting of home study, adoption fee and post-adoption follow-up:

- (a) All cost for conduct of medical tests and treatment of children including getting the Medical Examination Report prepared as prescribed in the standardised Government hospital rates fixed by respective state authorities;
- (b) Expenditure in obtaining birth certificates of children;
- (c) Expenditure in obtaining passports of the children;
- (d) Counselling of older children not exceeding five percent of the total amount received during the financial year;
- (e) Cognitive development of children which includes brain development, development of knowledge, skills, problem solving and dispositions, which help children to think about and understand the world around them not exceeding 10% of the total amount received during the financial year (Toy and teaching Learning material for Children etc.);
- (f) Medical Insurance covers for the children living in Specialised Adoption Agency or Child Care Institution till they are placed in adoption;
- (g) Medical emergency as per actual bill on case to case basis;
- (h) Child care and maintenance of such children who do not get support from the government under Mission Vatsalya Child Protection Scheme or through any other sources;
- (i) Physiotherapy facilities for the children.
- 4. The Specialised Adoption Agencies or linked Child Care Institutions shall utilize the amounts received as adoption fee only for the welfare of children in the respective homes and shall utilise the funds as drawn above and maintain details of accounts during each financial year and the unspent balance can be credited to the next financial year.
- 5. As per Regulation 26(2) of Adoption Regulations 2022, misuse or diversion of adoption fee or grant received from the Government can be one of the grounds for suspension of recognition of a Specialised Adoption Agency.
- 6. The Specialised Adoption Agencies or Child Care Institutions should maintain proper accounts including the utilisation of adoption fee and government grant under other government notified schemes to be audited by a chartered accountant as per regulation 29(2) of Adoption Regulations 2022. Further, all expenditure incurred should be supported by bills and vouchers and the same should be audited by a Chartered Accountant without fail.
- 7. In case of Government run Specialised Adoption Agency, approval at appropriate level shall be taken for utilizing such funds for the welfare of children.
- 8. In case an agency is de-recognised, and a decision is taken by the State Government to shift the children of that agency to another agency or agencies, then the balance available in the adoption fee account shall be transferred to such agency or agencies receiving the children in the ratio of the number of children transferred.
- 9. The Specialised Adoption Agency shall maintain a separate bank account for the adoption fees received along with separate record or register of receipts or payments or expenditure or accounts and the account should be audited at the end of the financial year by a Chartered Accountant who shall certify that the fees have been used as stipulated in para 3 above.

- 10. Where a Specialised Adoption Agency has processed the adoption case of a child belonging to another Child Care Institution, the Specialised Adoption Agency shall obtain the bank account details of the Child Care Institution concerned and provide the same to the Authorised Foreign Adoption Agency or prospective adoptive parents concerned, as the case may be, to pay fifty percent of the adoption fee via electronic transfer to the concerned Child Care Institution and in such cases, the Child Care Institution is also required to follow the same pattern of utilisation of the adoption fees excluding those that are not applicable.
- 11. Those agencies that have not received grants under the Mission Vatsalya Child Protection Scheme may utilise the funds solely for child care and under the aforementioned heads.

SCHEDULE XVI

[See regulation 53(2)]

FOSTER CARE ADOPTION

(1) Children available for family foster care and later adopted by the foster parents.—

- (a) Category-1: Children legally free for adoption who do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption as stipulated in rule 44 of the Juvenile Justice Rules 2022 and Guidelines on Foster Care notified by the Government from time to time.
- (b) Category-2: Hard to place children also called children available for immediate placement as provided in clause (13) of regulation 2 of the Adoption Regulations 2022, who do not get a family either in incountry adoption or in inter-country adoption after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee.

(2) Eligibility of foster parents.—

- (a) The prospective foster parents shall be physically, mentally, emotionally and financially capable, and they shall not have any life threatening medical condition and they should not have been convicted in criminal act of any nature or accused in any case of child rights violation.
- (b) The prospective foster parents should also be eligible as per criteria mentioned in the Juvenile Justice Rules 2022 and Foster Care Guidelines notified by the Government from time to time.

(3) Procedure to be followed.—

- (a) The prospective foster parents shall register in the Designated Portal and the District Child Protection Unit shall ascertain their suitability as required.
- (b) The District Child Protection Unit shall complete matching of the child with the prospective foster parents and while selecting foster care givers, priority shall be given to extended family relations followed by neighbourhood care and group foster care.
- (c) The child shall be placed in foster care with the foster parents in the same socio-cultural milieu keeping in view the interest of the child.
- (d) In case the foster parents wish to adopt the particular child or children, the same can be permitted after a period of two years and in such case, the foster parents have to register online in the designated portal for adoption subject to satisfactory follow-up reports.

(4) Procedure in other cases.—

- (a) In cases, where a child is not legally free and has been placed with a foster family for temporary period following due procedure, such foster family can adopt the particular child provided the child attains the legally free status followed by satisfactory follow-up reports for a period of at least two years.
- (b) Further the State Adoption Resource Agency with the help of the District Child Protection Unit concerned shall upload the relevant information in the Designated Portal.

SCHEDULE XVII

[See regulation 41(17)]

Support Letter for Regional Passport Off	icer in case of in-country adoption
This is to certify that Mr.	and Mrs (Registration No. on
the Designated Portal), have undertake	
,	of birth) through Central Adoption Resource Authority
via adoption order no.	dated issued by the District
•	strict) under Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Amendment Act, 2021.	
• ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `	are and Protection of Children) Amendment Act, 2021,
<u> </u>	sued by the District Magistrate, shall become the child
	ts shall become the parents of the child as if the all purposes, including intestacy, with effect from the
date on which the adoption order takes effect", v	
	der Juvenile Justice (Care and Protection of Children)
-	2022, provide the mandatory follow ups of the adopted
	of pre-adoption foster care. So far, in the instant case
-	n completed till and are remaining.
	ermanently or for long duration (over three months) the
	conducted by Indian Diplomatic Mission concerned
	getting the balance of post adoption follow up is with
the adoptive parents through the professional social	worker as identified by the Indian Diplomatic Mission
or the Authority. (Copy of undertaking by adoptiv	e parents attached).
	the purpose of getting the passport issued for the child
11	authority based on the request received from
(name of the adoptive parer	its).
	Yours faithfully,
	Assistant Director, CARA
To	
(Prospective Adoptive Parents)	
(Tresposition Tuesput of Membe)	
Email:	
Linuii.	
Committee	
Copy to	
RPO	
Email:	
Undertaking by PAPs to cor	-
I or We, the adoptive parents	havingas
Registration Number on the Designated Portal) have	e adopted the child(name of the child or
children) from the Specialised Adoption Agency_	on, do hereby for the time period of from
declare that, I or we am or are travelling to	for the time period offrom
to with our family.	lance of most adoption fallow on shall be some through
	lance of post adoption follow up shall be ours through indian Diplomatic Mission (Address of IDM concerned)
or the Authority	
or the ritinority	
(Adoptive Father)	(Adoptive Mother)
	(Adoptive Modiei)
Dated:	

SCHEDULE XVIII

[See regulations 2 (25), 8 (2), 36(9), 37, 51(4)]

CLASSIFICATION OF SPECIAL NEEDS CHILDREN FOR THE PURPOSE OF ADOPTION [TO BE CONSIDERED AS PER THE SCHEDULE PROVIDED IN THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 AND AS PER PART E OF THE SCHEDULE-III]

1. Physical disability

- **A.** Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including.—
- (a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—
 - (i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in theeye and eye-lid but with no manifest deformity;
 - (ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;
 - (iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him or her from undertaking any gainful occupation, and the expression —leprosy cured shall construed accordingly;
- (b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;
- (c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;
- (d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need forhealthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;
- (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment

- (a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—
 - (i) total absence of sight; or
 - (ii) visual acuity less than 3or60 or less than 10or200 (Snellen) in the better eyewith best possible correction; or
 - (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.
- (b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—
 - (i) visual acuity not exceeding 6or18 or less than 20or60 upto 3or60 or upto 10 or 200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
 - (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10degree.

C. Hearing impairment—

- (a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in bothears;
- (b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

- **D.** "Speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.
- **2. Intellectual disability,** a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—
- (a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and include such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
- (b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour

"Mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub normality of intelligence.

(a) Disability caused due to chronic neurological conditions, such as-

- (i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
- (ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system markedby tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

- (i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;
- (ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced absent amounts of haemoglobin;
- (iii) "sickle cell disease" means a haemolytic disorder characterised by chronic anaemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "haemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.
- **4. Multiple Disabilities** (more than one of the above specified disabilities) including deafblindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.
- 5. Any other category as may be notified by the Central Government.
- 6. Exact nature of special needs of the child concerned to be examined by the Chief Medical Officer of the District in the light of Schedule III (Part E)

SCHEDULE XIX

[See regulations 54(2)]

CONSENT FOR THE PURPOSE OF IN-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

A. I or We the undersigned have read the following statements carefully and I or we haveinformation about the effects of my or our consent and I or we am or are making the statement without coercion or threat and without receiving any payment or compensation of any kind.

Biological Father	Biological Mother
Family name:	Family name:
First name:	First name:
Date of birth: day () month () year ()	Date of birth: day () month () year ()
Permanent Address:	Permanent Address:

I or We

- (i) hereby terminate the natural relationship with the child.
- (ii) understand that the adoption of this child shall create a permanent and legal parent-child relationship with the adoptive parents.
- (iii) certify that the child has given their consent for the said adoption and willing to accept to relative as adoptive parents (wherever applicable).
- (iv) certify that our consent has not been induced by payment or compensation of any kind.
- (v) agree to place our child or children in adoption with our relative falling under the definition of section 2(52) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021.

Family name of the child:

First name(s):

Gender: male[] female[] Other[]Date of birth: day() month() year()

Place of birth: Address:

I or We declare that I or we have fully understood the above statements.

Signed aton.....

(Signature or Thumb Impression of the biological parents)

Biological Father

Biological Mother

Note: Death Certificate of the biological parent to be attached in case he or she isnot alive.

B. Consent of the child, if he has completed five years of age

Countersigned by Biological Parents

C. Prospective adoptive parents adopting the Child or Children						
Adoptive Father	Adoptive Mother					
Family name:	Family name:					
First name:	First name:					
Date of birth: day () month () year ()Permanent	Date of birth: day () month () year ()					
Address:	Permanent Address:					
Pre-adoption relationship with the child:	Pre-adoption relationship with the child:					

I or We, the undersigned:

- (i) give my or our consent to adopt the child or children mentioned at part A above, out of my or our freewill.
- (ii) understand that the adoption of the child or children shall create a permanent and legal parent-child relationship with me or us with all the rights and duties associated with such relationship.
- (iii) Declare that I or we have fully understood the above statements.

Signed	at	on

(Signature or Thumb Impression of the prospective adoptive parents)

Adoptive Father

Adoptive Mother

Photograph of biological	Photograph of prospective adoptive parents
parents	

D. Declaration by Witnesses

I or We the undersigned have witnessed the above.

- (a) Signature, Name and Address of the first Witness with Identity Document proof
- (b) Signature, Name and Address of the second Witness with Identity Document proof

Signed at		on		
-----------	--	----	--	--

(Photographs of the child or children to be adopted, the biological parents or guardians and the witnesses are required to be pasted and attested in front.)

E. Certification of Child Welfare Committee.

Based on the above consents and supporting documents including the family tree, the Child Welfare Committee (name of the District) hereby confirms it to be a case of relative adoption.

Seal of Child Welfare Committee

Signature of three members of Child Welfare Committee

SCHEDULE XX

[See regulations 7(22), 55(2), and 55(9)]

CONSENT OF BIOLOGICAL PARENTS ALONG WITH STEP-PARENT TO OBTAIN THE PERMISSION OF CHILD WELFARE COMMITTEE FOR ADOPTION OF CHILD OR CHILDREN BY BIOLOGICAL PARENT AND THE STEP-PARENT

A. I or We the undersigned

Biological Father	Biological Mother
Family name:	Family name:
First name:	First name:
Date of birth: day () month () year ()	Date of birth: day () month ()
Permanent Address:	year ()
	Permanent Address:

(i) ł	nereby	y 1	r	·el	liı	10	u	is.	h	or	su	rre	nde	er r	ny	or	ou	. 1	nati	ıral	ri	ght	or	cla	iim	wit	h m	y or
	our cl	h	i!	10	1 0	эr	C	hi	ld	re	a				. 									(1	nam	e,	ger	ıder,
	date		C	of	`t)i1	tŀ	ı).																				
(ii)	under	rs	sta	ar	ad	l t	h۵	ıt	th	e a	do	pti	on (of 1	this	ch	ild	S	hal	l cı	eat	e a	ар	ern	nane	nt	and!	legal
	paren	ıt-	-(ch	ıil	d	r	ela	ıti	on	shi	рw	vith	th	e si	tep	-paı	e	nt &	& th	e b	iol	ogi	cal	pare	ent	ador	oting

- the child.
- (iii) certify that the child or children has or have given their or their consent for the said adoption and is or are willing to accept the step-parent adopting the child or children as father or mother(strike out which is not applicable).
- (iv) certify that my or our consent above is given out of freewill and has not been induced by payment or compensation of any kind.
- (v) Declare that I or we have fully understood the above statements.

(Signature or Thumb Impression of the biological parents) **Biological Father**

Biological Mother

B. Consent of the child or children at A(i), if completed five years of age before Child Welfare Committee:

Countersigned by Biological Parents

C. Step Parent & the Biological Parent Adopting the Child or Children.

Family name:

First name(s):

Date of birth: day()month()year()Permanent Address:

We, the undersigned:

- (i) give our consent to adopt the child or children mentioned at A (i) above, out of our freewill.
- (ii) understand that the adoption of the child or children shall create a permanent parent-child relationship with all the rights and duties associated with such relationship.
- (iii) Declare that we have fully understand the above statements.

~		
Signed a	ıt	on

(Signature or Thumb Impression of the step parent and the biological parent)

Step Parent

Biological Parent

D. **Declaration by Witnesses**

We, the undersigned have witnessed the above.

- (a) Signature, Name and Address of the first Witness with Identity Document proof
- (b) Signature, Name and Address of the second Witness with Identity Document proof

Signed	at	 on	

Note:-

- (i) Death Certificate of the biological parent to be attached in case he or she is not alive.
- (ii) Photographs of the child or children to be adopted, the biological parents, spouse adopting the child or children and the witnesses are required to be pasted and attested in the form.
- (iii) In case children are being relinquished or surrendered by both the spouses from their respective earlier marriages for adoption, separate consent forms shall be filled up.
- (iv) Only the parents having full custodian rights of the child or children shallgive consent.

Photograph of biological father or	Photograph ofchild	Photograph of stepparent
mother		

E. Certification of Child Welfare Committee.

Signed at..... on
......
Seal of Child Welfare
Committee

Signature of three members of Child Welfare Committee

SCHEDULE XXI

[See regulation 55(9), 57(1) and 68(5)]

FAMILY BACKGROUND REPORT OF THE CHILD AND THE BIOLOGICAL PARENTS

(Signature with Stamp of the officer concerned from District Child Protection Unit on each page.)

DATE OF THE HOME VISIT:

NAME OF THE REPRESENTATIVE FROM THE DCPU:

1. Personal particulars about the child

- 1.1 Full name of the child:
- 1.2 Sex: Male Female Other
- 1.3 Date of birth(Birth Certificate of the child to be attached):
- 1.4 Place of birth:
- 1.5 Religion:
- 1.6 Language spoken (if applicable):
- 1.7 Order of birth in the family:
- 1.8 Present educational status:
- 1.9 General Personality and description of the child:
- 1.10 Social and educational background of the child:

2. Details about the biological parents of the child or guardian of the child, asthe case may be.

Details of the father or guardian	Details of the mother or guardian
Date of birth	Date of birth
and age	and age
Religion	Religion
Nationality	Nationality
Present andPermanent Address	Present andPermanent Address
Educational Qualifications	Educational Qualifications
Present Occupation	Present Occupation
Total income per month (proof to be given)	Total income per month (proof to be given)
Whether suffering from any disease (if yes, details to be given)	Whether suffering from any disease (if yes, details to be given)

3. Details about other family members living with the biological parents or guardians (Other individuals who reside in the household or outside)

Name in full	Age and Sex	Occupation details	Maritalstatus	Relationship with the child

- 4. Opinion about the proposed adoption by each member of the family.
- 5. The relationship between the biological family and the adoptive family. (Please attach Family tree)
- **6.** Remarks of District Child Protection Unit:

[The District Child Protection Unit is required to provide counselling to the biological parents about the effects of adoption and give reasons for proposing the child in adoption. Further, the District Child Protection Unit has to mention if the adoptive parents have already interacted with the child, if yes when, reason or motivation for adoption. District Child Protection Unit may also describe about home of the biological family, whether the parents of the child or children are in touch with the prospective adoptive parents, and description of living accommodation and photograph of the child with adoptive family, etc.]

The District Child Protection Unit may come out with details on the following:

- a) Whether the child is adoptable as per the law of the country and the reason(s) for the particular adoption?
- b) Whether the biological parents have been counselled about the effects of adoption that the adoption shall result in the termination of the legal relationship between the child and their or her family of origin?
- c) Consent of the biological parents in the required legal form mentioning the fact that it has not been induced by payment or compensation of any kind.
- d) Whether the child has been counselled thoroughly about the effects of adoption? (Not applicable in case the child is below five years old)
- e) Who has provided counselling to the child?
 - Parents or Guardian or Child Welfare Committee or Social Worker or Counsellor or Teacher or Uncle or Aunt or Sibling or Grandparents, Any other (Specify)
- f) Consent of the child if it is above five years in the required legal form mentioning that the child has been counselled without any inducement and is fully informed of the effects of the adoption.
- g) Disability or special needs (if any to be reflected in the Medical Examination Report)
- h) Whether the child knows about the legal termination of parent-child relationship due to the adoption?(Not applicable in case the child is belowfive years old)
- i) The reason for not placing the child in in-country adoption, if applicable?
- j) Justification of separation of child from biological family.(100 words min.)

7. Whether the envisaged placement is in the best interest of the child:

Name of the District Child Protection Officer Signature and Seal of the District Child Protection Officer with Date

Documents to be attached with the Report

A. Biological Parent related documents:

- 1. Proof of residence of the biological family or guardian
- 2. Proof of date of birth of the biological family or guardian
- 3. Medical certificate in case the biological parents have any medicalcondition
- 4. Affidavit stating consent of the biological parents

B. Child related documents:

- 1. Proof of date of birth of the child
- 2. Medical Examination Report of the child to be adopted
- 3. Affidavit stating consent of the adoptive child, in case the child is above five years
- 4. Photograph of the child with biological family
- 5. Photograph of the child with adoptive family

SCHEDULE XXII

[See regulation 54(2)]

PERMISSION BY CHILD WELFARE COMMITTEE TO THE CONSENT GIVEN BY THE GUARDIAN OF THE CHILD FOR ADOPTION BY THEIR RELATIVE [WHERE BIOLOGICAL PARENTS ARE NOT ALIVE OR NOT ABLE TO GIVE CONSENT]

A. I or We, the undersigned give the following declaration before the Child Welfare Committee (District):

	Male Guardian	Female Guardian
	Name:	Name:
	Surname:	Surname:
	Father's name:	Father's name:
	Date of birth: Day () Month () Year ()Permanent	Date of birth: Day () Month () Year ()
	Address:	Permanent Address:
	Present Address:	Present Address:
	Declare that:	
	The child (name)	` /
	Male[] Female[] Other[], Date of birth: Data daughter or son of, per	
	residing at is und	
	parents (both). The natural parents of the above	· ·
	our (please specify the relation and	attach proof of supportingdocuments).
	I or We	
(i)	give consent to the surrender of the child r	named to my or ourrelative for
	adoption;	
(ii)	hereby terminate the legal guardian-ward children;	relationship with the saidchild or
(iii)	understand that the said child shall be residing in India or abroad;	adopted by their relative
(iv)	understand that the adoption of this cl relationship with the adoptive parents;	nild shall create a permanent parent-child
(v)	shall have no claim over the child;	
(vi)	declare that I or we have fully understood	the above statements carefully;
(vii)	have information about the effects of my	or our consent:
(viii)	am or are making the statement without compayment or compensation of any kind.	oercion or threat and withoutreceiving any
	Signed at on	
	[Signature or Thumb Imp	ression of the Guardian(s)]

B. Acceptance of child's relative adopting the child.

Adoptive Father	Adoptive Mother
Family name:	Family name:
First name:	First name:
Date of birth: day () month () year () Permanent Address:	Date of birth: day () month () year () Permanent Address:

I or We

- (i) accept and understand that the adoption of this child shall create apermanent parent-child relationship with us.
- (ii) Certify that the consent have not been induced by payment or compensation of any kind.
- (iii) Declare that or we have fully understood the above statements.

Signed at on.....

[Signature or Thumb Impression of the adoptive parents]

Adoptive Father

Adoptive Mother

C. Declaration by Witnesses

I or we the undersigned know the guardian of the child or children very well and have witnessed the above statement of consent or surrender.

- a) Signature, Name and Address of the first Witness
- b) Signature, Name and Address of the second Witness

Photograph of prospective adoptive parents
rtogr u pn

D. Certification of Child Welfare Committee

Name (s):
Designation:
The Child Welfare Committee(name of the district) hereby certifies that the person and the witness (es) named above appeared before the Committee and signed this document in our presence.
Signed at on

Signature and Seal Child Welfare Committee

SCHEDULE XXIII

[See regulation 13(10)]

SP	FIDAVIT BY THE CHIEF FUNCTIONARY OR AUTHORISED PERSON OF THI ECIALISED ADOPTION AGENCY TO DISTRICT MAGISTRATE IN SUPPORT ADOPTION OF CHILD
	Affidavit of working asinlocated at
	I do hereby state of solemn affirmation as under:
(a)	That details of the child(Name, Sex and Date of Birth)have been entered on the Designated Portal. The unique registration number assigned to the child through the Designated Portal is
(b)	That the Child Welfare Committee(name of the district) has declared the child as legally free for adoption on
(c)	That the child was referred to waiting prospective adoptive parents in the online child referral system through the Designated Portal and the child has been accepted by the preser prospective adoptive parents (Regd. No and Name) following the procedure as provided in regulation of the Adoption Regulations.
(d)	That the Home Study Report of the prospective adoptive parents, prepared by_is foun to be suitable.
(e)	That the Adoption Committee constituted under paragraph of the Adoption Regulation has taken decision in favour of the proposed adoption and accordingly the adoptio application is being filed in the office of the DistrictMagistrate.
	Or
	That No Objection Certificate for the proposed inter-country adoption has been issued be the Central Adoption Resource Authority on dated (strike out the one which is not applicable).
(f)	That the adoption procedure followed in this case complies section of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 an paragraph of the Adoption Regulations.
(g)	That our organisationhas been recognised by the State Government of run a a Specialised Adoption Agency vide nodated_which is valid till.
(h)	That the Specialised Adoption Agency has received adoption fee of Rsonly as stipulated by Central Adoption Resource Authority.
(i)	That I commit myself not to receive any donation in any form from the adoptive parents or the relatives or through their sponsoring agency during the adoption process or after completion of the adoption process.
(j)	That facts stated above are genuine to the best of my knowledge and belief and I d hereby declare that in case the facts mentioned above are found non-genuine, I shall b liable for the consequences.
	VERIFICATION
	at I, the deponent above, do hereby verify that the contents of the overaffidavit are true and correct.
	Name and Signature of the Chief functionary of Authorised person of the Specialised Adoption Agency
	rified at
Sw	forn and signed before me on in my presence.

SCHEDULE XXIV

[See regulation 54(4)]

AFFIDAVIT OF PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS IN CASE OF INCOUNTRY RELATIVE ADOPTION IN SUPPORT OF THEIR FINANCIAL AND SOCIALSTATUS AS PER SUB-REGULATION (4) OF REGULATION 54

	Affidavit of Mr
	adopt the child
	and Mrs, residing at
1.	
2.	That the child proposed to be adopted is my
3.	That my or our total annual income from all source is per annum, which is adequate to raise the child in our family in the local living standards where we reside. VERIFICATION
	That I or We, the Applicant above , do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct.
	Applicant
	(Prospective Adoptive Parents in case of
	in-country relative adoption)
	Verified at
	Sworn and signed before me on in my presence.
	SCHEDULE XXV
	[See regulations 54(6) and 55(5)]
	PRE- APPROVAL LETTER IN CASE OF IN-COUNTRY RELATIVE OR STEP ADOPTION
	Date:
	Format 1- Pre- Approval Letter (Relative Adoption)
1.	Pre-Approval Letter in the matter of Relative Adoption of the Child(Male or Female or Other)(Date of Birth)by their Relatives
	and(Designated Portalreg. No.)and date of registration
2.	That the prospective adoptive parents wish to adopt the child(F or M), daughter or son of (Biological Parents)
	and(Adoptive Mother and Father) is the(specify the relation with the child or children) of the child(name of the
	child or children), and hence is a 'Relative' for the purpose of adoptions under section 2(52) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021.
3.	That the prospective adoptive parents have registered on the Designated Portal for Relative

Adoption as per provisions of regulation 54(1) of the Adoption Regulations, 2022.

- 4. That the consent letter from the biological parents or permission of the Child Welfare Committee has been obtained as per provisions of Regulation 54(2) of Adoption Regulations, 2022, and in the prescribed format at **Schedule XIX or XXII** of Adoption Regulations, 2022.
- 5. That the Affidavit of the prospective adoptive parents, declaring their social and financial status, as required under the Regulation 54 (4) of Adoption Regulations, 2022 has been furnished in the prescribed format, i.e. **Schedule XXIV** of the Adoption Regulations, 2022 and has been duly verified and found to be satisfactory by the District Child Protection Unit.
- 6. That the prospective adoptive parents may approach the concerned District Magistrate through District Child Protection Unit as per Regulation 54(5) of the Adoption Regulations, 2022, as they have complied with all the requirements for undertaking the In-Country Relative Adoption, under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021.
- 7. That the District Magistrate concerned may issue the adoption order as per regulation 36(3)(d) based on the application as provided in **Schedule XXX** of the Adoption Regulations, 2022.

Authorised Officer (State Adoption Resource Agency)

Authorised Officer

(State Adoption Resource Agency)

To:-Prospective Adoptive Parents, District Child Protection Unit & Central Adoption Resource Authority.

Date:

Format 2- Pre- Approval Letter (Step-Parent Adoption)

Pre-Approval Letter in the matter of Step-Parent Adoption of the Child(Male or Female or Other)(Date of
Birth)by the step-parent (Designated Portalreg. No.)
and date of registration
2. That the Biological mother or father,
and the Step father or Stepmother had solemnised their marriage on (Date of marriage).
3. That the Step and Biological parents have obtained clearance from Child Welfare Committee as per Schedule XX of the Adoption Regulations, 2022.
4. That the Step parent and Biological parent have uploaded the requisite documents on the Designated Portal.
5. That the District Child Protection Unit (Name of the District) as per regulation 55(4) has performed the verification checks and has stated that the information provided therein and the documents are true and correct.
6. That the Step parent and Biological parent may approach the District Magistrate (name of the District) as per regulation 59(5) of the Adoption Regulations, 2022 through the office of the District Child protection Unit.
7. That the District Magistrate concerned may issue the adoption order as per regulation $36(3)(d)$ based on the application as provided in Schedule XXXII of the Adoption Regulations, 2022.

To:-Prospective Adoptive Parents, District Child Protection Unit & Central Adoption Resource Authority.

SCHEDULE XXVI

[See regulation 24(1)]

APPLICATION FROM A CHILD CARE INSTITUTION FOR RECOGNITION AS A SPECIALISED ADOPTION AGENCY

1.	About the Institution:	
1.1	Name of the Institution or Organisation.	
1.2	Registration number and date of registration of the Institution or Organisation under the relevant Act (Relevant documents of registration and bye-laws, memorandum of association to be annexed).	
1.3	Registration number and date of Registration of the Institution or Organisation as a Child Care Institution (Annex copy of the Registration Certificate).	
1.4	Period of validity to run the Child Care Institution.	
1.5	Complete address of the Applicant orinstitution or Organisation.	
1.6	STD code or Telephone No.	
1.7	STD code Fax No.	
1.8	E-mail address.	
1.9	If the Organisation is of all India character, give address of its branches, in other States.	
1.10	If the Child Care Institution had been denied recognition or registration as a Specialised Adoption Agency earlier? Yes or No If Yes (a) Ref. No. of application which resulted in denial of recognition as Child Care Institution: (b) Date of denial:	
	(c) Which department has denied therecognition:	
	(d) Reason for denial of recognition as Specialised Adoption Agency:	
2.	Infrastructure:	
2.1	No. of rooms (mention with measurement)	
2.2	No. of toilets (mention with measurement)	
2.3	No. of Kitchen (mention with measurement)	
2.4	No. of sick room	
2.5	Copy of blue print of the building (authentic sketch plan of building) to be attached.	

2.6 Arrangement to deal with unforeseen disaster; also mention the kind of arrangement made: (a) Pest control (b) Waste disposal (c) Storage area (d) Any other arrangement 2.7 Rent agreement or building maintenanceestimate (whichever is	
(a) Pest control (b) Waste disposal (c) Storage area (d) Any other arrangement 2.7 Rent agreement or building	
(b) Waste disposal (c) Storage area (d) Any other arrangement 2.7 Rent agreement or building	
(c) Storage area (d) Any other arrangement 2.7 Rent agreement or building	
(d) Any other arrangement 2.7 Rent agreement or building	
2.7 Rent agreement or building	
8 8	
applicable)	
(Annex: copy of Rent agreement)	
3. Capacity of the Institution or Organisation:	
No. of children present in the home.	
(a) 0-5 years	
(b) 5-11 years	
(c) 11-18 years	
4. Facilities Available for Children:	
4.1 Educational facility	
4.2 Health Check-up arrangement, frequency of	
check-up, type of check-ups proposed to be	
Done.	
4.3 Any other facility having impact	
on theoverall development of the child.	
on theoverall development of the	
on theoverall development of the child.	
on theoverall development of the child. 5. Staffing:	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed)	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears.	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years)	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management	
5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency)	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation.	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed)	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed) 6.4 If the Organisation registered under the Foreign	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed)	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed) 6.4 If the Organisation registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed) 6.4 If the Organisation registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).	
on theoverall development of the child. 5. Staffing: 5.1 Details staff list (to be annexed) 5.2 Name of partner Organisations 6. Background information about the Child Care Institution: 6.1 Major activities of the Organisation in lastyears. (Annex copy of Annual Report for last two years) 6.2 An updated list of members of the management committee or governing body (Please annex resolution of the executive body of the institution supporting decision to run an adoption agency) 6.3 List of assets or infrastructure of the Organisation. (to be annexed) 6.4 If the Organisation registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976). (Certificate to be annexed)	

6.6	List of other sources of grant-in-aid funding(if any) with the name of the scheme or project, purpose amount, etc.	
6.7	Details of existing bank account of the agency indicating branch code accountnumber.	
6.8	Whether the institution agrees to open a separate bank account for the grant proposed.	

I have read and understood The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amended Act, 2021 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022.

I declare that no person associated with the Organisation has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labor and that the Organisation has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

_____(Name of the Organisation or Institution) has complied with all the requirements to be registered as a Specialised Adoption Agency under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act,2021 and The Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Rules, 2022.

I undertake to regularly update data on the Designated Portal and to have facilities for the same.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central or State Act, Rules, Adoption Regulations and notifications in this regard.

Name and Signature of the	he Chief Functionary:
---------------------------	-----------------------

Designation:

Address:

District:

Date:

Office stamp:

Signature of:

Witness No.1:

Witness No.2:

SCHEDULE XXVII

[See regulation 11(4)]

FORMAT OF MINUTES OF THE ADOPTION COMMITTEE IN CASE OF INCOUNTRYADOPTION

Name and Address of the Specialised Adoption Agency:

1. Following are the members of the Adoption Committee as per subregulation (4) of regulation 10 of the Adoption Regulations notified by Central Government.

S.	Name	Designation
No		
(1)		
(2)		
(3)		

[In case of adoption through Specialised Adoption Agency-Child Care Institution linkage, the members shall be in accordance with regulation 61 (8) of the Adoption Regulations. The quorum of the Committee shall be as per para 11(5) of the regulations]

- 2. The undersigned members of the Committee have scrutinised all requisite documents (attested or notarised) required for filing adoption application before the District Magistrate concerned as mentioned below:
- (1) Current family photograph or Photograph of person adopting a child.
- (2) PAN Card of the parents
- (3) Birth certificate or Proof date of birth of the parents (In case of married couple, upload Birth Certificate of both the applicants).
- (4) Proof of residence (aadhar card or voter card or passport or current electricity bill or telephone bill).
- (5) Proof of income of last year (salary slip or income certificate issued by Govt. department or income tax return).
- (6) Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents do not suffer from any chronic, contagious or fatal disease and they are fit to adopt (In case of married couple, upload Medical Certificate of both the applicants).
- (7) Marriage certificate or Divorce Decree or Declaration from the competent courtor affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory or Death certificate of spouse whichever is applicable.
- (8) Two reference letters from acquaintances or relatives in support of adoption.
- (9) Copy of divorce decree or Declaration from the competent court or affidavit on oath pertaining to divorce in case of divorce governed by personal law where decree of divorce is not mandatory or death certificate of the spouse (if applicable).
- (10) Copy of consent of the older child or children in the family.

3. Decision of the Adoption Committe	e.
--------------------------------------	----

(1)	It	has	been	decided	by	the	Committee	that	the	prospective	adoptive
pare	nts			hav	ing R	Registra	ation No.				have
been	cons	idered	suitable	to adoj	ot the	child	l	(Date	of	Birth)	
havi	ng R	Registı	ration N	lo							

(2) In case the prospective adoptive parents are not considered suitable, reasons forthe same:

(((
)))
Member1	Member2	Member3
(Name and Designation)	(Name and Designation)	(Name and Designation)

SCHEDULE XXVIII

[See section 56(1), 58, 61 & regulation 13(2)]

MODEL APPLICATION IN CASE OF ORPHAN OR ABANDONED OR SURRENDERED CHILD (REN) FOR IN-COUNTRY ADOPTION

[To be filed by the Specialised Adoption Agency before the District Magistrate at

[To b	e filed by the Specialised Adoption Agency before the District Magistrate at	ĺ
1.	Application No/Year	
2. Regd.	Number of prospective adoptive parents on the Designated Portal:	

- 3. Name and address of the District Child Protection Unit:
- 4. Application in the matter of adoption of the child:(male or female or other), DOB:

.....) under section 58(3) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 read with regulation 13 (2) of the Adoption Regulations.

Applicant (s)

 M_r

4.

Report annexed.

- 1. Name and address of the Specialised Adoption Agency concerned on behalf of the Prospective Adoptive Parents:
- 2. Name and address of the Child Care Institution concerned, if the AdoptionApplication is being filed in a linkage case:

8/0

A ged

complete address).

about

Mrs
Residential address:
The Applicant most respectfully submits before the District Magistrate as under:-
1. That the Applicant is a recognised Specialised Adoption Agency undersection 65 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 (hereinafter referred to as Juvenile Justice Act) by the State Government of
2. That the Applicant is having the care and custody of the child(male or female or other, DOB:desires to place the child in adoption with the above named prospective adoptive parents.
3. That the Co-Applicant is a registered Child Care Institution, which is having the care and custody of the child (male or female or other, DOB:) desires to place the child in adoption with the above named prospective adoptive parents through the applicant Specialised Adoption Agency as per the provision of section 66 of the Juvenile Justice Act.
[Note: This paragraph shall be mentioned in case the Adoption Application is being filed in a linkage case.]
That the child or children, (male or female or other, DOB:

5. That, the above named prospective adoptive parents are resident Indians, presently

6. That they have been found eligible and suitable to adopt the above named child or children as per the criteria mentioned in section 57 of the Juvenile Justice Act and regulation 5 of the Adoption Regulations, and based upon their Home Study

- 7. That the prospective adoptive parents have also been found suitable by the Adoption Committee to adopt the above named child or children. A true copy of the decision of the Adoption Committee is also annexed.
- 8. That the above named child or children has or have been reserved by the said prospective adoptive parents through the Designated Portal and has been accepted by the said prospective adoptive parents by signing the Child Study Report and the Medical Examination Report on------.
- 9. That the child or children has or have been given in pre-adoption foster care to the said prospective adoptive parents on-----, after obtaining a pre-adoption foster care Affidavit (true copy annexed), as per the provisions of Section 58(3) of Juvenile Justice Act and regulation 12(1) of the Adoption Regulations.
- 10. That the Adoption Committee vide its meeting dated-----has decided to place the child or children in adoption with the prospective adoptive parents.
- 11. That the prospective adoptive parents have undertaken in the said pre-adoption foster care Affidavit that they shall allow the authorised social worker or functionary of the Specialised Adoption Agency or District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency to visit their home for undertaking postadoption follow-up to ascertain the progress and well-being of the child in the adoptive family [as envisaged under section 58(5) of Juvenile Justice Act].
- 12. That the prospective adoptive parents have further undertaken to inform any change in the place of their residence (other than as stated in this application), to the Applicant(s), State Adoption Resource Agency and the District Child Protection Unit concerned for the purpose of post adoption follow-up.
- 13. That the prospective adoptive parents have also undertaken to upbring the said child or children as their own and to accord the same status or rights or privileges to the child or children at par with the natural born child as provided in preadoption foster care affidavit annexed.
- 14. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied with in this adoption case.
- 15. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child or children.
- 16. That the District Magistrate has jurisdiction to pass adoption order as per the provisions of section 2 (23), 58 (3) and 61 of the Juvenile Justice Act.
- 17. That the prospective adoptive parents understand that the adopted child shall become their lawful child with all the rights, privileges andresponsibilities that are attached to a biological child.
- 18. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other office of District Magistrate.
- 19. The Applicant(s), therefore, pray that:
 - (a) The above named Prospective Adoption Parents may please be given the said child or children in adoption and be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
 - (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue Birth Certificate for the said child or children within five days from the date of application, as per the provisions of regulation 40 of the Adoption Regulations.

Place & Date:

Applicant No 1
Applicant No 2(if applicable)

Photograph of the Child	Photograph of the adoptive Parents

VERIFICATION

I Mr.or Ms	,Adoption	In-charge	or social	worker of	Applica	nt No.
1 do hereby state on oath and solemi	nly affirm tha	at the cont	ents of th	is Applicat	ion are to	rue and
correct to the best of my or our k	nowledge an	d belief a	nd the ir	nformation	and doc	uments
presented with this Application are g	genuine.					

Applicant no. 1(Name & signature with seal)

Date

Index

Sr. No.	Documents to be annexed as provided in Schedule VI &IX of the Adoption Regulations	Reference	PageNo.

Application has been scrutinised and submitted for perusal of the District Magistrate

District Child Protection Office (Name & signature with seal, Place & date)

SCHEDULE XXIX

[See section 56(4), 59 & regulation 18(2)]

MODEL APPLICATION IN CASE OF AN ORPHAN OR ABANDONED OR SURRENDEREDCHILD (REN) FOR INTER-COUNTRY ADOPTION

[To be filed by the Specialised Adoption Agency]

	[10 be filed by the Specialised Adoption Agency]
1.	Application No./Year
2.	Regd. Number of prospective adoptive parents on the Designated Portal:
3.	Name and address of the District Child Protection Unit:
4.	Application in the matter of adoption of the child:(male or female or other), DOB:
•••) under section 59(7) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 read with regulations 18 (2) of the Adoption Regulations.
	Applicant (s)
1.	Name and address of the Specialised Adoption Agency concerned on behalf of the Prospective Adoptive Parents:
2.	Name and address of the Child Care Institution concerned, if the Adoption Application is being filed in a linkage case:
	Prospective adoptive parents
	Mr
	Mrs
	The Applicant most respectfully submits before the District Magistrate as under:
1.	
2.	That the Applicant is having the care and custody of the child(male or female or other, DOB:desires to place the child in adoption with the above named prospective adoptive parents.
3.	and custody of the child:
	[Note: This paragraph shall be mentioned in case the Adoption Application is being filed in a linkage case.]
4.	That the child or children (male or female or other, DOB:) has or have been declared legally free for adoption by the Child Welfare Committee, District (copy of order annexed), as per the provisions of section 38 of the Juvenile Justice Act and the said child is registered on the Designated Portal with the Registration No, for the purpose of adoption as envisaged in section 56 (1) of the Juvenile Justice Act.
5.	

at..... (complete address).

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- 6. That the prospective adoptive parents have been found eligible and suitable to adopt by the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority (name and address), and based upon their Home Study Report annexed and as per the law of the country of their residence.

- 9. That the prospective adoptive parents have undertaken through the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority concerned that they shall allow the authorised social worker or functionary of the Authorised Foreign Adoption Agency or Central Authority or concerned Government department to visit their home for undertaking post-adoption follow up to ascertain the progress and well-being of the child in the adoptive family, as envisaged under section 59 (11) of the Juvenile Justice Act.
- 10. That the prospective adoptive parents have also undertaken to up-bring the said child or children as their own and to accord the same status or rights or privileges to the child or children at par with the natural born child.
- 11. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied with, in this adoption case.
- 12. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child or children.
- 13. That the applicant (s) are within the jurisdiction of the District Magistrate, hence the Magistrate has jurisdiction to pass the adoption order as per the provisions of sections 2 (23), 59 (7) and 61 of the Juvenile Justice Act.
- 14. That Central Adoption Resource Authority has issued a No Objection Certificate for the proposed adoption as provided in regulation17 of the Adoption Regulations.
- 15. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other office of the District Magistrate.
- 16. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child or children.

17. The Applicant(s), therefore, pray that:

- (a) The above named prospective adoption parents may please be declared as parents of the said child or children for all purposes allowed by the law and may be allowed to be taken to the country of their residence for upbringing the child or children as their own.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue a Birth Certificate for the said child or children within five days from the date of application, as per the provisions of regulation 19(5) and regulation 40.
- (c) The Regional Passport Office concerned may please be directed to issue the Passport for the said child or children within ten days from the date of application, as per regulation 42.

Place:	APPLICANT NO. 1
Date:	APPLICANT NO. 2

Photograph of the Child	Photograph of the adoptiveParents

VERIFICATION

I Mr. or	Ms.					,	Ado	ption	ı I	n-charge	e or	soci	ial wo	rker	of
Applicant	No. 1	do h	ereby	state	on (oath	and s	solen	nnly	affirm	that	the	content	s of	this
Application	n are	true	and	correct	to	the	best	of :	my	knowle	dge	and	belief	and	the
information	n and d	locum	nents	present	ed v	with	this A	Appli	catio	on are g	enui	ne.			

Applicant no. 1(Name & signature with seal)

Date:

Index

Sr. No	Documents to be annexed as provided in	Reference	Page No.
	Schedule VI & IX of the AdoptionRegulations		

Application has been scrutinised and submitted for perusal of the District Magistrate. District Child Protection Officer(Name & signature with seal, Place & date)

[Note: In cases of foreign citizens residing in India, the application format has to be suitably modified]

SCHEDULE XXX

[See section 2(52), 56(2) & regulation 54(8)]

MODEL APPLICATION FOR IN-COUNTRY RELATIVE ADOPTION

[To be filed by the prospective adoptive parents]

1. Application No.-/ Year 2. Regd. Number of prospective adoptive parents on the Designated Portal: 3. Name and address of the District Child Protection Unit: of 4. Application in the matter adoption of child:....(male or female other, the or under section 56(2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 read with regulation 54 of the Adoption Regulations.

Prospective adoptive parents(Applicants)

Mr	S/o	Aged ab	out
Years, Citizen of, address:			
Mrs			
Natural or Biological Parents			
Mr		_	
Mrs		-	

The Applicants most respectfully submit before the District Magistrate as under :-

- 1. That the Applicants are prospective adoptive parents and are relative to natural or biological parents of the child___(male or female or other)under section 2(52)of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 (hereinafter referred to as Juvenile Justice Act).
- 2. That the Applicants are paternal uncle or aunt or a maternal uncle or aunt, or paternal grandparent or maternal grandparents of the child.
- 4. That the natural parents are desirous of placing the child in adoption for the reason_____
- 5. That prospective adoptive parents are desirous of adopting the child for the reason_____
- 6. That the Applicants and the natural parents have given consent to the proposed adoption which is annexed with the Application. (In case, the natural parents are not alive, document related to permission for adoption from the Child Welfare Committee shall be annexed as provided in the Adoption Regulations.)
- 7. That the child proposed to be adopted is a minor (below five years) who is notable to express their views.

Or

That the child proposed to be adopted has also given his or her consent for the said adoption and is willing to accept the Applicants as parents.

- 8. That the adoption of the child by the prospective adoptive parents from the natural parents shall be of the paramount welfare and they shall treat the child as their own with all rights and responsibilities.
- 9. That neither the applicants have given or agreed to give, nor have the natural parents or guardians of the child received or agreed to receive any payment to reward in consideration of the adoption.
- 10. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied with in the case of proposed adoption.
- 11. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child or children.
- 12. That the child ordinarily resides within the jurisdiction of the District Magistrate and hence the Magistrate has jurisdiction to pass adoption order as per the provisions of section 61 of the Juvenile Justice Act.
- 13. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other office of District Magistrate.
- 14. That the Applicants understand that the adopted child shall become the lawful child of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.

15. The Applicant(s), therefore, pray that:

- (a) The above named child may please be given in adoption to the applicants and the applicants be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue a Birth Certificate for the said child or children within five days from the date of application, as per the provisions of regulation 19(5) and regulation 40.

VERIFICATION

I or We, Mr. or Mrs., do hereby state on oath and solemnly affirm that the contents of this Application are true and correct to the best of my or our knowledge and belief and the information and documents presented with this Application are genuine.

	PROSPECTIVE ADO	PTIVE PA	ARENTS		
	NAME		SIGNATUF	RE	
	THE	SIGNATURE			
otogran	h of thebiological Photograph of the ch	ild	Photograph of the	ne adoptive	
pare		iru	parents	ie adoptive	
	<u>In</u>	dex			
No.	Documents to be annexed as preschedule VI & IX of the Regulations	ovided ir Adoptior		Page No.	
Арр	lication has been scrutinised and submitted	_			
	(N			rotection Officer al, Place & date)	
MO	SCHEDULE [See section 2(52), 60 & DEL APPLICATION FOR INTER-Co [To be filed by the prospe	regulation OUNTRY	RELATIVE A	DOPTION	
1. Ar	oplication No. /Year				
•	egd. Number of prospective adoptive pare	— ents on the	Designated Por	tal:	
	ame and address of the District Child		•		
4. Application in the matter of adoption of the child:(male or female or other, DOB:) under section 60 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 read with regulation 56,57,58 and 59 of the Adoption Regulations.					
Pros	pective adoptive parents (Applicants)			
	S/o Years, Citizen of, entialaddress:		_		
Years					
Natu	ral or Biological Parents				
• • • •	S/o Years, Citizen of,				
Resid	entialaddress:				

Residentialaddress:....

The Applicants most respectfully submit before the District Magistrate asunder:-

1.	That the Applicants are prospective adoptive parents and are relative to natural or biological parents of the child (male or female or other gender)under section 2(52) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021(hereinafter referred to as Juvenile Justice Act).
2.	That the Applicants are paternal uncle or aunt or a maternal uncle or aunt, or paternal grandparent or maternal grandparents of the child
3.	That the Applicants are residents of
4.	That the child was born to the natural parents onand they are resident of
5.	That the natural parents are desirous of placing the child in adoption for the reason

- 6. That prospective adoptive parents are desirous of adopting the child for the reason.
- 7. That the Applicants and the natural parents have given consent to the proposed adoption which is annexed with the Application. (In case, the natural parents are not alive, document related to permission for adoption from the Child Welfare Committee shall be annexed as provided in the Adoption Regulations.
- That the child proposed to be adopted is a minor (below five years) who is not able to express their views.

Or

That the child proposed to be adopted has also given his or her consent for the said adoption and is willing to accept the Applicants as parents.

- 9. That the adoption of the child by the applicants from the natural parents shall be of the paramount welfare and the applicants shall treat the child as their own with all rights and responsibilities.
- 10. That neither the applicants have given or agreed to give, nor have the natural parents or guardians of the child received or agreed to receive any payment or reward in consideration of the adoption.
- 11. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act have been complied within the case of proposed adoption.
- 12. That the giver(s) and taker(s) have no interest directly or indirectly adverse to that of the child or children.
- 13. The child ordinarily resides within the jurisdiction of the District Magistrate and hence the Magistrate has jurisdiction to pass adoption order as per the provisions of section 61 of the Juvenile Justice Act.
- 14. That the Applicant(s) have not filed any other Application for the adoption of the said child in any other office of District Magistrate.
- 15. That permission from the receiving country (Article 5 or 17 of the Hague Adoption Convention) are already enclosed in the application.
- 16. That the Central Adoption Resource Authority has already issued Pre-approval letter on ----(copy enclosed)
- 17. That the Applicants understand that the adopted child shall become the lawful child of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child.

18. The Applicant(s), therefore, pray that:

- (a) The above named child may please be given in adoption to the applicants and the applicants be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
- (b) Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue Birth Certificate for the said child or children within five days from the date of application, as provided in regulation 40 of the Adoption Regulations.
- (c) The Regional Passport Office concerned may please be directed to issue Passport for the said child or children within ten days from the date of application, as per the provisions of regulation 19(4) and 42 of Adoption Regulations.

VERIFICATION

I or We, Mr. or Mrs., do hereby state on oath and solemnly affirm that the contents of this Application are true and correct to the best of my or our knowledge and belief and the information and documents presented with this Application are genuine.

PROSPECTIVE ADOPTIVE PARENTS				
NAME	SIGNATURE			

Photograph of the biological parents	Photograph of the adoptive parents

Index

	Documents to be annexed as provided in Schedule VI & IX of the AdoptionRegulations	Reference	PageNo.

Application has been scrutinised and submitted for perusal of the District Magistrate.

District Child Protection Officer(Name & signature with seal, Place & date)

SCHEDULE XXXII

[See section 39(1), 56(1) & regulation 55(7) and 59(5)]

MODEL APPLICATION FOR ADOPTION OF CHILD (REN) BY STEP & BIOLOGICALPARENT

[To be filed by the biological and step parent]

1. Application No/ Yea	ır
2. Regd. Number of prospective adoptive	parents on the Designated Portal:
3. Name and address of the District C	hild Protection Unit:
or other, DOB:) u	n of the child:(male or female under section 56(1), 39(1) and 57(5) of the n of Children) Amendment Act, 2021 read Adoption Regulations.
Prospective adopti	ve parents (Applicant)
Mr	, Occupation:
Mrs	, Occupation:
Natural or Biological Parents (Applic	ant)
Mr	/oAged about, Occupation: Permanent
	/o Aged about, Occupation: Permanent
[please strike out which is not application	-
	before the District Magistrate asunder:-
the biological parent) of the child or chi	ent and step-parent (legally wedded spouse of ldren with details as given in Schedule XX.
2. That the Applicants are resident of	
3. That the child or childrenOther)	(Male or Female or
and Date of Birth(s)parents (biological parent)	was or were born to the naturalandonand they are resident of
A That the highest parent is desirous	of charing the local relationship of the shild or

- 4. That the biological parent is desirous of sharing the legalrelationship of the child or children with the spouse adopting the child or children, being legally married to him or her.
- 5. That the consent of the other biological parent has been obtained or the other biological parent is deceased. (Strike out whatever is not applicable)
- 6. That the biological parent and step-parent adopting the child or children understand that the adoption of the child or children shall create a permanent parent-child relationship with them.
- 7. That the consent(s) as required for adoption in **Schedule XX** of the Adoption Regulations are annexed with the Application.
- 8. That the child(ren) proposed to be adopted is a or are minor(s) (below five years) who

is or are not able to express their or their views.

Oı

That the child proposed to be adopted has also given his or her consent for the said adoption and is willing to accept the Applicants as parents.

- 9. That the conditions laid down in section 61 (1) of the Juvenile Justice Act (2 of 2016) have been complied with in the case of the proposed adoption.
- 10. That there is no litigation for custody of the said child or children in any Court of Law within the country or overseas.
- 11. That the Applicants have not filed any other Application for the adoption of the said child or children in any other office of District Magistrate within the country.
- 12. That the Applicants understand that the adopted child or children shall become the lawful child or children of the applicants with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to a biological child or children.
- 13. The child ordinarily resides within the jurisdiction of the District Magistrate and hence the Magistrate has jurisdiction to pass adoption order as per the provisions of section 61 of the Juvenile Justice Act.

14. The Applicant(s), therefore, pray that:

- (a) The legal relationship of father or mother of above named child or children may please be transferred to the step-parent (applicant) adopting the child or children along with the biological mother or father (applicant) and they be declared as the parents of the said minor for all purposes allowed by the law.
- (b) The Birth Certificate Issuing Authority (name and place) may please be directed to issue or modify the Birth Certificate for the said child or children within five days from the date of application, as provided in regulation 40 of Adoption Regulations.

Place:		APPLICANTS
Date:		
Photograph of the biological mother or father or both as the case may be	<u> </u>	Photograph of the adoptive mother or father or both as the case may be

VERIFICATION

I or We, Mr. or Mrs., do hereby state on oath and solemnly affirm that the contents of this Application are true and correct to the best of my or our knowledge and belief and the information and documents presented with this Application are genuine.

PROSPECTIVE A	DOPTIVE PARENTS
(Biological Parent a	and Step-Parent)
NAME	SIGNATURE

Index

Documents to be annexed as provided in Schedule VI & IX of the AdoptionRegulations	Reference	PageNo.

Application has been scrutinised and submitted for perusal of the District Magistrate.

District Child Protection Officer(Name & signature with seal, Place & date)

SCHEDULE XXXIII

[See regulations 36(2)]

FORMAT OF ADOPTION ORDER

Office of the District Magistrate

	District:	State:	
A	fore the District Magistrate at loption Application NoYear egd. Number of prospective adoptive parents on the	Designated Portal	
	pe of adoption order (Please put a $\sqrt{\text{mark}}$)	Designated Fortain	
•	In-country adoption of orphan or abandoned or surrenders 56(1),58 and 61 of Juvenile Justice (Care and prote Act, 2021 read with regulations 10,11,12 and 13 of the Act,	tection of Children) Amendment	
2.	Inter-country adoption of orphan or abandoned or sursection 56(4), 59, and 61 of the Juvenile Children)Amendment Act, 2021 read with regulations15, 1 Regulations 2022.	Justice (Care and protection of	
3.	In-country adoption of a relative under section 2(52),56(2) (Care and protection of Children)Amendment Act, 202 Adoption Regulations 2022.		
4.	Inter-country relative (family or step) adoption under section Justice (Care and Protection of Children) Amendment Acts 57, 58 and 59 of the Adoption Regulations 2022.	* **	
5.	In-country step child adoption under section 39(1), 56(1) Justice(Care and protection of Children)Amendment Acof the Adoption Regulations 2022.		

<u> Part 1</u>

- (a) Name & address of the Applicant(s) [Prospective adoptive parents]:
- (b) Appointed Power of Attorney holder in cases of inter-country adoption(if applicable):
- (c) Name and address of the recognised Specialised Adoption Agency (not applicable incase of relative or step child adoption):
- (d) Name and address of the Child Care Institution in case it is linked with therecognised Specialised Adoption Agency (wherever applicable):
- (e) Name & address of the biological parents in cases of relative or step child adoption (if applicable):

- (f) Name & address of the District Child Protection Unit:
- (g) State Adoption Resource Agency:
- (h) Name & address of the Authorised Adoption Foreign Agency or Central Authority or Govt. Deptt or Indian Mission in cases of inter-country adoption:

Part 2

- (b) That the applicants have filed an affidavit to give a new name to the child and the name suggested is----- and accordingly the child shall be known by the name ----- instead of----- (if applicable).
- (c) That the adoption is complete now in all respect and accordingly I allow the adoption in the case of child------(Male or Female or Other) DOB------(Certified by the Child Welfare Committee as Legally Free for Adoption) with the prospective adoptive parents having registration number -----:
 - (i) The prospective adoptive parents namely------- have been found eligible and suitable to adopt [on the basis of Adoption Committee minutes in the case of in-country adoption or No Objection Certificate issued by the Central Adoption Resource Authority, New Delhi in the case of adoption of non-resident Indian, Overseas Citizen of India Cardholder, or Foreign prospective adoptive parents];
 - (ii) Due consideration has been given to the wishes of the child (in case the childis over five years);
 - (iii) Due procedure has been followed as provided in the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act 2021 and the Adoption Regulations 2022.
 - (iv) As per section 63 of the Juvenile Justice Care & Protection of Children) Amendment Act 2021, the child------by name ,DOB-----in respect of whom an adoption order is issued today, i.e.-----, shall become the child of the adoptive parents-------, and the adoptive parents shall become the parents of the child as if the child had been born to the adoptive parents, for all purposes, including intestacy, with effect from the date on which the adoption order takes effect, and on and from such date all the ties of the child in the family of their birth shall stand severed and replaced by those created by the adoption order in the adoptive family.
 - (v) The local registrar notified under the Registration of Births and Deaths Act 1969 (18 of 1969) is directed to issue birth certificate within five days in favour of the adopted child on an application filed by the Specialised Adoption Agency or adoptive parents, incorporating the names of the adoptive parents as parents and the date of birth of the child as mentioned in the adoption order, in accordance with circulars issued from time to time by the Registrar General of India.
 - (vi) In case the child is an orphan, abandoned or surrendered child, the status of the child must be updated on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency or District Child protection Unit while in all other cases the order has to be uploaded by the District Child Protection Unit concerned.

Signature
Name of the District Magistrate

Date:

Office address & Seal

Copy to all concerned

[In case of relative adoption or step-parent adoption, application shall be filed by District Child Protection Unit only and the adoption order can be modified accordingly)

SCHEDULE XXXIV

[See regulations 36(10)]

FORMAT OF ADOPTION DISSOLUTION ORDER

Office of the District Magistrate

Di	strict:	State:
Before the District Ma	agistrate at	
	No. Year.	_
		on the Designated Portal:
Type of adoption order		
section $56(1)$, 5	8 and 61 of Juvenile Just	or surrendered child or children under ice (Care and protection of Children) s 10,11,12 and 13 of the Adoption
section 56(4), 5	59, and 61 of the J nt Act, 2021 read with reg	or surrendered child or children under uvenile Justice(Care and protection of ulations 15, 16, 17 and 18 of the
	on of Children)Amendment	(52),56(2) and 61 of the Juvenile Justice Act, 2021 read with regulation 54 of
Juvenile Justice (C		under section 2(52), 60 and 61 of the dren) Amendment Act, 2021 read with Regulations 2022.
Juvenile Justice(Car	<u> </u>	P(1), 56(1) and 57(5) and 61 of the ren)Amendment Act, 2021 read with
<u>Part 1</u>		
(a) Name & address of the	ne Applicant(s) [Prospective	adoptive parents]:
(b) Power of Attorney ho	older in cases of inter-country	y adoption(if applicable):
(c) Name and address of or step child adoption	-	gency (not applicable in case of relative
7 7	of the Child Care Instit n Agency (wherever applica	ution in case it is linked with the ble):
(e) Name & address of applicable):	the biological parents in ca	ses of relative or step child adoption(if
(f) Name & address of	the District Child Protection	Unit:
(g) State Adoption Resor	arce Agency:	
	the Authorised Adoption dian Mission in cases of int	ForeignAgency or Central Authority er-country adoption:
Port 2		
Part 2 (a) The adoptive paren	atsadopted the child	_(Name)_, (Male or Female or Other),

(c)

concerned.

	(Date of Birth) vide adoption orderdatedfrom(the name of the Specialised Adoption Agency and the Child Care Institution in case the child happens to be an orphan or abandoned or surrendered child), and have filed an adoption termination application on
	The adoptive parents have been counselled on and and they appeared before me on with reference to their adoption dissolution application.
(c)	The reasons of dissolution can be attributed to the fact that
	I terminate the adoption order issued on as the adoptive relationship is no longer in the child's best interest and the adoptive parents and the child are not pulling on well.
	The prospective adoptive parents Mr & Mrs are not recommended toadopt another child for the reason stated below:
	In case the child is an orphan, abandoned or surrendered child, the status of the child must be updated on the Designated Portal by the Specialised Adoption Agency or District Child protection Unit within a period of three days after completion of necessary counselling [In all other cases the order has to be uploaded by the District Child Protection Unit concerned].
	SignatureName of the District Magistrate Date Office Address with Seal
	Contact No:
Сору	y to all concerned
	SCHEDULE XXXV [See regulations 67(1), 67(2) and 69(4)]
	VERIFICATION CERTIFICATE IN CASE OF ADOPTION CONCLUDED NDER THE HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956 (78 OF 1956)
	Office of the District Magistrate
	District: State:
adoptio	Verification Certificate as required under the Regulations for inter-country ons under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) in of child, sex (Male or Female or other), DoB
	This is to certify that as per the adoption deed registered under the Registration Act, 16 of 1908), the child by name has been adopted by
	who are habitually residing infrom the cal parents or guardianresident of
2. Th	at after examining the parties and the witnesses, I conclude the following:
(a)	The adoption recorded in the deed of adoption has been made in accordance with the provisions of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) including the sourcing of the child, the eligibility and suitability of the adoptive
	parents.

The adoption had been concluded with mutual consent of all parties

- (d) There has been no monetary consideration involved in the adoption process and the adoption is in the best interest of the child.
- 3. I have verified requisite information supporting the adoption and recommend thecase to Central Adoption Resource Authority for necessary action.

Name of the District Magistrate Office Address with Seal Contact No:

Director (Programme)
Central Adoption Resource Authority
West Block- 8, RK Puram, New Delhi- 110066

Copy for information:

- 1. District Registrar of Birth and Death
- 2. State Adoption Resource Agency
- 3. District Child Protection Unit

SCHEDULE XXXVI

[See regulations 68(5) and 69(4)]

FAMILY BACKGROUND REPORT UNDER THE HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956 (78 OF 1956)

Check list for District Magistrate for verification of adoption done under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (78 of 1956) (Please put √ mark on the box asindicated below)

l.	Biological parents are Hindus (As per section 2 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956):
2.	Adoptive parents are Hindu (As per section 2 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956):
3.	Eligibility of adoptive male Hindu (As per section 8 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956):
	☐ is of sound mind
	is not a minor.
	☐ has the capacity to take a son or a daughter in adoption.
	consent of his wife has been taken (unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind).

- 4. Eligibility of adoptive female Hindu (As per section 8 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956):
 - (a) is of sound mind.
 - (b) is not a minor.
 - (c) has the capacity to take a son or a daughter in adoption.
 - (d) not married, or if married, whose marriage has been dissolved or whose husband is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption.
- 5. Capable of giving in adoption under HAMA (As per section 9 of the HinduAdoptions and Maintenance Act, 1956):

- (a) **Father** with consent of the mother unless the mother has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
- (b) **Mother** if the father is dead or has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind.
- (c) **Guardian** of a child shall have the capacity to give the child in adoption.

6. Eligibility of Child for adoption (As per section 10 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956):

- (a) he or she is a Hindu.
- (b) he or she has not already been adopted.
- (c) he or she has not been married, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption.
- (d) he or she has not completed the age of fifteen years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of fifteen years being taken in adoption.

7. Other conditions for a valid adoption (As per section 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956):

- (a) if the adoption is of a son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son, son's son or son's son's son (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption.
- (b) if the adoption is of a daughter the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter (whether by legitimate blood relationship or by adoption) living at the time of adoption.
- (c) if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least twenty-one years older than the person to be adopted.
- (d) if the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least twenty-one years older than the person to be adopted.
- (e) the same child is not adopted by any other person.
- (f) the child to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardians concerned under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth.

Signature
Date
Name of the District
Magistrate
Address with Seal
Contact No.

[F. No. CW-II-26/37/2021-CW-II] TRIPTI GURHA, Jt. Secy.